श माला, खंड 19, अंक 26

मंगलवार, 28 अगस्त, 2001
6 भाद्रपद, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 10/6/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 26, मंगलवार, 28 अगस्त, 2001/6 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 504	2–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 505 से 520	27–83
अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 से 5410	83–342
सभा पटल पर रखे गए पत्र	342
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	342–343
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	343
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	343
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	343
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल के बारे में	345–347
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दिए जाने की मांग के बारे में	347–351
नियम 377 के अधीन मामले	369–375
(एक) जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेकरी रेलवे फाटक के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर उपरिपुल का निर्माण करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई. जी. महाजन	369

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) मनिकरण की बाढ़ से रक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	369
(तीन) मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मनेरी ग्रोथ सेंटर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	370
(चार) दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री लाल बिहारी तिवारी	370
(पांच) मध्य प्रदेश में जबलपुर और तेंदूखेड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नरेश त्रिपाठी	371
(छह) टुरबे में एयर इंडिया की अतिरिक्त और अप्रयोज्य भूमि का शीघ्र निपटान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री के. एच. मुनियप्पा	371
(सात) केरल के कुछ भागों में बार-बार आने वाले भूकम्प के कारणों का पता लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. अजय कुमार	372
(आठ) मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में और अधिक "वाटर शेड" स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री कालवा श्रीनिवासुलु	372
(नौ) चम्बल एक्सप्रेस को हावड़ा-ग्वालियर के बीच प्रतिदिन चलाए जाने और उसे निजामुद्दीन, दिल्ली तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	*373*
(दस) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को उड़ीसा में भुवनेश्वर से पथराजपुर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभात सामन्तराय	373
(ग्यारह) एक पृथक बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	374
(बारह) दिल्ली और मेरठ के बीच दोहरी लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने और मेरठ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण कार्यालय का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भडाना	374
(तेरह) राजस्थान में करौली जिले में टेलीफोन सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जस कौर मीणा	375

विषय	कॉलम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002	375–447
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	376
श्री ए.सी. जोस	380
श्री पी.एच. पांडियन	384
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	389, 433
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	391
डा. नीतिश सेनगुप्ता	397
श्री प्रबोध पण्डा	401
श्री अरुण कुमार	402
श्री पी.आर. किन्डिया	405
श्री यशवन्त सिन्हा	409, 434
श्री माधवराव सिंधिया	425
श्री के.पी. सिंह देव	427
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	428
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	428
श्री रामजीलाल सुमन	428
श्री नारायण दत्त तिवारी	429
श्री रूपचन्द पाल	432
श्री चन्द्रनाथ सिंह	433
श्री बिक्रम केशरी देव	433
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक-*पुरःस्थापित*	447–449
विचार करने के लिए प्रस्ताव	448
श्री यशवन्त सिन्हा	447
खड 2, 3 और 1	449
पारित करने के लिए प्रस्ताव	449
राज्य सभा से संदेश	449

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उत्पन्न स्थिति	
डा. सी.पी. ठाकुर	449–450
मणिपुर बजट, 2001-2002–सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, (मणिपुर) 2001-2002	450–483
श्री संतोष मोहन देव	455
श्री होलखोमांग हौकिप	461
प्रो. रासासिंह रावत	465
श्री चन्द्रनाथ सिंह	468
श्री मणि शंकर अय्यर	470
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	475
श्री रूपचन्द पाल	477
श्री यशवन्त सिन्हा	479
मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001–*पुरःस्थापित*	483–484
विचार करने के लिए प्रस्ताव	483
श्री यशवन्त सिन्हा	483
खंड 2, 3 और 1	484
पारित करने के लिए प्रस्ताव	484
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	484–491
विचार करने के लिए प्रस्ताव	484, 489
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	484, 489
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	485
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	486
श्री लक्ष्मण सेठ	488
श्री चन्द्रनाथ सिंह	488
खंड 2, 3 और 1	491
पारित करने के लिए प्रस्ताव	491

विषय	कॉलम
द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक	491–493
विचार करने के लिए प्रस्ताव	491
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	491
खंड 2 और 1	493
पारित करने के लिए प्रस्ताव	493
रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक	493–510
विचार करने के लिए प्रस्ताव	494
श्री अरुण जेटली	494, 502
श्री पवन कुमार बंसल	495
श्री रवि प्रकाश वर्मा	498
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	499
श्री अधीर चौधरी	500
खंड 2 से 12 और 1	507
पारित करने के लिए प्रस्ताव	510

लोक सभा

मंगलवार, 28 अगस्त, 2001/6 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी, श्री कान्हू चरण जेना के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री कान्हू चरण जेना पहली से तीसरी लोक सभा अर्थात् 1952 से 1967 तक लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उड़ीसा के बालासोर और भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद्, श्री जेना 1962 से 1964 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी श्री जेना ने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।

कृषक परिवार में जन्मे श्री जेना ने ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक मजदूरों और भूमिहीन लोगों को संगठित करने और उनकी दशा सुधारने में विशेष रुचि ली।

पेशे से शिक्षक, श्री जेना एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। छुआछूत और निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु वे निरन्तर कार्यशील रहे।

श्री कान्हू चरण जेना का निधन 21 फरवरी, 2000 को भद्रक, उड़ीसा में 82 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली में निर्धारित मानकों से ऊंची इमारतें

***501. श्री रघुनाथ झा:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में निर्धारित मानकों से ऊंची इमारतों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली में ऐसे अवैध निर्माण के विरुद्ध उन लिखे गये पत्रों/की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्र सरकार के पास उत्तर/कार्रवाई के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "निर्धारित मानकों से अधिक ऊंची कोई इमारतें" नहीं हैं, जैसी कि जनता के प्रतिनिधियों (सांसदों) द्वारा शिकायत की गई है तथा जिसके बारे में कार्रवाई लंबित है।

(ग) उपर्युक्त (क) व (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम के नियम के अधीन जो मकान दो मंजिला बनाने थे, वे तीन मंजिला बनाए गए हैं और जो तीन मंजिला बनाने की अनुमति मिली थी, उनको चार मंजिल तक बनाया गया है। ऐसे एक नहीं, हजारों मकान यहां बने हुए हैं। क्या यह सरकार की जानकारी में है या नहीं? इसके अलावा मैं मंत्री जी को बताना चाहता हू कि दिल्ली

में लक्ष्मी नगर में आई-26, 27 मकान संख्या दूसरे की जमीन पर जबरन रूप से बनाया हुआ है। इसको बनाने की अनुमति दिल्ली नगर निगम से नहीं ली गई है और यह चार मंजिला बना हुआ है। ऐसे मकानों की संख्या बहुत है। क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है या नहीं?

श्री जगमोहन: यह बात दुरुस्त है कि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जहां उन्होंने बाई-लॉज की लिमिट से ऊपर मकान बनाये हुए हैं और जो लिमिट थी, जैसे जहां तीन स्टोरीज थीं, वहां चार स्टोरीज बनाई हुई हैं। उन केसेज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी गई थी कि जब केसेज में एक्शन लें और कई केसेज में उन्होंने बुक किया है और एक्शन ले रहे हैं और हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शन अठाईस अगस्त 2000 को दी थी और इस प्रक्रिया में दस नाम ऐसे हैं जिसमें लोकल बॉडीज को काम करना है। यह आपने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया है, उसका मैं पता लगाकर उसका जवाब आपको भिजवा दूंगा।

श्री रघुनाथ झा: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली के आसपास लगभग ढाई हजार से अधिक फार्म हाउसेज बने हुए हैं और इन फॉर्म हासेज में जो नार्म्स हैं, उसके अलावा उसमें टेनिस ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, तीन मंजिला मकान है और बड़े-बड़े लोगों के मकान ढाई हजार से अधिक दिल्ली में हैं। इनको छूने का सरकार ने काम नहीं किया है लेकिन हजारों झोपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों को सरकार ने उजाड़ दिया और लाखों लोग आज सड़क पर घूम रहे हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की निगाह ऐसे लोगों पर जाएगी या नहीं जाएगी और जिन लोगों ने अनऑथोराइज्ड ढंग से मकान बनाये हुए हैं, क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी?

श्री जगमोहन: जैसा मैंने बताया कि 28 अगस्त 2000 की मैं लैटर की कॉपी भेज दूंगा और लोक सभा की टेबल पर भी रख दूंगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वे सबके लिए हैं। उनमें छोटे-बड़े के लिए कोई फर्क नहीं है और मैं मैम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि यह जो ड्राइव लांच की है, यह बड़े-बड़े लोगों के ज्यादा खिलाफ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि चवनऋषि अपार्टमेंट की तस्वीरें आपने अखबार में देखी होंगी, बैक्वेंट हॉल, कुदेशिया गार्डन का आपने देखा है, व्हाइट हाउस तोड़ा गया, यह भी आपने देखा है, जितने बड़े-बड़े मकान थे, जहां किसी जगह पर भी हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, शांति स्पोर्ट्स का आजकल अखबार में आप देख रहे हैं, इन सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बड़ों-बड़ों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जहां तक छोटे लोगों की जो आप बात कह रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क है कि कुछ स्लम्स वगैरह जो होती हैं, वे पब्लिक लैंड पर बैठे होते हैं, सड़क के ऊपर बैठे हैं या नाले की एम्बैकमेंट्स के ऊपर बैठे हैं या यमुना के पुश्ते के ऊपर बैठे हैं, तो इन लोगों के लिए हमने स्पेशल स्कीम बनाकर आजकर एक ड्राइव कर रखी है जिसमें इनको हम री-सैटिल कर रहे हैं और इसमें इनको परमानेंट बैनिफिट भी है कि ये एक नयी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पानी-बिजली सब चीजें मुहैया हैं और प्लॉट उपलब्ध है और सिविक एमीनिटीज भी उपलब्ध हैं और वे लोग खुशी से जा रहे हैं। मिंटो रोड से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइन्सेज के एरियाज तक की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं मेम्बर साहब को भिजवा दूंगा जिसमें 15000 यूनिट्स को आजकल सैटल कर चुके हैं और गरीबों के लिए यह सबसे ज्यादा लाभ की बात है कि प्लॉट मिल रहे हैं और वहां ले जा रहे हैं जहां उन्हें काम भी उपलब्ध है, जैसे नरेला में इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई है, वहां पर नरेला का इंडस्ट्रियल एस्टेट भी डैवलप हो रहा है। यह लाभदायक स्कीम है और 1976 में भी ऐसी स्कीम चलाई गई थी और सात लाख लोगों को री-सैटल किया था। आज उनकी हालत आप देखिए कि वे कितने खुशहाल हो गये हैं और कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज वहां उपलब्ध है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है। जो आपने फॉर्म हाउसेज के बारे में बात की, हमने स्पेशल ड्राइव लांच की है और मेरे पास आंकड़े हैं कि कॉरपोरेशन में कोई 2289 के करीब फॉर्म हाउसेज हैं जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर बने हैं तो उनका प्रोपर सर्वे ऑर्डर हो चुका है और नोटिस जा चुके हैं और कुछ केसेज में डिमोलिशन भी हो चुका है। फॉर्म हाउसेज के बारे में सब जगह एक्शन लिया जा चुका है, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे डीडीए का हो, जैसा मैंने कहा, उन मकानों के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, दो या तीन स्टोरीज से आगे जो बने हैं, उनके पूरे डिटेल्स कॉरपोरेशन से मंगाकर लिस्ट मैं भेज दूंगा। उसमें फॉर्म हाउसेज की जितनी लिस्ट है, मेरे पास कुछ हैं, मैं पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं आपको भेज दूंगा।

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं। जगमोहन जी ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम अच्छा नहीं कर रहे हैं और वह यह है, दिल्ली के अन्दर अवैध निर्माण बिना आफिसरों की मिलीभगत के नहीं हो सकता है, ऐसे आफिसरों को ससपेंड नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब वे कार्रवाई करें, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें, ऐसे आफिसरों को कम से कम ससपैंड किया जाना चाहिए। आज हो यह रहा है कि आम आदमियों को तुरन्त परेशान किया जाता है और जो बड़े-बड़े बिल्डिंग माफियाज हैं, उनको कोई छू नहीं पाता है। दूसरा कारण यह है कि अवैध निर्माण ज्यादा इसलिए होते हैं कि हमारे बायलाज बहुत कठिन हैं

और इस वजह से नक्शा पास कराने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चार्टर्ड एकाउन्टेंट को अधिकार है, उसी तरह से आर्किटैक्ट को राइट्स दे दीजिए कि नक्शा उनके द्वारा पास किया जाएगा, तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बायलाज को चेंज करने के लिए शीघ्र कदम उठायें। दूसरी बात यह है कि जो धर्म स्थल बने हुए हैं, चाहे मंदिर हों या दूसरे धर्म स्थल, जो बरसों से बने हुए हैं, अगर उनको नोटिस देंगे, तो वे भी नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं। इस बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री जगमोहन: अध्यक्ष महोदय, जहां तक आफिसरों के खिलाफ एक्शन का सवाल है, लैंड एंड बिल्डिंग माफिया के खिलाफ एक्शन का सवाल है, इस बारे में सारे लोग जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज के समय में एक ड्राइव चल रही है, उसके बारे में सबकी राय है कि बहुत सख्त और इफैक्टिव ड्राइव है, जो लैंड और बिल्डिंग माफिया के खिलाफ चल रही है।

दूसरी बात, जहां तक आफिसरों के खिलाफ एक्शन का सवाल है, 92 केसेज सीबीआई को रैफर किये हैं। उन केसेज के अनुसार आफिसरों के खिलाफ ज्यादा एक्शन होगा। इसके अलावा जो भी केसेज डीडीए या कार्पोरेशन में हुए हैं, उनमें कई क्रिमिनल केसेज लांच किए गए हैं। कहीं पर विभागीय एक्शन लिया गया है। एक्शन सब केसेज में हो रहा है। यह ठीक है कि पहले एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत सख्ती और इफैक्टिस एक्शन हो रहा है। जैसा कि हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस देने की बात कही है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। रूल आफ ला का पालन करेंगे, जस्टिस देंगे और उसी के हिसाब से चल रहे हैं।

तीसरी बात, जहां तक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का सवाल है, मैं बता देना चाहता हूं कि जहां पर बोना-फाइड टैम्पल, गुरुद्वारा या मस्जिद बने हैं, वहां एक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन जिसने किसी स्ट्रक्चर का नाम ले लिया है, चाहे वह गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, और वहां पर दुकानें चल रही हैं। वर्कशाप चल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पांच सौ कदम दूर चले जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह स्ट्रक्चर है और कहते हैं कि यदि रिलिजियस स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पर एसटीडी बूथ चल रहा है, फेयर प्राइस शाप चल रही है, लोग रह रहे हैं, ऐसी जगहों के लिए हम एक्शन नहीं लेंगे, तो रूल आफ ला का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने रजिस्टर्ड सोसाइटी कराया हुआ है, उनको हम कन्सैसनल रेट पर लैंड देते हैं, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, लेकिन इसके साथ कामर्शियल स्ट्रक्चर है, तो उसकी हम परमिशन नहीं देंगे और अगर किसी ने बहुत पुराना बनाया हुआ है, तो उसको डैमेजेज देने पड़ेंगे। यह तो नहीं हो सकता है कि पब्लिक लैंड पर कब्जा कर ले। सारी चीजों के बारे में रूल है। इस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। इस बारे में अखबारों में गलत छप जाता है, तो उसकी वजह से यह इम्प्रैशन क्रिएट हो रही है।

श्री साहिब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि झुग्गी-झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनको एक जगह पर बसाया जा रहा है और उनको सारी सुविधायें दी जा रही हैं। जब एक ही जगह पर उनको बसाया जा रहा है, तो रोजी-रोटी के साधन कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, जहां पर डीडीए की कालोनियां बनाई जाती हैं, वहां पर मकान बनाए जाते हैं, उन स्थानों पर 10-20 परसेंट जमीन पर झुग्गी बसायें, ताकि घरों में उनकी औरतें काम के लिए जा सकें। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक जगह पर इनको बसाना कोई ठीक योजना है, क्या उससे समृद्धि होगी? इसके साथ ही अरबनाइज्ड विलेज में कंस्ट्रक्शन बन्द कर दी गई है। नक्शे पास नहीं होते हैं।

विजय जी ने भी यह बात कही थी कि वहां नक्शा पास करने की सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां बड़ा भ्रष्टाचार होता है, वहां सारी सुविधा उपलब्ध हो। चार्टर्ड आर्कीटिक्ट बना दिए जाएं, उन्हें काम दे दिया जाए। वही नक्शा पास करें और वही सर्टिफिकेट दें। इसके अंदर कोई डेविएशन हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। ये दो बातें होनी आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर हमें अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकना है। डिमांड और सप्लाई का सवाल है। अगर लोगों को रहने के लिए एक लाख मकान एक साल में चाहिए और हम दस हजार मकान बना कर देंगे तो निश्चित रूप से 90,000 परिवार अनऑथोराइज्ड मकान बना कर ही रहेंगे। मांग और पूर्ति में अंतर है, जिसके कारण अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या उन्हें खत्म करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री जगमोहन: आपने कहा कि हम झुग्गी-झोपड़ी वालों को किस जगह पर ले जा रहे हैं, वहां उनके लिए रोजगार का अरेजमेंट नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ने सवाल तो बेहतर किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम जहां ले जा रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट अपोरचुनिटी का ध्यान करके ले जा रहे हैं। हमारी तरफ से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। मैं साहिब सिंह जी के साथ स्वयं गया था। बकरवाल में हमने खुद डेवलप किया है। वहां झुग्गियां भी हैं और लो इंकम ग्रुप वाले भी हैं। जैसे आपने सजेस्ट किया, हम वैसे कर रहे हैं। पिछले 15 साल से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नेचुरली स्लम्स के कंस्ट्रक्शन का काम इतना एक्युमुलेशन हो गया है, हरेक को पोएटिक जस्टिस देना तो संभव नहीं है। जहां तक मुमकिन है हम पूरी सुविधाएं

दे रहे हैं। उन्हें काम दे रहे हैं। आपने जो अनऑथोराइज्ड कालोनियों की बात कही वह मेटर हाईकोर्ट में पैंटिंग है। नक्शा पास करने का काम लॉ के मुताबिक होगा। अगर कार्पोरेशन से कोई प्रपोजल आएगी तो हम उसे जरूर कंसीडर करेंगे।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि जनता के प्रतिनिधि, सांसदों द्वारा शिकायत की गई तथा जिसके बारे में कार्यवाही लम्बित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कितने माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान इस ओर खींचा और कब खींचा तथा इसके विलम्ब के क्या कारण हैं। नक्शा पास करने का कितने दिन का निश्चित समय है और उसका पालन जिन पदाधिकारियों ने नहीं किया है उन पर क्या कार्यवाही करेंगे, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहन: मैंने जो जिक्र किया था वह यह है कि हमारे पास पिछले एक साल में मिनिस्ट्री में जो केस आए हैं, उसका मेरे पास एक ग्रुप 32 केसेस का है और दूसरा 22 का है। हमने 22 केस डिस्पोज ऑफ कर दिये हैं और 32 केस पहले ही कर दिए थे। आज एक भी केस पैंडिंग नहीं है, जिसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी आई हो और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, जिसमें उन्हें जवाब न गया हो और उसके ऊपर एक्शन न हुआ हो। यह एक्शन सबके लिए हो चुका है। आपने कहा कि अगर नक्शा किसी ने दिया और किसी अधिकारी ने म्युनिसिपल कार्पोरेशन, एनडीएमसी और डीडीए में पास नहीं हुआ तो लॉ में भी प्रोविजन है कि अगर आप स्पेसिफाइड पीरियड में नक्शा पास नहीं करते तो वह नक्शा आटोमेटिकली 60-70 दिन में पास समझा जाता है। लेकिन हमेशा बहुत से केसेस के बारे में यह होता है, हमारा अपना एक्सपीरिएंस है कि लोग बगैर नक्शे दिए हुए पास कराने की कोशिश करते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के अवैध निर्माण गिराए गए हैं, उसमें लिप्त अधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों हो रहा है। उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आप गरीबी से नफरत करेंगे तो बात अच्छी लगती है लेकिन गरीब से नफरत करें, यह बात अच्छी नहीं लगती। आपातकाल के दिनों में भी आपके जो कार्यकलाप रहे हैं, वह हम लोगों ने बचपन में पढ़ने और सुनने का काम किया। आज दिल्ली में आप गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस अवैध निर्माण को बनाने में जो अधिकारी लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ समय-सीमा के अंतर्गत आप कब कार्यवाही करेंगे?

श्री जगमोहन: माननीय सदस्य ने अवैध निर्माण के बारे में प्रश्न किया है। हम तो सबको बसा रहे हैं। यह गलत प्रोपेगेंडा है। जिन सात लाख लोगों को बसाया, आप उनसे जाकर पूछिए।

मैं यह अपील करना चाहता हूं कि स्लम की राजनीति मत कीजिए। सही मायनों में कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री इस तरह से प्रोग्रैस नहीं कर सकता है। आज हम कह रहे हैं कि दुनिया में कम्पीट करेंगे लेकिन अगर हमारी ट्रैफिक एक-तिहाई गति पर चलेगी तो कैसे कम्पीट करेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइज तरीके से ही काम करना देश के हित में और गरीबों के हित में और हम सब के हित में है। जहां तक ऑफिसरों का ताल्लुक है तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि 92 केसेज हमने सीबीआई को दिये हैं और यह भी मैं कह चुका हूं कि जहां-जहां किसी ने प्रभाव डाला है तो उसके खिलाफ हमें रूल के मुताबिक एक्शन लेना है, डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है या क्रिमिनल एक्शन लेना है, तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। आप हमें एक्यूज कर रहे हैं लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो नहीं हुआ और अब जो हो रहा है उसको आप कम्पेयर कर रहे हैं। अब लोगों को करोड़ों रुपयों की जमीनें दी जा रही हैं, पानी, बिजली और सिविक सर्विसेज दी जा रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप प्रोपेगैंडा किसी के खिलाफ करेंगे तो उसकी वैसी ही इमेज बनेगी।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, आजादी से पहले जब जमींदारी की और जागीरदारी की प्रथा थी तो बड़े-बड़े जमींदारों ने सीमांत प्रदेशों से और खासकर हरियाणा और राजस्थान से कुछ लोगों को अपनी सेवा-श्रुषा के लिए यहां लाकर दिल्ली में बसाया था। लेकिन पिछले दिनों कुछ उदाहरण हमारे सामने आये और कुछ लोगों की शिकायतें भी आईं और मैंने मंत्री जी को लिखित रूप में भी भेजा था जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं आया। आजादी से पहले जो कॉलोनियां बनी थीं जिनमें कहीं 15 घर तो कहीं 20 घर थे और जिनका न पट्टा था न रजिस्टरी थी, उनको भी अवैध करार करके गिराया गया। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसेज हुए जिनमें 30-40 साल पहले की कॉलोनियां उजाड़ी गयी हैं और उनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये और जो मैंने लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को भेजा था और उन्होंने यह कहा है कि हरेक पत्र का जवाब दिया गया लेकिन मुझे तो जवाब नहीं आया, इन सबके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगमोहन: पहले तो जवाब की बात है कि अगर आप मुझे लैटर नम्बर और उसकी तारीख देंगे तो मैं आपको दोपहर से पहले बता दूंगा कि हमने किस तारीख को आपको जवाब भेजा था और उस पत्र की फोटो-कॉपी भी आपको दे दूंगा क्योंकि चैक

होकर ही यह रिपोर्ट मेरे ऑफिस से आई है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें आजादी से पहले किसी को इस तरह से प्रौपर वे में बसाया गया हो और जिसको उजाड़ा गया हो और जिसको कोई आल्टरनेटिव लैंड नहीं दी गयी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिफ्यूजीज भी आये थे उनको भी गाडगिल एश्योरेंस के मुताबिक रिसैटल किया गया था और उनको बहुत ही मामूली पैसे से बहुत अच्छी जमीनें दी गयी थीं और हजारों रिहैबिलिटेशन कॉलोनियां बसाई गयी और सब लोगों को सैटल किया गया था। इसलिए ऐसा कोई केस नहीं है। आप तुगलकाबाद वगैरह की बात कर रहे हैं तो वह दूसरी बात है कि किसी ने कोई पट्टा देकर किसी को बैठा दिया। अगर किसी में कोई भी लीगेलिटीज का बेस है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है और न ही भविष्य में होगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में है कि दिल्ली में जो भी मंदिर हैं सबको नोटिस चली गयी है और उनसे 50 लाख, 60 लाख रुपये के डैमेजिज मांगे गये हैं जबकि उनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही है। उसकी वजह से करप्शन फैल रही है और लोग उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वे डैमेज किस कीमत पर चार्ज कर रहे हैं, उनसे कीमत क्या ली जाए? पहले एक रुपया गज कीमत ली जा रही है। क्या उन्होंने अब उसको 80 लाख रुपये एकड़ कर दिया है। जो मंदिर 50 साल या 100 साल से बने हुए हैं उन मंदिरों को इस तरह से गिराने का नोटिस देना, जिनमें कोई वर्कशॉप, कोई दुकान नहीं है। इसी तरह से गुरुद्वारों और मस्जिदों को जिनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है उनको नोटिस क्यों दी गयी हैं? अगर वे नोटिस दी गयी हैं तो क्या वे सुनिश्चित करेंगे कि उनसे कोई डैमेज वसूल नहीं किया जाएगा और उनको नोमिनल कीमत पर जैसे पहले एक रुपया गज पर जमीन दी जाती थी वैसे ही उनको जमीन दी जाएगी।

श्री जगमोहन: मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मैंने यह कहा था कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो मैंने कहा था कि बोनाफाइड मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। यह मैंने नहीं कहा था कि नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस जाएगा तो वे बताएंगे कि मेरा यह बोनाफाइड है, मैंने यह तब बनाया था, मेरी इसमें इतनी जमीन है और कब से मैंने कब्जा किया है और कब से मैं बैठा हुआ हूं। उसका जो रेट फाइनेन्स मिनिस्ट्री की तरफ से प्रिसक्राइब्ड होगा, हम उस रेट से चार्ज करेंगे। यदि कोई पहले से बैठा है तो पहले के हिसाब से रेट लगेगा। जो कमर्शियल रेट है तो वह वही लगेगा। मैं इतना कह सकता हूं, पूरा एश्योरेंस दिलाता हूं और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाएगी। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, कंस्ट्रक्टिव वे में सॉल्व की जाएगी और सिम्पेथैटिकली सॉल्व की जाएगी। बोनाफाइडी टैम्पल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: रेट क्या लगेगा? पांच हजार रुपए गज वाला लगेगा या इससे भी ज्यादा लगेगा?

श्री जगमोहन: वह रेट फिक्स्ड होता है और उसे फाइनेन्स मिनिस्ट्री बताएगी।

महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार

*502. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम से बच्चों के विकास और गर्भवती महिलाओं की देख-रेख में किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को 4,407 परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिससे चयनित विकास खंडों के 0-6 वर्षों की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। स्कीम के पूरक पोषाहार घटक को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पोषाहार घटक) शुरू की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य पूरे देश में तीन वर्ष से छोटे बच्चों तथा कुछ क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना था। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के पूरक पोषाहार कार्यक्रम घटक में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने देश में किशोरियों, बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण

व सूक्ष्म पोषण दर्जे में और अधिक सुधार करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन बनाये जाने की घोषणा की है, जिसमें 'पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवन चक्र' दृष्टिकोण का अनुसरण किया जायेगा।

(ग) वर्ष 2001-2002 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पोषाहार घटक) के अंतर्गत अनंतिम रूप से आबंटित राशि अनुबंध में दी गई है।

(घ) आशा है कि इन कार्यक्रमों से लाभार्थियों की पोषाहार की स्थिति में सुधार होगा।

अनुबंध

वर्ष 2001-2002 के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पोषाहार घटक के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनंतिम आबंटन

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2386.65
2.	बिहार	3686.85
3.	छत्तीसगढ़	527.55
4.	गोवा	13.05
5.	गुजरात	1088.40
6.	हरियाणा	281.85
7.	झारखण्ड	1138.80
8.	कर्नाटक	1262.25
9.	केरल	1160.55
10.	मध्य प्रदेश	1383.75
11.	महाराष्ट्र	1665.35
12.	उड़ीसा	1655.70
13.	पंजाब	678.75
14.	राजस्थान	1619.55
15.	तमिलनाडु	1760.40
16.	उत्तर प्रदेश	5650.65
17.	उत्तरांचल	211.05
18.	पश्चिम बंगाल	2819.40
19.	अरुणाचल प्रदेश	1145.25
20.	असम	3016.80
21.	हिमाचल प्रदेश	1186.20
22.	जम्मू व कश्मीर	2882.55
23.	मणिपुर	815.85
24.	मेघालय	681.90
25.	मिजोरम	678.90
26.	नागालैण्ड	691.05
27.	सिक्किम	472.20
28.	त्रिपुरा	853.95
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	185.70
30.	पांडिचेरी	80.10
31.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	172.50
32.	चंडीगढ़	76.65
33.	दादर व नागर हवेली	22.20
34.	दमन व दीव	17.85
35.	लक्षद्वीप	29.70
	कुल	42000.00

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं ग्यारहवीं लोक सभा में नॉर्थ कोरिया गया था। नॉर्थ कोरिया के लोगों की आयु सीमा हम से ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया में मुश्किल से किसी परिवार के एक या दो बच्चे पैदा होते हैं। यदि वहां कोई माता दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे वीर माता कह कर सम्मानित किया जाता है और उसे पुरस्कार दिया जाता है। हमारे यहां ऐसी वीर माताएं बहुत हैं जो 8-9 बच्चों की जन्म देती हैं और 10-15 बच्चों को भी जन्म देती हैं। हम भी उनका सम्मान करने में कमी नहीं करते। जिस माता ने 9-10 बच्चों को जन्म दिया, हमने उनको मुख्यमंत्री

बनाया। ऐसी माता के पोषण के बारे में मुझे चिन्ता नहीं है, ऐसी माता के बालक के पोषण की मुझे चिन्ता नहीं है। मुझे चिन्ता उस माता और छोटे-छोटे बालकों की है जो झोपड़ियों में रहती हैं या दूर-दराज के गांवों में रहती हैं। क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने धन की कमी को देखते हुए अपने बजट में इस योजना के लिए पर्याप्त धन नहीं रखा? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे राज्य जिन्होंने पर्याप्त धन नहीं रखा, क्या उनको कोई निर्देश देने वाले हैं? इस कार्यक्रम का लाभ गांवों, विशेष रूप से जरूरतमंदों तथा कुपोषण लेने वाली महिलाओं, बच्चों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार की क्या कोई रणनीति है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात से सारा देश अवगत है और हम सब चिंतित भी हैं कि देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कुपोषित है। उनको जितना आहार प्राप्त होना चाहिए, जितनी कैलोरीज की ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, जितना प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिअन्स प्राप्त होने चाहिए, वे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारी जो स्थिति है उसमें पांच साल से कम आयु के बच्चों को 50 प्रतिशत भीषण तथा मध्यम दर्जे का कुपोषण मिलता है। पुरुषों और महिलाओं में 25-26 परसेंट संख्या ऐसी है जिसे जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। इसीलिए इस बारे में सरकार ने गम्भीरता से विचार किया। 1995 में एक राष्ट्रीय पोषाहार नीति स्वीकार की गई। फिर एक न्यूट्रीशियन काउंसिल बनाई गई। उसने विचार शुरू किया। जब यह सरकार आई तो इस समस्या का अध्ययन ज्यादा गहराई से किया गया।

हमने एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की सिफारिश की है। यह हमारी रणनीति होगी जिसके आधार पर हम उसे और अधिक पोषाहार दे सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष पोषाहार मिशन बनाये जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में एक विशेष हिस्सा स्पेशल कम्पोनेंट में न्यूट्रीन के लिए दिया गया है जिसमें पिछले वर्ष और इस वर्ष क्रमशः 350 और 420 करोड़ रुपया एडीशनल आबंटित किया गया है। कोशिश यह की जा रही है कि हम लगभग 4400 प्रकल्पों में इस पोषाहार योजना को और आगे बढ़ायें। यह पोषाहार केवल हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का भी हिस्सा आता है। इसके अलावा जनजाति कल्याण मंत्रालय की तरफ से भी काम है। हमारी साइंस एंड टैक्नोलोजी मिनिस्ट्री ने भी इस समस्या के बारे में सोचा है तथा उसके लिए एक पोषाहार का पैकेज भी बनाया है। हमने वैज्ञानिकों को इस बारे में हिदायत दी है कि वे नॉन-ट्रेडीशनल अनाज—जिसे सामान्य तौर पर लोग कम खाते हैं—उनका विस्तार करें। आलू, मक्का और चावल जैसे पदार्थों में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ायें। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे देश में अनुसंधान किया गया है और चौलाई में प्रोटीन का जीन्स प्राप्त कर लिया गया है। इसे आलू, मक्का में सफलतापूर्वक प्रवेश करा रहे हैं जिससे हमारे पोषाहार की कीमत बढ़े। विटामिन-ए की कमी को चावल का अनुसंधान करके प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम हर तरफ से इस बात पर विचार कर रहे हैं। जैसे यहां न्यूट्रीशन मिशन की बात कही गई है, हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में फूड सिक्यूरिटी एंड न्यूट्रीशन मिशन बनाया हुआ है और हम सबने मिलकर उस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मेरा विश्वास है कि यदि यह योजना ठीक से चली तो हम पोषाहार अधिक से अधिक दे सकेंगे। जहां तक उसके पहुंचाने का सवाल है, क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, इस कठिनाई को हल करने के लिए राज्य सरकारों से बराबर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने ट्राइबल ऐरियाज के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। गांवों में जो पिछड़े तथा लौ प्रोडक्टिविटी एरियाज हैं, उन टारगेटेड ऐरियाज तक पहुंचाने के लिए हमने एक टारगेट बनाया है। इस दृष्टि से विभाग योजना बना रहा है और जैसे ही नेशनल न्यूट्रीशन मिशन का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा, यह काम और तेजी से हो सकेगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि ए.पी. लैड्स में कोई कम्पोनेंट इस प्रकार के पोषाहार के लिये रख सकेंगे तो अवश्य विचार करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस पर जरूर विचार करें ताकि इस पोषाहार के काम को और तेजी से पूरा कर सकें।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकौनोमिक्स रिसर्च ने इस योजना का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो उसकी आब्जरवेशन्स क्या हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और उसने क्या कदम उठाये हैं? यू.एन.ओ. ने इस संस्था को पिछले पांच वर्ष में कितना धन दिया गया है और उस धन का किस प्रकार से सदुपयोग किया गया है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, इस योजना का मूल्यांकन किया गया है जिसमें कई प्रकार के अभाव और कमियां पाई गयी हैं। इस बारे में मुख्य बात यह है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। इन योजना को जिस रूप में पहुंचना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंच पाई है। उसकी क्वालिटी के बारे में और वह किस तरह ठीक ढंग से पहुंचे, सरकार उनका ध्यान रख रही है और नेशनल न्यूट्रीशन मिशन ने इस काम को करना शुरू कर दिया है।

उस रिपोर्ट के अंतर्गत हमें यह भी पता लगा था कि कितने बच्चे, किस स्तर के कहां कुपोषित हैं। जो भी आंकड़े दिये गये उनमें कहीं एनीमिक हैं, कहीं उनका वजन कम है, कहीं माइक्रो

न्यूट्रीशन कम है, कहीं न्यूट्रीएन्ट्स कम हैं। इस बारे में उन्होंने खोजबीन करके बताया कि किशोरी बालिकाओं में क्या कमी है। जो एक्सपैक्टेन्ट मदर्स हैं, गर्भवती माताएं हैं और जिनके सन्तान हो गई है, उनके आहार में क्या कमी है। इनके आंकड़े भी लिये गये और इस तरह से इन सारी योजनाओं के बारे में निरीक्षण करके छनकर जो जानकारी हमारे पास इस काउंसिल के द्वारा आई, उसी के आधार पर हमने नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं। वे लक्ष्य उसी योजना पर आधारित हैं कि हम किस तरह से बच्चों का भार बढ़ायेंगे, किस तरह से हम महिलाओं को पोषण देंगे। इसीलिए हमने किशोरी लड़कियों के लिए अलग से योजना बनाई है तथा लगभग पांच, साढ़े पांच लाख स्थानों पर ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनके माध्यम से हम इसे आगे बढ़ायेंगे। इसमें ये सारा विचार चल रहा है तथा जिसमें जो आर्थिक अभाव है, उन्हें भी हमने देखा है। अभी जो राज्य सरकारें खर्चा कर रही हैं और जो केन्द्र सरकार खर्चा कर रही है तथा अभी जो अतिरिक्त धनराशि हमें पी.एम.जी.वाई. से मिली है, उसके बावजूद भी कम से कम लगभग छः करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष इसमें खर्चा है। इसमें अभी वह शामिल नहीं है जो स्वास्थ्य मंत्रालय खर्चा कर रहा है। कुल मिलाकर हम प्लानिंग कमीशन से भी बात कर रहे हैं कि इसमें राशि बढ़ाई जाए और दसवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से ले जा सकें। हमने यह भी कोशिश की है कि जो बालिकाएं किशोरी हैं उन्हें सब्सीडाइज्ड रेट पर अनाज दिया जाए, ताकि वे और अधिक आहार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इस संबंध में जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे, हम उन्हें इस मिशन के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव: संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से कितना धन मिलता है?

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: माननीय, अध्यक्ष महोदय पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई है। यह स्कीम तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। यद्यपि दोपहर के भोजन की पोषाहार स्कीम चल रही है फिर भी बच्चों के लिये आयु एवं उनके शारीरिक विकास के हिसाब से अपेक्षित कैलोरी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री ने यह सही कहा है कि कुपोषण की प्रतिशतता 54 है। क्या सरकार इस स्कीम में आलू और मिलेट के अतिरिक्त दूध को भी शामिल करेगी। जिसमें पाये जाने वाले प्रोटीन की प्रतिशतता से कुपोषण में कमी आएगी? इन सभी राज्यों में दूध का उत्पादन आवश्यक मात्रा से अधिक होता है। दूध में आवश्यक एमिनो एसिड, कैल्सियम सूक्ष्म पोषक तत्व और विटामिन होते हैं जो तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी होते हैं। इस दिशा में तमिलनाडु सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

डा. वी. सरोजा: मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय इस योजना में स्कूल के दिन सुबह प्रत्येक बच्चे को 250 मिलिग्राम दूध देना शामिल करेंगे जिससे कि कुपोषण के प्रतिशतता में कमी आ सके। दूसरे.....

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस स्कीम पर राजसहायता बढ़ायेगी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हम हर प्रकार के कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारत आज बहुत अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहा है तथा अभी इसका और अधिक उत्पादन बढ़ेगा। हम इस मामले में कृषि मंत्रालय में एनीमल हस्बैन्ड्री विभाग से, प्लानिंग कमीशन से तथा अन्य विभागों से बराबर चर्चा करते रहते हैं कि हम हर प्रकार का पोषक आहार बच्चों को दे सकें। नेशनल न्यूट्रीशन मिशन बन जाने के बाद हम तमाम मामलों पर गौर करेंगे और जिस भी रास्ते से, जिस भी तरीके से बच्चों को पोषाहार दिया जा सकेगा, हम उन्हें देने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस: अध्यक्ष महोदय, महिलाओं और बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने संबंधी यह परियोजना काफी अच्छी परियोजना है। यह पहले से था और प्रधान मंत्री ने इसे आगे बढ़ाया है। हम इसका भरपूर स्वागत करते हैं। हमारी समस्या ऐसी परियोजनाओं के अच्छे इरादे और अच्छे लक्ष्यों की नहीं है बल्कि हमारी समस्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रही है। जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना काफी अच्छी है लेकिन यह अभिलक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं। उनके उत्तर से मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अनेक राज्यों के लिए धन जारी कर दिया है। क्या उन्हें इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया-सूचना प्राप्त हुई? क्या उनके पास कोई ऐसा तंत्र है जिससे वे जान सकें कि उनकी

योजनाएं अभिलक्षित वर्ग तक पहुंच रही हैं? विशेषकर, मैं यह जानना चाहती हूं कि कुछ वर्षों तक इस योजना को लागू करने के पश्चात् उन्हें कुछ परिणाम, कुछ प्रतिक्रिया मिली है—क्या पोषण में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ गर्भवती महिलाओं में आयरन, आयोडीन और प्रोटीन की भी कमी पाई जाती है। क्या उन्हें कुछ परिणाम मिला, क्या इस योजना को लागू करने के बाद पोषण में सुधार हुआ है? ये दो बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं जानना चाहती हूं, क्या धन लक्षित वर्ग तक पहुंच रहा है और इससे महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार आ रहा है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, इस तरफ हमारा पूरा ध्यान है और जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, उनमें जो सर्वेक्षण हुए हैं, उनसे यह पता चलता है कि समेकित बाल विकास योजना के क्षेत्र में पहली बात तो यह हुई है कि बच्चों की जो मृत्युदर थी उसमें कमी आई है। जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर थी, उसमें भी कमी आई है और बालक बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इस योजना को जिस तेजी के साथ, जिस गंभीरता के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए था, वह कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में अभी नहीं हुआ है। हम उसके लिए एक विकेन्द्रित मशीन बनाएंगे जो इस बारे में पूरी सावधानी बरतेगी। अभी हम इस मामले में राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाने वाले हैं क्योंकि जो पिछले आंकड़े आए हैं उनमें मैंने यह देखा है कि कुछ राज्यों की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है और वहां हम न्यूट्रीशन को कैसे बढ़ाएं इसके लिए मैंने उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और उनके अधिकारियों को बुलाकर हम एक बैठक करेंगे। इसके क्रियान्वयन में कमजोरी रही है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए हमें इस पर बल देना है। जब से यह योजना चली है तब से आज तक इसके क्रियान्वयन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हमने इसीलिए यह मिशन बनाया है ताकि इन सारी बातों को, सारी कमियों को हम दूर कर सकें।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार ने सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है और सरकार कार्यक्रम कर रही है, लेकिन हमारी जो आबादी है उसमें आधी आबादी तो महिलाओं की है और महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण, उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक है और उसी तरह से बच्चों को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलने से उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कोई अलग कार्यक्रम बनाया है जिसके कारण उन्हें पौष्टिक आहार मिले और गर्भवती महिलाओं के बच्चे स्वस्थ पैदा हो सकें?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और उसके बाद जो उनकी संतान जन्म लेती वह और जो किशोरी लड़कियां हैं, उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यह एक दुष्चक्र बनता है। अगर कुपोषित महिला है, तो उनकी संतान भी कुपोषित हो जाती है और कई बार उसका वजन भी कम होता है जिससे आगे आने वाले समय में उसका विकास कम होता है। यदि वह बालिका है और उसका यदि विकास कम होता है, तो 14 वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते जितनी उसकी क्षमता निर्माण होनी चाहिए। वह निर्मित नहीं होने के कारण और फिर जब उसकी शादी हो जाती है और फिर संतान पैदा होती है, तो वह भी कमजोर पैदा होती है। इस प्रकार से यह एक विशेष साइकिल बना हुआ है। हम इसे तोड़ना चाहते हैं। जो हमारी स्थिति है उसके आधार पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैटरनल मार्टेलिटी रेट है वह एनीमिया की वजह से होता है। उसके लिए मायक्रो न्यूट्रीएंट्स और आयरन की कमी को दूर करने हेतु हमारा नैशनल न्यूट्रीशन मिशन का प्रोग्राम है। उसमें यह एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंतर्गत हम किस-किस चरण में कब तक क्या चीज दूर करने की कोशिश करेंगे और जैसे-जैसे आयरन और मायक्रो न्यूट्रीएंट्स की कमी को हम दूर कर सकेंगे वैसे-वैसे इसमें वृद्धि होगी। जो पीढ़ी निकल गई है, उसको उस दर पर लाना जरा कठिन होगा।

लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं या कल पैदा होंगे, कम से कम उनमें यह कमियां न आने पाएं। जो पैदा हो चुके हैं और उस स्थिति तक पहुंच गए हैं, उनमें हम जितना सुधार कर सकते हैं, वह करें। यही नैशनल न्यूट्रीशियन मिशन के मुख्य अंग हैं।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिकों की गैर-कानूनी गतिविधियां

***503. डा.+ जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 2001 और 22 जुलाई, 2001 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में विदेशी नागरिकों की गैर-कानूनी गतिविधियों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस सी.आई.एस. देशों के नागरिकों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने में असफल रही है और अब वे अपने अड्डे अन्य शहरों में स्थानांतरित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों की गैर-कानूनी और निम्न कोटि की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) ऐसे इक्के-दुक्के मामले हुए हैं, जिनमें दिल्ली की यात्रा पर आने वाली सी आई एस देशों के नागरिक अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पिछले दो वर्षों में और इस वर्ष 16 अगस्त, 2001 तक दिल्ली पुलिस ने ऐसे 16 विदेशियों पर मुकदमें चलाये। इनमें से 11 को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और एक को दोषमुक्त किया गया। शेष चार विदेशियों के खिलाफ मुकदमें लम्बित पड़े हैं।

(घ) दिल्ली आने वाले विदेशी पर्यटकों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: आप्रवासन और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा हवाई अड्डों पर तथा दिल्ली पुलिस द्वारा होटलों और गेस्ट हाउसों पर निगरानी में वृद्धि करना, संदिग्ध चरित्र वाले विदेशियों की वीसा अवधि बढ़ाने से मना करना और गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करना है।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत ही अहम है और यह भारत की सभ्यता, संस्कृति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में पहले आई.एस.आई. ऐसी थी जो तोड़-फोड़ करती थी और देश को बर्बादी करती थी। अब आई.एस.आई. के साथ-साथ सी.आई.एस. देशों से आने वाली महिला नागरिक बहुत ही अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। वे स्मगलिंग कर रही हैं, देह व्यापार कर रही हैं। आई.एस.आई. देश को तोड़-फोड़ और उग्रवाद से बर्बाद कर रही थी, ये महिलाएं देश की संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं। मैंने इस प्रश्न में सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है। यह दिनांक 6.4.2001 और 22.7.2001 के समाचार-पत्र में है। मैं इन समस्याओं के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वहां पहले से ही है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव: मेरा प्रश्न ही इस बात पर है। मुझे एक लाइन पढ़ने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

डा. जसवंत सिंह यादव: 6 अप्रैल, 2001 और 22 जुलाई, 2001 को समाचार-पत्र में सी.आई.एस. देशों के नागरिकों के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन अखबारों में छपी खबर पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही की है या नहीं? सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित विषयों पर कोई जांच समिति का गठन किया है या नहीं? यदि हां तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो अभी तक क्यों नहीं किया गया? *...(व्यवधान)* समाचार-पत्रों में जो प्रकाशित हुआ है, बहुत ही दैन्य स्थिति है कि दिल्ली में सी.आई.एस. देशों की महिलाएं आती हैं। समाचार-पत्रों में यहां तक छपा है कि वे चार्टेड प्लेन लेकर आती हैं और यहां अनैतिक कार्य करती हैं, देह व्यापार करती हैं, दुनियाभर की स्मगलिंग करती हैं। 22 जुलाई के अखबार में यह छपा है कि हमारी इंडियन ऐम्बैसी, ताशकंद में वहां के टॉप लैवल के अधिकारी उन महिलाओं से जुड़े हुए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप सवाल पूछेंगे या नहीं, यह बताइए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको सवाल पूछना है। आप कितना समय लेंगे?

डा. जसवंत सिंह यादव: मैं जानना चाहता हूं कि अखबारों में जो छपा है, क्या सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की है या नहीं? क्या सरकार ने कोई जांच समिति बिठाई है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: अध्यक्ष महोदय, सरकार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इन दो वक्तव्यों से अवगत है। 'स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ (कनफेडरेशन आफ इन्डेपेन्डेन्ट स्टेट्स) से बहुत अधिक पर्यटक दिल्ली आ रहे हैं। महोदय ऐसा नहीं है कि ये सभी पर्यटक अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। लेकिन ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आये हैं जिन्हें न्यायालय में दायर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 16 विदेशियों पर मुकदमें चलाये जिसमें से 11 को सजा हुई और एक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया; चार विदेशियों के विरुद्ध मामले अभी भी न्यायालय में लम्बित हैं।

सरकार ने अनेक निवारक उपाय अपनाए हैं। इसमें हवाई अड्डा पर सतर्कता बढ़ाया जाना भी सम्मिलित है। आप्रवासन प्राधिकारी भी बहुत सक्रिय हैं। गृह मंत्रालय भी आप्रवासन प्राधिकारी के साथ सूचना का आदान-प्रदान कर रहा है। यदि पर्यटक की यात्रा की बारम्बारता पांच से बढ़ जाती है तो दिल्ली पुलिस सारे एहतियाती उपाय करती है। दिल्ली पुलिस और कानून प्रवर्तन प्राधिकारी ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास और विदेशों में स्थित मिशनों को भी सतर्क कर रही हैं।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव: मेरे सैकिण्ड सप्लीमेंटरी के दो भाग 'क' और 'ख' हैं। पहला भाग है कि ऐसी कितनी विदेशी महिलाएं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सैकिण्ड सप्लीमेंटरी में एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे?

डा. जसवंत सिंह यादव: मैं बयान नहीं पढ़ रहा हूं, आप मुझे पूछने ही नहीं दे रहे। यह बयान नहीं है। यह मेरे मूल प्रश्न के अन्दर छपा हुआ है, उसके बारे में है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जो सी.आई.एस. देशों से भारत के अन्दर आई हैं, अनैतिक कार्यों के अन्दर पकड़ी गई हैं और किन-किन राज्यों में उनके और अड्डे हैं? क्या और राज्यों से भी भारत सरकार को सूचना मिली है कि इस राज्य के अंदर ये महिलाएं नैतिक कार्य करती हुई पकड़ी गई हैं, क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कुल कितनी महिलाओं के खिलाफ कितने केस रजिस्टर हुए हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि विदेशी नागरिक यहां आकर अनैतिक कार्य गलत कार्य करते हैं, हमारे कानून की लचीलेपन की वजह से उन्हें सख्त सजा नहीं मिल पाती। उनके फैसले होने में देरी लगती है तो क्या सरकार विदेशी नागरिकों के गलत धंधे में लिप्त होने पर कानून में ऐसा कोई संशोधन करने जा रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी सजा मिल सके और वे इस गलत काम को नहीं कर सकें?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, वर्ष 1999-2000 से 16 अगस्त, 2001 तक दिल्ली पुलिस ने उजबेकिस्तान से आयी 16 महिलाओं को अनैतिक-व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत गिरफ्तार किया है। वर्तमान कानून इन गतिविधियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने में समर्थ है और हम इनसे प्रभावशाली तरीके से निपट रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव: यह मेरे प्रश्न में है। क्या और भी किसी राज्य से ऐसी कोई सूचना मिली है? यह मेरे मूल प्रश्न में है, लेकिन उत्तर में नहीं है। जयपुर के अन्दर अभी विदेशी महिलाओं ने उत्पात मचाया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरुप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप: इस तथ्य के बावजूद कि सरकार इसे कम करने का प्रयास कर रही है, प्रत्येक को पता है कि इन देशों से व्यापक पैमाने पर अनैतिक व्यापार हो रहा है और हमारे संबंध इन सभी देशों से सौहार्दपूर्ण हैं। इससे सोवियत संघ के विघटन के बाद इन देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चलता है। केवल पुलिस कार्रवाई ही समाधान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इसे उच्च स्तर पर उठाया है और उन सरकारों से बातचीत करके इसका समाधान पाने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: उच्च स्तर से आपका क्या मतलब है? आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री सुरेश कुरुप: मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार इस मामले को उन विदेशी सरकारों के साथ उठा रही है जिनसे कि हमारे संबंध सौहार्द्रपूर्ण हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया गया है। लेकिन जहां तक ताशकंद स्थित हमारे दूतावास

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का संबंध है, वे उन लड़कियों के बारे में सूचना प्राप्त कर रहे हैं जो कि इन गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसलिए वे इन लड़कियों के लिए वीजा की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यदि कोई बार-बार वीजा प्राप्त करता है तो ऐसे वीजा निरस्त किये जा रहे हैं। दूतावास सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बिन लादेन ने अफगानिस्तान से अपने डाक्टर को पर्यटक के वेश में नई दिल्ली भेजा और उसके तालिबानी लोग, तालिबान के समर्थन में, अफगानिस्तान की सीमा पार ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं और उनके नागरिक के रूप में भारत आ रहे हैं। उनमें से कुछ को पकड़ा गया है। भारत के गृह मंत्री श्री आडवाणी जी दाउद इब्राहीम को भारत को प्रत्यर्पित करने से संबंधित बातचीत करने दुबई गये थे। सारी बात को एक साथ समेटते हुए, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि बिन लादेन के एजेन्ट नई दिल्ली और शेष भारत में घूम रहे हैं जो कि हमारे सरकार के मंत्रियों और संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। यदि ऐसा है तो उनमें से कितनों को पकड़ा गया है और सरकार इन मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह प्रश्न गैर-कानूनी गतिविधियों और अनैतिक कार्यों से संबंधित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पर्यटक के वेश में विदेशी नागरिक भारत आ रहे हैं। बिन लादेन का डाक्टर यहां पर्यटक बनकर आया।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि विदेशी नागरिक गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। लेकिन मैं सरकार से निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध पुलिस के गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बारे में जानना चाहता हूं। कल नोएडा के अनेक लोग मुझसे मिले और उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र भी लिखा है। श्री कमल मिस्त्री की पत्नी श्रीमती उषा मिस्त्री अपने परिवार के साथ रह रही थी लेकिन उसे बांग्लादेशी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लगभग 32 लोग आये और उन्होंने कहा कि वे सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वे यहां श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बांग्लादेशी के रूप में पकड़ा गया है और पुलिस उनसे 10,000 रुपये से 20,000 रुपये गैर-कानूनी फीस या घूस के रूप में मांग रही है। क्या सरकार पुलिस की ऐसी करतूतों के वाकिफ है जो कानूनी रूप से रह रहे नागरिकों के लिए समस्या पैदा कर रही है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, यह पूरक प्रश्न, मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन, माननीय सदस्य मुझसे अकेले में मिलेंगे तो मैं उन्हें यह बात स्पष्ट कर दूंगा।

श्री आर.एल. भाटिया: माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उजबेकिस्तान से आयी 12 महिलाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और शेष मामले न्यायालय में हैं। इस तरह की गतिविधियां बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन जब प्रेस में यह बात यह उछाली गयी कि इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तब यह बात सरकार के ध्यान में आई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या पुलिस अधिकारी इन मामलों में सम्मिलित थे या नहीं क्योंकि यह बात प्रेस में न आने तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिना पुलिस के मिलीभगत के इस प्रकार की गतिविधियां नहीं चल सकती। मैं जानना चाहता हूं क्या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): यह सच है कि यह प्रश्न दिल्ली के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित दो समाचारों पर आधारित है। यह भी सच है कि हमारे दूतावास सतर्क रहते हैं और दिल्ली में तैनात पुलिस भी सतर्क रही है, और गृह मंत्रालय में, अप्रैल में, इस पूरी घटना पर एक बैठक हुई कि ये महिलायें कैसे आती हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो जाती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसी कार्रवाई की गई है कि न्यायालय ने भी उनको अपराधी पाया और उन पर दोष सिद्ध किया गया। अत: मैं नहीं समझता कि पुलिस आदि से इनको ऐसी कोई सांठ-गांठ है जिससे कि आवश्यक कार्रवाई की जाए।

व्यावसायिक शिक्षा का आकलन

***504. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा तैयार किये गये सार-पत्र की विषय-वस्तु क्या है; और

(ग) इसमें की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस मंत्रालय के परामर्श से मार्च, 1998 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने एक कार्यदल का गठन किया था। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुखी बनाने संबंधी योजना के संबंध में ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मूल्यांकन निष्कर्षों से इस कार्यदल ने सहमति व्यक्त की। इस कार्यदल द्वारा अपने दस्तावेज/रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

(1) राज्यों द्वारा राज्य संचालित कार्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जा रही है।

(2) यह पाया गया है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय अलग-थलग रूप से कार्य कर रहा है और अन्य संबंधित विभागों से उसका संबंध लगभग न के बराबर है।

(3) इस योजना को बंद करने की स्थिति में प्रतिबद्धतापूर्ण दीर्घकालिक जिम्मेदारी लेने के प्रति अनिच्छुक होने की वजह से पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सभी राज्य सरकारों ने उदासीनता दिखाई।

(4) अधिकतर अंशकालिक शिक्षक बेरोजगार स्नातक थे, ये अनुभवहीन थे और उद्योग से इनका कोई संबंध नहीं था।

(5) लगभग सभी जगह शिक्षक-प्रशिक्षण का अभाव था।

(6) अधिकतर राज्यों में पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों को नाममात्र के लिए अपनाया गया है।

(7) यह बताया गया था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में होने के कारण देशभर के छात्रों को भाषा की समस्या पेश आ रही है।

(8) यह प्रतीत होता है कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों द्वारा सभी जोनों में प्रशिक्षण सीटों का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है और इसका मुख्य कारण छात्रों के लिए उनके अपने जिलों में रोजगार के अवसर बहुत ही कम तादाद में उपलब्ध होना है।

(9) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुल दाखिले की तुलना में व्यावसायिक छात्रों का आनुपातिक अंश केवल 4.8 प्रतिशत था, जो दशक के मध्य तक राष्ट्रीय स्तर पर अभिकल्पित 10 प्रतिशत से बहुत कम है।

(10) उत्तीर्ण छात्रों में से केवल 28 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिन्हें रोजगार मिला है/वे अपना व्यवसाय चला रहे हैं।

(11) उत्तीर्ण छात्रों में से 38.3 प्रतिशत छात्र उस समय उच्च अध्ययन कर रहे थे।

2. कार्यदल की सिफारिशों को राज्यों के पास भेज दिया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इनके संबंध में अपने अभिमत भेज दिये हैं। योजना आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली 10वीं योजना हेतु कार्यनीति तैयार करते समय कार्यदल की सिफारिशों तथा राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस बीच, इस योजना के क्रियान्वयन तथा इसे और सुदृढ़ बनाने पर और अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से पिछले वर्ष (1999-2000) के दौरान 6.98 करोड़ रुपये के व्यय को बढ़ाकर वर्ष 2000-2001 के दौरान 40.70 करोड़ रुपये कर दिया गया।

[अनुवाद]

डा. एन. वेंकटस्वामी: महोदय, मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखा है। उन्होंने अनेक प्रकार की त्रुटियों और कठिनाइयों का उल्लेख किया है। माध्यमिक शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अपना अलग ही महत्व है। इसके तीन उद्देश्य हैं। वे हैं: व्यक्तियों में रोजगार योग्य बनाने की क्षमता विकसित करना, कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति को कम करना, और अंतिम, विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा की और रुझान बढ़ाना तथा कुछ का रुझान विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर बढ़ाना। इन तीन मोर्चों पर मंत्रालय बुरी तरह असफल रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत बातें कही हैं। पहली बात विद्यार्थियों को +2 स्तर पर व्यावसायिक एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा की ओर मोड़ना है। पुनरीक्षित योजना में 10 प्रतिशत झुकाव का लक्ष्य था।

अध्यक्ष महोदय: समय अत्यन्त कम है। कृपया संक्षेप में बोलें। अन्यथा आपको मंत्री महोदय का जवाब नहीं मिल पायेगा।

डा. एम. वेंकटस्वामी: 1995 तक 10 प्रतिशत विद्यार्थियों तथा 2000 तक 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर उत्प्रेरित करना था। अब कहा जा रहा है कि यह प्रतिशत 4.8 है। विद्यार्थियों के माध्यमिक शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की तरफ झुकाव में गिरावट के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह सरकार ऑफिस में आई तो हमने देखा कि जो व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की स्कीम थी, वह ठंडी थी और इसलिए वह राज्यों को ट्रांसफर हो रही थी और राज्यों में धन का अभाव था। राज्यों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमने इसे फिर से रिवाइव किया है और न केवल नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमने काफी सुधार किया है, बल्कि दसवीं पंचवर्षीय में भी हम इसे ले जाएंगे और नये पाठ्यक्रम में बारहवीं कक्षा तक व्यावसायिक शिक्षा के कोर्सेज शामिल किये हैं, उसके लिए धन बढ़ाया है, कम्युनिटी स्कूल्स, कम्युनिटी पोलीटैक्नीक्स, पोलीटैक्नीक्स, आईटीआई वगैरह इन सबकी हम नैटवर्किंग कर रहे हैं और टैक्नो-इकॉनोमिक सर्वे हमने कराए हैं जिससे यह पता लगे कि मैन-पॉवर कितनी है, कितनी आवश्यकता है और हमें क्या काम करना है। उसके मुताबिक हम कोर्सेज बदल रहे हैं और इस स्कीम पर ध्यान दे रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि पहली आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में जितना काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। लेकिन पिछले दो सालों में हमने इस पर काफी ध्यान दिया है और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आदिवासियों का कल्याण

***505. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत उपलब्ध की गई धनराशि का अधिकांश मामलों में अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है जिससे आदिवासी इस योजना के लाभों से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों की जांच कराने का प्रस्ताव है;

(घ) आदिवासियों के कल्याण के लिए नौवीं योजना के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच-बिहार और दार्जिलिंग जिलों से जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के समाचार मिले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रकाश में लाया गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा दमन व दीव के चुने हुए जिलों में रिकार्डों की जांच से पता चला कि कुल 85.88 करोड़ रु. की धनराशि जो जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित है, का विपथन अन्य योजनाओं/कार्यकलापों की ओर किया गया था। ये टिप्पणियां मंत्रालय कार्यान्वयन विभागों तथा 17 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र की 1992-98 की अवधि के लिए दस्तावेजों की नमूना जांच पर आधारित है।

(ग) इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

(घ) जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के सिवाय अन्य योजनाओं के संबंध में राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997-1998 से 2000-2001) के दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उन जिलों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करती जहां जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों का विपथन नहीं हुआ है।

(छ) जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए उपलब्ध की गई धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) निधियों की आगे निर्मुक्ति के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में उपयोग प्रमाणपत्रों पर बल दिया गया है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मौके पर पता लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(4) निधियों की निर्मुक्ति के लिए समय पर प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए जनजातीय कल्याण के राज्य सचिवों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

(5) राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद, ब्लाक स्तर पर आई टी डी पी एस की परियोजना कार्यान्वयन समितियां तथा पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां धनराशि के समय पर खर्च किए जाने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करती हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3493.10	4036.85	3857.17	4562.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.26	60.00	80.45	376.55
3.	असम	1897.42	2539.31	2873.68	3687.34
4.	बिहार	662.12	865.90	5747.49	1711.06
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	5257.62
6.	गुजरात	3487.21	4801.50	4350.60	5539.98
7.	हिमाचल प्रदेश	700.83	862.35	713.09	818.59
8.	जम्मू व कश्मीर	653.55	811.84	900.50	973.06
9.	झारखंड	–	–	–	4842.62
10.	कर्नाटक	812.78	859.19	896.16	1476.67
11.	केरल	379.86	718.95	455.60	326.53
12.	मध्य प्रदेश	10775.25	12415.27	12182.73	8500.13
13.	महाराष्ट्र	4363.67	4453.27	4076.54	5294.59
14.	मणिपुर	1147.30	889.92	758.18	1950.21
15.	मेघालय	283.05	166.50	221.88	1167.87
16.	मिजोरम	124.00	107.50	280.65	382.54

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	138.75	316.25	155.06	2246.94
18.	उड़ीसा	6533.53	6739.14	7070.36	8962.87
19.	राजस्थान	3339.59	4472.09	4061.43	4625.27
20.	सिक्किम	163.25	69.75	99.57	414.16
21.	तमिलनाडु	395.21	379.87	558.59	326.47
22.	त्रिपुरा	1287.85	1485.53	1283.91	1279.25
23.	उत्तर प्रदेश	223.41	257.12	218.13*	51.44
24.	उत्तरांचल	–	–	70.80**	104.96
25.	पश्चिम बंगाल	2062.08	2824.38	2366.89	2800.36
26.	अंडमान व निकोबार	118.00	133.90	255.40	233.90
27.	दमन व दीव	70.75	66.10	44.60	66.10

*इसमें से 74.80 लाख रु. की राशि उत्तरांचल सरकार को हस्तांतरित की गई।
**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरित।

[हिन्दी]

10+2 पद्धति के अंतर्गत समान पाठ्यक्रम

***506. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश के सभी राज्यों में 10+2 पद्धति अपनायी जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त पद्धति शुरू करते समय यह घोषणा की थी कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सभी कक्षाओं में समान रूप से लागू किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समान रूप से लागू नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) 10+2 पद्धति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई गई है।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 10+2 पद्धति को अपनाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचे के बारे में यह अपेक्षा थी कि राज्य सरकारें इसी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विस्तृत पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तैयार करेंगी। तदनुसार, सामान्यत: अधिकांश राज्यों ने इस तरह की कार्रवाई की है।

कोयला खानों में सुरक्षोपाय

***507. श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को सुरक्षा उपायों के लिए अलग से बजटीय प्रावधान करने के लिए निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी कंपनियों ने इन निर्देशों का पालन किया है;

(ग) क्या कोयला खानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. ने अपनी सहायक कंपनियों को सुरक्षा हेतु पृथक बजट प्रावधान करने के निर्देश जारी किए हैं। कोल इंडिया लि. की सभी सात कोयला उत्पादक कंपनियाँ तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, जोकि कोल इंडिया लि. द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित है, इन निर्देशों का अनुपालन कर रही हैं। वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 हेतु कोल इंडिया में सुरक्षा तथा बचाव के लिए बजटीय प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है कि श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966 की अपेक्षा के अनुसार श्रमिकों को सुरक्षा से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना की गई है।

कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में मुहैया प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	प्रशिक्षण केन्द्र
ई.सी.एल.	21 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
बी.सी.सी.एल.	13 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
सी.सी.एल.	29 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र + भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, भुरकुंडा और केन्द्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान, बरकाकाना।
एन.सी.एल.	प्रत्येक परियोजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए।
डब्ल्यू.सी.एल.	12 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र + हैम प्रशिक्षण संस्थान, दुर्गापुर, श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान, वर्धा, सुपरवाइजरी प्रशिक्षण संस्थान, छिंदवाड़ा।
एस.ई.सी.एल.	23 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र + क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिश्रामपुर, बेसिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा, केन्द्रीय उत्खनन (एक्सकेवेशन) प्रशिक्षण संस्थान, गेवरा।
एम.सी.एल.	6 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र + 3 प्रशिक्षण संस्थान।
सी.आई.एल. की एन.ई.सी.	4 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र + एरिया प्रशिक्षण संस्थान।

विवरण

(करोड़ रु. में)

कंपनी	2000-2001								2001-2002			
	सुरक्षा				बचाव				सुरक्षा बजट		बचाव बजट	
	बजट		व्यय		बजट		व्यय					
	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ईसीएल	7.52	43.16	5.67	43.10	0.23	2.46	0.12	4.22	8.50	43.78	3.03	4.62
बीसीसीएल	9.43	125.49	5.93	107.00	0.01	2.65	0.01	2.68	12.34	120.78	2.05	4.70
सीसीएल	1.41	7.93	1.41	6.84	0.05	1.81	0.05	1.85	3.22	8.36	0.06	2.81
एनसीएल	1.31	3.32	0.31	3.28	–	–	–	–	2.40	4.63	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डब्ल्यूसीएल	4.00	40.00	1.35	38.79	3.00	4.00	0.04	2.62	4.91	40.00	3.00	4.39
एसईसीएल	19.66	71.71	12.56	54.35	1.60	0.48	0.73	0.50	20.10	72.50	1.70	0.50
एमसीएल	3.00	11.49	1.50	7.10	0.23	0.85	0.21	0.84	2.82	11.50	0.92	0.85
एनईसी	1.49	2.51	0.81	2.20	0.10	0.10	शून्य	0.08	2.35	1.82	0.45	0.10
सीआईएल	47.82	305.61	29.55	262.66	5.22	12.35	1.15	12.72	56.64	303.37	11.21	19.97

अनुसंधान और विकास परियोजनायें

***508. श्री राम शकल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि मांगी गयी/आवंटित की गई;

(घ) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार आगे की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन सितम्बर, 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक्ट, 1995 के तहत देशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने तथा व्यापक अनुप्रयोग हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किया गया।

बोर्ड द्वारा अनुसंधान तथा विकासोन्मुखी उद्यमवृत्तिक प्रयासों के लिए उदार ऋण अथवा इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बोर्ड द्वारा किये जा रहे प्रयासों के अत्यंत ही उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त हुए हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद से इसके द्वारा 31 मार्च, 2001 तक 68 औद्योगिक इकाइयों एवं 3 एजेन्सियों के साथ 87 समझौते सम्पन्न किए गए। इन 87 परियोजनाओं में कुल 988.47 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है जिसमें से बोर्ड वित्तीय सहायता के रूप में 358.08 करोड़ रुपये किश्तों में उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। बोर्ड द्वारा पहले ही 31 मार्च, 2001 तक 254.09 करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान बोर्ड को इसके द्वारा मांग की गई 100 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, इंजीनियरी, रसायन, परिवहन, कृषि, अवशिष्ट अनुप्रयोग आदि में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष के वाणिज्यीकरण को सहयोग प्रदान करने में सफल रहा है। वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके द्वारा उद्योग, क्षमतावान उद्यमियों और उद्योग एसोसिएशनों, आर एण्ड डी संगठनों, तथा अकादमिक संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने वालों के साथ परस्पर विचार-विमर्शी बैठकों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करने सहित कई कदम उठाए गए हैं। बोर्ड प्रदर्शनियों में भाग लेता रहा है।

बोर्ड विगत वर्षों से अपनी वित्तीय सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहा है और भविष्य के आवंटन प्रक्षिप्त आवश्यकताओं के आधार पर निर्भर होंगे।

कोयला खानों में आग लगने की घटनाओं संबंधी समितियां

*509. **प्रो. दुखा भगत:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए किन्हीं उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) रिपोर्टों के उन पहलुओं का ब्यौरा क्या है जो अब तक लागू नहीं किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयलाधारी क्षेत्रों में आग तथा धंसाव समस्या के कारणों को निर्दिष्ट करने के लिए समय-समय पर नियुक्त विभिन्न समितियों ने बंद पड़ी खदानों, आग तथा धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े एकत्र किए हैं।

दिसम्बर, 1996 में भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) थे और जिसमें श्रम मंत्रालय (डी.जी.एम.एस.), योजना आयोग, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान 1922 से गठित पूर्ववर्ती समितियों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर भी विचार किया था और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

(ग) और (घ) 1996 की समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(1) जहां कहीं भी संभव हो, सभी अस्थिर क्षेत्रों के परिवारों को गैर-कोयला धारी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सैटेलाईट टाउनशिप की कोलफील्डों में धंसाव संबंधी खतरों का सर्वोत्तम दीर्घकालीन समाधान है।

(2) कोलफील्डों में घोषित असुरक्षित क्षेत्रों पर किसी भी नये निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा भी असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्माण को रोकने के लिए, पश्चिम बंगाल में पहले से ही विद्यमान कानून के समान, उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए।

(3) झरिया कोलफील्डों तथा रानीगंज कोलफील्डों, दोनों में, आग और धंसाव की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की भागीदारी और सहायता अनिवार्य है। आर.सी.एफ. तथा जे.सी.एफ. में आग और धंसाव के खिलाफ प्रशमन (मिटिगेशन) उपाय करने वाली किसी भी एजेंसी में उपर्युक्त प्राधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(4) धंसाव और आग जैसे खतरों के खिलाफ प्रशमन (मिटिगेशन) उपाय बहुत ही महंगे विकल्प हैं तथा इन उपायों का उपयोगी कार्यान्वयन अलग निष्पादक एजेंसी के माध्यम से संभव हो सकता है जिसे स्कीमें तैयार करने, उनके कार्यान्वयन तथा निधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार बनाया जाए। निष्पादक एजेंसियों की मोटी रूपरेखा संबंधित राज्य सरकारों तथा सरकारी कम्पनियों के साथ परामर्श करके तैयार की गई है।

(5) नूतन हाईड्रो-न्यूमैटिक स्टोइंग टैक्नालॉजी, जिसका प्रयोग इस समय आर.सी.एफ. में कुछ जगहों पर किया जा रहा है, अत्यन्त धीमी प्रक्रिया पाई गई है। अगम्य, अस्थिर भूमिगत खानों के दृढ़ीकरण के लिए भूमिगत रिक्तता को भरने के लिए उच्च दबाव स्लरी पम्पिंग टैक्नालॉजी का बी.सी.सी.एल. में कुछ स्थानों पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

(6) रानीगंज कस्बे जैसे स्थलों, जहाँ से लोगों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, के नीचे अस्थिर क्षेत्रों का गहन दृढ़ीकरण कार्य किया जाना चाहिए तथा अधिक खतरे परन्तु निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को चरणबद्ध तरीके से अन्यत्र ले जाया जाना चाहिए।

(7) धंसाव संभावित क्षेत्रों के दृढ़ीकरण के प्रयोजनार्थ तथा प्रभावित लोगों को पुन: बसाने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु धन, योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित योजना व्यय के जरिए अथवा कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम निधि से, उसमें उपयुक्त संशोधन करने के बाद, गैर-योजना व्यय के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

(8) आवश्यकता को समझते हुए असुरक्षित क्षेत्रों से लोगों के स्थानान्तरण के लिए ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. द्वारा एक-एक स्कीम कोयला मंत्रालय के पास उपलब्ध योजना निधियों से, संस्थागत व्यवस्था से उपलब्धता की इंतजार किए बिना, शुरू की जाए।

(9) समस्याओं से तत्काल और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्राथमिकतावार स्कीमें तैयार करते समय बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. द्वारा आग और धंसाव संभावित क्षेत्रों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित होने वाली जनसंख्या और वित्तीय प्रभावों का उल्लेख किया गया हो।

(ङ) नये राज्य के गठन के बाद, झारखंड सरकार ने दिनांक 2.8.2001 को एक उप प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार द्वारा बीसीसीएल तथा ईसीएल के संबंध में एक प्रदर्शन योजना की अनुमति दी गई थी। प्रभावित व्यक्तियों की अनिच्छा तथा असहयोग के कारण ईसीएल के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक एक उप प्राधिकरण का गठन नहीं किया है। बीसीसीएल के संबंध में आंशिक प्रगति हुई है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना

***510. श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में इस योजना से कितने स्कूल लाभान्वित हुए और इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) इस योजना के अंतर्गत स्कूलों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या पूर्वोत्तर परिषद द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा पर एक स्थिति-पत्र और कार्ययोजना तैयार करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की हुई है। गत तीन वर्षों के संगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित स्कूलों की संख्या	लाख रुपयों में व्यय
अरुणाचल प्रदेश	17	82.20
असम	40	173.12
मेघालय	38	176.15
मणिपुर	40	172.34
मिजोरम	39	162.30
नागालैंड	29	136.13
त्रिपुरा	30	136.16
कुल योग	233	1038.40

स्कूलों के चुनाव के मुख्य मानदण्ड निम्नलिखित हैं:

(1) वह या तो सरकारी स्कूल हो या सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल होना चाहिए।

(2) पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान पास का प्रतिशत 60% या इससे अधिक होना चाहिए।

(3) स्कूल, दो अध्यापकों को उनके मौजूदा कार्यभार के अतिरिक्त कम्प्यूटर अध्यापक के रूप में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध करा सकता हो।

(4) ऐसे पहचान किए गए प्रत्येक अध्यापक को अधिमानत: गणित या भौतिकी या सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए और वह अधिमानत: 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(5) प्रणाली को लगाने और उसके रखरखाव तथा निरीक्षण इत्यादि हेतु आसानी से पहुंचने के लिए स्कूल का पक्का मोटर मार्ग होना चाहिए।

(6) स्कूल के पास कम्प्यूटर लगाने के लिए पर्याप्त स्थान वाला एक कमरा और कम्प्यूटर कक्ष के रूप में प्रयोग हेतु कम्प्यूटर लैक्चर हाल होना चाहिए। इसमें पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली सहित बिजली की समुचित आपूर्ति होनी चाहिए।

(7) स्कूल, भविष्य में कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु निधियां उगाहने का इच्छुक होना चाहिए।

एन ई सी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एन ई सी के सचिव की अध्यक्षता में एक सूचना प्रौद्योगिकी विकास ग्रुप का गठन किया है। राज्य सरकारें, योजना आयोग के प्रतिनिधि, तेजपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि ग्रुप कमेटी के सदस्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास ग्रुप की पहली बैठक 17.8.2001 को आयोजित की गई थी।

अनुसूचित जनजातियों के लिए "नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम"

*511. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए "नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम" क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कितना बजटीय प्रावधान किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) यह योजना विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, पी.एच.डी. तथा डाक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(रु. लाख में)

1999-2000	2000-01	2001-02
*172.00	57.00	57.00

*अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान बजट प्रावधान।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्तियों का अवार्ड 9 उम्मीदवारों तक है और एक अवार्ड अन-अधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए है।

(ङ) चयन वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 (सम्मिलित) के लिए कुल 7 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का चयन किया गया है। छात्रों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	उम्मीदवारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	जम्मू व कश्मीर	1
4.	महाराष्ट्र	1
5.	केरल	1
6.	उत्तर प्रदेश	1

तथापि, 2000-01 के दौरान कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई क्योंकि परिपत्रित विज्ञापन के प्रति प्रत्युत्तर अपर्याप्त था और इसलिए इसको पुन: विज्ञापित किया गया। इसी बीच, 31 मार्च, 2001 को यह योजना समाप्त हो गई। इस योजना को जारी रखने के साथ-साथ छात्रों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

'टैक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर' की अवधारणा

*512. **श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और विकास सुविधा वाली संस्थाओं में 'टैक्नालॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर' की अवधारणा को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए चुने गए शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रौद्योगिकी के तीव्र वाणिज्यीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

से (घ) जी, हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड (एन एस टी ई डी बी) के तत्वावधान में हाल ही में टैक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स (टी बी आई) पर एक योजना तैयार की है जिसे शिक्षण संस्थाओं तथा आर एण्ड डी संस्थानों में व उनके आस-पास प्रौद्योगिकी पर आधारित शुरुआती इकाइयों के विकास व वर्धन के उत्प्रेरण के लिए स्थापित किया जाना है। एक टी.बी.आई. अधिभोक्ता कम्पनी (इंक्यूबेटीज) के शुरुआती चरण के दौरान उनकी पुष्टि एवं वर्धन के लिए एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है तथा व्यावसायिक सेवाएं प्रस्तुत करता है। इंक्यूबेटीज को एक सीमित अवधि अर्थात 2-3 वर्षों के लिए इंक्यूबेटर में प्रवेश कराया जाता है। विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जे. एस. एस. तकनीकी शिक्षा अकादमी, नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक टी.बी.आई. के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया है। पी.एस.जी. कालेज आफ टैक्नोलोजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्क (स्टेप) गतिविधियों के एक भाग के रूप में दूसरा टी.बी.आई. कार्य कर रहा है। अन्य राज्यों के कुछ संस्थान टी.बी.आई. स्थापित करने के लिए विभाग के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

सम्बद्ध उद्योगों द्वारा स्वदेश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी का विकास एवं वाणिज्यीकरण किए जाने के लिए सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड गठित कर दिया है। टी.बी.आई. के इंक्यूबेटीज भी बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषी केन्द्रों की स्थापना

***513. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सरल संस्कृत भाषी केन्द्रों की स्थापना करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में इन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों को खोलने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस प्रस्ताव के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों और कालेजों में सरल संस्कृत भाषी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक इस संबंध में इस योजना के अधीन उन 435 संस्थाओं को अनुमोदन दिया गया है, जो अनुदान प्राप्त करने की पात्र हैं।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 पाठ्यक्रमों हेतु, अनावर्ती तथा आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु प्रति केन्द्र के लिए अधिक से अधिक एक लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया है।

रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प शुल्क अधिनियम

***514. श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंजीकरण शुल्क में कमी करने के लिए एक मानक रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प शुल्क अधिनियम पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) इस अधिनियम से लोगों को सस्ती दरों पर अपने आवासों के पंजीकरण में किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अकेले आवासों के निर्माण में जरूरी निवेश नहीं कर सकी;

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्तमान में देश में आवास योजनाओं के वित्तपोषण करने वाले 28 वित्त पोषण संगठन हैं; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए प्रति वर्ष कितने आवासों का निर्माण किया जा रहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित आदर्श पंजीयन और स्टाम्प शुल्क अधिनियम सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ग) प्रस्तावित अधिनियम का प्रभाव अनुकूल होने की संभावना है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय देश में 31 आवास वित्त कंपनियां इसकी पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठा रही हैं।

(च) आवास राज्य का विषय है। भारत सरकार देश में मकानों का सीधे निर्माण नहीं करती है। तथापि, केन्द्र सरकार, आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) के जरिए, राज्य एजेंसियों को समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आवास वित्त सुविधा मुहैया करती है।

	मकान यूनिटें	ऋण राशि (करोड़ रु. में)
अपने सामान्य आवास कार्यक्रमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हडको ऋण	76,26,582	4131.47
2 मिलियन आवास कार्यक्रम जो मुख्यत: गरीबों के लिए है, के तहत हडको ऋण	27,74,342	3497.81
कुल	1,04,00,924	7629.28

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा धनराशि की मांग

***515. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,075 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कुल योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नौवीं योजना अवधि के दौरान 31 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यीकरण के लिए उद्योगों को हस्तांतरित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां। कृषि, स्वास्थ्य देख-रेख, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी की व्यापक क्षमता को पूर्ण रूप से समझते हुए बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी बी टी) ने 10वीं योजनावधि के लिए 2075.00 करोड़ रुपये की योजना निधि की आवश्यकता को प्रस्तुत किया है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए 675.00 करोड़ रुपये के परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। 9वीं योजना के दौरान विस्तृत सहाय्यित कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में ये शामिल हैं: मानव संसाधन विकास, मूलभूत एवं उत्पादोन्मुखी अनुसंधान एवं विकास, उत्कृष्टता केन्द्र एवं जैवप्रौद्योगिकीय सुविधाओं की स्थापना, जैवप्रौद्योगिकीय उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, जैवसूचना प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान। कृषि और पादप जैवप्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम, चिकित्सा, पर्यावरण तथा खाद्य जैवप्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता दी गई। सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाएं भी शुरू की गई। चावल जीनोम अनुक्रमण, जीनोमिकी, औषधीय पादप, मिशन परियोजनाएं, जैव संसाधन विकास एवं पूर्वेक्षण कुछ महत्वपूर्ण नई पहलों में से हैं।

(ग) और (घ) विभाग ने विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित 31 प्रौद्योगिकियां उद्योग को हस्तांतरित की हैं। (विवरण)। इनमें एच आई वी, हेपाटाइटिस, प्रजनक हार्मोनों का आकलन, कुष्ठरोग प्रतिरक्षामाडुलक, लेश्मानियासिस और बैनाना बंची टॉप विषाणु के लिए नैदानिक किटें: ज्वलन से पीड़ित रोगियों में सेप्टिक शॉक के प्रतिरोध के लिए औषध संरूपण; जैव उर्वरक, पादप ऊतक संवर्धन नयाचार; जैवकीटनाशक और जैव-उपचार संबंधी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

विवरण

9वीं योजना के दौरान हस्तांतरित की गई प्रौद्योगिकियों की सूची

प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकियां	विकसित	हस्तांतरित
1	2	3
1. 12 एमिनो एसिड का व्युत्तपन्न एफ-एम ओ सी	जैवरसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली	अतुल उत्पाद, बुलसार
2. हेपाटाइटिस-बी जांच किट	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	मैसर्ज ल्यूपिन लैब्स लि., भोपाल
3. लिप्रोसी इम्यूनोमाडूलेटर	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	कैडिला लैबोरेटरीज, अहमदाबाद
4. लेश्मानिसिस जांच किट	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	स्पैन डायग्नोस्टिक्स लि., सूरत
5. मोनोक्लोनल टू एम 13 फेज प्रोटीन्स 3 से 8	दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस	फार्मेसिया इन. यू एस ए
6. लिपोसोमल एम्फोटेरिसीन-बी	सेठ जी एस मेडिकल कालेज एंड हॉस्पीटल, मुम्बई	ए सी ई डायग्नोस्टिक्स, नई दिल्ली
7. एच आई वी 1 और 2 के लिए वेस्टर्न ब्लाट जांच	कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	मैसर्ज जे मित्रा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
8. जलन रोगियों में सैप्टिक शॉक को रोकने के लिए औषध संरूपण का विकस	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	गुफिक हैल्थ केयर लि., मुम्बई
9. संक्रामक बोवाइन रिनोट्रैचिटिस (आई बी आर आई) टीके के लिए प्रक्रिया ज्ञान मैनुअल जैसा कि बी ए आई एफ फाउंडेशन, पुणे ने विकसित किया है।	बी ए आई एफ फाऊंडेशन, पुणे	हाकेस्ट राउसेल वेट. इंडिया लि. (एच आर वी)
10. मानव रक्त में एग्ल्यूटीनेशन आधारित एच आई वी 1-2 एंटीबाडीज की जांच	दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस	कैडिला फार्मेस्युटिकल्स लि. अहमदाबाद
11. पादप ऊतक संवर्धन	टेरी, नई दिल्ली	कैडिला फार्मेस्युटिकल्स लि.
12. पादप ऊतक संवर्धन	एन सी एल, पुणे	कैडिला फार्मेस्युटिकल्स लि. अहमदाबाद
13. माइकोरिजा का बड़े पैमाने पर उत्पादन	टेरी, नई दिल्ली	कैडिला फार्मेस्युटिकल्स लि. अहमदाबाद

1	2	3
14. खाद्य उद्योग के लिए लीपेस	यू डी एस सी, नई दिल्ली	टेक्नो एमो, नई दिल्ली
15. राइजोबियल जैव उर्वरक का बड़े पैमाने पर उत्पादन	आर आर एल, जम्मू	मैसर्ज प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज लि. सिकन्दराबाद मैसर्ज जावेरी एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि., अमरावती
16. जैवकीटनाशियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन-ट्राइकोडर्मा	आर आर एल, जम्मू	मैसर्ज प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज लि. सिकन्दराबाद मैसर्ज जावेरी एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि., अमरावती मैसर्ज बी जेड बायोटेक, गुड़गांव
17. जैवकीटनाशियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन-ट्राइकोग्रामा, हीलोथिस एन पी वी	टी एन ए यू, कोयम्बटूर	क्रॉप हैल्थ प्रोडक्ट्स लि. गाजियाबाद
18. जैव कीटनाशियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन-ट्राइकोडर्मा	टी एन ए यू, कोयम्बटूर	क्रॉप हैल्थ प्रोडक्ट्स लि. गाजियाबाद हॉकिस्ट एग्रइवो, मुम्बई महाराष्ट्रा कॉपरेटिव ऑयल सीड फैडरेशन, जलगांव
19. जैवकीटनाशियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन-एसपर्जिलस नाइगर	आई ए आर आई, नई दिल्ली	कैडिला फार्मास्यूटिकल लि. अहमदाबाद
20. पौषकता से भरपूर पशु चारे के एमरान्थस प्रोटीन जीन	यू डी एस सी, नई दिल्ली	कैडिला फार्मेस्युटिकल्स लि. अहमदाबाद
21. डेंगू का पता लगाने के लिए एल जी एम मैक एलिसा	राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे	जेडस कैडिला हैल्थ केयर, अहमदाबाद
22. जापानी इंसेफेलाइटिस का पता लगाने के लिए एल जी एम मैक एलिसा	राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे	जेडस कैडिला हैल्थ केयर, अहमदाबाद
23. वैस्ट नाईल का पता लगाने के लिए एल जी एम मैक एलिसा	राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे	जेडल कैडिला हैल्थ केयर, अहमदाबाद
24. गर्भवती महिलाओं में एलफा फीटो प्रोटीन स्तर का आमापन करने के लिए एलिसा प्रणाली	भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान	शांता बायोटेक्नीक्स, हैदराबाद
25. मोनोक्नोल/पॉलीक्लोनल एंटीबाडीज का प्रयोग करके हेपाटाइटिस-ए वायरस का पता लगाने के लिए एल जी एम	राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे	भारत बायोटेक लि., हैदराबाद
26. चार प्रजनन हारमोनों का पता लगाने के लिए मूत्र आधारित प्रणाली (एलिसा)	प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुंबई	जेडस कैडिला हैल्थ केयर, अहमदाबाद

1	2	3
27. एच आई वी 1 और 2 का पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लाट	कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	जे मित्रा एंड कम्पनी, नई दिल्ली
28. पुनर्योगज कर्मकों का प्रयोग करके एच आई वी 1 और 2 के लिए एगल्यूटिनेशन जांच	दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस	केडिला फार्मेस्यूटिकल लि. अहमदाबाद
29. येरोविया लिपोलिटिका का प्रयोग करके एक प्रौद्योगिकी जो हेपाटाइटिस-बी सरफेस और प्री एस जीनों का निष्पीड़न करती है (जो उच्च स्तर प्रोटीनों/सिंगल स्टेप शुद्धिकरण को प्रदान करती है)	बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा	बायोलॉजिकल्स इवैन्स लि. हैदराबाद
30. पीचिया पैटोरिस प्रणाली का प्रयोग करके एच सी जी को निष्पीड़ित करने के लिए प्रौद्योगिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लि. अहमदाबाद
31. तेल रिसाव उपचार के लिए आयल जैपर प्रौद्योगिकी	टीईआरआई, नई दिल्ली	श्रीराम बायोटेक लि., हैदराबाद बी पी सी एल, मुम्बई

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति

***516. श्री राजो सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में उर्वरक की वास्तविक मांग की तुलना में उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की मांग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढींडसा): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान नाइट्रोजन (एन) और फास्फेट (पी) के क्षेत्रवार उत्पादन, आपूर्ति/उपलब्धता और खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख मी. टन)

क्षेत्र		उत्पादन		आपूर्ति/उपलब्धता*		खपत**	
		एन	पी	एन	पी	एन	पी
1.	सार्वजनिक	32.20	6.27	36.81	9.09		
2.	सहकारी	26.33	6.64	29.45	7.75		
	योग	58.53	12.91	66.26	16.84		
3.	निजी	51.09	24.52	54.40	27.42		
	सकल योग	109.62	37.43	120.66	44.26	104.48	41.89

*इसमें फील्ड में प्रारम्भिक स्टाक और कंपनियों द्वारा संबंधित क्षेत्र में किया गया आयात शामिल है।

**क्षेत्रवार खपत का हिसाब नहीं लगाया गया है।

पोटाश (के) की सम्पूर्ण 13.51 लाख मी. टन मांग को आयातों द्वारा पूरा किया गया था क्योंकि देश में वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद कोई ज्ञात स्रोत नहीं है।

(ख) गत वर्ष निजी क्षेत्र को, उर्वरक उद्योग के पहले से ही उपलब्ध के सिवाये कोई विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं दिए गए थे।

(ग) और (घ) प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डीएपी और एमओपी की मांग का आकलन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है और उनके आकलन के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी की मांग क्रमश: 215.25 लाख मी. टन, 74.97 लाख मी. टन और 23.83 लाख मी. टन थी।

[अनुवाद]

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

***517. श्री नरेश पुगलिया:** क्या **शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों की जल आपूर्ति योजनाओं को लगभग 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से जनसंख्या संबंधी मानदण्ड को 20,000 व्यक्तियों से बढ़ाकर 40,000 व्यक्ति करने और प्रतिव्यक्ति योजना लागत भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हाँ।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करने हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 1993-94 में एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 बराबर अंश आधार पर मुहैया की जाती है। मंत्रालय ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत अब तक 575 कस्बों के लिए 708.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की स्कीमें अनुमोदित की हैं और अब तक विभिन्न राज्यों को 281.24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। इसमें 20 कस्बों के लिए 49.06 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत के लिए महाराष्ट्र सरकार को जारी 21.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कस्बों का चयन राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा आबादी मानदण्ड, जल स्रोत की निर्भरता/विश्वसनीयता, विशेष समस्याओं वाले कस्बों के लिए पूर्विकताएं जैसे कि बहुत कम प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति, बहुत दूर या बहुत गहरा जल स्रोत और सूखा प्रवण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रति व्यक्ति यूनिट लागत सामान्यत: 1000 रुपये तक सीमित रखी जानी चाहिए। तथापि, यदि प्रति व्यक्ति लागत अधिक होती है तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में विशिष्ट औचित्य देना अपेक्षित होता है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 6 जून, 2001 को बुलाई गई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत मानदण्डों में परिवर्तन के लिए अपने सुझाव दसवीं योजना कार्यदल के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

एक सीमा एक बल नीति

***518. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमाओं के लिए 'एक सीमा एक बल' नामक नीति प्रतिपादित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सीमाओं की सुरक्षा के लिए सुस्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु कोई नई पहल शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और विशेष रूप से, कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए अप्रैल, 2001 में मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया गया था।

मंत्रियों के ग्रुप ने, फरवरी, 2001 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सीमा प्रबंधन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक मुद्दों पर सिफारिशें की हैं।

कमान और नियंत्रण में विवाद की समस्याओं और एक ही सीमा पर बहुत से बलों के कारण उत्पन्न होने वाली उत्तरदायित्व की कमी को दूर करने के लिए मंत्रियों के ग्रुप ने सिफारिश की है कि सीमा प्रबंधन को, एक सीमा-एक बल सिद्धान्त पर पुन: तैयार किया जाये। सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्यकरण

***519. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के क्या कृत्य हैं;

(ख) बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोर्ड द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(1) स्वैच्छिक आधार पर समाज कल्याण संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना;

(2) इस प्रकार के संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना; और

(3) देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना।

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह निषिद्ध है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जागरूकता विकास शिविरों के आयोजन में सहायता प्रदान करता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1998-99

क्र.सं.	राज्य का नाम	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह		परिवार परामर्श केन्द्र		ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं
		संख्या	लाभार्थी बच्चे	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	970	24250	24	2820	3025
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	1600	–	–	250
3.	असम	97	2425	10	580	–
4.	बिहार	–	–	14	810	–
5.	दिल्ली	143	3575	20	2762	–
6.	गोवा	31	775	–	–	275

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	796	19900	32	3385	–
8.	हरियाणा	94	2350	11	775	1575
9.	हिमाचल प्रदेश	365	9125	5	203	900
10.	जम्मू व कश्मीर	106	2650	1	112	950
11.	कर्नाटक	483	12075	24	2182	2425
12.	केरल	481	12025	27	3700	1175
13.	मध्य प्रदेश	762	19050	21	4005	14175
14.	महाराष्ट्र	916	22900	30	6389	2325
15.	मणिपुर	237	5925	3	227	750
16.	मेघालय	161	4025	3	228	675
17.	मिजोरम	143	3575	3	715	675
18.	नागालैण्ड	8	200	–	–	575
19.	उड़ीसा	300	7500	13	950	–
20.	पंजाब	91	2275	10	1389	150
21.	राजस्थान	266	6650	11	964	6375
22.	सिक्किम	124	3100	1	98	250
23.	तमिलनाडु	838	20950	27	3486	2225
24.	त्रिपुरा	157	3925	4	394	200
25.	उत्तर प्रदेश	532	1330	23	2566	–
26.	पश्चिम बंगाल	581	14525	23	2364	2225
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	76	1900	3	144	–
28.	चंडीगढ़	22	550	1	101	350
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	91	2275	3	483	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1998-99

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	जरूरतमंद/निराश्रित तथा शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए समाजार्थिक कार्यक्रम	महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ महिलाओं हेतु रोजगार सह-आयोत्पादन इकाइयों की स्थापना	कामकाजी महिला होस्टल	
		महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	900	–	1225	10	224
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	450	–	375	5	111
4.	बिहार	300	–	965	1	12
5.	दिल्ली	75	15	1650	3	163
6.	गोवा	–	–	75	–	–
7.	गुजरात	75	15	1275	19	484
8.	हरियाणा	50	–	25	1	77
9.	हिमाचल प्रदेश	25	–	130	1	18
10.	जम्मू व कश्मीर	100	50	200	–	–
11.	कर्नाटक	675	–	630	15	564
12.	केरल	340	44	625	13	636
13.	मध्य प्रदेश	1225	–	825	6	3045
14.	महाराष्ट्र	425	–	657	17	930
15.	मणिपुर	175	–	350	3	32
16.	मेघालय	50	–	–	–	–
17.	मिजोरम	75	–	–	2	59
18.	नागालैण्ड	50	–	200	1	24
19.	उड़ीसा	175	–	230	4	166
20.	पंजाब	25	–	390	5	152

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	175	–	245	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	400	–	1345	23	1104
24.	त्रिपुरा	25	–	25	1	12
25.	उत्तर प्रदेश	1550	–	761	5	118
26.	पश्चिम बंगाल	425	–	450	10	157
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	25	–	–
28.	चंडीगढ़	25	–	50	3	101
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	25	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	125	1	64

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1998-99

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीमा क्षेत्र परियोजनाएं		कल्याण विस्तार परियोजनाएं		सामान्य बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं हेतु निदर्शन परियोजनाएं		महिला मण्डल कार्यक्रम	
		संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलायें	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	840	10	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	1480	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	1	450	12	2450
4.	बिहार	–	–	18	4022	–	–	–	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–	1	150	4	800
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	8	1600	–	–	1	840	21	5520
8.	हरियाणा	–	–	–	–	1	980	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	720	–	–	1	420	5	5226
10.	जम्मू व कश्मीर	11	2200	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	–	–	–	1	540	8	–
12.	केरल	–	–	–	–	–	–	31	325
13.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	1	1170	–	–
14.	महाराष्ट्र	–	–	7	1920	1	960	–	–
15.	मणिपुर	3	600	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	1	180	–	–	21	1541
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैण्ड	6	1200	–	–	–	–	8	2488
19.	उड़ीसा	–	–	–	–	1	600	12	8200
20.	पंजाब	12	2400	–	–	–	–	12	3673
21.	राजस्थान	6	1200	8	1440	–	–	–	
22.	सिक्किम	2	400	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	5	1000	–	–	–	–	12	688
24.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	5	182
25.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	1	570	18	2337
26.	पश्चिम बंगाल	12	2400	–	–	–	–	37	2297
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	1000	–	–	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	2	400	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1999-2000

क्र.सं.	राज्य का नाम	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह		परिवार परामर्श केन्द्र		ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास-गृह*	
		संख्या	लाभार्थी बच्चे	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	लाभार्थी महिलाओं की संख्या	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	990	24750	24	1794	1750	29	760
2.	अरुणाचल प्रदेश	77	1925	1	138	425	1	25
3.	असम	95	2375	9	1242	2200	5	125
4.	बिहार	–	–	16	2070	119	11	275
5.	दिल्ली	138	3450	22	4035	14094	2	50
6.	गोवा	22	550	–	–	225	1	25
7.	गुजरात	768	19200	32	4692	1500	7	175
8.	हरियाणा	115	2875	11	1380	1900	3	75
9.	हिमाचल प्रदेश	354	8850	5	690	1400	1	25
10.	जम्मू व कश्मीर	106	2650	1	132	1250	2	75
11.	कर्नाटक	480	12000	30	4002	–	14	350
12.	केरल	533	13325	32	4416	450	5	125
13.	मध्य प्रदेश	822	20550	19	2622	12975	10	275
14.	महाराष्ट्र	870	21750	35	4692	17730	23	575
15.	मणिपुर	220	5500	4	552	1725	3	75
16.	मेघालय	161	4025	3	414	–	–	–
17.	मिजोरम	143	3575	3	414	500	–	–
18.	नागालैण्ड	38	950	–	–	450	–	–
19.	उड़ीसा	471	11775	10	1656	1200	46	1150
20.	पंजाब	101	2525	12	1104	3500	3	100
21.	राजस्थान	186	4650	6	1242	–	5	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	सिक्किम	120	3000	2	276	–	–	–
23.	तमिलनाडु	838	20950	32	4516	5375	15	375
24.	त्रिपुरा	136	3400	5	690	475	4	100
25.	उत्तर प्रदेश	502	12550	25	3450	250	12	300
26.	पश्चिम बंगाल	586	14650	26	3450	3025	26	650
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	88	220	1	138	–	–	–
28.	चंडीगढ़	21	525	2	276	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	91	2275	3	414	225	2	50

*महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम को वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अंतरित कर दिया गया।
नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1999-2000

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	जरूरतमंद/निराश्रित तथा शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए समाजार्थिक कार्यक्रम	महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ महिलाओं हेतु रोजगार सह-आयोत्पादन इकाइयों की स्थापना	कामकाजी महिला होस्टल	
		महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	775	–	1425	2	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	–	125	–	–
3.	असम	500	–	1175	1	50
4.	बिहार	25	–	100	–	–
5.	दिल्ली	125	–	475	–	–

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	–	–	50	–	–
7.	गुजरात	25	–	675	1	30
8.	हरियाणा	75	–	125	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	75	–	375	1	18
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	575	–	–
11.	कर्नाटक	725	–	1275	–	159
12.	केरल	275	20	100	1	152
13.	मध्य प्रदेश	1425	–	775	–	58
14.	महाराष्ट्र	425	–	1712	3	141
15.	मणिपुर	25	–	150	–	–
16.	मेघालय	100	–	100	–	–
17.	मिजोरम	–	–	150	–	–
18.	नागालैण्ड	225	–	874	–	–
19.	उड़ीसा	225	–	930	1	170
20.	पंजाब	100	–	560	–	20
21.	राजस्थान	25	–	100	–	–
22.	सिक्किम	25	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	475	–	875	6	584
24.	त्रिपुरा	50	–	75	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	550	–	648	–	–
26.	पश्चिम बंगाल	200	–	1050	5	53
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	25	–	299	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांड़िचेरी	125	–	200	–	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1999-2000

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीमा क्षेत्र परियोजनाएं		कल्याण विस्तार परियोजनाएं		सामान्य बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं हेतु निदर्शन परियोजनाएं		महिला मण्डल कार्यक्रम	
		संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलायें	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	840	11	1778
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	1480	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	1	450	12	2700
4.	बिहार	–	–	18	4020	–	–	4	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–	1	150	4	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	8	1600	–	–	1	840	30	6190
8.	हरियाणा	–	–	–	–	1	930	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	720	–	–	1	420	5	3990
10.	जम्मू व कश्मीर	11	2200	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	–	–	–	1	540	26	1693
12.	केरल	–	–	–	–	–	–	44	2194
13.	मध्य प्रदेश	–	–	10	2480	1	1170	4	602
14.	महाराष्ट्र	–	–	7	1920	1	960	38	2443
15.	मणिपुर	3	600	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	1	180	–	–	3	2262
17.	मिजोरम	2	400	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैण्ड	6	1200	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	–	–	–	–	1	600	12	8200
20.	पंजाब	12	2400	–	–	–	–	12	–
21.	राजस्थान	6	1200	8	1440	–	–	5	1583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	सिक्किम	2	400	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	16	1258
24.	त्रिपुरा	5	100	–	–	–	–	5	566
25.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	1	570	17	3178
26.	पश्चिम बंगाल	12	24	–	–	–	–	37	26267
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	1000	–	–	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	2	400	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

2000-2001

क्र.सं.	राज्य का नाम	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह		परिवार परामर्श केन्द्र		ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास-गृह	
		संख्या	लाभार्थी बच्चे	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	लाभार्थी महिलाओं की संख्या	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	952	23800	24	1794	4000	24	600
2.	अरुणाचल प्रदेश	77	1925	1	138	475	2	50
3.	असम	97	2425	9	1242	3000	9	225
4.	बिहार	155	3875	20	2614	5075	19	475
5.	दिल्ली	149	3725	34	5667	1925	2	50
6.	गोवा	28	700	–	–	50	1	25
7.	गुजरात	770	19250	34	5100	3100	8	200

1		2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	109	2725	12	1516	2750	3	75
9.	हिमाचल प्रदेश	357	8925	6	826	2875	1	25
10.	जम्मू व कश्मीर	106	2650	4	540	675	2	50
11.	कर्नाटक	441	11025	33	4274	5775	16	400
12.	केरल	530	13250	34	4688	1325	6	150
13.	मध्य प्रदेश	889	22225	27	3710	17300	13	325
14.	महाराष्ट्र	948	23700	39	5236	4475	18	450
15.	मणिपुर	227	5675	4	552	875	9	225
16.	मेघालय	161	4025	3	414	875	–	–
17.	मिजोरम	143	3575	2	276	875	–	–
18.	नागालैण्ड	38	950	1	99	1000	2	50
19.	उड़ीसा	417	10425	13	2064	2925	50	1250
20.	पंजाब	98	2450	12	1104	775	3	75
21.	राजस्थान	254	6350	13	2194	2500	5	125
22.	सिक्किम	124	3100	2	276	875	1	25
23.	तमिलनाडु	833	20825	33	4652	4000	18	450
24.	त्रिपुरा	141	3525	5	690	775	3	75
25.	उत्तर प्रदेश	949	12350	32	4266	7100	26	650
26.	पश्चिम बंगाल	526	13150	28	3722	3700	27	675
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	88	2200	–	–	375	–	–
28.	चंडीगढ़	22	500	2	276	475	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	200	–	–
32.	पांडिचेरी	91	2275	4	550	625	1	25

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

2000-01

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	जरूरतमंद/निराश्रित तथा शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए समाजार्थिक कार्यक्रम	महिलाओं हेतु रोजगार सह-आयोत्पादन इकाइयों की स्थापना	कामकाजी महिला होस्टल	
		महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2350	–	1225	2	44
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	–	150	–	–
3.	असम	1050	–	985	1	25
4.	बिहार	2125	–	1865	1	16
5.	दिल्ली	1100	–	845	–	110
6.	गोवा	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	1700	1	80
8.	हरियाणा	125	–	350	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	150	–	340	–	18
10.	जम्मू व कश्मीर	125	–	825	–	–
11.	कर्नाटक	1675	–	1180	–	7
12.	केरल	675	–	1120	9	393
13.	मध्य प्रदेश	2300	26	1855	–	–
14.	महाराष्ट्र	425	–	1690	2	263
15.	मणिपुर	350	–	410	2	69
16.	मेघालय	75	–	300	–	–
17.	मिजोरम	225	–	625	–	–
18.	नागालैण्ड	475	–	405	–	–
19.	उड़ीसा	650	25	695	3	82
20.	पंजाब	225	–	1190	–	–

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	850	–	270	–	–
22.	सिक्किम	50	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	1025	–	2350	7	452
24.	त्रिपुरा	200	–	375	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	2925	–	2555	–	–
26.	पश्चिम बंगाल	550	–	520	7	102
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	100	–	–
28.	चंडीगढ़	25	–	235	–	40
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	25	–	25	–	–
32.	पांडिचेरी	100	–	355	–	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा

2000-2001

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीमा क्षेत्र परियोजनाएं		कल्याण विस्तार परियोजनाएं		सामान्य बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं हेतु निदर्शन परियोजनाएं		महिला मण्डल कार्यक्रम	
		संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलाएं	संख्या	लाभार्थी महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	840	11	1778
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	1480	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	1	450	12	2700
4.	बिहार	–	–	18	4020	–	–	4	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–	1	150	4	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	8	1600	–	–	1	840	30	6190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	–	–	–	–	1	930	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	720	–	–	1	420	5	3990
10.	जम्मू व कश्मीर	11	2200	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	–	–	–	1	540	26	1693
12.	केरल	–	–	–	–	–	–	44	2194
13.	मध्य प्रदेश	–	–	10	2430	1	1170	4	602
14.	महाराष्ट्र	–	–	7	1920	1	960	38	2443
15.	मणिपुर	3	600	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	1	180	–	–	3	2262
17.	मिजोरम	2	400	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैण्ड	6	1200	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	–	–	–	–	1	600	12	8200
20.	पंजाब	12	2400	–	–	–	–	12	–
21.	राजस्थान	6	1200	5	1350	–	–	5	1583
22.	सिक्किम	2	400	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	16	1258
24.	त्रिपुरा	5	1000	–	–	–	–	5	566
25.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	1	570	17	3178
26.	पश्चिम बंगाल	12	2400	–	–	–	–	37	26267
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	1000	–	–	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	2	400	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड नामक नव-गठित राज्यों की सूचना अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में शामिल है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों को और अधिकार देने संबंधी कार्यदल

***520. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों को और अधिकार देने संबंधी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यदल द्वारा जनजातियों, विशेषकर सभ्यता से अछूते जनजाति समूहों, विस्थापित आदिवासियों के हितों की रक्षा करने और उनके पुनर्वास के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त कार्यदल द्वारा सुझायी गयी राष्ट्रीय जनजाति नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कार्यदल ने सिफारिश की है कि जनजातियों विशेष रूप से आदिम समूहों, विस्थापित जनजातियों के हितों की रक्षा करने तथा उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है। यह व्यापक राष्ट्रीय नीति विस्थापित जनजातियों के पूर्ण सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। इस नीति का उद्देश्य पुन: बसाए गए स्थानों पर विस्थापित जनजातीय परिवारों को बेहतर रहन-सहन स्तर को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि

5181. श्री मोहन रावले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना

5182. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 503 करोड़ रुपये प्रदान किये जाने के संबंध में आंध्र प्रदेश की 53 नगरपालिकाओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य सरकार अनुदान, नगरपालिका अंशदान, जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) से ऋण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 505.01 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नगरपालिकाओं की 53 जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया है।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है अत: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों का है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय नीति तैयार करके, योजनाओं को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) से मार्गदर्शन/अनुमोदन दिलाकर और मानव संसाधनों का विकास करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करता है। 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए चलाए जा रहे केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से पात्र कस्बों की योजनायें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम का विभाजन

5183. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली नगर निगम के विभाजन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ था और सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली नगर निगम की संरचना तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने उसके बाद दिल्ली सरकार को 28 फरवरी, 2001 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामला दिल्ली विधान सभा की आवास समिति के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सरकारी क्वार्टरों में नए आबंटन पर प्रतिबंध

5184. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोधी कालोनी (पुराने निर्मित क्वार्टरों) जैसे क्षेत्रों में सामान्य पूल के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के लिए आबंटन पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे निर्मित क्षेत्रों में नए आबंटन हेतु कोटा और विवेकाधीन कोटा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे क्षेत्रों में आबंटन के पश्चात् इन क्षेत्रों में आबंटन पर पुनर्विचार करने हेतु न्यूनतम अवधि क्या है;

(च) क्या ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर प्रतीक्षा-सूची, वरिष्ठता सूची और आबंटन इत्यादि के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आबंटन नियमावली के अनुसार रिक्त हुआ आवास उस आवेदक को आबंटित किया जायेगा जो उसी टाइप में आवास परिवर्तन का इच्छुक हो और इस प्रयोजन के लिए जरूरत न होने पर उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप का आवास नहीं है और उस टाइप के आवास के लिए उसकी प्राथमिकता तिथि शीघ्र आने वाली है। इस प्रकार लोधी कालोनी (पुराने निर्मित क्वार्टर) जैसे क्षेत्रों में आबंटन उन कार्मिकों को किए जाते हैं, जिन्होंने उसी टाइप के आवास परिवर्तन के लिए आवदन किया है। कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता "पहले आओ-पहले पाओ" आधार पर तय की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। आबंटन नियमावली में प्रावधान है कि विवाहित महिला अधिकारियों व एकल महिला अधिकारियों तथा केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्यूटी पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को कार्यकाल के आधार पर आबंटन के लिए क्रमश: महिला अधिकारी पूल और पदावधि अधिकारी पूल रखा जाए। विभिन्न कालोनियों में इन पूलों हेतु रखे जाने वाले आवासों की संख्या और टाइप का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। इसके अलावा एक कैलेण्डर वर्ष की प्रत्येक टाइप की 5% रिक्तियां चिकित्सा व कार्यापेक्षा आधार पर विवेकाधीन कोटे के तहत आबंटित की जाती हैं और ऐसे आबंटन केन्द्रीय स्थानों पर आवास उपलब्ध होने पर ही किए जाते हैं।

(ङ) चूंकि इन क्षेत्रों में आबंटन सामान्यत: बारी पर परिवर्तन के आधार पर किया जाता है इसलिए इन क्षेत्रों में एक बार आबंटन के पश्चात् पुन: आबंटन पर विचार नहीं किया जाता है और विद्यमान नियमों के अनुसार, केवल एक बार परिवर्तन की अनुमति है। इन क्षेत्रों में आबंटन स्वीकार न करने की दशा में ही छह माह बाद पुन: आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

(च) प्रतीक्षा सूची की वरीयता और टाइप 1 से 4 तक रिहायशी वासों के लिए पिछले 15 दिनों में किये गये आबंटन से संबंधित अन्य संगत सूचना वेबसाइट "http://estate.nic.in" पर उपलब्ध है।

(छ) उपर्युक्त (च) में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

5185. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने हेतु मानदंड और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्र क्षेत्र से कोयले की खरीद करने वालों से एक माह की कोयले की खरीद के बराबर एक माह की राशि जमा कराने के लिए कहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विद्युत संयंत्र अग्रिम के रूप में कोई धनराशि जमा कराने से इंकार करते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में विद्युत संयंत्रों को भारी ऋण देने की प्रणाली को बदलने और अनुशासन बनाए रखने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में सार्वजनिक धन को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि के लिंकेज अथवा कोयला आपूर्ति समझौते (सीएसए) की शर्तों के अनुसार की जाती है। कोयले का तिमाही आवंटन मंत्रालय स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि) द्वारा किया जाता है जो कोयला मंत्रालय में कार्यरत एक अंतर्मंत्रालयी निकाय है। ऐसे तिमाही आवंटन कोयला उत्पादक कम्पनियों, विद्युत उपयोगिता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा रेलवे के साथ परामर्श से किये जाते हैं।

(ख) संबंधित कोयला उत्पादक कम्पनियों द्वारा विद्युत संयंत्रों से अपरिवर्तनीय आवर्ती ऋण-पत्र (आई.आर.एल.सी.) अथवा 10 दिनों की कोयले की आपूर्ति के मूल्य के बराबर की अग्रिम अदायगी करने को कहा गया है।

(ग) और (घ) अधिकतर विद्युत संयंत्रों/विद्युत उपयोगिताओं ने, उनकी स्वयं की वित्तीय समस्याओं के कारण, कोई आई.आर.एल.सी. या अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराई है।

(ङ) और (च) कोयला कंपनियां, अदायगी को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय अनुशासन लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं के साथ कोयला आपूर्ति समझौतों पर वार्ता करती रही हैं।

दिल्ली के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान

5186. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस मास्टर प्लान को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2001 अभी दिल्ली में लागू है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2021 की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संदर्श वर्ष 2021 के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार कर रहा है तथा आठ अध्ययन दल गठित किए गए हैं जो क्षेत्रीय योजना-2021 में समाविष्ट की जाने वाली नीतियों पर विस्तृत सिफारिशों, स्कीमों, कार्यक्रमों, कार्यान्वयन के तरीकों के साथ निवेश की आवश्यकताओं तथा स्रोत जुटाने/बढ़ाने पर रिपोर्ट देगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा

5187. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी में असामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे तेजी से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशिष्ट विषय के रूप में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को सुनियोजित तरीके से लागू करने की संस्तुति की गयी है। विगत में, केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1999-2000 से प्रयोगात्मक आधार पर 20 केन्द्रीय विद्यालयों में अब सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया है।

ग्रामीण उत्पाद को शहरी उपभोक्ता से जोड़ना

5188. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यापार उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादक को शहरी उपभोक्ता से जोड़े जाने की महत्ती आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे और रोजगार सृजित होंगे, पलायन रुकेगा, गावों के लोगों की पोषाहार स्थिति में सुधार होगा और शहरी लोगों के लिए सस्ते और अच्छे उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) देश में प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें कृषि बागवानी उत्पाद भी शामिल हैं जो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं तथा विभिन्न कारणों से जिसकी अधिकांश खपत शहरी केन्द्रों में होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की प्लान योजनाओं के तहत (जो परियोजनाठन्मुख हैं) इस क्षेत्र के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा मानव संसाधन विकास/अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार की जा रही है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता, पश्चगामी संपर्क, प्रसंस्करण सुविधाओं जिनमें फसल कटाई के बाद की आधारभूत सुविधाएं, पैकेजिंग खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा और उत्पादों का विपणन भी शामिल है, से संबंधित मुद्दों को व्यापक रूप से कवर किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगारियों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच विपणन संपर्क की व्यवस्था की जाती है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण की गतिविधियां तथा कृषि व्यवसाय वाले उपक्रम भी शुरू किये जा सकते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंता (सिविल) की पदोन्नति

5189. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न फीडर ग्रेडों में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भर्ती नियम, 1954 के अंतर्गत न्यूनतम पात्रता अवधि क्या है;

(ख) क्रमश: इन फीडर ग्रेडों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वास्तव में कितनी न्यूनतम पात्रता अवधि अपनाई गई है और इसके कारण/आधार क्या हैं;

(ग) क्या इन नियमों के अंतर्गत, सीधे भर्ती किए गए लोगों को पांच वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नत प्राप्त व्यक्ति की तुलना में पात्रता अवधि में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है;

(च) यदि हाँ, तो क्या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति वास्तविक प्रथा से भिन्न है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सन् 1954 के भर्ती नियमों के अनुसार, कार्यपालक इंजीनियरों (सिविल) के पदों को दो फीडर ग्रेडों से भरा जाता है।

(1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)

(2) सहायक इंजीनियर (सिविल)

भर्ती नियमों में सहायक कार्यपालक इंजीनियरों (सिविल) को कार्यपालक इंजीनियरों के ग्रेड में प्रोन्नति हेतु भर्ती नियमों में कोई पात्रता अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

भर्ती नियमों में सहायक इंजीनियर (सिविल) के संबंध में कम से कम 3 वर्षों की पात्रता अवधि निर्धारित की गई है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित पात्रता अवधि, फीडर ग्रेडों से प्रोन्नति दिए जाने के आधार पर हैं। तथापि, वास्तविक प्रोन्नतियां प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, उम्मीदवारों के आकलन सतर्कता क्लीयरेंस इत्यादि जैसे अतिरिक्त कारकों पर आधारित होती हैं। सीधी भर्ती वाले सहायक कार्यपालक इंजीनियरों को सामान्यत: चार या पांच वर्षों के बाद नियमित प्रोन्नति मिल जाती है। अभी तक सीधी भर्ती वाले सहायक इंजीनियरों से कम सेवा अवधि वाले किसी भी प्रोन्नत सहायक इंजीनियर को कार्यपालक इंजीनियर के रूप में प्रोन्नति नहीं दी गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के विश्वविद्यालय के अध्यापकों को बकाए का भुगतान

5190. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पांचवें वेतन आयोग के बकाए के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों को रोक दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) राजस्थान राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए राज्य सरकार को केन्द्र के हिस्से के रूप में दी गई सहायता की धनराशि का उपयोग करने की पुष्टि करे।

पार्किंग स्थल का दुरुपयोग

5191. श्री महबूब जहेदी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाट प्लेस में और इसके आसपास 29 प्रमुख कार्यालय भवन अपने पार्किंग स्थल का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कनाट प्लेस में वाहनों को पार्क करना असम्भव सा है क्योंकि इन भवनों में निम्नतल कार्यालय बन गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हाँ। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि कनाट प्लेस के आस-पास अधिकतर बहुमंजिलें भवनों में बेसमेंट/पार्किंग स्थलों का उपयोग किया जा रहा है और अन्य प्रयोजनार्थ दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि कनाट प्लेस में बेसमेंट स्थल का उपयोग कार्यालय प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बहुमंजिले भवनों के बेसमेंट में स्थान का कार्यालय प्रयोजनार्थ दुरुपयोग करने वाली पार्टियों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क संयंत्रों में उत्पादन

5192. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किन-किन संयंत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र में कितने कामगार लगे हुए हैं;

(ग) बिलासपुर में लौह और इस्पात कंपनियों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या यह कंपनी स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दे रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य पुनर्गठन विधेयक

5193. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान बोडोलैंड सहित देश में कतिपय अलग राज्य बनाए जाने योग्य क्षेत्रों में कुछ और नए राज्यों के गठन के लिए 'राज्य पुनर्गठन विधेयक 2001' लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) नये राज्यों के सृजन के लिए अधिकतर मांगें विकास की असमानताओं को कम करने, शोषण और उपेक्षा से संरक्षण और स्थानीय संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के कारण होती हैं। बड़ी संख्या में छोटे-छोटे राज्यों का सृजन, प्रशासनिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से सलाह योग्य नहीं है। भारत सरकार ने आमतौर पर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के मामले को योजना तंत्र के जरिए और विकास बोर्डों और स्वायत्तशासी परिषदों का सृजन करके निपटाया जा सकता है।

डी.डी.ए. के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि

5194. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के सरकार को देय 46.18 करोड़ रुपये और 44.70 करोड़ रुपये डी.डी.ए. द्वारा अप्राधिकृत रूप से रोक लिए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि का डी.डी.ए. द्वारा सरकार को भुगतान कर दिया गया है और सामान्य भविष्य निधि की धनराशि को उनके खाते में जमा कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) डीडीए ने सूचित किया है कि तत्कालीन दिल्ली सुधार ट्रस्ट (अब डीडीए) द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए नजूल समझौता, 1937 की धारा 9 के अनुसार 1,39,213 रु. (दो लाख रु. जिसमें से स्थायी कटौती आदि की राशि घटाई गई है) जो 31.3.1993 को सरकार को देय थी, उसका भुगतान कर दिया गया था। समझौते में यह भी प्रावधान है कि 1,39,213 रु. की उक्त राशि का भुगतान करने के पश्चात प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में नजूल खाते में शेष कोई भी आधिक्य राशि सरकार को सौंप दी जाएगी तथा इसका उपयोग उक्त नजूल परिसंपत्ति के आगे सुधार और विकास के लिए किया जाएगा। तदनुसार, 46.18 करोड़ रु. की आधिक्य राशि को उक्त खाते के तहत चालू/नई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। जहां तक कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के 44.70 करोड़ रु. की राशि का संबंध है, 35.76 करोड़ रु. का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) में करना अपेक्षित था। धनराशि के अत्यन्त अभाव में इसमें से केवल 6.50 करोड़ रु. का ही निवेश किया जा सका। तथापि, धनराशि की स्थिति में सुधार आने के बाद शेष राशि 1996-97 में निवेश की गई।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (क) से (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना रिपोर्ट से आंकड़ों और तालिकाओं की कथित नकल करना

5195. डा. बलिराम:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. को सेन्ट्रल इलैक्ट्रोकैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वर्तमान निदेशक द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट से आंकड़ों और तालिकाओं की कथित नकल करने के बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सक्षम प्राधिकारी से सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महानिदेशक, सीएसआईआर को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों में शीशे लगाना

5196. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 19 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंशिक रूप से शीशे लगे दरवाजे जो पहली मंजिल के क्वार्टरों की बालकानी में खुलते हैं ऐसे क्वार्टरों के आबंटी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा कभी विचार किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस स्थिति के समाधान के लिए उनके द्वारा क्या सुधारात्मक कदमों का सुझाव दिया गया है; और

(च) आबंटियों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) बालकनी में खुलने वाले किवाड़, जो आंशिक रूप से पल्लेदार और आंशिक रूप से कांच लगे हैं। घर में प्राकृतिक प्रकाश के लिए हैं।

(ग) चूंकि आंशिक रूप से शीशे लगे दरवाजों के कारण सुरक्षा जोखिम के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है इसलिए मौजूदा दरवाजों में किसी परिवर्तन के बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंस प्रणाली में भ्रष्टाचार

5197. श्री अनिल बसु: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने दिल्ली में फेरीवालों और रिक्शे वालों को लाइसेंस जारी करने हेतु प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए सरकार को लिखा है और इस लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने हेतु सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के सुझाव दिल्ली नगर निगम की जांच के अधीन हैं।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा क्लब चलाया जाना

5198. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. दिल्ली में क्लब चला रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.डी.ए. द्वारा इन क्लबों को चलाये जाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या डी.डी.ए. इन क्लबों के माध्यम से केवल धनी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वह कोई क्लब नहीं चला रहा है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सीरी फोर्ट में एक क्लब बनवाया गया है जो केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों (स्टाफ) के लिए है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गहरे भूरे रंग के इस्पात का आयात

5199. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वाहन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त गहरे भूरे रंग के इस्पात का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई/की जा रही है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात क्षेत्र की अन्य इकाइयां अतिरिक्त भूरे रंग के इस्पात का उत्पादन नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) तप्त बेल्लित/शीत बेल्लित क्वायलों/चादरों से तैयार अतिरिक्त गंभीर कर्षण (ई डी डी) श्रेणी के इस्पात का उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है। देश में आयातित लगभग 50 प्रतिशत शीत बेल्लित क्वायलें/चादरें ई डी डी गुणवत्ता की होती हैं और इनकी खपत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के साथ-साथ वाइट गुड्स क्षेत्र में होती है। पिछले वर्ष (2000-2001) में भारत द्वारा 493 करोड़ रुपए मूल्य की 246 हजार टन शीत बेल्लित चादरों/क्वायलों का आयात किया गया था।

(ग) और (घ) भारत में सेल सहित अनेक उत्पादक गंभीर कर्षण और अतिरिक्त गंभीर कर्षण गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि, इनमें से केवल कुछ उत्पाद ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र द्वारा अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के होते हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोयला रसायन का उत्पादन

5200. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान कोयला रसायन की बिक्री में 23% की वृद्धि हासिल की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनमें कोयला रसायन का उपयोग किया जाता है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादित कोयला रसायनों का प्रयोग निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण के लिए मूल कच्ची सामग्री के तौर पर किया जाता है:

* कार्बन ब्लैक
* एल्यूमिनियम
* हर्बीसाईड्स तथा इनसैक्टीसाइड्स
* पैथालिक एनहाईड्राइड
* बेटा-नापथोल
* डाईज तथा इंटरमीडियेट्स
* सोलवेन्ट
* फर्टिलाईजर्स

विद्यार्थियों के लिए नई प्रणाली

5201. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** विद्यार्थियों के लिए नई प्रणाली के बारे में 17.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4555 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अंतर्विष्ट प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या समिति की सिफारिशों पर अंतिम रूप से रूपरेखा तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसके द्वारा गठित समिति सतत शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

देश में विदेशी विद्यार्थी

5202. श्री अनंत गुढ़े: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पिछले पांच वर्षों से प्रमुख विषयों में राज्य-वार कितने विदेशी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या भारत ने अच्छे संबंध विकसित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय संस्थानों में अधिक से अधिक विशिष्ट शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने हेतु नई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापक सहयोग हेतु हस्ताक्षर किए गए/प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) गृह मंत्रालय से प्राप्त एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने विदेशी/अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें तथा अन्य केन्द्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी विभागों में 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। ये अनुमोदित दाखिले के अलावा अधिसंख्य सीटें हैं। इसका उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करना नहीं है, बल्कि भारतीय समृद्ध संस्कृति को प्रोत्साहन देना, विदेशों में बसे भारतीय मूल के छात्रों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति में वृद्धि करना तथा देश की साख बढ़ाना और उदार राजनय अपनाना है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कोई द्विपक्षीय करार सम्पन्न नहीं किया गया है।

विवरण

भारत में विदेशी नागरिकों का पंजीकरण करने वाले अधिकारियों द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार 31.12.98 और 31.12.99 की स्थिति के अनुसार भारत में पढ़ रहे विद्यार्थियों (इसमें पाकिस्तान के नागरिक शामिल नहीं हैं) की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत विदेशी छात्र	
	31.12.1998 की स्थिति के अनुसार	31.12.1999 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
दिल्ली	7464	7998
कर्नाटक	6581	7762
महाराष्ट्र	3974	4341
तमिलनाडु	3846	3188
पश्चिम बंगाल	510	2088
उत्तर प्रदेश	1386	1630
गुजरात	814	776
मध्य प्रदेश	723	686
आंध्र प्रदेश	586	654
केरल	543	580
चंडीगढ़	589	575
पंजाब	546	528
हिमाचल प्रदेश	328	394
बिहार	269	252
हरियाणा	244	205
गोवा	190	193
राजस्थान	325	182
उड़ीसा	74	66
पांडिचेरी	67	62
दमन और दीव	–	16
असम	4	5
जम्मू व कश्मीर	4	3
मेघालय	3	2
सिक्किम	1	1

शेष वर्षों के लिए आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और विषय-वार ब्यौरा गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

आनुवंशिक रूप से आशोधित पौधे और खाद्यान्न

5203. श्री किरीट सोमैया: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कुछ पौधों और खाद्यान्नों की आनुवंशिक रूप से आशोधित किस्में विकसित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क)

और (ख) जी हां। कई राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में भारतीय वैज्ञानिक आनुवंशिक रूप से संशोधित पादपों/खाद्यान्नों के विकास के संबंध में कार्य कर रहे हैं। यह कार्य विभिन्न विकासात्मक चरणों पर हैं। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्दरी; बोस संस्थान, कोलकाता; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर; दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस, नई दिल्ली; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (आई ए आर आई), नई दिल्ली; आई सी ए आर उपकेन्द्र, शिलांग; केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै; चावल अनुसंधन निदेशालय, हैदराबाद ऐसे कुछ संस्थान हैं जो पराजीनी फसलों के विकास में लगे हुए हैं। तम्बाकू, चावल, सरसों/रेपसीड, आलू, वैंगन, टमाटर, गोभी और दालों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ कार्य में प्रगति हुई है। इन फसलों ने कृषि उत्पादकता में सुधार किया है और/या गुणवत्ता में वृद्धि की है। हालांकि कोई भी आनुवंशिक रूप से संशोधित पादप/खाद्यान्न व्यापारिक कृषि की शुरुआत तक नहीं पहुंचा है। आलू, रेपसीड, मटर और बैंगन में कार्यों पर अत्यधिक प्रगति हुई है। अधिक प्रोटीन गुणवत्ता, मात्रा और उपज में वृद्धि के साथ पराजीनी आलू खेत परीक्षण के अंतर्गत है।

सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के पेट्रो-रसायन उद्योग

5204. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकारी और संयुक्त क्षेत्र में स्थान-वार कितने पेट्रो-रसायन उद्योग शुरू किए गए;

(ख) प्रत्येक मामले में उनकी स्थापना हेतु मौलिक और अद्यतन अनुमान क्या है और उनके पूरा होने की सबसे लंबी अवधि क्या है; और

(ग) इससे और कितना अनुमानित रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) सृजित होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान दो पेट्रोरसायन संयंत्र इनमें से एक गुजरात राज्य के गंधार नामक स्थान पर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आईपीसीएल) संयंत्र और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में पाटा नामक स्थान पर गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (जीएआईएल) संयंत्र प्रारंभ किए गए थे।

(ख) गेल के संयंत्र पर कार्य 31.12.1996 को प्रारम्भ हुआ था और इसे 2590.20 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत में ही मार्च, 1999 में चालू कर दिया गया था। 3484.37 करोड़ रु. की संस्वीकृति वास्तविक लागत से आई पी सी एल के गंधार काम्पलेक्स को जनवरी, 1994 में प्रारंभ किया गया था और इसे 4335 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर 1999-2000 के दौरान चालू कर दिया गया था।

(ग) आईपीसीएल के मामले में, 1200 (प्रत्यक्ष) और 3600 (अप्रत्यक्ष) को रोजगार दिए जाने का अनुमान है। गेल ने 980 कर्मचारियों को प्रत्यक्षत: रोजगार प्रदान किया है और यह औसत आधार पर अपनी बाह्य एवं समर्थन मूलक गतिविधियों में एक वर्ष में अन्य 2200 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित कर रहा है।

सीमा प्रबंधन विभाग की स्थापना

5205. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सीमा प्रबंधन विभाग का गठन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विभाग का कार्यक्षेत्र, कार्यकरण और अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह का विभाग कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

इस्पात स्क्रैप की बिक्री

5206. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) द्वारा बेचे गए इस्पात स्क्रैप का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस्पात स्क्रैप के प्रमुख खरीददारों के नाम क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) 2000-01 के दौरान इस्को सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों से बचे गए इस्पात के स्क्रैप का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

संयंत्र का नाम	मात्रा हजार टन में
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	137
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी)	162
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी)	157
बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल)	165
इस्को	58

(ख) इस्पात स्क्रैप के कुछ प्रमुख क्रेताओं के नाम इस प्रकार हैं:

भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी)	–	सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज, सुपर स्टील्स, महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज, बालाजी स्टील लिमिटेड, एच एस आर री रोलर्स
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी)	–	वर्द्धमान प्रोडक्ट्स, लिमिटेड, आधुनिक स्टील लिमिटेड, ए एच डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, अमित स्टील ट्रेडर्स, रीजेन्ट स्टील इंडस्ट्रीज, गौरी आयरन एंड स्टील कम्पनी।
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	–	गोपाल एंड कंपनी, राशि स्टील्स, रोयल एन्टरप्राइजेज, वेदव्यास स्टील लिमिटेड, उत्कल स्टील्स प्रा.लि., जय जगन्नाथ स्टील इंडस्ट्रीज।
बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल)	–	एम पी ए स्टील (प्रा.) लिमिटेड, नुपुर एन्टरप्राइजेज, मारूति इस्पात, मॉडल फ्यूल, नार्दर्न इंडस्ट्रीज कारपोरेशन।
इस्को	–	सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड, सोमानी स्टील लिमिटेड, तिजिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड, श्याम सेल लिमिटेड, मनोज मैटल उद्योग।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

5207. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुकम्पा के आधार पर (मृत्यु के मामले में) कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अभ्यर्थी हैं;

(ग) 01-01-2001 की तारीख के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बकाया/आगे ली जाई गई रिक्तियों का अनुपात क्या है; और

(घ) आरक्षित पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर 27 उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं जिसमें से 5 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

(ग) और (घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, अत: बकाया रिक्तियों (बैकलॉग) का प्रश्न ही नहीं उठता।

नामरूप इकाई का द्विविभाजन

5208. श्री एम. के. सुब्बा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की नामरूप इकाई का द्विविभाजन करने की असम सरकार की मांग पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है और इस इकाई का द्विविभाजन किस प्रकार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस द्विविभाजन से राज्य और उर्वरक इकाई को क्या प्रमुख लाभ होंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड से नामरूप एकक को विभाजित करने का एक प्रस्ताव सरकार में सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ पहले ही प्रस्तुत किया गया है। इस एकक के विभाजन से नई कंपनी पुनरुद्धार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों से आवश्यक दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने में समर्थ होगी।

तमिलनाडु में गरीबी उन्मूलन योजनाएं

5209. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में वर्तमान समय में कितनी गरीबी उन्मूलन योजनाएं प्रगति पर हैं/क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्नों का उपयोग गरीबी उपशमन हेतु करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से तमिलनाडु राज्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)'' नामक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य (1) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के तहत नौवीं कक्षा तक शिक्षित व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित कर, और (2) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग कर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कर शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है।

(ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस कार्यक्रम में शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) घटक के तहत निष्पादित कार्य की मजदूरी का नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

झारखंड में पृथक विश्वविद्यालय

5210. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित राज्य झारखंड के सभी तकनीकी संस्थानों के लिए पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत योजनाएं

5211. डा. जयंत रंगपी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत अब तक जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस की उपलब्धियां

5212. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों, सुलझाए गए मामलों और जब्त किए गए तस्करी के सामानों की वस्तु-वार मात्रा का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पिछले दो वर्षों और 30 जून, 2001 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में सूचित भा.द.सं. अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आयी है। दिल्ली पुलिस की अन्य उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा इसी अवधि के दौरान हल किए गए भा.द.सं. के मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है। जब्त की गयी तस्करी की वस्तुओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

वर्ष	गिरफ्तार किए गए आतंकवादी/उग्रवादी	जब्त विस्फोटक	गिरफ्तार किए गए कुख्यात अपराधी	बरामद नशीले पदार्थ (किलोग्राम में)	बरामद जाली मुद्रा (रु. में)
1999	17	72 किलोग्राम आर डी एक्स	30	961.391	4612680/-
2000	44	94.960 किलोग्राम आर डी एक्स, 2.8 किलोग्राम उच्च किस्म का विस्फोटक पदार्थ	39	1829.224	4341550/-
2000 (30.6.2001 तक)	29	13.590 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ, 10.920 किलोग्राम आर डी एक्स, 2 किलोग्राम पी ई टी एन	17	699.024	1868450/-

विवरण II

वर्ष	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1999	35577	55600
2000	33861	51695
2000 (30.6.2001 तक)	12385	18220

[अनुवाद]

गसलीटांड खान दुर्घटना

5213. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "आब्जर्वेशन टु बी नोटेड बाई द गवर्नमेंट' शीर्षक से गसलीटांड दुर्घटना संबंधी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के "टिप्पणियां और सिफारिशें" के 12वें पैराग्राफ की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आयोग द्वारा इस आपदा के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय ने दिनांक 6.12.2000 को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट,

धनबाद की अदालत में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों अर्थात (1) निदेशक तथा नामित मालिक (2) मुख्य महाप्रबंधक डीम्ड एजेंट (3) अतिरिक्त महाप्रबंधक (4) क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी (5) एजेंट (6) प्रबंधक (7) सहायक प्रबंधक (8) सुरक्षा अधिकारी (9) कोलियरी इंजीनियर (10) वाइडिंग इंजन ड्राइवर (11) बैंक्समैन (12) फायरमैन (13) फायरमैन; के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इन मामलों पर आगे की कार्रवाई श्रम मंत्रालय को ही करनी है।

भारत कोकिंग कोल लि. प्रबंधन द्वारा किसी भी अभियोजित व्यक्ति को पदोन्नत नहीं किया गया है।

पशु ऊर्जा तंत्र

5214. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करीब 1.3 करोड़ बैलगाड़ी और पशु से खींचे जाने वाले अन्य वाहन करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और कई मिलियन टन डीजल की बचत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में प्रस्तावित पशु ऊर्जा केन्द्र को क्रियान्वित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आय भार बढ़ाने और पशुओं से काम लेने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अभी तक परिवहन के लिए पशु ऊर्जा की क्षमताओं का उपयोग करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है तथापि इस सुझाव को नोट कर लिया गया है और इस सुझाव की संभाव्यता निर्धारित करने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है।

फॉस्फेटिक उर्वरकों पर भुगतान की गई राजसहायता

5215. श्री जे.एस. बराड़: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादकों को उर्वरकों पर भुगतान की गई राजसहायता की राशि कितनी है;

(ख) क्या उत्पादों की खराब गुणवत्ता और राजसहायता हेतु झूठे दावों के संबंध में फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राजसहायता के लिए किए गए दावे की जांच हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के लिए रियायत की योजना के तहत संवितरित की गई सब्सिडी की वर्षवार राशि इस प्रकार है:

वर्ष	सब्सिडी की राशि करोड़ रुपये में
1998-99	3789.94
1999-2000	4500
2000-01	4319

(ख) और (ग) सरकार वर्षों से व्यक्तिगत शिकायतों और समाचार-पत्रों में सामान्यत: सब्सिडी/रियायत के कपटपूर्ण दावों और नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत योजना के तहत अन्व भ्रष्टाचार तथा उर्वरकों और विशेषकर सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) की घटिया क्वालिटी के बारे में प्रकाशित शिकायतों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। तत्पश्चात् संबंधित राज्य सरकारों से समुचित कार्यवाही करने हेतु आरोपों की जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया जाता है। जांच रिपोर्ट/सिफारिशों के लंबित रहने तक संबंधित एकक को रियायत की और रिलीज पर केन्द्र सरकार द्वारा रोक लगा दी जाती है। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर एकक द्वारा पूर्व में दावा की गई रियायत की राशि, जिसे इस योजना के तहत अपात्र पाया जाता है, यदि कोई हो, की वसूली केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, पंजाब के कुछ एसएसपी एककों और उत्तर प्रदेश के सभी एसएसपी एककों के विरुद्ध जांच-पड़ताल चल रही है। बिहार सरकार से भी राज्य प्राधिकारियों द्वारा बिक्री का प्रमाणन जारी करने के संबंध में लगाये गये आरोपों की जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है। इस योजना के तहत इन मामलों में दावों के निपटान को अपेक्षित जांच-पड़ताल के पूरा होने तक रोक दिया गया है।

(घ) रियायत योजना के तहत रियायत के दावों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दावे के अंतिम निपटान के लिए आधार बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मात्रा और गुणवत्ता के रूप में कृषि प्रयोजनार्थ/उपयोगार्थ उर्वरकों की बिक्री का सत्यापन जारी करने हेतु बिक्री का सत्यापन करने के पश्चात् रियायत के दावों का अंतिम निपटान शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच आस्तियों का बंटवारा

5216. श्री जय प्रकाश: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच आस्तियों के बंटवारे हेतु मध्यस्थता के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) उन विवादित आस्तियों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में मूल राज्यों और नव गठित राज्यों उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच परिसम्पत्तियों और देनदारियों का यथोचित और समान विभाजन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को संवैधानिक भूमिका प्रदान की गई है। परिसम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच परस्पर बातचीत एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों और देनदारियों और मूल राज्य द्वारा गठित निगमों, सोसाइटियों और अन्य निकायों का नए राज्यों के बीच विभाजन किया जाना है। परिसम्पत्तियों और देनदारियों के ब्यौरे सूचीबद्ध करना बड़ा भारी कार्य है। परिसम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं में स्पष्ट रूप से दी गई है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय विकास आयुक्त के कार्यालय को बंद करना

5217. श्री सुबोध मोहिते: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद स्थित लौह और इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त के कार्यालय को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुम्बई स्थित कार्यालय सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या व्यय सुधार आयोग ने इस संबंध में सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। उदारीकरण के बाद हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्य के स्वरूप और विषय में अत्यधिक परिवर्तन होने के कारण इस्पात मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय को युक्तिसंगत बनाने के लिए शुरू की गई कार्रवाई के फलस्वरूप इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों और व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आलोक में अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा।

(ङ) जी, हां।

(च) इस्पात मंत्रालय ने व्यय सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की जांच शुरू कर दी है ताकि इस पर आगे उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

बलदेव महाजन समिति की सिफारिशें

5218. श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इन विद्यालयों में योजनाओं को बंद करने की जांच हेतु गठित की गई बलदेव महाजन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शासी मंडल की जिस बैठक में उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकृत किया गया उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मुख्य सिफारिश है कि सेक्शनों की संख्या स्थिर करना शैक्षिक रूप से ठीक नहीं है या प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है तथा आयुक्त को नए सेक्शन खोलने और अतिरिक्त स्टाफ संस्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार होने चाहिए।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 17.7.2000 को आयोजित अपनी 68वीं बैठक में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था तथा सरकार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वेतन बजट को लचीला बनाने की सिफारिश करने का निर्णय किया था ताकि आयुक्त आवश्यकतानुसार नए पद संस्वीकृत कर सके।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

पेयजल परियोजनाएं

5219. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को वरीयता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अभी तक इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनमें से योजना आयोग द्वारा राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई/लंबित हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में देश की सभी ग्रामीण बसावटों में वर्ष 2004 तक पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तैयार की गई व्यापक कार्य योजना के अनुसार, इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. और पी.एम.जी.वाई. (ग्रामीण पेयजल घटक) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई रिलीजें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राज्यों की दी गई रिलीजें (करोड़ रुपए में)		
	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	पी.एम.जी.वाई.*	कुल
1997-98	1299.91	–	1299.91
1998-99	1610.64	–	1610.64
1999-2000	1717.91	–	1717.91
2000-2001	1896.55	513.15	2409.70
2001-2002	914.43**	257.06**	1211.49**

*पी.एम.जी.वाई. 2000-2001 में शुरू की गई थी।
**केवल पहली किस्त के लिए ही रिलीजें की गईं। (23.8.2001)

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की योजना राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारों को अपने लिए अलग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना करने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने के अधिकार हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने हेतु क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के मामले को छोड़कर, अलग-अलग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है।

प्रायोगिक आधार पर 26 राज्यों को शामिल करते हुए 63 जिलों में सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है जिनमें से कार्यान्वयन हेतु 61 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इन क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि	भारत सरकार का अंश	पहली किस्त
1	2	3	4	5	6
		स्वीकृत और जारी की गई निधियां			
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.000	3509.000	1052.700
3.	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
4.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	1122.000
5.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	900.000	841.500	252.450
6.	पं. सियांग	अरुणाचल प्रदेश	700.000	654.500	196.350
7.	जोरहाट	असम	1275.000	1188.600	356.580
8.	कामरूप	असम	1000.000	935.000	280.500
9.	सोनीतपुर	असम	1181.000	1103.489	331.047
10.	वैशाली	बिहार	4000.00	3740.000	1122.000
11.	मेहसाना	गुजरात	4000.000	3740.000	1222.000
12.	राजकोट	गुजरात	4000.00	3740.000	1122.000
13.	सूरत	गुजरात	4000.000	3740.000	1122.000
14.	करनाल	हरियाणा	1507.000	1409.045	422.714
15.	यमुना नगर	हरियाणा	986.180	922.078	276.623
16.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.000	1857.500	557.250
17.	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर	2511.000	2347.785	704.336
18.	ऊधमपुर	जम्मू व कश्मीर	2500.000	2250.000	675.000
19.	धनबाद	झारखंड	4000.000	3740.000	1122.000
20.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.000	3740.000	1122.000
21.	मंगलौर	कर्नाटक	4000.000	3740.000	1122.000

1	2	3	4	5	6
22.	मैसूर	कर्नाटक	4000.000	3740.000	1122.000
23.	कासरगौड	केरल	4000.000	3740.000	1122.000
24.	कोलम	केरल	4000.000	3740.000	1122.000
25.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.940	2737.620	821.286
26.	हौशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
27.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
28.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
29.	सिहोर	मध्य प्रदेश	1795.00	1678.150	503.445
30.	अमरावती	महराष्ट्र	2126.000	1973.500	592.050
31.	धुले	महाराष्ट्र	3952.780	3692.958	1107.887
32.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4000.000	3740.000	1122.000
33.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.000	3473.800	1042.140
34.	सेरछिप	मिजोरम	268.980	248.172	74.452
35.	दीमापुर	नागालैंड	594.000	555.390	166.617
36.	बालासोर	उड़ीसा	4000.000	3740.000	1122.000
37.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	4000.000	3740.000	1122.000
38.	भटिंडा	पंजाब	752.190	700.954	210.286
39.	मोगा	पंजाब	344.000	321.440	96.432
40.	मुक्तसर	पंजाब	3992.800	3733.268	1119.980
41.	अलवर	राजस्थान	4000.000	3740.000	1122.000
42.	जयपुर	राजस्थान	4000.000	3740.000	1122.000
43.	सीकर	राजस्थान	2171.000	1986.050	595.815
44.	सिक्किम द.	सिक्किम	1322.480	1210.069	363.021
45.	सिक्किम प.	सिक्किम	892.350	816.500	244.950
46.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.000	3740.000	1122.000
47.	कुड्डालोर	तमिलनाडु	4000.000	3740.000	1122.000
48.	पेरम्बलूर	तमिलनाडु	4000.000	3740.000	1122.000

1	2	3	4	5	6
49.	वेल्लौर	तमिलनाडु	4000.000	3740.000	1122.000
50.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.400	2566.900	770.070
51.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.000	2805.000	841.500
52.	चन्दौली	उत्तर प्रदेश	2500.000	2337.500	701.250
53.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
54.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.000	841.500
55.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.000	2337.500	701.250
56.	मिदनापुर	प. बंगाल	4000.000	3740.000	1122.000
	उप-योग		165070.100	153978.268	46193.480
		स्वीकृत लेकिन निधियां जारी न की गई			
57.	नेल्लौर	आंध्र प्रदेश	4000.000	3740.000	1122.000
58.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.000	3740.000	1122.000
59.	राई-भोई	मेघालय	975.110	907.010	272.103
60.	गंजम	उड़ीसा	4000.000	3740.000	1122.000
61.	उत्तरी 24 परगना	प. बंगाल	4000.000	3740.000	1122.000
	उप योग		16975.110	15867.010	4760.103
		अभी स्वीकृत/अनुमोदित की जानी हैं			
62.	बाड़मेर**	राजस्थान			
63.	हरिद्वार	उत्तरांचल			
	कुल		182045.210	169845.278	50953.583

**राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक जिले की जानकारी दी जानी है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कीटनाशकों की अधिक कीमत वसूलना

5220. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कपास, चावल, सब्जियों आदि में कीटों को नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न कीटनाशकों के विश्व बाजार मूल्यों की तुलना में उनके दस गुना अधिक कीमत वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसको बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का प्रतिशत और इनके व्यापारिक नामों सहित ऐसे सभी कीटनाशकों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उनकी उत्पादन लागत की जानकारी मांगने और तद्नुसार भारतीय बाजार के लिए उनका विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार के कीटनाशकों का भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन करने को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि ये कीटनाशक किसानों को सस्ते मूल्यों पर मिल सकें?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) कीटनाशकों के मूल्यों का विनियमन नहीं किया जाता है तथा ये बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं।

(घ) भारतीय विनिर्माता किसी भी कीटनाशक का उत्पादन के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि ऐसे उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

राजभाषा समिति

5221. डा. चरणदास महंत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हुई उक्त समिति की बैठकों और उनमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली में सुधार

5222. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की विभिन्न राज्य बोर्डों में एकरूपता लाने की नीति के एक हिस्से के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. ने विभिन्न विद्यालयों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के अनुसार आठवीं कक्षा तक के छात्रों से कुछ क्षेत्रों में ज्ञान की कमी पाई गई, विशेषत: उन क्षेत्रों में जहां यह अपेक्षा की जाती है, कि उन्हें अपेक्षित ज्ञान दिया होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि यह छात्रों को वास्तव में विषय को समझने और सीखने का अवसर नहीं देती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है; और

(ङ) शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनौपचारिक शिक्षा योजना

5223. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को वापस लेने से गरीब अध्यापकों पर गंभीर असर पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो अनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने और पुनरुज्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का मूल्यांकन मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थाई समिति तथा योजना आयोग द्वारा किया गया था। उनकी सिफारिशों

तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुभवों के आधार पर योजना को ''शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा'' के रूप में संशोधित किया गया है तथा इसे 1.4.20001 से संचालित किया गया है।

यह संशोधित योजना प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के समग्र कार्यक्रम का एक अंग है तथा इसे राज्य स्तरीय समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इन समितियों को परियोजनाओं के मूल्यांकन, संस्वीकृति और मानिटरिंग के अधिकार दिए गए हैं। संशोधित योजना में लागत पैरामीटरों को बढ़ाया गया है तथा इसमें निम्नलिखित व्यापक कार्यनीतियों की परिकल्पना की गई है:

(1) 1 कि.मी. की परिधि में स्कूल रहित बस्तियों में वैकल्पिक स्कूलों की स्थापना, (शिक्षा गारंटी योजना),

(2) सेतु पाठ्यक्रमों, स्कूल वापसी शिविरों आदि के माध्यम से स्कूल बाह्य बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम, और

(3) मुख्य धारा में न लाए जा सकने वाले बहुत ही विशिष्ट, कठिन वर्ग के बच्चों के लिए कार्यनीतियाँ।

संशोधित योजना के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुदेशकों को नियुक्ति में वरीयता दी जाए बशर्ते वे नियुक्ति के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करें। इसके अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा सहित विभिन्न परा शिक्षक योजनाओं के अंतर्गत चयन हेतु पात्रता के उद्देश्य से किसी भी अनुदेशक और पर्यवेक्षक के मामले में आयु सीमा में छूट देने पर राज्य विचार कर सकते हैं। पदाधिकारियों के संबंध में किसी भी आकस्मिक अव्यवस्था के निवारण के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना को चलाने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को अग्रिम रूप से यह सूचना दे दी गई थी कि अनौपचारिक शिक्षा योजना में संशोधन कर दिया गया है और इसका निधियन केवल 31.3.2001 तक ही है।

सलेम स्वदेशवारी महाविद्यालय को यू.जी.सी. का अनुदान

5224. श्री राजेश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे सलेम स्वदेशवारी महाविद्यालय को यू.जी.सी. अनुदान की केवल पहली किश्त जारी करने के पश्चात इसको कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि इस महाविद्यालय को अनुदान देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इस संबंध में मद्रास विश्वविद्यालय व तमिलनाडु सरकार के महाविद्यालयी शिक्षा के महाविद्यालय ने आवश्यक स्वीकृति भी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस महाविद्यालय द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बाद भी नौवीं योजना अवधि के लिए इस महाविद्यालय को अभी तक यू.जी.सी. की अनुदान राशि जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस महाविद्यालय को देय धनराशि जारी किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक इसे जारी कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पुलिस निरीक्षक (अपराध शाखा) से 22.1.1996 को इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सलेम स्वदेश्वरी कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 7वीं योजना अवधि के दौरान दी गई निधियों का इस कालेज के एक पूर्व प्रधानाचार्य ने गबन किया है। इसके बाद, आयोग ने कालेज को और अनुदान देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

(ग) से (ङ) चूंकि, इस कालेज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त निधियों का गबन किया है और गबन का यह मामला सलेम न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-V में विचाराधीन है इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 9वीं योजना के दौरान इस कालेज को कोई अनुदान नहीं दिया गया है। न्यायालय में मामले का फैसला होने के बाद ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कालेज को निधियां देने अथवा निधियाँ नहीं देने के बारे में निर्णय लेगा।

रोजगार के इच्छुकों का पंजीकरण और श्रमिकों को परिवार कार्ड जारी करना

5225. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण और उन्हें परिवार कार्ड जारी करना प्रत्येक श्रमिक को उपलब्ध कराये गये रोजगार को जानने के लिए अत्यावश्यक है और संसदीय समिति द्वारा इस संबंध में बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद इन दोनों आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दोनों आवश्यकताओं को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) हालांकि पहले रोजगार की तलाश कर रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का पंजीकरण करने और उन्हें परिवार कार्ड जारी करने का प्रावधान था किन्तु सुनिश्चित रोजगार योजना का 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठन करने के बाद इसे बन्द कर दिया गया। पुनर्गठित योजना उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की तलाश है। चूंकि यह कार्यक्रम स्वलक्षित प्रकृति का है, और इसमें केवल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होता है इसलिए यह परिकल्पना की गई है कि केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोग ही सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत गैर-दक्षता वाले काम की तलाश करेंगे।

ग्राम सभा की भूमि पर बनी अनाधिकृत कालोनियां

5226. श्री सईदुज्जमा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कंसीडर कॉलोनीज ऑन ग्राम सभा लैंड एज प्राइवेट: एल.जी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ग्राम सभा की भूमि पर बनी सभी कालोनियों को निजी कालोनियों के रूप में माना जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इसको ध्यान में रखते हुए लंबे समय से लंबित गतिरोध को दूर करने हेतु बिना किसी और विलंब के आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सरकार, डी.डी.ए./ एम.सी.डी. और दिल्ली में इससे संबंधित अन्य किसी भी प्राधिकरण द्वारा गैर-कानूनी रूप से भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही को रोकने हेतु आवश्यक स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हाँ।

(ख) से (छ) पूरे मामले की जांच की जा रही है।

वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा योजना

5227. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्नपूर्णा योजना के लिए वही वृद्ध व्यक्ति योग्य हैं जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार से कोई अन्य लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मानदण्ड के परिणामस्वरूप देश के 50 प्रतिशत से अधिक वृद्ध व्यक्ति उक्त योजना से वंचित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस योजना के लिए अर्हता मानदण्डों को बदलने का अनुरोध किया है जिससे कि उनके राज्यों के सभी वृद्ध व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाला बेसहारा व्यक्ति हो तथा उसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिलती हो। प्रारंभ में इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कवरेज हेतु लक्षित लोगों में से केवल 20 प्रतिशत लोगों को कवर करना है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने, जो अन्नपूर्णा योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं, केन्द्र सरकार से योजना के तहत पात्रता के मानदंड में परिवर्तन करने का आग्रह किया है। अन्नपूर्णा योजना में उपर्युक्त परिवर्तन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

गृह निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज दर में कमी

5228. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज की दर में एक प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय के पीछे विशिष्ट कारण क्या है और इसके क्रियान्वयन की वर्तमान प्रभावी तिथि का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार देश भर में लाखों कर्मचारियों द्वारा गत कुछ वर्षों, विशेषकर वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् लिए गए गृह निर्माण अग्रिम के लिए भी नई ब्याज दरों को लागू करने पर विचार करेगी;

(ङ) सरकार के इस निर्णय का उसके अपने कर्मचारियों पर पड़ने वाले बड़े और महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम पर लगने वाले ब्याज में दिनांक 1.4.2001 से सभी स्लैबों में 1 प्रतिशत की कटौती की गई है। ब्याज की संशोधित दरें निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	सरकारी कर्मचारी को संस्वीकृत अग्रिम की राशि	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की संशोधित दरें (प्रति वर्ष)
1.	50,000/- रु. तक	6.5%
2.	1,50,000/- रु. तक	8%
3.	5,00,000/- रु. तक	10%
4.	7,50,000/- रु. तक	11%

(ग) से (च) दिनांक 1.3.2001 से लघु बचत योजनाओं पर और दिनांक 1.4.2001 से सामान्य भविष्य निधि पर प्रशासित ब्याज दरों में कटौती की गई। गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम और अन्य अग्रिमों पर ब्याज की दरों में कटौती करके सरकारी कर्मचारियों को अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी ऋण पर घटी हुई लागत का लाभ देने का निर्णय लिया गया। गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दरों में दिनांक 1.4.2001 से संशोधन किया गया है और संशोधित दरें उनके प्रभावी होने की तारीख से पहले लागू नहीं की जा सकती हैं।

तमिलनाडु के जिलों को पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित करना

5229. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के किसी भी जिले को सबसे पिछड़े जिलों के रूप में चयन न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) राज्य के 30 जिलों के संबंध में तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) अन्य बातों के साथ-साथ देश में 100 अत्यंत पिछड़े तथा अति निर्धन जिलों का पता लगाने के लिए 1997 में एक समिति (योजना आयोग के तत्कालीन मुख्य सलाहकार की अध्यक्षता में) गठित की गई थी। समिति द्वारा पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने हेतु जो व्यापक पैरामीटर अपनाए गए उनमें वंचन (गरीबी अनुपात) तथा सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के संसूचकांक शामिल थे। उपर्युक्त पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए समिति ने देश में 100 अत्यंत पिछड़े तथा अति निर्धन जिलों का पता लगाया। समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक पैरामीटरों के अनुसार तमिलनाडु का कोई भी जिला 100 अत्यंत पिछड़े तथा अति निर्धन जिलों की सूची में शामिल किये जाने का पात्र नहीं है।

(ख) सर्मा समिति की रिपोर्ट पर तमिलनाडु सरकार की टिप्पणियां मांगी गई थीं और तमिलनाडु सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि पिछड़ेपन के कारणों का रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है तथा पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए समिति द्वारा चुने गए मानदंड में संसाधनों की उपलब्धता को शामिल किया जा सकता है, तथा इसे और अधिक युक्तिसंगत होना चाहिए था।

तमिलनाडु में जलापूर्ति और सफाई हेतु धनराशि

5230. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित होगेनाक्कल जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना को वित्तपोषित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) होगेनाक्कल जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना को 1997-98 और 1998-99 के पैकेजेज के भाग के रूप में ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड (ओ ई सी एफ) से ऋण के लिए दो बार जापान सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जापान द्वारा दोनों अवसरों पर इसे मंजूर नहीं किया गया। भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से "होगेनाक्कल जलापूर्ति

तथा स्वच्छता परियोजना'' नामक एक वैकल्पिक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे संभावित सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग के जरिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग ने ''ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तमिलनाडु जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना'' नामक पहले के प्रस्ताव के भाग के रूप में 1.6.1999 को इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए इसे 1.12.1998 को विश्व बैंक को भेज दिया था तथा राज्य सरकार को लिखा था कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या ये परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना में पर्याप्त प्रावधान करेंगे।

चांदनी चौक में अवैध निर्माण

5231. **श्री विजय गोयल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक, जो कि पहले भीड़-भाड़ रहित सड़कों वाला एक सांस्कृतिक केन्द्र या, एक व्यावसायिक जंगल में तबदील हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुधार और निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध के बावजूद वहां अवैध निर्माण निर्बाध रूप से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के खोए हुए सौन्दर्य को लौटाने, भीड़-भाड़ कम करने और इसे नया रूप देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है। पुराने निर्मित भवनों में परिवर्द्धन और परिवर्तन की अनुमति भवन निर्माण उप नियम, 1983 के भवन निर्माण नक्शों के अनुसार दी जाती है।

यह सही है कि इस क्षेत्र में काफी संख्या में अवैध निर्माण देखा गया है। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा रही है।

सरकार ने पुरानी दिल्ली विकास बोर्ड के गठन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है जिसमें दिल्ली नगर कला आयोग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ-साथ दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, महानगर टेलीफोन निगम लि. इत्यादि जैसी अन्य उपयोगिता एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ताकि इनके कार्यों में समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और पुरानी दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास में मदद मिल सके।

[हिन्दी]

जनगणना रिपोर्ट-2001

5232. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश की जनगणना रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या के लिंग-अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है;

(घ) क्या देश की पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या अनपेक्षित रूप से बढ़ी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसंख्या की भारी वृद्धि दर को नियंत्रित करने हेतु एक समान कानून बनाए जाने की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो क्या इससे सामाजिक विषमता नहीं बढ़ेगी; और

(झ) जनसंख्या में अनपेक्षित वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, अनंतिम जनगणना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े, 2001 का पेपर 1, शृंखला 1, भारत, भारत की जनगणना-2001 नामक प्रकाशन में ये ब्यौरे उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से लगे देश के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या की वृद्धि एक समान नहीं है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) से (ज) देश के किसी भी भाग में किसी भी प्रजाति, समुदाय, जाति अथवा धर्म के आधार पर जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(झ) सरकार ने फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई है। इस नीति में जन स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की स्वैच्छिक और मनपसंद सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य कार्मिकों से संबंधित पूरी न की जा सकी आवश्यकताओं को पूरा करना और जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका मध्यावधिक उद्देश्य अन्तर्क्षेत्रीय परिचालन नीतियों को दृढ़ता से लागू करके 2010 तक कुल प्रजननता दर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य जनसंख्या को वर्ष 2045 तक एक ऐसे स्तर पर संतुलित करना है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस नीति में राष्ट्रीय सामाजिक-जनसांख्यिकीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2010 तक प्राप्त किया जाना है। इसमें कार्रवाई योजना सहित 12 नीतियों की व्याख्या की गई है। यह नीति क्रियान्वित हो चुकी है।

विवरण

पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के सीमावर्ती जिलों में 1991-2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम	वृद्धि दर 1991-2001
1	2	3
(क) पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य/जिले		
जम्मू और कश्मीर		
1.	कुपवाड़ा	38.6
2.	बारामूला	31.2
3.	पुंछ	28.1
4.	राजौरी	25.2
5.	जम्मू	28.4
6.	कठुआ	20.9
7.	कारगिल	31.4
पंजाब		
8.	अमृतसर	22.7
9.	गुरदासपुर	19.3
10.	फिरोजपुर	20.4
राजस्थान		
11.	गंगानगर	27.5
12.	बीकानेर	38.2
13.	जैसलमेर	47.5
14.	बाड़मेर	36.8
गुजरात		
15.	कच्छ*	20.9
(ख) बांग्लादेश की सीमा से लगे जिले		
पश्चिम बंगाल		
1.	दार्जिलिंग	23.5
2.	जलपाईगुड़ी	21.5
3.	कूच बिहार	14.2
4.	उत्तर दीनाजपुर	28.7
5.	दक्षिण दीनाजपुर	22.1
6.	माल्दा	24.8
7.	मुर्शिदाबाद	23.7
8.	नाडिया	19.5
9.	उत्तरी चौबीस परगना	22.6
10.	दक्षिणी चौबीस परगना	20.9
मिजोरम		
11.	लुंगलेई	23.1
12.	लांगतलाई	34.8
13.	मामित	3.5
त्रिपुरा		
14.	धलाई	10.8
15.	उत्तरी त्रिपुरा	26.4
16.	पश्चिमी त्रिपुरा	18.3

1	2	3
17.	दक्षिणी त्रिपुरा	6.1
असम		
18.	धुबरी	23.4
19.	करीमगंज	21.4
20.	कछार	18.7
मेघालय		
21.	पूर्वी कासी हिल्स	22.9
22.	जैन्तिया हिल्स	34.1
23.	पश्चिमी खासी हिल्स	33.6
24.	पश्चिमी गारो हिल्स	28.0
25.	दक्षिणी गारो हिल्स	28.6
(ग) चीन से लगे राज्य/जिले		
जम्मू और कश्मीर		
1.	लेह (लद्दाख)	30.4
हिमाचल प्रदेश		
2.	लाहौल और स्पीति	6.2
3.	किन्नौर*	17.8
उत्तरांचल		
4.	उत्तरकाशी	22.7
5.	चमौली	13.5
6.	पिथौरागढ़	10.9
सिक्किम		
7.	उत्तरी जिला	31.3
8.	पूर्वी जिला	37.2
अरुणाचल प्रदेश		
9.	तवांग	22.7
10.	पश्चिमी कामेंग	32.2
11.	पूर्वी कामेंग	13.2
12.	लोअर सुबनसिरी	17.4
13.	अपर सुबनसिरी	9.8
14.	पश्चिमी सियांग	15.2
15.	अपर सियांग	19.3
16.	दिबांग वैली	33.6
17.	लोहित	30.8

*गुजरात के पूरे कच्छ जिले और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फरवरी 2001 के दौरान जनगणना नहीं करायी जा सकी थी। अत: इन जिलों की 2001 की जनगणना की वृद्धि दरें अनुमानित हैं।

सूखा और अकाल प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता

5233. श्री रामानन्द सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूखा और अकाल प्रभावित राज्यों को पेयजल के संकट से निपटने व लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ख) इसमें से प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि खर्च की है व उनके पास कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जल आपूर्ति राज्य का विषय है अत: प्राकृतिक आपदाओं के बाद आवश्यक उपाय करना प्रधानत: राज्य सरकारों का दायित्व है। हालांकि केन्द्र सरकार वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता देकर राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में मदद करती है। राहत व्यय के वित्तपोषण की योजना के अनुसार राज्यों के पास आपदा राहत कोष में हर समय धनराशि उपलब्ध होती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के बाद तत्काल राहत उपाय किये जा सकें। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, जो सूखा और अकाल से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए नोडल मंत्रालय है, ने बताया है कि भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष में 3 : 1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। इसके अलावा अत्यधिक गंभीर आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर.)/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता पर भी विचार किया जाता है। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश

और एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ. से दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1998-99 से 2000-01 के दौरान आपदा राहत कोष से जारी केन्द्रीय अंश और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष व राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से दी गई सहायता का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आपदा राहत कोष से दिया गया केन्द्रीय अंश	एनएफसीआर/एनसीसीएफ से दी गई सहायता
1	2	3	4
1998-99 (सीआरएफ/एनएफसीआर)			
1.	केरल	46.08	–
2.	मध्य प्रदेश	42.49	–
3.	उड़ीसा	40.77	–
4.	राजस्थान	148.92	21.98
5.	पश्चिम बंगाल	42.69	–
1999-2000 (सीआरएफ/एनएफसीआर)			
1.	आंध्र प्रदेश	107.69	75.36
2.	गुजरात	121.05	54.58
3.	हिमाचल प्रदेश	23.37	–
4.	जम्मू व कश्मीर	17.09	73.42
5.	कर्नाटक	36.29	17.09*
6.	मध्य प्रदेश	44.29	38.86*
7.	मणिपुर	1.61	4.93
8.	मिजोरम	1.10	6.00
9.	राजस्थान	155.25	102.93
10.	त्रिपुरा	3.90	5.34
11.	पश्चिम बंगाल	44.50	–
2000-2001 (सीआरएफ/एनसीसीएफ)			
1.	आंध्र प्रदेश	148.54	–
2.	छत्तीसगढ़	20.60	40.00
3.	गुजरात	131.14	85.00
4.	हिमाचल प्रदेश	32.61	–
5.	जम्मू व कश्मीर	26.18	–
6.	मध्य प्रदेश	46.98	35.00
7.	महाराष्ट्र	117.90	–
8.	उड़ीसा	103.65	35.00
9.	राजस्थान	196.00	85.00
10.	उत्तरांचल	7.10	–

*सूखे और बाढ़ के लिए।

स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक होना

5234. श्री अखिलेश यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर अपना नियंत्रण खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो परीक्षा से पहले स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रश्न-पत्र लीक होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के पश्चात् इस पर कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित और निगमित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है। इस विश्वविद्यालय

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान कोई भी प्रश्न-पत्र 'लीक' नहीं हुआ है। इस संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर की विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और उसे बेबुनियाद पाया गया है।

ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को धनराशि का आबंटन

5235. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को धनराशि का समान आबंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रत्येक विकास एजेन्सी को वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एजेंसियों के व्यय की कोई निगरानी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु अपनाई गई क्रियाविधि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों के नियमित दौरे, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें, कार्यक्रमों का समवर्त्ती तथा शीघ्र मूल्यांकन इत्यादि जैसे तंत्रों के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गिनरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राज्य/जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं।

[अनुवाद]

आदिवासियों के बारे में अध्ययन

5236. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में आदिवासियों के बारे में व्यापक अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या तीन सौ से लेकर चार सौ जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के कारण अपना दावा कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अभी तक लगभग 969 प्रस्ताव अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने या उसमें शामिल नहीं किए जाने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन पर कार्यवाही ऐसे दावों का निर्णय करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है।

विकलांग छात्रों को सुविधाएं/रिआयतें

5237. श्री के. येरननायडू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिसलैक्सिया से पीड़ित विकलांग छात्रों को कुछ सुविधाएं/रिआयतें प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अंतिम परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए क्या सहायता दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिसलैक्सिया से प्रभावित छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें प्रदान करता है:

(1) उन्हें तीसरी भाषा की परीक्षा देने से छूट प्राप्त है, और उनके पास कक्षा-10 स्तर पर दो भाषाओं के बदले एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प होता है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा सूत्र की भावना के अनुरूप होनी चाहिए।

(2) उन्हें लिपिक का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है और बाह्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 60 अतिरिक्त मिनट (एक घंटा) दिये जाते हैं।

मृत्यु दंड

5238. **श्री सुबोध राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कारागारों में राज्यवार कितने लोगों को मृत्युदंड दिया गया और कार्यान्वित किया गया; और

(ख) अन्य देशों की तुलना में भारत में गम्भीर अपराधों और मृत्यु दंड का अनुपात कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुड़गांव फेज-1 के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं

5239. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन के गुड़गाँव फेज-1 के फ्लैटों के निवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उचित और पर्याप्त रूप से प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिजली की नियमित रूप से अनापूर्ति, पीने योग्य पानी की अनापूर्ति, सुरक्षा और स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था और प्रबंध न होने के कारण गुड़गांव फेज-1 के निवासी समस्याओं से जूझ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन समस्याओं के कब तक हल किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने सूचित किया है कि सभी आवश्यक सुविधाएं योजना बनाकर पर्याप्त रूप से मुहैया करा दी गई हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये सुविधाएं इस प्रकार हैं:

(1) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एचएसईबी) से विद्युत आपूर्ति

(2) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) से जल आपूर्ति

(3) हुडा सीवरों में सीवेज निपटान की व्यवस्था

(4) हुडा नालियों में बरसाती पानी की निकासी

(5) सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराने वाली एक एजेंसी नियोजित करके सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं

(6) पथ प्रकाश व्यवस्था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने सूचित किया है कि कुल मिलाकर कोई शिकायत नहीं है, सिवाय बिजली की कमी के, जिसमें हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नया उपकेन्द्र लगाने तथा चालू होने पर शीघ्र ही सुधार होने की संभावना है।

भुज में कागज से बने घरों का निर्माण

5240. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 2001 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित भुज में कागज से बने घरों के निर्माण के बारे में आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे घरों के निर्माण हेतु जापान के किसी वास्तुकार को अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उनके टिकाऊपन, उनकी लागत और अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन्होंने इससे पहले किन-किन देशों में ऐसे घर खड़े किए हैं;

(च) इन देशों की ऐसी घरों के टिकाऊपन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) गुजरात में ऐसे कितने घर बनाए जाने की संभावना है;

(ज) इन घरों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य के कब तक शुरू/पूरा किये जाने की संभावना है;

(झ) क्या ये घर जल-सह और अग्नि-सह होने के अतिरिक्त वायु-सह और भूकंप-सह हैं; और

(ञ) उन भारतीय अधिकारियों/वास्तुकारों के नाम क्या हैं जिन्हें जापानी वास्तुकारों के साथ लगाया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) इस समाचार में दो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भुज में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कागज से बने अस्थायी शैल्टरों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) से (ञ) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड का कानूनी मामलों पर व्यय

5241. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने 1975 से कानूनी मामलों पर व्यय के रूप में करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अपने खातों में इन खर्चों को विविध कार्यों के रूप में दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस व्यय की जांच स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 1974 से 31.3.2000 तक 26 वर्षों की अवधि के दौरान खर्चे के रूप में 251.03 लाख रुपये व्यय किए। यह व्यय अन्य खर्चों की अनुसूची में सी.आई.एल. के लाभ तथा हानि के खाते वाले भाग में अलग से दर्शाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का दुरुपयोग

5242. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने हेतु, आवंटित भूखंडों का उन पर छोटी दुकानें बनाकर और खाद्यान्न कमीशन एजेंटों को किराये पर दे कर दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन भूखंडों के आवंटन को निरस्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इन भूखंडों को कब तक निरस्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट सं. सी-47, सी-35/3, सी-35/4, सी-35/9, सी-37/6, जी-1/2 तथा जी-10 (कुल सात प्लॉट) का खाद्यान्न के कमीशन एजेंटों द्वारा दुरुपयोग किये जाने का पता चला है।

(ग) से (ङ) प्लॉट सं. 47 का पट्टा (लीज) पहले ही रद्द किया जा चुका है। प्लॉट सं. सी-35/4 के पट्टे को रद्द किये जाने के मामले की प्रक्रिया चल रही है। शेष पांच मामलों में 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये जा चुके हैं तथा अपेक्षित कोडल औपचारिकताएं पूरी होने पर दोषी यूनिटों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

[अनुवाद]

भारतीय दंड संहिता को और शक्ति प्रदान करना

5243. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 61 और 62 को और शक्तियां देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। न्यायालय ने यह पाया है कि भा.द.सं. की धारा 61 और 62 को पुन: पुर:स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि इसका उन लोगों पर निवारक प्रभाव पड़े जो अपने पद या अधिकारों का दुरुपयोग करके समाज की कीमत पर धन एकत्रित करने पर तुले हुए हैं।

(ग) भारत के विधि आयोग ने अपनी 166वीं रिपोर्ट में, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के लिए भ्रष्ट लोक सेवक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियमों, 1999 शीर्षक से एक विधायन अधिनियमित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट की विधि-विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके जांच की गई और यह महसूस किया गया कि लोक सेवकों की गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति को समपहरन करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके मुकाबले खामियों को दूर करके भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सुदृढ़ करना और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सख्त बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित करना, अधिक उपयुक्त होगा। तद्नुसार ही मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

नवोदय विद्यालयों में माइग्रेशन प्रणाली

5244. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इन नवोदय विद्यालयों में माइग्रेशन प्रणाली के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या समिति ने इस संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) छात्रों के मूल राज्यों में अपेक्षित न्यूनतम अध्ययन के कारण छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने में उनके सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के परिणामस्वरूप इस बहिर्गमन को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। तदुपरांत, अभिभावकों तथा अन्य संबंधितों से कुछ एक अभ्यावेदनों को छोड़कर, जिनमें उन्होंने अपने बच्चों की भोजन तथा जलवायु संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया है; बहिर्गमन संबंधी नीति पर कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय योजना की समीक्षा के एक भाग के रूप में, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद ने एक अध्ययन/सर्वेक्षण करवाया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पनधारा विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

5245. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में पनधारा विकास परियोजना हेतु सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इस सहायता से पनधारा विकास परियोजना के शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना से राज्य-वार अनुमानित कितने गरीब लोगों और भूमिहीन लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा दो वाटरशेड विकास परियोजनाएं, अर्थात (1) समेकित वाटरशेड विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) (हिल्स-2) और (2) कर्नाटक में विस्तृत वाटरशेड विकास परियोजना (सी.डब्ल्यू.डी.पी.) स्वीकृत की गई हैं।

(ख) विश्व बैंक ने समेकित वाटरशेड विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) (हिल्स-2) के लिए 135.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा कर्नाटक में विस्तृत वाटरशेड विकास परियोजना (सी.डब्ल्यू.डी.पी.) के लिए 79.0 मिलियन एस.डी.आर. (100.4 मिलियन अमेरीकी डॉलर) की राशि स्वीकृत की है।

(ग) समेकित वाटरशेड विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) (हिल्स-2) सितम्बर, 1999 से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तरांचल के राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। कर्नाटक में विस्तृत वाटरशेड विकास परियोजना (सी.डब्ल्यू.डी.पी.) के संबंध में विधिक करारों पर जुलाई, 2001 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) यह अनुमान लगाया जाता है कि समेकित वाटरशेड विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) (हिल्स-2) के अंतर्गत पांच राज्यों में लगभग 10,000 भूमिहीन परिवारों तथा 5,000 पशु चरवाहों सहित लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक में विस्तृत वाटरशेड विकास परियोजना (सी.डब्ल्यू.डी.पी.) से 25,000 भूमिहीन परिवारों सहित लगभग 3,50,000 परिवार सीधे ही लाभान्वित होंगे।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में स्टाफ क्वार्टरों की बिक्री

5246. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में स्टाफ क्वार्टरों की बिक्री शुरू हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्वार्टरों की बिक्री हेतु विद्यमान मानदंड क्या हैं और प्रति क्वार्टर बिक्री मूल्य क्या हैं;

(ग) बेचे जा रहे क्वार्टरों के निर्माण वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिक बिक्री मूल्य के कारण क्वार्टर वांछित संख्या में नहीं बेचे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र की बस्ती में क्वार्टर्स 33 वर्षों के पट्टे पर दिए जा रहे हैं, जिनका नवीकरण आगे दो बार इतनी ही अवधि के लिए किया जा सकता है।

(ख) यह योजना कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों तथा मृत कर्मचारियों के पति या पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी के लिए उपलब्ध हैं।

पट्टे का प्रीमियम फ्लैट की किस्म/श्रेणी तथा संबद्ध भूमि की प्रमात्रा के आधार पर 400 से 450 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच है।

(ग) फ्लैट 11 से 33 वर्ष पुराने हैं।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। अधिक मूल्य भी एक कारण माना गया है।

[अनुवाद]

गृह कर/सम्पत्ति कर की वसूली

5247. **श्री रामजी मांझी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा उन सम्पत्तियों, जिन पर गृह कर/सम्पत्ति कर बकाया था, पर बकाया कर वसूल करने के उद्देश्य से उन सम्पत्तियों की नीलामी करने के बाद कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम दीर्घ अवधि के सम्पत्ति/गृह कर पर ब्याज लगा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सम्पत्तियों की नीलामी से कोई धनराशि वसूल नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रंथ अकादमी

5248. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने में ग्रंथ अकादमी की भूमिका क्या है;

(ख) क्या हिन्दी क्षेत्र में नवगठित राज्यों में ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन राज्यों में इन अकादमियों की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर प्रतिबंध

5249. श्री देवेन्द्र प्रसाद:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 10 के उपखंड विस्थापन के तहत महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण संबंधी प्रतिबंध उठा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) स्थानांतरण दिशानिर्देशों के विस्थापन उपखण्ड 10 के अनुसार अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर न तो कोई प्रतिबंध है और न ही स्थानांतरण दिशानिर्देशों में महिलाओं को विस्थापन से छूट दी गयी है। चूंकि विस्थापन की नीति पिछले वर्ष शुरू की गयी थी और केवल उसी वर्ष महिलाओं को विस्थापन से छूट दी गयी थी। तत्पश्चात् इस विस्थापन से छूट को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

उपहार अग्निकांड

5250. श्री मंजय लाल:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपहार सिनेमा हाल में अग्निकांड की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और जांच के अब तक क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या अग्निकांड हेतु उत्तरदायी लोगों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तत्कालीन उपायुक्त (दक्षिण) को उन कारणों और परिस्थितियों तथा अंतर्ग्रस्त एजेंसियों की चूक यदि कोई हो जिसके कारण आग लगी, की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी संबंधित एजेंसियां अर्थात दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की लाइसैंसिंग ब्रांच, दिल्ली अग्निशमन सेवाएं और उपहार सिनेमा के प्रबंधन सहित दिल्ली नगर निगम अपने भूल-चूक के कृत्यों, जिस कारण हादसा हुआ, के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 8 लोक सेवकों सहित 16 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है और मामला न्यायाधीन है।

(ङ) दिल्ली के सभी सिनेमाघरों की संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के एक दल द्वारा इस बात की नियमित रूप से संयुक्त जांच की जाती है कि सिनेमाघरों में कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है/कमियां तो नहीं हैं।

(च) से (ज) दो मामलों को छोड़कर, हादसे में अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को एक लाख रुपए की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में मोटलों का निर्माण

5251. श्री किशन सिंह सांगवान:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटलों के निर्माण हेतु वर्ष 1995 में अथवा किसी और समय पर राजपत्र अधिसूचना जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों में मोटलों की अनुमति दी गई है और कितने आवेदकों ने भवन योजनाएं जमा की हैं और नाम-वार, आंकड़ा-वार और क्षेत्रवार योजना अनुमति शुल्क कितना है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन उपनियम, 1983 के खंड 6.7.4 के तहत मोटलों के निर्माण हेतु स्वीकृत अथवा स्वीकृत की जाने वाली भवन योजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मोटलों के स्वामियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भवन उपनियम 1983 के खंड 6.7.4 के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस दिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सरकार ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटलों की अनुमत्यता दिनांक 16.6.95 की गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की है। इसके अलावा दिशानिर्देश 13.1.99 को जारी किए गए।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई मोटलों की प्लानिंग अनुमति के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग अनुभाग को 4 मोटलों के बिल्डिंग प्लांस प्रस्ताव, प्लानिंग अनुमति शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रस्तावित मोटलों के किसी भी बिल्डिंग प्लान को न तो स्वीकृति दी गई है और न ही स्वीकृति दी जानी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों का विस्तार

5252. श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रचालन क्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जिसमें संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल होगा, में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों को टीवी सैटों की आपूर्ति

5253. श्री कोलुर बसवनागौड़:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार की ओर से 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की योजना के तहत राज्य के स्कूलों में रंगीन टीवी सैटों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए राज्य ने कितनी राशि की मांग की थी और अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) इस योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्कूल लाभान्वित हुए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने स्कूलों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें 2000-2001 के दौरान उसके स्कूलों को 1000 रंगीन टेलीविजन देने की मांग की गई थी। वर्ष 2001-2002 के लिए अभी तक इस राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक सरकार ने 112.50 लाख रु. की राशि की मांग की थी। तथापि योजना के अनुसार भारत सरकार ने 1000 टेलीविजन सेटों के लिए प्रति टेलीविजन सेट 11990 रु. की दर से केन्द्र सरकार के 75 प्रतिशत हिस्से के रूप में 8992500 रु. संस्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार के पास पड़ी 1810515 रु. की खर्च न हुई राशि को समायोजित करने के बाद 7181985 रु. की राशि दी गई थी।

(ग) 1998-99 के दौरान कर्नाटक के 802 स्कूल इस योजना के अधीन शामिल किए गए हैं। 1999-2000 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 1000 स्कूलों को इस प्रयोजनार्थ संस्वीकृति दी गई है।

कर मुक्त बांड जारी करना

5254. डा. वी. सरोजा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हडको द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए करमुक्त बांड जारी करके निधियां जुटाने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) को समय-समय पर करमुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी और इसके द्वारा 2513.56 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-2002 के दौरान हडको को गुजरात में भूकम्प के बाद मकानों और अवस्थापना के पुनर्निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये के गुजरात पुनर्निर्माण बाण्ड नामक करमुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

करमुक्त बांडों के माध्यम से आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा जुटाई गई राशि का ब्यौरा

वर्ष	(राशि करोड़ रुपये में)
1987-88	41.56
1988-89	80.00
1989-90	250.00
1990-91	575.00
1991-92	300.00
1993-94	204.50
1994-95	174.00
1995-96	273.50
1996-97	100.00
1997-98	100.00
1998-99	165.00
1999-2000	150.00
2000-2001	100.00
कुल	2513.56

जे.एन.यू. परिसर में छात्रावास

5255. श्री अबुल हसनत खां: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे.एन.यू. परिसर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सहायता से तीन छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा होने पर उनमें केवल इन्हीं वर्गों के छात्रों को रखा जाएगा;

(ग) परिसर में छात्रावासों की अद्यतन मांग कितनी है; और

(घ) इनके निर्माण हेतु निधि संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 400 कमरों वाले तीन छात्रावासों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन छात्रावासों में से जनजातीय छात्राओं और छात्रों के लिए दो छात्रावासों हेतु अनुदान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, विश्वविद्यालय न केवल सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों अपितु दिल्ली से बाहर के सभी छात्रों, जिनमें अन्य वर्गों के छात्र भी शामिल हैं, को छात्रावास सुविधाएं प्रदान कर पायेगा।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के छात्रों व छात्राओं के लिए दो छात्रावासों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और इस वर्ग के सभी छात्रों को इन छात्रावासों सहित विभिन्न छात्रावासों में पहले ही छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। इन दो छात्रावासों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 90 प्रतिशत निधियां प्रदान की गई हैं और शेष 10 प्रतिशत निधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता बंद किया जाना

5256. श्री सुरेश पासी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण संबंधी योजनाओं को और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं शुरू करने का है;

(घ) क्या पूर्वोक्त योजनाओं के बंद होने से लोगों के प्रभावित होने की आशंका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से वैकल्पिक कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीपीडब्ल्यूडी में ठेका प्रणाली

5257. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सीपीडब्ल्यूडी में ठेका प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ठेका प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बड़ी संख्या में कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कार्य बल की संख्या को देखते हुए नियमित आधार पर कर्मियों को लगाना और स्थापना लागत को बढ़ाना विवेकपूर्ण नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त कारणों से ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

डीडीए फ्लैटों का गिरना

5258. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने घटिया निर्माण के कारण राजधानी में कुछ डीडीए फ्लैटों के गिरने के संबंध में कोई कार्यवाही/जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसे 8 मामलों में 32 कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी। 6 कार्मिकों पर बड़ी शास्ति लगाई गई थी, 7 कार्मिकों पर छोटी शास्ति लगाई गई थी, 2 कार्मिकों के खिलाफ मामले बंद कर दिये गये हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और 4 मामले अनुशासनिक कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, 9 मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश हैं तथा 4 मामलों में संबंधित विभागों को मसौदा आरोप-पत्र भेजे गए हैं, क्योंकि ये कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर थे।

सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं घोषित किया जाना

5259. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष घटक योजना

5260. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा के नीचे कितने व्यक्ति जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनमें से विशेष घटक योजना, आई.आर.डी.पी. और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कितने व्यक्तियों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिया गया है और सरकारी राजसहायता दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने घटक योजना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत और अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) 1999-2000 के गरीबी अनुमानों (30 दिन रिकॉल आधार पर) के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 2602.50 लाख है।

(ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) तथा इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) ऐसे प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष घटक योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

लाभान्वित अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या

क्र.सं.	योजना का नाम	इकाई	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आई आर डी पी/एस जी एस वाई	लाभार्थी/ स्वरोजगारी	565552	278938	319145	36362 (जून, 01 तक)

1	2	3	4	5	6	7
2.	जे आर वाई/जे जी एस वाई	लाख श्रमदिन	1345.49	936.07	333790*	17416* (जून, 01 तक)
3.	ई ए एस	लाख श्रमदिन	1478.75	990.29	714.47	47.73 (जून, 01 तक)
4.	आई ए वाई	निर्मित आवास	40978	428059	359395	5979 मई, 01 तक)

(*) कार्यों की संख्या

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाले अनु. जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 1999-2000 में 278938, 2000-2001 में 319145 तथा 2001-2002 (जून, 2001 तक) में 36362 थी।

(घ) और (ङ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है 50% स्वरोजगारी अनु. जाति/अनु. जनजाति के होंगे जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वार्षिक आबंटन का 22.50% अनु. जातियों/अनु. जनजातियों की व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित है। इंदिरा आवास योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ निधियों का 60% इस्तेमाल किया जाना है। सुनिश्चित रोजगार योजना, जो सभी ग्रामीण गरीबों के लिए हैं, में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हैदराबाद में एक जिओ-स्पेशल टैक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना

5261. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हैदराबाद में जिओ-स्पेशल टैक्नोलोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हैदराबाद में एक जिओ-स्पेशल टैक्नोलोजी इन्स्टीच्यूट की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का विनियमन

5262. **श्री शिवाजी माने:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए बड़े प्रयास शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में इन उत्पादों की गुणवत्ता का विनियमन करने के लिए विशेषज्ञता या बुनियादी सुविधाएं लगभग नगण्य हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। सभी जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थों का देश में उनके व्यावसायिक विपणन की अनुमति देने से पूर्व भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियमावली 1989 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से उनका मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्योगज डी एन ए सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांत 1990 में बनाए गए और बाद में 1994 और 1998 में इनका संशोधन किया गया। मार्गदर्शी सिद्धांतों में

मानव एवं पशुओं में जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थों के प्रतिकूल प्रभावों का, यदि कोई हो तो, मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण अपेक्षाएं शामिल हैं। जैव सुरक्षा के लिए एक तीन स्तरीय तन्त्र क्रियान्वयनाधीन है। मानिटर करने, मूल्यांकन करने एवं विभिन्न प्रस्तावों की अनुशंसा करने के लिए 145 संस्थागत जैव सुरक्षा समितियां, आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति एवं आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है। भारत सरकार ने अभी तक देश में किसी आनुवंशिक संवर्धित खाद्य पदार्थ के विपणन की अनुमति नहीं दी है।

(ग) से (ङ) जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थ विश्व भर में नये खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विशेषज्ञता धीरे-धीरे सृजित हो रही है। गत एक दशक से आधुनिक अवसंरचना के सृजन के साथ भारतीय विशेषज्ञता लगातार सुदृढ़ हो रही है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली मे एक पराजीनी संरक्षण सुविधा स्थापित की गई है। आनुवंशिक जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों एवं उत्पादों के परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक पद्धतियों के विकास पर अनुसंधान परियोजनाएं बनाई गई हैं।

विधवाओं के लिए पुनर्वास योजना

5263. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वृंदावन गई विधवाओं के लिए कोई पुनर्वास योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे: (1) वृंदावन की उन विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जाये, जो पश्चिम बंगाल वापस नहीं जाना चाहती हैं; (2) वृद्धावस्था गृहों की स्थापना की जाये; और (3) वृंदावन में रह रहीं पश्चिम बंगाल की वंचित महिलाओं के कल्याण की देख-रेख के लिए मथुरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक न्यास की स्थापना की जाये, जिसमें केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हों। उन्होंने यह भी सूचित किया है वे पश्चिम बंगाल के उन जिलों में जन-जागरण अभियान चलाएंगे, जहाँ से ये विधवाएं वृंदावन गयी थीं।

जहाँ तक पेंशन देने का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वृंदावन क्षेत्र की विधवाओं को, जिनमें बंगाली महिलाएं भी शामिल हैं, 125 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

वृद्धावस्था गृहों के मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन में दो भवन किराए पर लिए हैं, जिसमें से प्रत्येक में 250 विधवाओं को ठहराने की व्यवस्था है। कुछ स्वैच्छिक संगठन भी वृंदावन की वंचित महिलाओं के लिए वृद्धावस्था गृहों का संचालन कर रहे हैं। न्यास की स्थापना करने के पश्चिम बंगाल सरकार के सुझाव को सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पास टिप्पणियों/सलाह हेतु भेजा जा चुका है।

जहाँ तक जागरूकता पैदा करने का संबंध है, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पश्चिम बंगाल के उन 8 जिलों में, जहां से ये विधवाएं उत्तर प्रदेश को पलायन कर रही हैं, पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से जागरूकता विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उक्त 8 जिलों में 102 जागरूकता विकास शिविरों को संस्वीकृति दे दी गयी है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर की एक मस्जिद में आतंकवादी

5264. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर की एक मस्जिद में छिपे हुए आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 30.7.2001 को मार गिराया/घायल कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना में कुछ सुरक्षा बल/नागरिक भी मारे गए/घायल हो गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस घटना के पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 30.7.2001 को हिजबुल मुजाहिद्दीन के जिन आतंकवादियों ने बारामुल्ला के गोइगाम तंगमार्ग में मस्जिद पर कब्जा कर लिया था उन्हें सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर जवाबी गोलीबारी की गई। आगे मुठभेड़ में छुपे हुए सभी तीनों आतंकवादी मारे गए।

(ग) और (घ) इस घटना में सुरक्षा बलों की जान की कोई हानि सूचित नहीं की गई।

(ङ) मारे गए सभी तीनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिद्दीन के थे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्यत्र लगाया जाना

5265. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्य राज्यों में ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद के प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरी शिक्षा

5266. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही इंजीनियरी शिक्षा और उद्योगों द्वारा व्यावसायिक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से की जाने वाली आशाओं के बीच भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, नहीं। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इंजीनियरी पाठ्यक्रमों को अनवरत रूप से अद्यतन बनाया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है।

[हिन्दी]

दवाओं का मूल्य

5267. श्री रामपाल सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय के आदेश के बावजूद दवाओं के बढ़ते मूल्यों पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दवाओं के मूल्यों पर तत्काल नियंत्रण के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत औषधियों के मूल्यों को विनियमित किया जाता है। जब और जहां आवश्यकता हो, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक शपथ-पत्र दायर किये जाते हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक परिसरों की इकाइयों का मूल्य

5268. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक परिसरों की इकाइयों के मूल्य निर्धारण के संबंध में "हानि-लाभ रहित", "किफायती दर" और "आरक्षित मूल्य" के बीच मौलिक अंतर क्या है; और

(ख) तीनों प्रकार के मूल्यों का आकलन और गणना करने के लिए क्या फार्मूला और प्रणाली अपनायी जाती है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो

दिल्ली में वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण और निपटान में अहम भूमिका निभाता है, ने सूचित किया है कि दिल्ली में विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक परिसरों के निपटान को शासित करने वाले नियमों/विनियमनों में ''बिना लाभ बिना हानि'' और ''आर्थिक दर'' की कोई अवधारणा नहीं है। तथापि ''आरक्षित कीमत'' वह कीमत है जिससे नीचे दिल्ली विकास प्राधिकरण नीलामी अथवा निविदा में बोली को स्वीकार नहीं करेगा।

(ख) सुविधाजनक शापिंग केन्द्रों (सीएससी) और स्थानीय शापिंग केन्द्रों (एलएससी) में निर्मित वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए ''आरक्षित कीमत'', सीएससी और एलएससी की निर्मित वाणिज्यिक सम्पत्तियों की ठीक उससे पूर्ववर्ती वर्ष में औसत नीलामी दर से 10% घटाकर निश्चित की जाती है बशर्ते कि इस प्रकार निश्चित की गई आरक्षित कीमत अधिग्रहण लागत तथा विकास की लागत से कम न हो।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अतिरिक्त सतही जल का उपयोग

5269. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अतिरिक्त सतही जल के उपयोग के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव/परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना/प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार से बंसवाड़ा, डुंगरपुर, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ के जिलों में 1417 रोक बांधों, 730 लिफ्ट सिंचाई तथा 847 परिस्रवण तालाबों का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए 413.45 करोड़ रु. की राशि का राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए लघु भूतल जल संसाधनों के विकास हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत राज्य सरकार के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया गया था। जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई थी, कुछ योजनाओं को अर्थात् लघु सिंचाई तथा सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई को राज्य को आवंटित राशि के अंतर्गत अनुमोदित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

लम्बाड़ा आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना

5270. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बाड़ा आदिवासियों को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर्जा दिया गया है और इन्हें अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें पूरे देश में 'लम्बाडा' नाम देकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में लम्बाड़ा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जबकि लम्बाड़ा समुदाय को आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उड़ीसा राज्य सरकार के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसा इसलिए है कि एक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती हैं।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अपेक्षित है, संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश के अभाव में समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्थानांतरित करने पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

असम के जनजातीय बहुल पिछड़े जिलों का विकास

5271. श्रीमती रानी नरह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा के जनजातीय बहुल जिलों में पशुधन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत लाए जाने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की जाएगी और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य को योजनावार कितनी राशि आवंटित किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार, यह विभाग असम के जनजातीय बहुल जिलों में पशुधन विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं कर रहा है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विकास ने नौवीं योजना के लिए कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया है। राज्य सरकारों को निधियां उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। तथापि, सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पशुपालन और डेयरी विभाग असम तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल बजटीय आवंटन का दस प्रतिशत आवंटित करता है। नौवीं योजना के दौरान अब तक असम सरकार के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम में निधियों की योजनावार निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

योजना का नाम		की गई निर्मुक्तियां			
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1.	समेकित सुअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	63.50	0.00	0.00
2.	मुर्गी/बतख फार्म के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	45.00	0.00
3.	पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	0.00	50.00	0.00	4.00
4.	व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास	0.00	0.00	0.00	12.00
5.	पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	0.00	0.00	26.66	23.34
6.	कसाईघरों/सी यू सी का आधुनिकीकरण/सुधार	0.00	0.00	13.54	0.00
7.	पशुधन उत्पादन हेतु समेकित प्रतिदर्श सर्वेक्षण	5.00	1.50	6.00	5.40
8.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	10.60	0.00	0.00	0.00

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

5272. श्री मानसिंह पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुर्मी जनजाति

5273. श्री राम टहल चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के दक्षिणी और आधुनिक समय के झारखंड में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जाति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इसे अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अपेक्षित है, राज्य सरकार की सिफारिश के अभाव में समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

देश में विदेशियों के दौरे

5274. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अरुण कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 2001 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित विदेशी व्यक्तियों से संबंधित आदेश के बारे में समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत का दौरा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच उचित समन्वय न होने के कारण विदेशी आगंतुकों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ङ) क्या इस आदेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों और हमारे देश में उनके मेजबानों और संबंधियों ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया जाहिर की है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से तात्कालिक उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) नेपालियों और भूटानियों का छोड़कर सभी विदेशी राष्ट्रिकों के पास विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी वैद्य वीजा होना चाहिए। अधिकांश मामलों में, भारत सरकार ने भारतीय मिशनों को गृह मंत्रालय की क्लीयरैंस लिए बिना वीजा जारी करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) से (छ) जी हां, श्रीमान्। लोक आलोचना के कारण, विदेशियों विषयक (पुलिस के समक्ष उपस्थित होना) आदेश, 1971 की पुनरीक्षा की गई। संशोधित आदेश 7.8.2001 को जारी कर दिया गया है। संशोधित आदेश में, यदि किसी व्यक्ति के परिसर में कोई विदेशी व्यक्ति मौजूद हो और उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण हो कि ऐसे विदेशी ने बिना किसी वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया है या वह ठहरने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरा हुआ है तो, 24 घंटे के भीतर, नजदीक के पुलिस स्टेशन में इस बारे में सूचना देने की जिम्मेवारी प्रत्येक उस व्यक्ति पर डाली गई है जिसके परिसर में वह विदेशी मौजूद हो।

जनगणना में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में अलग से जानकारी एकत्र न किया जाना

5275. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में जनगणना में अलग से जानकारी नहीं एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 1951 से लेकर अब तक की सभी जनगणनाओं में सांविधिक आवश्यकता के अनुसार जनगणना संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। भारत की जनगणना, 2001 में भी पहले की भांति अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

5276. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में ग्रामीण विकास संबंधी कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने संगठनों को काली सूची में रखा गया है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस प्रयोजन के लिए आबंटित राशि का ठीक ढंग से उपयोग किया जाए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड

5277. श्री ताराचंद साहू: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, जो कि भारत रिफ्रक्ट्रीज लिमिटेड की इकाई है, पिछले 8 महीनों से बंद पड़ी है और इसके कर्मचारियों को इस अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई में उत्पादन पुन: आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों को देय वेतन की राशि के भुगतान के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस इकाई में उत्पादन पुन: प्रारंभ करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) जी, हां। भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बी आर एल) की एक इकाई भिलाई रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (बी आर पी) पिछले 10 माह से कार्यरत नहीं है और कामगारों को जनवरी, 2001 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

कंपनी को व्यवहार्य बनाने के लिए एक पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी देयताओं के निर्वहन में सक्षम हो सकेगी।

जल संरक्षण संबंधी उपबंध

5278. डा. अशोक पटेल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-जल के घटते स्तर को सुधारने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित मकानों को भी जल संरक्षण संबंधी उपबंधों के अधीन लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शहरी विकास मंत्रालय में भवन उप-नियम, 1983 में प्रावधान करके, 100 वर्ग मी. और उससे अधिक के प्लाटों पर निर्मित सभी नए भवनों के लिए बरसाती पानी के बहाव को रोक कर जल संग्रह की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है, ताकि भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाया जा सके।

(ख) दिनांक 28.7.2001 की अधिसूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ये उपांतरण/संशोधन, अधिसूचना की तारीख से लागू हो गये हैं।

विवरण

भारत का राजपत्र: असाधारण
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 28 जुलाई, 2001

सं.आ. 730-यतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में बनाए जा रहे भवनों में बरसाती पानी का अपवाह रोककर पानी एकत्र करने का प्रावधान हो ताकि भूमिगत जलाशय फिर से भरते रहे, भवन निर्माण उप नियमावली 1983 में समुचित प्रावधान करने के मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अत: इस संबंध में निम्नांकित उपांतरण/परिवर्द्धन, जिन्हें केन्द्र सरकार भवन निर्माण उप नियमावली 1983 में करने का प्रस्ताव करती है, दिनांक 20 जून, 2001 की सार्वजनिक सूचना द्वारा जनता की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे और जिनके लिए दिनांक 30.6.2001 को प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए थे। कुल मिलाकर पांच आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनकी नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जांच की गई;

अत: केन्द्र सरकार ने रिपोर्ट पर ठीक से विचार करने के बाद भवन निर्माण उप नियमावली 1983 में निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय किया है;

अत: अब केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन निर्माण उप नियमावली, 1983 में एतद्द्वारा निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करती है:

उपांतरण:

1. भवन निर्माण उप नियमावली 1983 का खंड 22.4 भाग 3 (संरचनात्मक सुरक्षा तथा सेवाएं)

2. 22.4.1-100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के प्लाटों पर बने सभी नए भवनों में बरसाती पानी सहित बरसाती पानी के अफवाह को एकत्र करके पानी इकट्ठा करना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकायों को प्रस्तुत नक्शों में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ भूमि जलाशयों अथवा रिचार्ज कुओं में बरसाती पानी इकट्ठा करने के स्थान भी दिखाए जाएं। ये प्रावधान केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचना (सूचनाओं) के अनुसार लागू होंगे।

3. 22.4.2 वे सभी भवन जिनमें प्रतिदिन न्यूनतम 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक पानी की निकासी होती है, गंदे पानी के पुन: प्रयोग की प्रणाली लगाएंगे। संसाधित पानी का प्रयोग बागवानी प्रयोजनाओं के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी: ये उपांतरण/परिवर्तन अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

सं. एन-11011/9/98-डीडी VI (पार्ट)/डीडीबी
देवेन्द्र कुमार गोयल, अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक—क

प्रमाणपत्र: नक्शे प्रस्तुत करते समय भवनों के नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए:

प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शे जल संग्रह आवश्यकताओं और धारा 22.4.1, 22.4.2 के अंतर्गत यथा उल्लिखित गंदे पानी की न्यूनतम अनुमानित निकासी की संतुष्टि करते हैं और उसमें दी गई सूचना हमारी जानकारी तथा विवेक के अनुसार तथ्यत: में सही है।

मालिक के हस्ताक्षर और तारीख	वास्तुकार के हस्ताक्षर और तारीख
नाम स्पष्ट अक्षरों में	नाम स्पष्ट अक्षरों में
पता:	पता:

[अनुवाद]

रसायनों का उत्पादन

5279. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसायनों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कितनी रासायनिक इकाइयों की स्थापना की गई;

(ग) क्या सरकार इन इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को किसी प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) 1997-98 से 1999-2000 तक मानीटर किए गए रसायनों की वृद्धि और उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर सभी रासायनिक उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। अत: उद्यमी निम्नलिखित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन रूट अपनाकर, संबंधित राज्य सरकार से स्थान संबंधी स्वीकृति लेकर, यदि कोई हो, रासायनिक उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

औद्योगिक और एक्जिम नीति के अंतर्गत रासायनिक इकाई स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

विवरण

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	उत्पादन (000 टन)				वृद्धि%		
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98/ 1996-97	1998-99/ 1997-98	1999-00/ 1998-99
1.	अल्कली रसायन	3479	3610	3598	3777	3.8	-0.3	5.0
2.	अकार्बनिक रसायन	382	323	340	358	-15.4	5.3	5.3
3.	कार्बनिक रसायन	1022	1100	1057	1153	7.6	-3.9	9.1
4.	तक. पेस्टिसाइड	98	85	92	91	-13.3	8.2	-1.1
5.	रंजक व रंजक पदार्थ	33	36	30	28	9.1	-16.7	-6.7
	कुल रसायन	5014	5154	5117	5407	2.8	-0.7	5.7

[हिन्दी]

मणिपुर में हिंसा की घटनाएं

5280. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में हुई बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाओं में कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राज्य विधान सभा की इमारत और कई राजनीतिक नेताओं के घरों को आग लगा दी गई। कुछेक राजनीतिक दलों के कार्यालयों में लूटपाट की गई और उन्हें आगजनी के कारण आंशिक रूप से क्षति पहुंची। जिला योजना कार्यालय और कुछेक वाहनों को भी आग लगा दी गई। राज्य लोक निर्माण विभाग, मणिपुर द्वारा क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति का आकलन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नागालैंड में उग्रवाद

5281. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागालैंड में चल रहे उग्रवाद के संबंध में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) नेतृत्व से वार्ता करने के लिए हाल में कोई दूत एम्स्टरडम भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नगा उग्रवादियों के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए कोई नई पहल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कोई नया कदम उठाने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) भारत सरकार और एन एस सी एन (आई एम) के बीच शांति वार्ता मई, 1997 से चल रही है। इस शांति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार के प्रतिनिधि ने एन एस सी एन (आई एम) के साथ हाल ही में 4-5 अगस्त, 2001 को अमस्टर्डम में बातचीत की। वार्ता, सुरक्षा बलों और एन एस सी एन कार्यकर्ताओं के बीच अभियान स्थगन को जारी रखने और संघर्ष विराम को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने पर केन्द्रित रही। एन एस सी एन के साथ वार्ता जारी रखी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शांति लगातार बनी रहे, उपायों पर विचार-विमर्श करने और संघर्ष विराम प्रबोधन ग्रुप को अधिक प्रभावी बनाने के अतिरिक्त यह प्रस्ताव किया गया कि भविष्य में होने वाली वार्ता में वास्तविक मुद्दों पर भी विचार होना चाहिए।

(ङ) और (च) संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श प्रक्रिया तब शुरू की जाएगी जब आवश्यक समझा जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं

5282. डा. संजय पासवान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अधिकृत किए जाने हेतु विचाराधीन अनधिकृत कॉलोनियों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कॉलोनियों के निवासियों को किसी भी प्रकार की बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी सं. 4771/1994-कामन काज (पंजीकृत) सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिए दिनांक 19.8.1994 के आदेश के तहत अनधिकृत कालोनियों में बिजली व पानी आपूर्ति की अनुमति दी थी तथा दिनांक 17.8.1998 और 1.9.1998 के आदेश के तहत निजी भूमि पर बनी अनधिकृत कालोनियों में सड़कों व नालियों के निर्माण की अनुमति दी। ऐसी नागरिक सुविधाएं एम सी डी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि द्वारा उपलब्ध की जा रही हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में नई जनजातियों का शामिल किया जाना

5283. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनेक नई अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने हेतु कोई नई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार इन जनजातियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ जनजातियों के नाम सूची से हटाए हैं और उनकी स्थिति में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जन शिक्षण संस्थान

5284. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, विशेषतौर पर महाराष्ट्र में इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन कौन से हैं; और

(घ) इन संगठनों को राज्यवार कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) जन शिक्षण संस्थान की श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' के लिए वार्षिक आवर्ती वित्तीय सहायता को 1.4.2000 से क्रमश: 35.00 लाख रु., 30.00 लाख रु. तथा 25.00 लाख रु. तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त 1.4.2000 से जन शिक्षण संस्थान की श्रेणी 'क' के लिए एकमुश्त गैर-आवर्ती वित्तीय सहायता 15.00 लाख रु. और श्रेणी 'ख' और 'ग' के लिए 10.00 लाख रु. तक बढ़ा दी गई है।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली जन शिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण तथा उन्हें जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में जन शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जन शिक्षण संस्थान	संस्वीकृत अनुदान की राशि (लाख रु. में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद	10.00
2.	गुंटूर	8.00
3.	विशाखापटनम	8.00
4.	विजयवाड़ा	8.00
5.	रंगारेड्डी	8.00
6.	काकीनाड़ा	6.00
7.	ओंगोले	6.00
8.	तिरुपति	6.00
असम		
9.	सिल्चर	6.00
बिहार		
10.	गया	6.00
11.	पटना	6.00
12.	दरभंगा	6.00
छत्तीसगढ़		
13.	रायपुर	6.00
दिल्ली		
14.	जहांगीरपुरी, दिल्ली (प्रयास)	6.00
गोवा		
15.	पूर्वोरिम	16.50
गुजरात		
16.	अहमदाबाद	8.00
17.	सूरत	8.00
18.	बड़ोदरा	8.00
19.	भरूच	6.00
हरियाणा		
20.	सिरसा	6.00
21.	सोनीपत	6.00
जम्मू और कश्मीर		
22.	जम्मू	8.00

1	2	3
झारखंड		
23.	धनबाद	6.00
24.	जमशेदपुर	8.00
कर्नाटक		
25.	बंगलौर	10.00
26.	मैसूर	8.00
27.	टुमकुर	6.00
28.	कारवाड़	6.00
29.	रायचूर	6.00
30.	शिमोगा	6.00
31.	कोलार	6.00
केरल		
32.	तिरुवनन्तपुरम	8.00
33.	कालीकट	6.00
34.	त्रिचुर	6.00
35.	कोट्टायम	6.00
मध्य प्रदेश		
36.	इन्दौर	8.00
37.	सतना	6.00
38.	उज्जैन	6.00
39.	रतलाम	6.00
40.	भोपाल	6.00
41.	गुना	6.00
42.	मुरैना	6.00
43.	भिण्ड	16.50
महाराष्ट्र		
44.	वर्ली	10.00
45.	धारावी	10.00
46.	औरंगाबाद	8.00
47.	पुणे	8.00
48.	नासिक	6.00
49.	सिंधुदुर्ग	6.00
उड़ीसा		
50.	राउरकेला	8.00
51.	कटक	8.00
52.	भुवनेश्वर	6.00
53.	क्योंझार	6.00
54.	अंगुल	6.00
पंजाब		
55.	मोहाली	6.00
राजस्थान		
56.	अजमेर	8.00
57.	कोटा	8.00
58.	जयपुर	8.00
59.	जोधपुर	8.00
60.	बीकानेर	6.00
तमिलनाडु		
61.	चेन्नई	10.00
62.	कोयम्बटूर	8.00
63.	मदुरै	8.00
64.	तिरुचिरापल्ली	8.00
65.	रामनाथपुरम	6.00
उत्तर प्रदेश		
66.	कानपुर	8.00
67.	लखनऊ	8.00
68.	गाजियाबाद	6.00

1	2	3
69.	फैजाबाद	6.00
70.	वाराणसी (बैरागी शिक्षा संस्थान)	6.00
71.	वाराणसी	6.00
72.	उन्नाव	6.00
73.	इलाहाबाद (इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च)	6.00
74.	इलाहाबाद (डा. अम्बेडकर वेल्फेयर सोसायटी)	6.00
75.	बस्ती	6.00
76.	अम्बेडकर नगर	6.00
77.	सुल्तानपुर	6.00
78.	जौनपुर	6.00
79.	प्रतापगढ़	6.00
80.	बाराबंकी	6.00
81.	गोंडा	6.00
82.	बांदा	6.00
पश्चिम बंगाल		
83.	नरेन्द्रपुर	8.00
84.	हल्दिया	6.00
85.	जलपाइगुड़ी	6.00
संघशासित क्षेत्र		
चंडीगढ़		
86.	चंडीगढ़	8.00

अन्नपूर्णा योजना की उपलब्धियां

5285. श्री साहिब सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है जो हालांकि पात्र हैं किन्तु राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्यारह राज्यों में योजना का कार्यान्वयन हुआ। वर्ष 2000-01 के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु नामक छह राज्यों ने सूचित किया है कि वे योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

वर्ष 2001-2002 के दौरान उपर्युक्त 11 राज्यों के अलावा, बिहार सरकार ने भी सूचित किया है कि वे 1,66,601 लाभार्थियों को कवर कर रहे हैं। उपर्युक्त 6 राज्यों को छोड़कर बकाया राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। इन राज्यों को योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है।

विवरण

अन्नपूर्णा योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किए गए लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	93,200
2.	हिमाचल प्रदेश	3426
3.	केरल	44,980
4.	उड़ीसा	5,1176
5.	राजस्थान	5,3869
6.	उत्तर प्रदेश	206870
7.	उत्तरांचल	12609
8.	मिजोरम	1000
9.	नागालैण्ड	2600
10.	सिक्किम	2411
11.	त्रिपुरा	11480
	कुल	483621

तस्करी की गतिविधियां

5286. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंगलादेश संबंध संबंधी अनुसंधान केन्द्र ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के तस्करों के बीच गुप्त संबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पर्दाफाश किया गया है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल क्षेत्र तक फैले दीर्घ सीमावर्ती-क्षेत्र से होकर, भारत से प्रतिदिन 2500 मवेशी तस्करी के जरिए बंगलादेश भेजे जाते हैं तथा सीमा सुरक्षा बल कर्मी, स्थानीय पंचायत सदस्य तथा पुलिस इस घृणित कार्य में संलिप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्। भारत-बांग्लादेश संबंध संबंधी अनुसंधान केन्द्र ने ''भारत-बांग्लादेश की सीमाओं से पशुओं की तस्करी'' नामक एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत से पशुओं की तस्करी के बारे में आरोप लगाए गए हैं।

(ख) और (ग) बांग्लादेश को प्रतिदिन तस्करी किए जाने वाले पशुओं की संख्या के बारे में सही-सही आंकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं है। भारत की बांग्लादेश के साथ लम्बी और सुभेद्य सीमा है। केन्द्र सरकार ने पशुओं और सामान की तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया है। सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की संलिप्तता के व्यक्तिगत मामले समय-समय पर सूचित किये जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और नियम के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी-तटीय सीमा, दोनों पर गश्त गहन करना, सीमा सड़क का निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी उपकरणों की व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों के आसपास सुरक्षा

5287. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री आवास के नजदीक नियमित रूप से लगी रहने वाली सी.एन.जी. रीफिलिंग संबंधी लम्बी लाइनों के कारण गंभीर सुरक्षा संबंधी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में दूसरे खुदरा विक्रय केन्द्रों पर इसी प्रकार की लम्बी कतारों के कारण भेष बदलकर आने वाले उग्रवादियों से भी खतरा हो सकता है;

(घ) क्या किसी भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों से बचने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं कि इस क्षेत्र में सुरक्षा भंग न हो।

(ग) से (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सी एन जी पम्पों पर लगने वाली लम्बी कतारों से सुरक्षा को कोई खतरा न हो, दिल्ली पुलिस ने सी एन जी स्टेशनों के नजदीक पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ियों की गस्त गहन कर दी है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय पुलिस को इस प्रकार की स्थितियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ब्रीफ किया गया है।

[हिन्दी]

डी.सी.टी.ई. में प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के रिक्त पद

5288. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला अध्यापक शिक्षण परिषद के अधीन प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) जिला अध्यापक शिक्षण परिषद के कार्य संचालन को सुचारू बनाने के लिए रिक्त पदों को भरे जाने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जिला अध्यापक शिक्षण परिषद के कार्यकरण का मूल्यांकन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) मंत्रालय के अधीन ऐसा कोई संगठन नहीं है। इसलिए उसमें रिक्त पदों को भरने अथवा उसके कार्यसंचालन का मूल्यांकन करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में उत्पादन और घाटा

5289. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा निरंतर उठाए जा रहे घाटों के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया;

(घ) प्रति टन औसतन कितने उत्पादन का नुकसान हुआ है और उपभोक्ता को किस मूल्य पर उत्पाद बेचा गया; और

(ङ) उत्पादन लागत और उपभोक्ता विक्रय मूल्य के बीच इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन एफ एल) एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है और अब तक इसे हानि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एन एफ एल की स्थापित उत्पादन क्षमता एवं इसका उपयोग निम्नानुसार है:

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता		%क्षमता उपयोग	
	सीएएन	यूरिया	सीएएन	यूरिया
1998-99	320.0	2805.0	69.4	112.1
1999-2000	320.0	2805.0	48.6	111.8
2000-01	320.0	2805.0	33.5	104.7

(घ) और (ङ) एन एफ एल द्वारा उत्पादित यूरिया का औसत प्रतिधारण मूल्य 1.8.2001 को 8661 रु. प्रति मी. टन है। चूंकि यूरिया सरकार के सांविधिक मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अंतर्गत है, यह किसानों को निर्धारित सांविधिक मूल्य पर जो कि वर्तमान में 4600 रु. प्रति मी. टन है, पर बेचा जाता है।

ईसाइयों पर आक्रमण

5290. श्री रामजीवन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में "देश में निरंतर धमकियों के चलते जी रहे ईसाई" समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज की तारीख में देश में कितने ईसाईयों पर आक्रमण हुए और इनमें जान-माल की कितनी हानि हुई;

(घ) इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी तत्वों/संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का है कि देश में ईसाई समुदाय का जीवन सुरक्षित हो और ये लोग शांतिपूर्ण जीवन जीयें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईसाईयों पर हुए हमलों की घटनाओं की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस प्रकार के हमलों में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। दीनदार अंजुमन, जो एक साम्प्रदायिक संगठन है और वर्ष 2000 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्य में चर्चों में बम विस्फोट के लिए जिम्मेवार हैं, को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण), अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत, 28 अप्रैल, 2001 से विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है।

''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-सूची-2 की प्रविष्टि सं. 1 और 2 में हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने और साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को संकलित करने सहित लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

भारत सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आसूचना का आदान प्रदान करती है और सलाह/सावधान रहने के संबंध में संदेश भेजती है और विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। केवल साम्प्रदायिक तनाव से ही निपटने के लिए त्वरित कार्य बल नामक विशेष बल तैनात किया जाता है। राज्य सरकारों को उनके पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी दी जा रही हैं। इसके अलावा, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर, 1997 में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सरकार का यह स्पष्ट मत है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हिंसा की कार्रवाई से जब कभी और जिस रूप में हो, सख्ती से निपटा जाना चाहिए और हिंसा करने वालों को उदाहरणीय दण्ड दिया जाना चाहिए।

विवरण

1999, 2000 और 2001 (31 जुलाई तक) के दौरान इसाईयों के साथ हुई घटनायें

राज्य	घटनाएं			मारे गए व्यक्ति			जख्मी हुए व्यक्ति		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. और नि. द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	1	–
आंध्र प्रदेश	2	14	3	1	2	–	–	23	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	2	2	1	–	–	–	–	–	–
बिहार	4	11	1	4	2	–	–	6	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	1	1	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	1	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	31	26	8	–	–	–	10	21	2
हरियाणा	3	5	–	–	–	–	1	2	–
हिमाचल प्रदेश	–	2	1	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	1	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	–	–	3	–	–	1	–	–	3
कर्नाटक	1	16	2	–	1	2	–	10	–
केरल	18	25	12	–	–	–	10	7	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	9	13	–	–	–	–	–	3	–
महाराष्ट्र	7	6	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	1	1	–	1	3	–	–	–
मिजोरम	–	3	–	–	1	–	–	3	–
उड़ीसा	14	20	16	4	2	–	43	26	9
पांडिचेरी	1	1	1	–	–	–	–	–	–
पंजाब	1	9	3	–	1	–	–	–	–
राजस्थान	3	3	1	–	–	–	–	–	2
सिक्किम	–	3	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	14	27	21	3	1	1	25	24	16
उत्तर प्रदेश	6	24	7	–	2	1	2	6	3
पश्चिम बंगाल	2	2	–	–	–	–	–	–	–
कुल	120	216	81	12	13	8	91	132	60

[अनुवाद]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से विस्फोटक का गायब होना

5291. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में काम आने वाले विस्फोटकों की एक बहुत बड़ी मात्रा हाल ही में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्फोटकों की ढुलाई बड़ी संख्या में की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. द्वारा यह सूचित किया गया है कि विस्फोटक फैक्टरी से यूनिट मैगजीन तक (एस.ई.सी.एल. की) विस्फोटक के परिवहन की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता की होती है। मैगजीन से उपभोक्ता यूनिट (खान) तक विस्फोटक का परिवहन पर्याप्त सुरक्षा के साथ किया जाता है।

(ङ) और (च) एक स्थानीय समाचार-पत्र में चालानों और विस्फोटकों के गायब होने के संबंध में प्रकाशित समाचार के आधार पर एस.ई.सी.एल. के कोरबा क्षेत्र द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया था कि राजगमर कोलियरी से संबधित चालान गायब हैं। विस्तृत जांच के बाद यह सिद्ध हुआ था कि गायब चालानों के आधार पर कोई विस्फोटक जारी नहीं किया गया था, आपूर्ति और रिकार्ड को नियमित करने हेतु नया चालान जारी किया गया था।

भारतीय बाल कल्याण परिषद

5292. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय बाल कल्याण परिषद के कार्य और इसकी आय के स्रोत क्या हैं;

(ख) वर्तमान में इस परिषद के पास कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में परिषद को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारतीय बाल कल्याण परिषद् एक स्वैच्छिक निकाय है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। यह एक स्वायत्त निकाय है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

* भारत में बाल कल्याण और विकास हेतु सेवाएं शुरू करना और चलाना;
* बच्चों के लाभार्थ कानून बनाने और सुधार लाने के कार्य को बढ़ावा देना;
* बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी, गैर-सरकारी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना; और
* बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी और सूचना का प्रसार करना और समुदाय को शिक्षित करना।

जैसा कि परिषद् ने सूचित किया है, इसके आय के स्रोत इस प्रकार हैं:

(1) भारत सरकार के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकारी अनुदान; और

(2) प्रशासनिक व्यय हेतु परिषद् के न्यास से अनुदान।

(ख) परिषद् ने सूचित किया है कि इस समय उनके द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैं:

(एक) आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम : 127 प्रशिक्षण केन्द्रों की मॉनीटरिंग

(दो) बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम : 8 केन्द्र

(तीन) शिशुगृह कार्यक्रम : 1594 शिशुगृह

(चार) निराश्रित और कामकाजी बच्चों के लिए परियोजना : 6 केन्द्र

(पांच) पर्यवेक्षण गृह कार्य स्कीम : 22 केन्द्र

(छह) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कार्यक्रम

(सात) राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम

(आठ) गुजरात भूकम्प राहत कार्य

(नौ) दत्तक-ग्रहण मामलों की जांच और दत्तक ग्रहण सेवाएं

(दस) राष्ट्रीय सहयोग शिक्षण शिविर कार्यक्रम

(ग्यारह) शिक्षा प्रायोजन कार्यक्रम

(बारह) खिलौना और वस्त्र बैंक।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परिषद् को दिया गया सहायता-अनुदान इस प्रकार है:

वर्ष	रुपये करोड़ों में		
	शिशुगृह स्कीम	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
1998-99	2.94	0.42	0.53
1999-2000	2.63	–	0.33
2000-2001	2.89	0.06	0.84
2001-2002	*	*	*

*पिछले अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

महिला अधिकारिता नीति के लिए मानीटरिंग सेल

5293. श्री रतन लाल कटारिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला अधिकारिता नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए कोई मानीटरिंग सेल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए किन-किन विषयों का चयन किया गया;

(घ) क्या महिलाओं के साथ हो रही वेश्यावृत्ति और हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए इस नीति में सुझावों को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है।

(ग) नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रणालियों के माध्यम से महिला परिप्रेक्ष्यों को विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा में शामिल किया जाये और सत्ता में महिलाओं की समान भागीदारी हो तथा सभी स्तरों पर निर्णय लेने में, जिसमें राजनैतिक प्रक्रियाओं में निर्णय लेना भी शामिल है, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हो। सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभावों के उन्मूलन के लिए नीति में विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, अभिभावकता से संबंधित वैयक्तिक कानूनों तथा सम्पत्ति के अधिकार के मामले में परिवर्तन को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति में यह व्यवस्था है कि मौजूदा विधायी ढांचे की समीक्षा की जाये और यदि आवश्यक हो तो नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों द्वारा अतिरिक्त विधायी उपाय भी किये जायें। महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं का उन्मूलन इस नीति का एक अभिन्न अंग है और नीति में महिलाओं तथा लड़कियों के अवैध देह-व्यापार की समस्या से निपटने के लिए कार्यक्रमों और उपायों पर विशेष बल दिये जाने का भी प्रावधान है।

नई दिल्ली में भट्टियां

5294. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर कुम्हारों की भट्टियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये भट्टियां निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गयी है और ये पर्यावरण में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के पास इन कुम्हारों को उनके व्यवसाय के लिए वैकल्पिक जगह देकर उन्हें अन्यत्र स्थापित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, ग्रामीण मिट्टी, बर्तन उद्योग (भट्टी रहित) को आवासीय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सूचित किया है कि उसे कुछ क्षेत्रों जैसे सैनिक एनक्लेव, विकास नगर ग्राम हस्तासल, उत्तम नगर, दिल्ली-59 और प्रजापति कॉलोनी, उत्तम नगर, दिल्ली में कुछ भट्टियों (मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए उपयोग) को चलाए जाने की जानकारी है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आने वाली भट्टी के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रदूषण की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और उसने घरेलू मिट्टी के बर्तन बनाने की इकाईयों को बन्द करने/अन्यत्र स्थापित करने के लिए कोई विशेष नीति तैयार नहीं की है।

[अनुवाद]

मणिपुर के दागी गैर-सरकारी संगठन

5295. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2000 में जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार भूमिगत गुटों/आतंकवादियों की सांठगांठ से राजनेताओं द्वारा चलाए जाने वाले 15 दागी गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) काली सूची में दर्ज मणिपुर के 197 गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुछ गैर-सरकारी संगठनों को धन जारी किया जाना बंद कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भ्रान्ति दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2000 के दौरान भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से, मणिपुर में गैर-सरकारी संगठनों

को तब तक आगे निधियों के आबंटन को स्थगित करने का अनुरोध किया था जब तक कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निधियों की उपयोगिता का सम्पूर्ण सत्यापन नहीं कर लिया जाता। गृह मंत्रालय ने फरवरी, 2001 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया कि यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि निधियों का सही उपयोग हुआ है तो केन्द्रीय मंत्रालय/केन्द्रीय एजेंसियों अनुमोदित योजनाओं के अनुसार आगे निधियां जारी कर सकती हैं। इसलिए, वे वास्तविक गैर-सरकारी संगठन जिन्होंने निधियों का समुचित रूप से प्रयोग किया है, मंत्रालयों से आगे और निधियां पाने के पात्र हैं। यदि निधियों का उपयोग नहीं किया गया है या दुरुपयोग किया गया है तो केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों को गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना चाहिए और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

तुगलकाबाद क्षेत्र में कालोनियों को तोड़ा जाना

5296. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में उन कालोनियों को भी तोड़ा गया जिन्हें 1908 से पहले बसाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कालोनियों के निवासियों को कोई मुआवजा दिया गया है या उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारत पुरातत्व सर्वेक्षण और दिल्ली नगर निगम, दोनों ने सूचित किया है कि 1908 से पूर्व दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में बनी किसी भी कॉलोनी को गिराया नहीं गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन

5297. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और आगामी वर्षों के लिए इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) मूल्ययोजित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अपने वाणिज्यिक निर्णय और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अपने द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उच्च श्रेणी के इस्पात सहित इस्पात की श्रेणियों की योजना तैयार करते हैं/उनके संबंध में निर्णय लेते हैं। इस संबंध में सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. ने मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है।

आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों को सरकारी आवासों के आबंटन हेतु सेवा काल संबंधी पूल

5298. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आए आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों को सरकारी आवासों के आबंटन हेतु कोई अलग सेवा काल संबंधी पूल है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों की केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आए केन्द्रीय सेवा के प्रथम श्रेणी के अन्य अधिकारियों को ऐसे आवास न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में पहले कोई आश्वासन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नियत पदावधि आधार पर केन्द्र सरकार या दिल्ली प्रशासन में कार्यरत आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस. अधिकारियों के लिए अलग पदावधि अधिकारी पूल रखा गया है।

(ख) सरकारी वासों (दिल्ली में सामान्य पूल) आवंटन नियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अधिकारी पदावधि पूल से सरकारी आवास के आवंटन के पात्र नहीं हैं तथा उन्हें सामान्य पूल (जो मुख्य पूल है) से आवास आवंटित किये जाते हैं।

(ग) जी, हां। दिनांक 8 मई, 2000 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4540 के उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था। सदन को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय सेवाओं के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को टेन्योर-पूल से आवंटन की सुविधा का मामला विचाराधीन था।

(घ) आश्वासन को पूरा करने के लिए अंतर्विभागीय परामर्श करने के बाद सरकार का निर्णय होना है। लेकिन सरकारी आश्वासनों बावत समिति ने आश्वासन की पूर्ति के लिए दिनांक 8.11.2001 तक समय बढ़ा दिया है।

भारतीय शिक्षा की उदार और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति

5299. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय शिक्षा की उदार और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति क्षीण हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संगठनों से इस संबंध में पत्र और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय शिक्षा के सांप्रदायीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कुछ हलकों ने शिक्षा के साम्प्रदायीकरण के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं। किन्तु सरकार शिक्षा के पंथ निरपेक्ष स्वरूप के प्रति प्रतिबद्ध है। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) समग्र शैक्षिक स्थिति की बारीकी से की गई समीक्षा पर आधारित है। इसमें एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसमें यह बात समाविष्ट है कि एक निश्चित स्तर तक, सभी छात्रों को चाहे वे किसी भी जाति, धर्म अथवा स्थान के हों अथवा छात्र हो या छात्राएं, का समान कोटि की शिक्षा पाने का हक है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना पर आधारित होगी जिसमें अन्य लचीले घटकों सहित एक साझा घटक भी शामिल है। इस साझे घटक के अंतर्गत भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय अस्मिता का पोषण करने वाले अन्य आवश्यक तत्व भी शामिल होंगे। इन तत्वों को विषयगत क्षेत्रों से ऊपर उठकर इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि उनसे भारत की साझी सांस्कृतिक धरोहर समानतावाद, लोकतंत्र एवं धर्म-निरपेक्षता, स्त्री-पुरुष में समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक बेड़ियों का उन्मूलन, छोटे परिवार के सिद्धांत का परिपालन तथा वैज्ञानिक प्रकृति का सृजन जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिले। सभी शैक्षिक कार्यक्रम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप ही संचालित किये जाने की व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथासंशोधित 1992 द्वारा की गई है।

आतंकवादियों के साथ मुठभेड़

5300. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में कितने आतंकवादी मारे गए/घायल हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आतंकवादियों और आई.एस.आई. के एजेंटों से राज्यवार कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स. पकड़ा गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में पिछले तीन वर्षों यानि 1998, 1999, 2000 के दौरान प्रति वर्ष मारे गए आतंकवादियों की संख्या क्रमश: 999, 1082, 1520 है।

(ख) इस बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

हरित क्षेत्रों में धार्मिक समारोहों का आयोजन

5301. **डा. (श्रीमती) सुधा यादव:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में यह निदेश दिया था कि डी.डी.ए. के मास्टर प्लान के तहत हरित क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1970-71 से घोषित अशोक बिहार के फेज-3, दीप एनक्लेव के पाकेट-डी का समीपवर्ती क्षेत्रीय पार्क सौंदर्ययुक्त और पूर्ण विकसित हरित क्षेत्र है;

(घ) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों का पालन नहीं कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या डी.डी.ए. ने इस पार्क के रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन किया है;

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या आबंटित निधियों को वांछित उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) डी.डी.ए. ने इस पार्क से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी आय अर्जित की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4677 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6.12.1996 को अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक/विवाह प्रयोजनों के लिए पार्कों का उपयोग एक माह में 10 दिन से अधिक के लिए अनुमत्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों, में जब किसी पार्क विशेष का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है तो उसके बाद शेष 20/21 दिनों के दौरान कोई कार्यक्रम उसमें अनुमत्य नहीं होगा।

(ग) पाकेट-डी, दीप एनक्लेव, फेज-3 अशोक बिहार के निकट का पार्क क्षेत्रीय पार्क नहीं है बल्कि यह मास्टर प्लान-2001 में जिला पार्क के रूप में अभिनामित है और तदनुसार इसका विकास किया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

(च) और (छ) इस पार्क को बनाये रखने और इसके रखरखाव में किया गया खर्च इस प्रकार है:

वर्ष	खर्च (लाख रु. में)
1998-99	11.20
1999-2000	12.25
2000-01	15.32

(ज) और (झ) जी, हां। खर्च पूरी स्कीम के लिए किया गया है, किसी विशेष भाग के लिए नहीं।

(ञ) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बुकिंग से अर्जित की गई आय इस प्रकार है:

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1998-99	3.09
1999-2000	5.83
2000-01	1.39

ग्रामीण सफाई प्रशिक्षण केन्द्र

5302. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजगीरों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण सफाई की आधारभूत संरचना बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसे कितने केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ग) इन केन्द्रों को अब तक राज्यवार कितना धन मुहैया कराया गया है;

(घ) क्या इस काम में गैर-सरकारी संगठन भी लगे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार अब तक कितनी सहायता दी गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 5 प्रतिशत तक स्वच्छता उत्पादन केन्द्रों और ग्रामीण स्वच्छता बाजारों के लिए निर्धारित है। राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आज तक 840 ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र, 96 चिन्हित प्रायोगिक जिलों में स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों की कुल संख्या और स्वीकृत निधियों के बारे में राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) निधियां राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित की गई कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय पुनर्गठित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता मुहैया नहीं करवाता है।

विवरण

ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों और स्वीकृत निधियों का राज्य-वार विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	स्वीकृत ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों की संख्या	ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/ उत्पादन केन्द्रों के लिए स्वीकृत निधियां
1	2	3
आंध्र प्रदेश	90	350.00
अरुणाचल प्रदेश	7	24.74
असम	12	43.50
बिहार	70	245.00
छत्तीसगढ़	10	35.00
गुजरात	24	85.01
हरियाणा	20	70.00
हिमाचल प्रदेश	2	6.66
जम्मू व कश्मीर	11	29.00
झारखण्ड	18	63.00
कर्नाटक	37	64.05
केरल	14	49.00
मध्य प्रदेश	32	112.00
महाराष्ट्र	97	301.00
मणिपुर	5	17.00
नागालैण्ड	8	28.00
उड़ीसा	30	105
पंजाब	12	42.00
राजस्थान	52	175.00
सिक्किम	2	4.93
तमिलनाडु	56	196.00
त्रिपुरा	10	35.00
उत्तर प्रदेश	103	360.50
प. बंगाल	118	239.50
कुल	840	2680.89

कर्नाटक में मलिन बस्तियों के सुधार और पुनर्वास संबंधी परियोजनाएं

5303. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार का विचार मलिन बस्तियों के सुधार और पुनर्वास की दो बृहत् परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने यह कहा है कि इन दोनों परियोजनाओं का वित्त पोषण जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन द्वारा किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए वित्त मंत्री से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को अब तक मंजूरी नहीं दी है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने जापान बैंक फॉर इण्टरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) से सहायता के लिए निम्नलिखित दो परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं।

(1) *कर्नाटक में 21 श्रेणी-1 शहरों के लिए स्लम उन्नयन और विकास कार्यक्रम:* यह परियोजना एक लाख और उससे ऊपर की आबादी वाले कर्नाटक के 21 श्रेणी-1 शहरों से संबंधित है। इसमें इन शहरों में 985 स्लमों में लगभग 15 लाख स्लमवासियों को लाभ पहुंचाने की संकल्पना है।

(2) *बंगलौर शहर के लिए एकीकृत स्लीम विकास कार्यक्रम:* यह परियोजना विशेष रूप से बंगलौर शहर के लिए तैयार की गई है और इसमें बंगलौर में 468 स्लमों में 6.88 लाख स्लमवासियों को लाभ पहुंचाने की संकल्पना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) कर्नाटक सरकार ने उल्लेख किया है कि उन्होंने जेबीआईसी के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श किया था जिन्होंने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अपनी इच्छा जताई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र के उत्तर में माननीय शहरी विकास मंत्री ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्हें इस मामले के बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया है।

(च) और (छ) योजना आयोग की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को भेजे जाएंगे ताकि मामले को जेबीआईसी के साथ उठाया जाए।

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रगति

5304. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष शहरी विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह प्रगति केवल आंकड़ों पर आधारित है जबकि वास्तविक स्थिति भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन की कोई समिति वहां गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान के जोधपुर जिले में उक्त समिति की कितनी बैठकें हुई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राजस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन विभिन्न स्कीमों के लिए राशियां जारी की गई थी उनकी प्रगति इस प्रकार है:

(1) छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम (आईडीएसएमटी)

(लाख रुपये में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित खर्च (प्रगति)
1998-99	187.31	419.90
1999-2000	92.00	210.42
2000-2001	192.00	419.67

स्कीम की शुरुआत से लेकर और 31.3.2001 तक 48 कस्बे शामिल किए गए हैं।

(2) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

(लाख रुपये में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित खर्च (प्रगति)
1998-99	620.52	469.68
1999-2000	330.23	833.33*
2000-2001	376.08	523.50*

*गरीबी उपशमन की पहले की स्कीमों के तहत जारी राशियों में से 1-12-1997 के अनुसार 1328.26 रु. आदि शेष था।

स्कीम के तहत 31.3.2000 तक 16622 व्यक्तियों को लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता दी गई और 2.34 लाख मानव श्रम कार्य दिन सृजित किए गए।

(3) रैन बसेरा स्कीम

ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(4) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(5) कम लागत सफाई स्कीम।

(लाख रुपये में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित खर्च (प्रगति)
1998-99	166.48	स्कीम के तहत हुई संचयी
1999-2000	38.47	प्रगति विवरण-III में हैं।
2000-2001	140.11	

(ख) और (ग) सूचित प्रगति राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है।

(घ) और (ङ) छोटे एवं मझौले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) के लिए राजस्थान में राज्य स्तरीय स्वीकृतकर्त्ता समिति गठित की गई है। इस समिति की चार बैठकें जयपुर में हुई हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों (1998-99, 1999-2000 और 2000-2001) के दौरान शहरी क्षेत्र स्कीम में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधाओं की स्वीकृति की स्थिति का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्वीकृत सब्सिडी	स्वीकृत यूनिटें				जारी ऋण	सब्सिडी जारी	पूर्ण की गई यूनिटें	चल रही यूनिटें
						बिस्तर	ढब्ल्यूसी	स्नानघर	मूत्रालय				
वर्ष 1998-99 के लिए													
1.	राजस्थान	3	541.13	39.41	218.50	0	927	461	286	0.00	26.54	0	0
वर्ष 1999-2000 के लिए													
1.	राजस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
वर्ष 2000-2001 के लिए													
1.	राजस्थान	1	157.76	0.00	70.98	0	507	0	0	0.00	0.25	0	0
	कुल	4	698.89	39.41	289.48	0	1434	461	286	0.00	26.79	0	0

विवरण II

राज्य राजस्थान

(क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रु.)	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु.)	जारी राज्य अंश (लाख रु.)	मार्च, 2001 तक खर्च (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंगापुर	भीलवाड़ा	अक्तू, 98	394.55	324.81	97.43	94.27

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	केसोराईपटन	बून्दी	अक्तू, 98	58.48	(1998-99)	61.89	67.77
3.	बासी	जयपुर	नवम्बर, 98	77.73	0.00	51.28	80.15
4.	भिन्डर	उदयपुर	नवम्बर, 98	93.51	(1999-2000)	41.68	85.63
5.	कन्नौर	उदयपुर	नवम्बर, 98	96.26	306.74	34.52	81.75
6.	बागडू	जयपुर	मार्च, 99	87.01	(2000-2001)	60.00	98.93
7.	मांडवा	झुन्झुनू	अक्तू, 2000	149.38		28.41	33.91
8.	बहरोड	अलवर	अक्तू, 2000	220.80		7.40	45.91
9.	लोसल	सीकर	अक्तू, 2000	128.47		0.00	15.26
10.	रिंगस	सीकर	नवम्बर, 2000	196.83		0.00	13.08
11.	उनियारा	टौंक	नवम्बर, 2000	91.33		4.68	4.68
12.	केसरीसिंहपुर	श्रीगंगा नगर	नवम्बर, 2000	74.89		0.00	0.00
13.	कपासन	चित्तौड़गढ़	जनवरी, 2001	102.49		0.00	0.00
14.	बेगुन	चित्तौड़गढ़	जनवरी, 2001	133.67		0.00	0.00
15.	जोबनर	जयपुर	जनवरी, 2001	110.92		0.00	23.01
			कुल	2034.22	631.55	387.29	644.46

विवरण III

राजस्थान

मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत सफाई स्कीम

(31.7.2001 तक)

1.	स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या	158
2.	शामिल कस्बों की संख्या	158
3.	स्वीकृत स्कीमों की परियोजना लागत	13774.39 लाख रु.
4.	स्वीकृत सब्सिडी	5292.21 लाख रु.
5.	स्वीकृत ऋण	691.34 लाख रु.
6.	हुडको द्वारा राज्य को जारी सब्सिडी	2451.80 लाख रु.
7.	हुडको द्वारा राज्य को जारी ऋण	14.22 लाख रु.
8.	बदलाव के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	171961
9.	निर्माण के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	266109
10.	इन स्कीमों को पूरा करके मैला ढुलान से मुक्त किये जाने वालों की संख्या	11672
11.	पूर्ण की गई यूनिटें (बदलाव + निर्माण)	196654
12.	मैला ढुलान से मुक्ति पाने वालों की संख्या	9134

छत्तीसगढ़ में सी.आई.एल. के अंतर्गत अपोलो अस्पताल

5305. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छत्तीसगढ़ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) प्रायोजित अपोलो अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इस अस्पताल में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) मेसर्स अपोलो हॉसपिटल इंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा अक्तूबर, 2001 तक अपोलो अस्पताल खोलने की संभावना है।

(ग) मेसर्स अपोलो हॉसपिटल लिमिटेड डाक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों आदि सहित अस्पताल को चलाने के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

[अनुवाद]

कमजोर तबके के लोगों को आवासीय भूखण्ड

5306. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में कमजोर तबके के लोगों को आवंटित भूखंड उनके द्वारा नहीं बेचे जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषतौर पर क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए थे;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन भूखण्डों की बिक्री के पश्चात् इनके स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

उर्वरकों का अप्रयुक्त स्टॉक

5307. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता को कम कर दिए जाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार का लाखों टन उर्वरक अप्रयुक्त स्टॉक के रूप में पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। यूरिया की सम्पूर्ण आवश्यकता की, जो कि एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, पूर्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आबंटनों द्वारा की जाती है एवं अन्य उर्वरकों की मांग, नियंत्रणमुक्त होने के नाते, की पूर्ति मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा की जाती है। कोई अप्रयुक्त स्टॉक नहीं है। तथापि, किसी भी दिए गए समय पर कुछ स्टॉक, भिन्न मात्रा में हमेशा क्षेत्र और परिवहन में होता है लेकिन ऐसे स्टाक की वास्तविक मात्रा संबंधित माह के दौरान मांग-आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका

5308. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने विद्यार्थियों को वृत्तिका मिली;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक स्तर पर प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी को कितनी वृत्तिका प्रदान की जा रही है और राज्यों की ओर से इसमें कितनी राशि दी जाती है;

(ग) क्या विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वर्दियां दी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विद्यालय जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विद्यालय की वर्दी प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली वृत्तिका के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को यूनीफार्म उपलब्ध कराई जाती है। तथापि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को स्कूल यूनीफार्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा चूककर्त्ता घोषित की गई कंपनियां

5309. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कितनी कंपनियों को चूककर्त्ता घोषित किया गया है;

(ख) उक्त कंपनियों पर ब्याज सहित कितनी धनराशि देय है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के बीच इनमें से कितनी कंपनियों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान कर दिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) कंपनियों को चूककर्त्ता के रूप में घोषित करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में कोई प्रणाली नहीं है।

सीमा पर कंटीली तार की बाड़ लगाना

5310. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू क्षेत्र में सुरक्षार्थ बिजली की कंटीली तार की बाड़ लगाने से जुड़े मुद्दों और भारत-पाक सीमा पर गश्त लगाने के मुद्दों पर हाल में पाकिस्तानी सतलुज रेन्जर्स टीम के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सीमा की चौकसी करने वाले दोनों बलों के बीच बैठकें एक नियमित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य दोनों बलों के बीच कार्य संबंध स्थापित करना है। भारतीय पक्ष ने हाल में हुई एक बैठक में पाक रेंजरों को यह सूचित कर दिया है कि सीमा पर बाड़ सीमा पार से अपराध को रोकने के लिए लगाई जा रही है।

चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाएं

5311. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितना धन व्यय किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं। 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या तथा किया गया खर्च नीचे दिया गया है:

	खर्च (लाख रु. में)			लाभान्वित लोगों की संख्या		
योजना	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3.84	6.80	12.60	असूचित	1763	2535
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	असूचित	2.86	3.22	असूचित	40	29
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	0.03	1.33	शून्य	असूचित	225	शून्य

*राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को 1.4.2001 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1956

5312. श्री सुरेश कुरूप: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1956 में उत्पत्ति मूलक दोष है जो समय के साथ अब पुराना हो गया है और इसे रद्द किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण में कोई सदस्य नियोजन नहीं है जबकि इसका मुख्य कार्य नियोजित विकास सुनिश्चित करना है;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में कोई उत्पत्ति मूलक दोष नहीं है। इसे भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

(ख) से (घ) सदस्यों की नियुक्ति दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अधिनियम वित्त तथा लेखा सदस्य एवं इंजीनियर सदस्य के अलावा किसी दूसरे अधिकारिक सदस्य का प्रावधान नहीं करता है।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकीय प्रणाली अपनाने वाले ग्रीन हाउस

5313. श्री जय प्रकाश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से कृषि निर्यात क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकीय तरीके अपनाकर सब्जियों की ग्रीन हाउस परियोजना के लिए पंजाब में इक्विटी निवेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के निवेश का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता

5314. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता अब केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिये जाने के पश्चात् दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा इन संस्थानों को विशेषकर राजस्थान में कितनी सहायता प्रदान की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचा तथा पुनर्गठन योजना; जिसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, को संशोधित किया गया है इस संशोधित योजना में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न करने का भी प्रावधान है ताकि राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित किया जा सके। तथापि वेतन, प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय तथा आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं को प्रति वर्ष आवर्ती अनुदान दिया जाता है। नई संस्थाओं को संस्वीकृत करने के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों में मौजूदा संस्थाएं भली-भांति कार्य कर रही हैं, उन राज्यों में नई संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान दी गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दी गई राशि (लाख रु. में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1080.35*	698.63	789.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	167.34	30.85
3.	असम	1598.17	482.17	331.14
4.	बिहार	**	**	**
5.	गोवा	62.91	49.48	41.16
6.	गुजरात	681.83	704.99	1114.69
7.	हरियाणा	30.25	886.65	439.50
8.	हिमाचल प्रदेश	520.95	526.75	717.90
9.	जम्मू और कश्मीर	30.25	–	541.00
10.	कर्नाटक	857.129	1097.79	1316.14
11.	केरल	461.13	505.78	659.95
12.	मध्य प्रदेश	2557.27	1954.90	1582.79
13.	महाराष्ट्र	*	1177.04	838.55
14.	मणिपुर	65.57	123.76	83.75
15.	मेघालय	25.00	*	208.50
16.	मिजोरम	23.00	*	70.61
17.	नागालैंड	86.50	108.00	132.15
18.	उड़ीसा	475.80	487.39	560.45
19.	पंजाब	559.93	652.53	561.72
20.	राजस्थान	1624.77	2204.92	1411.43
21.	सिक्किम	96.72	98.93	67.00
22.	तमिलनाडु	2468.68	9.00	1695.55

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	*	*	34.00
24.	उत्तर प्रदेश	1288.82	1184.66	2153.96
25.	पश्चिम बंगाल	*	424.83	690.26
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	@	@	2.50
27.	दिल्ली	488.27	318.55	531.44
28.	पांडिचेरी	20.00	31.42	38.27
29.	लक्षद्वीप	50.00	**	**

* प्रस्ताव पूरा नहीं था इसलिए अनुदान आगामी वर्ष में जारी किया गया।

** संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनुदान जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

@ अनुदान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्ताव पूरा नहीं था।

[अनुवाद]

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेलकूद परिसरों का विकास

5315. श्री नरेश पुगलिया: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में कतिपय खेलकूद परिसरों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थिति हैं;

(ग) इन खेलकूद परिसरों में इनडोर और आउटडोर के कौन-कौन से खेलों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) क्या इन खेलकूद परिसरों की सदस्यता आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खेलकूद परिसर का सदस्य बनने के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया गया है;

(च) क्या वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में कोई छूट दी गयी है/देने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खेल परिसरों के विवरण इस प्रकार हैं:

	खेल परिसर	अवस्थिति
(1)	सिरीफोर्ट खेल परिसर	सिरी फोर्ट
(2)	साकेत खेल परिसर	साकेत
(3)	हरिनगर खेल परिसर	हरिनगर
(4)	पश्चिम विहार खेल परिसर	पश्चिम विहार
(5)	मेजर ध्यान चंद खेल परिसर	अशोक विहार
(6)	रोहिणी खेल परिसर	रोहिणी
(7)	पूर्व दिल्ली खेल परिसर	दिलशाद गार्डन
(8)	यमुना खेल परिसर	सूरजमल विहार
(9)	कुतुब गोल्स कोर्स	लाडो सराय

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित खेल परिसरों में भुगतान करके खेलने की सुविधा है:

(1)	राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर	पीतमपुरा
(2)	द्वारका खेल परिसर	द्वारका सं. 11
(3)	जसोला खेल परिसर	जसोला
(4)	चिल्ला खेल परिसर	चिल्ला

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं:

(घ) साकेत, हरिनगर, पश्चिम विहार, अशोक विहार, रोहिणी, पूर्व दिल्ली खेल परिसर और यमुना खेल परिसर की सदस्यता जनता के लिए खुली है। इसके अलावा पीतमपुरा, द्वारका सेक्टर-2, जसोला और चिल्ला में नए विकसित खेल परिसरों की सदस्यता शीघ्र ही शुरू की जाएगी। सभी खेल परिसरों में भुगतान करके खेलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) अलग-अलग खेल परिसरों की सदस्यता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। खेल परिसरों में प्रति व्यक्ति सदस्यता शुल्क नॉन सर्विस वर्ग के लिए 10,000/- रु. और सर्विस वर्ग के लिए 5000/- रु. है। तथापि, यमुना खेल परिसर, जहां 5 वर्ष के लिए सदस्यता दी जाती है, ये दरें क्रमशः 5,000 रु. और 2,500 रु. है। इसी प्रकार कुतुब गोल्फ कोर्स में 3 वर्ष की सदस्यता के लिए ये दरें क्रमशः 30,000 रु. और 5,000 रु. हैं।

(च) जी हां।

(छ) 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्वयं तथा उनके पति/पत्नी वरिष्ठ नागरिकों के रूप में सदस्यता के लिए पात्र हैं। निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं:

(1) सामान्य शुल्क से 1/5 प्रविष्टि शुल्क

(2) मासिक शुल्क पर 40% की छूट; तथा

(3) वरिष्ठ नागरिकों की सदस्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं।

विवरण I

खेलकूद सुविधाएं

क्र.सं.	परिसर	इनडोर	आउटडोर
1	2	3	4
1.	सीरी फोर्ट खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिन्टन
		(3) बिलियर्डस	(3) बास्केटबाल
		(4) स्नूकर	(4) योग
		(5) एरोबिक्स	(5) हाकी
		(6) जिम	(6) क्रिकेट
		(7) एयर राइफल/पिस्टल शूटिंग रेंज	(7) फुटबाल
		(8) गोल्फ ड्राइविंग रेंज	(8) मिनी गोल्फ कोर्स
		(9) रेकी	(9) जागिंग/वाकिंग ट्रैक
		(10) मसाज	(10) बच्चों का पार्क
			(11) स्केटिंग
			(12) तैराकी
			(13) ताइक्वांडो/कराटे
			(14) क्रिकेट
			(15) गोल्फ ड्राइविंग रेंज

1	2	3	4
2.	साकेत खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) जिम/फिटनेस सेंटर	(4) क्रिकेट
		(5) एरोबिक्स	(5) फुटबाल
		(6) योग	(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) तैराकी
			(10) घुड़सवारी
3.	हरिनगर खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) वास्केटबाल
			(4) क्रिकेट
			(5) फुटबाल
			(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) तैराकी
			(10) स्केटिंग
4.	पश्चिम विहार खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) जिम/फिटनेस सेंटर	(4) क्रिकेट
			(5) फुटबाल
			(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) स्केटिंग

1	2	3	4
5.	रोहिणी खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) बैडमिंटन	(4) क्रिकेट
		(5) एरोबिक्स	(5) फुटबाल
			(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) तैराकी
			(10) एथलेटिक ट्रेक
			(11) स्केटिंग
6.	अशोक विहार	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैस	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) एरोबिक्स	(4) क्रिकेट
		(5) योग	(5) फुटबाल
			(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) तैराकी
			(10) स्केटिंग
7.	यमुना खेलकूद परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) जिम/फिटनेस सेंटर	(4) क्रिकेट
		(5) एरोबिक्स	(5) फुटबाल
		(6) योग	(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रेक

1	2	3	4
		(7) बैडमिंटन	(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) तैराकी
			(9) बॉलीबाल
			(10) स्केटिंग
			(11) एथलेटिक ट्रैक
			(12) हाकी
			(13) आर्टीफिशियल क्लाइम्बिंग वाल
8.	पूर्वी दिल्ली खेल परिसर	(1) टेबल टेनिस	(1) टेनिस
		(2) स्क्वैश	(2) बैडमिंटन
		(3) बिलियर्डस/स्नूकर	(3) बास्केटबाल
		(4) जिन/फिटनेस सेंटर	(4) क्रिकेट
		(5) योग	(5) फुटबाल
		(6) बैडमिंटन	(6) जॉगिंग/वाकिंग ट्रैक
			(7) ताइक्वांडो/कराटे
			(8) बच्चों का पार्क
			(9) तैराकी
			(10) स्केटिंग
9.	कुतुब गोल्फ क्लब		गोल्फ

विवरण II

दिनांक 31 जुलाई, 2001 को डी.डी.ए. खेलकूद परिसरों में सदस्यता के ब्यौरे

क्र.सं.	परिसर का नाम	सदस्यता
1	2	3
1.	सीरीफोर्ट खेलकूद परिसर	5642
2.	साकेत खेलकूद परिसर	4788
3.	हरिनगर खेलकूद परिसर	2889
4.	पश्चिम विहार खेलकूद परिसर	1675
5.	रोहिणी खेलकूद परिसर	3790
6.	अशोक विहार खेलकूद परिसर	4825
7.	पूर्वी दिल्ली खेल परिसर	3051
8.	यमुना खेलकूद परिसर	5955
9.	कुतुब गोल्फ कोर्स	475
	कुल	33090

दमन और दीव के कस्बों में नगरपालिकाएं

5316. श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में दस हजार अथवा इससे भी अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए नगरपालिका की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो दमन और संघ राज्य क्षेत्र में 20,000 से भी अधिक जनसंख्या वाले डाभेल जैसे शहरों में केवल पंचायत होने तथा वहां कोई नगरपालिका न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे अन्य शहर कितने हैं; और

(घ) ऐसे सभी शहरों में कब तक नगर पालिका का निर्माण होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी नहीं श्रीमान्। दमन और दीव नगर पालिका (संशोधित) विनियमन, 1994 में किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करने के लिए जनसंख्या आधारित मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, केवल दमन और दीव में इस समय नगर पालिका परिषद उपलब्ध करायी गयी है।

[हिन्दी]

राजभाषा नीति

5317. डा. चरणदास महंत:
श्री रामेश्वर डूडी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कभी कोई निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न फर्मों, लेखन सामग्री, विनियमन कोड आदि के प्रकाशन में हिन्दी के प्रयोग के लिए दोनों परिषदों को अनुदेश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और **(ख)** जी, हां। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् में निरीक्षण किये गए थे।

(ग) से (ङ) दोनों परिषदों को अनुदेश जारी किए गए हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन

5318. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु नयी योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य प्रतिनिधि निकायों से परामर्श किया है;

(ख) क्या अन्य देशों में प्रचलित परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में अध्ययन किये गये परीक्षा माडलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने की प्रणाली में निष्पक्षता और युक्तियुक्तता लाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों के कार्य-निष्पादन के आकलन की पद्धतियां तैयार की जाती हैं। कक्षा-10 के परीक्षा परिणामों की घोषणा करने के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनायी जा रही मौजूदा पद्धति में ग्रेडों तथा अंकों, दोनों ही का उल्लेख करने की व्यवस्था है। बोर्ड ने एक ऐसी पद्धति का प्रस्ताव किया है जिसमें अंकों का उल्लेख किये बिना विषयवार ग्रेड देने की व्यवस्था है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विभिन्न स्कूलों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, राज्य शिक्षा बोर्डों आदि के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श किया गया है। एक उप समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य एक ऐसे माड्यूल का सुझाव देना है जिससे इस प्रस्ताव के बारे में विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं तथा आशंकाओं का निराकरण हो सके।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न परीक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न परीक्षा-पद्धतियों का भी अध्ययन किया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, बोर्ड नमूना प्रश्न-पत्रों को तैयार करने, उनका प्रकाशन करने तथा प्रयोग करने और विस्तृत अंक योजनाओं आदि जैसे उपाय करता रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक प्रशासकों, प्रश्न-पत्र तैयारकर्ताओं, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों सहित विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

बरामदों के लिए धन वसूल किया जाना

5319. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 90 के दशक के आरंभ में मंत्रालय ने 10% शुल्क में से बरामदों में रोगन करने का निर्णय लिया था और इस कार्य के लिए धन वसूल न करने का सरकारी आदेश जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस आदेश को बदलने और लाइसेंस-धारकों को नयी दिल्ली की सरकारी कालोनियों में बरामदों में रोगन करने के लिए 1300 रुपये जमा करने के लिए कहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में टाइप-2 मकानों के बरामदों में पूरी तरह रोगन करने का निर्णय भी लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या आर.के. पुरम, सेक्टर-8 के चार मंजिला मकानों के बरामदों में रोगन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 30.5.1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11014/22/90-डब्ल्यू-III के द्वारा यह तय किया गया था कि आबंटिती के अनुरोध पर बरामदों में रोगन का कार्य (ग्लेजिंग) उसकी लागत का 10% का शुल्क लेकर किया जा सकता है। निर्धारित की गई वित्तीय सीमा बरामदे में रोगन (ग्लेजिंग) के कार्य पर लागू नहीं होगी।

(ग) से (ङ) बरामदों को आबंटितियों के व्यक्तिगत अनुरोध पर ईंट की दीवार तथा कांच की खिड़कियों से घेरा जाता है। तथापि, बालकनियों में केवल रोगन (ग्लेजिंग) कराया जायेगा।

डी.आई.ई.टी. के अंतर्गत भवनों के निर्माण के लिए अनुदान

5320. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आई.ई.टी. कार्यक्रम के अंतर्गत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना अनुदान प्रदान किया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना का अब तक कार्यनिष्पादन कैसा रहा है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से डी.आई.ई.टी. के अंतर्गत पुणे, लातूर, नानदेड और धूले के लिए अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने का निवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अनुदान को मंजूर करने/जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) अनुदान राशि को कब तक स्वीकृत/जारी करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) यह मंत्रालय शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना और पुनर्गठन योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को निर्धारित सीमा के भीतर अनुदान प्रदान कर रहा है।

(ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) पुणे, लातूर, नानदेड और धूले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में अनुदान की दूसरी किश्त देने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मंत्रालय को अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से इन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम किश्त के उपयोग, तदनुरूपी वास्तविक प्रगति और शेष निर्माण कार्य के संबंध में सूचित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

उन राज्यों की सूची, जिन्हें शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना और पुनर्गठन योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान भवनों में निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	100.00
2.	गोवा	18.00	–	–
3.	गुजरात	–	–	169.00
4.	हरियाणा	150.00	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	98.00	–	55.00
6.	मेघालय	–	–	208.50
7.	मिजोरम	23.00	–	–
8.	पंजाब	–	100.00	103.00
9.	राजस्थान	64.50	668.00	–
10.	तमिलनाडु	168.06	9.00	791.00
11.	उत्तर प्रदेश	100.00	95.00	50.00
12.	पश्चिम बंगाल	–	224.00	551.91

टिप्पणी: निर्माण हेतु अनुदान दो किश्तों में दिया जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुमोदन के तुरन्त बाद पहली किश्त दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा यह सूचित करने के बाद, कि उसने पहली किश्त की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया है, दूसरी किश्त दी जाती है।

विवरण II

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भवनों जिनमें छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर भी शामिल हैं, के निर्माण की प्रगति का अद्यतन विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या जिन्हें सिविल कार्य के लिए अनुदान जारी किए गये हैं	जिन भवनों का निर्माण पूरा हो गया है	जिनका निर्माण कार्य चल रहा है	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	22	1	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	7	4	–

1	2	3	4	5	6
3.	असम	19	3	8	8
4.	बिहार	18 *	1	6	11
5.	गोवा	1	1	–	–
6.	गुजरात	17	9	2	6
7.	हरियाणा	12	10	2	–
8.	हिमाचल प्रदेश	12	11	1	–
9.	जम्मू और कश्मीर	14	10	4	–
10.	कर्नाटक	20	14	6	–
11.	केरल	14	14	–	–
12.	मध्य प्रदेश	45 *	40	4	1
13.	महाराष्ट्र	29	10	4	15
14.	मणिपुर	8	1	6	1
15.	मेघालय	7	3	3	1
16.	मिजोरम	2	2	–	–
17.	नागालैंड	3	3	–	–
18.	उड़ीसा	17	11	2	4
19.	पंजाब	12	12	–	–
20.	राजस्थान	30	23	7	–
21.	सिक्किम	3	1	2	–
22.	तमिलनाडु	29	21	8	–
23.	त्रिपुरा	3	1	2	–
24.	उत्तर प्रदेश	67 *	59	5	3
25.	पश्चिम बंगाल	16	5	8	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	–	–
27.	दिल्ली	1	–	1	–
28.	पांडिचेरी	1	–	1	–
29.	लक्षद्वीप	1	–	–	1
	जोड़	436	295	87	54

*नये राज्य सम्मिलित हैं।

उत्तरांचल में केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

5321. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नव निर्मित राज्य उत्तरांचल में इस समय स्थानवार कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) इनमें प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में टी.जी.टी. और पी.जी.टी. शिक्षकों के स्वीकृत पदों की श्रेणीवार, विषयवार संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इनमें से कितने पद भर दिये गये हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ङ) इन पदों के सृजन/स्वीकृति के लिए विषयवार क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने और रिक्त पदों को भरने का है; और

(छ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विवरण-I में प्रदत्त सूची अनुसार उत्तरांचल राज्य में इस समय 33 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

(ख) से (घ) आज की यथास्थिति अनुसार उत्तरांचल राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में अध्यापकों के 631 संस्वीकृत पद हैं जिसमें से 617 रिक्तियां भरी गई हैं तथा 14 पद रिक्त हैं। श्रेणीवार ब्यौरे विवरण-II में हैं। संस्वीकृत पदों पर रिक्तियों के कारणों में सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/उच्च पद पर चयन/मृत्यु/किसी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आदि शामिल हैं। रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। स्नातकोत्तर अध्यापकों के पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं तथा उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट करना आरंभ कर दिया है। उपर्युक्त पद पर पदोन्नति भी कर दी गई है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया पूर्ण होने को है। इसी के साथ-साथ विद्यालयों को रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि अध्यापकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े।

(ङ) प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विषय में वास्तविक कार्यभार के आधार पर पदों की संस्वीकृति की जाती है।

(च) और (छ) जी, नहीं। इस समय उत्तरांचल राज्य में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

इस समय नव-निर्मित उत्तरांचल राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थानवार संख्या

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1	2
1.	बिरापुर, देहरादून
2.	अपर कैम्प, देहरादून
3.	एफ आर आई, देहरादून
4.	क्लिमेंट टाउन, देहरादून
5.	नं. 1 एच बी के, देहरादून
6.	नं. 2 एच बी के, देहरादून
7.	आई एम ए, देहरादून
8.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस, देहरादून
9.	ओ एन जी सी, देहरादून
10.	ओ एफ डी, रायपुर, देहरादून
11.	ओ एल एफ, रायपुर, देहरादून
12.	आई आई पी, देहरादून
13.	मैसूरी
14.	बी एच ई एल, हरिद्वार
15.	आई डी पी एल, ऋषिकेश
16.	रायवाला
17.	नं. 1 रूड़की
18.	नं. 2 रूड़की
19.	लेन्सडॉन
20.	एस एस बी, श्रीनगर

1	2
21.	जोशीमठ
22.	काशीपुर
23.	हलद्वानी
24.	रानीखेत
25.	अलमोड़ा
26.	पिथौरागढ़
27.	आई वी आर आई, मुक्तेश्वर
28.	बनबासा कैंट
29.	एन एच पी सी, बनबासा
30.	न्यू टीहरी
31.	उत्तरकाशी
32.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस, गऊचर
33.	एन एच पी सी, धारचुला

विवरण II

उत्तरांचल राज्य में स्थित 33 केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा स्नातकोत्तर शिक्षक की श्रेणी में 23.8.2001 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत स्टाफ, भरे गये पदों तथा रिक्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पद	रिक्तियाँ
1.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी)	69	68	01
2.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी)	81	78	03
3.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत)	36	35	01
4.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक अध्ययन)	62	61	01
5.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित)	72	72	शून्य
6.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (जीव विज्ञान)	59	59	शून्य
7.	स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)	35	33	02
8.	स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी)	34	33	01
9.	स्नातकोत्तर शिक्षक (इतिहास)	14	11	03
10.	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	21	19	02
11.	स्नातकोत्तर शिक्षक (भूगोल)	14	14	शून्य
12.	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	32	32	शून्य
13.	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिकी)	32	32	शून्य
14.	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन विज्ञान)	32	32	शून्य
15.	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	29	29	शून्य
16.	स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य)	09	09	शून्य
	कुल	631	617	14

एन.एल.सी. खानों से प्रदूषण

5322. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एल.सी. खानें वातावरण में अपशिष्ट पदार्थों के कण बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती हैं और छोड़ती हैं और आस-पास के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रदूषण फैलाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा खानों से फैलने वाले इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठनों से सहायता लेने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। खानों में अपशिष्ट पदार्थों के आस-पास की हवा की गुणवत्ता को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एन.एल.सी. द्वारा आवधिक तौर पर मॉनिटर किया जाता है। इसके परिणाम मानकों के अनुसार है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) एन.एल.सी. खानों में प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को नियुक्त करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

हडको द्वारा मंजूर की गयी परियोजनाएं

5323. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको ने अंगुल जिला मुख्यालय के लिए दो परियोजनाएं मंजूर की थीं क्योंकि ढेंकानाल जिला मुख्यालय में पानी की भारी कमी थी और वर्ष 1995 में जल आपूर्ति योजना को भी तेज करना था;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या परियोजनाओं की पहली किश्त जारी कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो उनके लिए अलग-अलग कितनी राशि दी गयी; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) उड़ीसा सरकार और हडको ने सूचित किया है कि अंगुल और ढेंकानाल कस्बा परियोजनाओं की कुल लागत क्रमश: 1234.65 लाख रुपये और 1358.56 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार और हडको ने सूचित किया है कि अंगुल और ढेंकानाल कस्बा परियोजनाओं के लिए क्रमश: 24.92 लाख रुपये और 37.77 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि अंगुल कस्बे के लिए जल आपूर्ति जून, 2001 तक पूरी होने की संभावना थी। राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाईयों के कारण परियोजनाओं को न्यूनतम आवश्यकता अनुसार छोटा कर दिया गया है और इसके अक्तूबर, 2002 तक पूरा होने की सम्भावना है। ढेंकानाल कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम मार्च, 2002 तक पूरे होने की सम्भावना थी। तथापि, राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाईयों के कारण उड़ीसा जल आपूर्ति और सीवरेज द्वारा स्कीम को बंद करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

[हिन्दी]

रानीगंज स्थित कोयला-खानों में दरारें

5324. प्रो. दुखा भगत: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक खनन-कार्य की वजह से रानीगंज और इससे जुड़े क्षेत्रों की कोयला खानों में दरारें आ गई हैं जिससे खानों तथा मकानों को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) रानीगंज कोलफील्ड क्षेत्रों में बढ़ती हुई दरारों का कारण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिक खनन करना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

घटिया दर्जे की सामग्री का उपयोग

5325. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया दर्जे की निर्माण-सामग्री लगाये जाने की वजह से दिल्ली के सरिता विहार स्थित उपरिगामी-पुल की सड़क अंदर से धंस गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या इस पुल के संयोजक-जोड़ों पर वाहन-चालकों को झटके लगते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सरिता विहार उपरिपुल के प्रवेश मार्ग नहीं धँसे बल्कि अत्यधिक वर्षा के कारण बिटूमन की सतह पर मामूली से उभार देखे गए हैं।

(ग) संयोजक जोड़ों पर चढ़ाई का स्तर आसान तथा संतोषजनक है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में बताया है कि सतही उभार का कारण घटिया जल-निकासी है। खराबी वाले भाग में सतह की संरचना डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप पायी गई थी। बिटूमन सतह की आवश्यक मरम्मत कर दी गई है।

सेल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5326. श्री जे.एस. बराड़: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नवीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी यह योजना सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से किस तरह भिन्न है; और

(ग) सेल के विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों द्वारा इस योजना का लाभ लिए जाने की संभावना है और उनकी प्रतिशतता क्या रहेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो सरकारी क्षेत्र की सभी कंपनियों के लिए लागू है, शुरू की है।

(ग) इस योजना के दायरे में आने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

5327. डा. जयन्त रंगपी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 339(1) में यथानिर्देशित, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के विषय में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे ढेबर आयोग के रूप में जाना जाता है, का गठन 1960 में संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अनुसूचित क्षेत्र के विकास तथा देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में विस्तृत सिफारिशें की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई.सी.एल. के लिए पुनरुद्धार योजना

5328. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ई.सी.एल.) के प्रबंधन ने निरसा-मुगमा क्षेत्र के लिए जून, 1997 में एक पुनरुद्धार-योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटे को कम करने तथा वर्ष 2000 तक ''न लाभ-न हानि'' की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या परिणाम आशाओं के विपरीत रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में ई.सी.एल. ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जून, 1997 में मुगमा क्षेत्र के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई थी, जिसमें 14.85 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से क्षेत्र के कोयला उत्पादन को वर्ष 1996-97 में 16.97 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 1998-99 में 23.22 लाख टन तक करने की परिकल्पना की गई थी।

(ग) और (घ) पुनरुद्धार योजना में यह भी परिकल्पित था कि क्षेत्र की हानि को, जो वर्ष 1996-97 में 95.86 करोड़ रुपये (अनंतिम) थी घटाकर वर्ष 1998-99 में 48.47 करोड़ किया जाएगा।

(ङ) और (च) मुगमा क्षेत्र की पुनरुद्धार योजना में निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय मानदण्डों को निम्नलिखित कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका:

(1) समय से भूमि उपलब्ध न होना तथा सरप्लस श्रम-शक्ति को अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण करके श्रमशक्ति का युक्तिकरण करने, तथा सतह पर काम करने वाली सरप्लस श्रम-शक्ति को भूमि के नीचे तैनात किए जाने का स्थानीय यूनियनों द्वारा विरोध किया जाना।

(2) निधियों की कमी;

(3) अक्तूबर, 1999 में भारी वर्षा के कारण, कई खाने जैसे-कुमारधूबी की इन्कलाइन 5 कापासारा, मंडमान, गोपीनाथपुर का एक भाग, हरियाजन की इन्कलाइन 3 तथा 4, लखीमाता की बी.पी. इन्कलाइन, छापापुर, राजपुरा ओ.सी.पी. की बी.पी. सीम, तथा बारमुरी ओ.सी.पी. आदि डूब गई थी। पुन:, सितम्बर 2000 में मुगमा क्षेत्र की अधिकतर खानें डूब गई जिसके कारण बाड्जना यू.जी., कापासारा यू.जी., मंडमान यू.जी., निरसा ओ.सी.पी., बारमुरी ओ.सी.पी. और राजपुरा ओ.सी.पी. में उत्पादन रुक गया।

विद्यमान कार्यरत खानों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना तथा डूबी हुई खानों में उत्पादन आरम्भ करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इनसे पानी की निकासी करना, क्षेत्र में हुई कुल हानि में कमी के किए जाने हेतु वर्तमान में परिकल्पित उपाय हैं।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि हड़पने में दिल्ली पुलिस की संलिप्ता

5329. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने तुगलकाबाद किले की करोड़ों रु. मूल्य की सरकारी भूमि को हड़पने के सनसनीखोज मामले में, सरकारी भूमि को हड़पने तथा आपराधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाकर, दिल्ली पुलिस के कई सहायक पुलिस-आयुक्तों और पुलिस-निरीक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं श्रीमान्। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, तुगलकाबाद किला क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए सरकारी भूमि को हड़पने और बेचने के मामले में प्राइवेट व्यक्तियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों सहित अनेक सरकारी अधिकारियों के तथाकथित आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने के लिए उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्त अधिकारियों के कार्यालयों और रिहाइशी परिसरों में भी तलाशियां ली हैं और छानबीन के लिए संबंधित विभागों से संगत दस्तावेज एकत्रित किए हैं।

[अनुवाद]

जीवनरक्षक टीकों की कीमतें

5330. डा. बलिराम:
श्री पी.आर. खुंटे:
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन रक्षक टीकों को मूल्य-नियंत्रण से मुक्त रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि 'मे. जाइडस कडिल्ला', मै. कसडिला फार्मास्यूटिकल' और 'मे. पेनेशिया बायोटेक' इत्यादि दवा-कंपनियां करोड़ों रुपये मूल्य के टीकों का आयात करके कई गुना मुनाफा कमा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का गहन जांच करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (च) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत टीके गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग हैं। अत:, उनकी कीमतें आयातकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न तत्वों जैसे उत्पादन लागत, आयात मूल्य, शुल्क, माल भाड़ा, व्यापार का कमीशन, लाभ मार्जिन आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। बावजूद इसके, राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की मानीटरिंग करता है और आवश्यकता पड़ने पर जनहित में हस्तक्षेप भी करता है।

बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र को अतिरिक्त अनुदान

5331. श्री मोहन रावले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों के शहरों की तरफ आने की वजह से बुनियादी सेवाओं पर पड़े प्रभाव को देखते हुए केन्द्र सरकार का महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त अनुदान देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्र सरकार अवस्थापन विकास तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न स्कीमों के तहत आज तक उपलब्ध करायी गयी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। इन स्कीमों के अलावा कोई और अनुदान देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं था।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	महाराष्ट्र के लिए जारी अनुदान की राशि
1.	मेगा शहरों में अवस्थापना विकास	141.96 करोड़
2.	छोटे एवं मझोले कस्बों का अवस्थापना विकास (आईडीएसएमटी)	59.02 करोड़
3.	कम लागत सफाई स्कीम (एल.सी.एस.) (मैला ढोने की मुक्ति के लिए जारी सब्सिडी)	27.04 करोड़
4.	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	21.95 करोड़
5.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	82.77 करोड़
6.	राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम	123.22 करोड़

आतंकवादियों की गिरफ्तारी

5332. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुछ आई.एस.आई./पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनसे आर.डी.एक्स, डैटोनेटर तथा जाली मुद्रा इत्यादि बरामद किए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आतंकवादियों से मिली सूचना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चालू वर्ष में दिल्ली पुलिस ने 31 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जिनमें से 10 आई एस आई/पाक प्रशिक्षित उग्रवादी थे। उनसे की गई बरामदगियों में डेटोनेटिंग डिवाइसिस के साथ लगभग 6 कि.ग्रा. विस्फोटक (आर डी एक्स सहित), 5 हथगोले, एक पिस्तौल, ए डिजिटल केनवुड वायरलैस सैट, तीन मोबाइल फोन और 15,35,000 रुपये शामिल हैं।

(ग) और (घ) इन पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें आतंकवादी गतिविधियां चलाने और स्थानीय बेरोजगार युवकों को जेहाद के नाम पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु भारत भेजा गया था।

(ङ) दिल्ली में उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में बीट गश्त को गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र पिकेटों की तैनाती; आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और निरन्तर छापे मारना; विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले बाजारों, मनोरंजन स्थलों पर व्यक्तियों और सामान की जांच करना; गेस्ट हाऊसों और धार्मिक स्थलों की जांच करना और प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करना शामिल हैं।

हिन्द महासागर में आने वाले परिवर्तनों को दर्ज करना

5333. श्री किरीट सोमैया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वैज्ञानिकों ने महासागर में जिन परिवर्तनों को दर्ज किया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे भारतीय जलवायु स्थितियों तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इससे सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) महासागर संबंधी जलवायुवीय स्थितियों में संभावित परिवर्तनों में से एक है—समुद्र के स्तरों में परिवर्तन आना। महासागर विकास विभाग भारतीय तट और द्वीपों के पास समुद्र के स्तर को निरंतर मापने के लिए ज्वारमापक नेटवर्क स्थापित करके समुद्र स्तर में होने वाले परिवर्तनों का मानीटरन कर रहा है। समुद्र स्तर बढ़ाने के पूर्वानुमानों से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए वर्तमान में मुख्यत: अनुसंधान संबंधी कार्य ही किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को चिकित्सोपचार सुविधाएं

5334. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री विजय गोयल:
श्री रामदास आठवले:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन परिचर्या-गृहों में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के कर्मचारियों के लिए चिकित्सोपचार-सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इन परिचर्या गृहों में परिचर्य-गृहवार तथा वर्षवार कितने कर्मचारियों ने चिकित्सा कराई;

(ग) उक्त परिचर्या गृहों में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी चिकित्सा कराने के लिए प्राधिकृत हैं और कितने कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा, कराये गये उपचार के फर्जी दावापत्र पेश करने के संबंधित एक चिकित्सोपचार-घोटाला प्रकाश में आया है;

(ङ) यदि हां, तो उन परिचर्या-गृहों का ब्यौरा क्या है जो साधारण बीमारियों के लिए भी अत्यधिक चिकित्सा-खर्च दिखाकर फर्जी बिल तैयार कर रहे हैं;

(च) क्या इन परिचर्या-गृहों द्वारा दिये गये बिल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ किये गये समझौते के अनुसार ही तैयार किये जाते हैं;

(छ) यदि नहीं, तो ऐसा कब से चल रहा है और परिचर्या गृहों से प्राप्त भारी रकम वाले बिलों के आधार पर कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है;

(ज) क्या इन मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंपा गया है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और परिचर्या-गृहों की मिलीभगत है;

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ठ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत, डीडीए के कार्मिकों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित सभी नर्सिंग होम/हस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति है। आगे, डीडीए स्टाफ के कल्याण कार्य के रूप में प्रतिपूर्ति योजना के अतिरिक्त सितम्बर, 1999 में डीडीए ने उधार (क्रेडिट) सुविधा एक नर्सिंग होम/अस्पताल बढ़ाकर सात नर्सिंग होम/अस्पताल के लिए लागू कर दी थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (ठ) प्राप्त शिकायतों के आधार पर आंतरिक समीक्षा के अतिरिक्त एक समिति, जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं, ने सभी मसलों की जांच की और इस क्रेडिट सुविधा को अस्थायी तौर पर वापस लेने की सिफारिश की। यह क्रेडिट सुविधा 1.4.2001 से वापस ले ली गई। डीडीए द्वारा प्राप्त शिकायतों को जांच-पड़ताल हेतु डीडीए के सतर्कता विभाग में भी भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जांच-पड़ताल के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की गतिविधियां

5335. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर, केन्द्र ने यह निर्णय किया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में उसके द्वारा चलाई जा रही विध्वंसात्मक गतिविधियों तथा इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना और असैनिक अधिकारी सुरक्षाबलों की सहायता करें;

(ख) यदि हां, तो क्या मेरठ उप-क्षेत्र मुख्यालय पर 'सिविल-सैन्य संपर्क सम्मेलन' का आयोजन किया गया और जन सुरक्षा तथा आंतरिक-सुरक्षा से संबद्ध पारस्परिक-सहयोग के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की गई;

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन का परिणाम क्या रहा; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) केन्द्र सरकार देश में आई.एस.आई. से खतरे की आशंका और गतिविधियों के बारे में सैन्य प्राधिकारियों सहित केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों को सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आदान-प्रदान करने और साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु रणनीतियां सुझाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्यों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

मेरठ में एक सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न सुरक्षा पहलुओं और संभावित आई.एस.आई. गतिविधियों के संदर्भ में आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

यह सुरक्षा के लिए खतरे और संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु रणनीति तैयार करने के लिए सिविल प्रशासन और सेना, दोनों को समर्थ बनाने हेतु आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान करने तथा समन्वय विकसित करने की एक प्रक्रिया थी।

आसूचना ब्यूरो और अर्ध-सैनिक बलों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा

5336. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आसूचना ब्यूरो, अर्ध-सैनिक बल (पी.एम.एफ.) में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिक्तियां आगे ले जाई जा रही हैं, जो अप्रैल, 2000 में पारित हुए संविधान संशोधन की भावना के विपरीत है जिसके अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यातायात पुलिस द्वारा चालान किए गए वाहन

5337. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा, श्रेणी-वार, कितने वाहनों का चालान किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस केवल हलके वाहनों जैसे—दुपहिया, तिपहिया और कारों आदि का ही चालान करती है, जबकि भारी वाहनों को छोड़ दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	चालानों की संख्या
1	2	3
1.	भारी यातायात वाहन	356572
2.	हल्के यातायात वाहन	586684
3.	मध्यम मोटर वाहन	74
4.	ब्लू/व्हाईट लाइन बसें	76035
5.	चार्टर्ड निजी बसें	47084
6.	डी टी सी बसें	1255
7.	डी टी सी के अंतर्गत बसें	22973
8.	स्कूल बसें	3316
9.	राज्य परिवहन की बसें	2219
10.	मिनी बसें	2578
11.	अन्य बसें	2231
12.	टैक्सियां	14668
13.	कार/जीप	425529
14.	ट्रैक्टर	3356
15.	टी एस आर	148714
16.	स्कूटर/मोटर साइकिल	504827
17.	रिक्शा	146
18.	अन्य	34

[अनुवाद]

समुदाय-आधारित शिक्षा

5338. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:
श्री अनन्त नायक:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में समुदाय-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) क्या समुदाय-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अनुसरण में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं यथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राजस्थान में लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा योजना और जनशाला कार्यक्रम के तहत ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंध समितियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा माता शिक्षक संघों व अभिभावक शिक्षक संघों जैसे निकायों के रूप में समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया है। अनेक राज्यों में समुदाय आधारित ढांचे स्कूल भवन के निर्माण/मरम्मत, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने संबंधी अनुदान का प्रबंध, शिक्षक/छात्र उपस्थिति की मानीटरिंग अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास, नामांकन बढ़ाना आदि जैसे कार्यों में पहले से ही सक्रिय और सहायक भूमिका निभा रहे हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 2817.09 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई जिसमें सामुदायिक सहभागिता घटक भी शामिल है।

[हिन्दी]

बलात्कारियों को मृत्युदंड

5339. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कारियों को मृत्युदंड देने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर अमल कब से शुरू होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने बलात्कार कानूनों की विस्तृत रूप से पुनरीक्षा की और उसने प्रक्रिया और दाण्डिक कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश की है। बलात्कार के लिए मृत्यु दण्ड की सिफारिश नहीं की गयी है। अत: भारत सरकार ने बलात्कार के अपराध के लिए दी जाने वाली सजाओं में एक सजा मृत्यु दण्ड का प्रावधान करने के लिए भा.द.सं. को संशोधित करने के अपने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन

5340. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गौरव-सम्मान देने का अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और संप्रतीक और नाम (अनुसूचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद के समक्ष कब तक लाये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान में अध्यारोपित उन कार्यकारी प्रतिबंधों को वापिस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिनके तहत नागरिक राष्ट्रीय समारोह के अवसरों के अतिरिक्त, अपने घरों और कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहरा सकते?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का अधिकार है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950, उस अधिकार को कम नहीं करते हैं। राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम, 1971 केवल जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान को निषिद्ध करता है। इसी प्रकार से, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 केवल व्यापार, व्यवसाय, आजीविका या पेशा इत्यादि के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को निषिद्ध करता है। तथापि, भारतीय झंडा सहित जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/प्रदर्शन को शासित करने के लिए समय-समय पर जारी किए गए गैर-सांविधिक कार्यकारी निर्देशों का संकलन है, जनता द्वारा उसके प्रयोग पर कुछेक प्रतिबंध लगाता है। जनता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उदार प्रयोग/प्रदर्शन को सुकर बनाने के उद्देश्य से भारतीय झंडा संहिता में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी में ओवरमैन/माइनिंग सरदार

5341. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में इस समय कितने ओवरमैन/माइनिंग सरदार कार्यरत हैं;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों की कोयला खानों में ओवरमैन/माइनिंग सरदार की तैनाती के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में ओवरमैन और माइनिंग सरदारों की संख्या खानों की सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में ओवरमैन/माइनिंग सरदारों के आवश्यक/स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में कोल इंडिया लि. की प्रत्येक सहायक कम्पनी में ओवरमैन तथा माइनिंग सरदारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) ओवरमैन के परिनियोजन को प्रतिमान कोयला खान विनियम, 1957 में तथा खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) रिक्तियां संभव हद तक व्यक्तियों के स्थानान्तरण तथा प्रशिक्षण द्वारा आन्तरिक इधर-उधर तैनाती करके भरी जाती हैं। कमी को बाहर से भर्ती करके भरा जाता है। रिक्तियों का भरना एक चलता रहने वाला कार्य है जिसके लिए सहायक कम्पनियां आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

विवरण

कम्पनी	आवश्यकता	वर्तमान संख्या	कमी	अधिशेष
1	2	3	4	5
		ओवरमैनों की संख्या		
ई.सी.एल.	1341	1341	शून्य	शून्य
बी.सी.सी.एल.	1039	1048	"	09
*सी.सी.एल.	750	650	100	शून्य
डब्ल्यू.सी.एल.	947	943	04	शून्य
**एस.ई.सी.एल.	1171	1134	37	शून्य
एम.सी.एल.	306	304	02	शून्य
एन.सी.एल.	247	241	06	शून्य
एन.ई.सी.	051	048	03	शून्य
		माइनिंग सरदारों की संख्या		
ई.सी.एल.	2185	2185	शून्य	शून्य
बी.सी.सी.एल.	1925	2119	शून्य	194
*सी.सी.एल.	1175	1023	152	शून्य

1	2	3	4	5
डब्ल्यू.सी.एल.	1627	1649	शून्य	22
**एस.ई.सी.एल.	2082	2120	शून्य	38
एम.सी.एल.	490	436	54	शून्य
एन.सी.एल.	151	143	08	शून्य
एन.ई.सी.	128	128	शून्य	शून्य

* सी.सी.एल. के संदर्भ में, 45 व्यक्ति जो अधिकारी संवर्ग (काडर) में हैं ओवरमैन द्वारा वहन की जाने वाली अपेक्षित सांविधिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहां तक माइनिंग सरदारों का संबंध है, 70 व्यक्तियों को, जिनका प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण पूरा होने तथा क्वालिफाई कर लिए जाने पर माइनिंग सरदार के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

** एस.ई.सी.एल. में डिप्लोमा होल्डर जो माइनिंग सरदार के रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी ओवरमैन के रूप में पदोन्नति होने वाली है, जिससे ओवरमैन के वर्ग में विद्यमान कमी पूरी हो सकेगी।

[हिन्दी]

कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार

5342. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल और त्रिपुरा के किसी प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चीन का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) सरकार द्वारा कृषि-आधारित तथा ग्रामीण उद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने व उनका स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ऐसे अनेक सरकारी विभाग हैं जो इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डी एस आई आर/सी एस आई आर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, लघु उद्योग एवं एग्रो व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, के वी आई सी आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी ए पी सी टी टी-ई एस सी ए पी ने एक शिष्टमंडल चीन भेजा जिसमें त्रिपुरा तथा केरल के एक-एक बांस से शिल्पकार भी शामिल थे ताकि बांस तथा बेंत पर आधारित उद्यमों का आधुनिकीकरण करने के लिए उपयुक्त उपकरण/मशीनरी तथा शिल्पिक उन्नयन का पता लगाया जा सके और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बांस के शिल्पकारों के हुनर तथा उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। ए.पी.सी.टी.टी. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो चुनिंदा प्रौद्योगिकियों का पता लगाने, उसका हस्तान्तरण व समुपयोजन करने के साथ-साथ बांस जैसे एग्रो/ग्रामीण क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकी उन्नयन व निदर्शन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में केन्द्र तथा राज्य, दोनों में राष्ट्रीय एजेंसियों व एस एण्ड टी संस्थानों के साथ-साथ मिल कर कार्य करती हैं।

[अनुवाद]

जामा मस्जिद के आस-पास अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण

5343. श्री विजय गोयल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य को 16 अगस्त, 2001 तक जामा मस्जिद के आस-पास अनधिकृत सभी निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालय ने इस संबंध में पूर्व में अपने दिए गए आदेशों का पालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को किस तारीख तक हटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21.11.2000 के अपने आदेश के तहत जामा मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को हटाने का आदेश दिया था और डीडीए और एमसीडी को इस संबंध में 8 हफ्तों के अंदर तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया था। गिराने की समयावधि समय-समय पर बढ़ाई गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.7.2001 के अपने आदेश मे 16 अगस्त, 2001 तक आदेश का अनुपालन करने का निदेश दिया था।

डीडीए और एम सी डी ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद के आसपास से अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमण हटाने के प्रथम चरण का कार्य उनके द्वारा संयुक्त रूप से 8.8.2001 को किया गया और इसकी सूचना उच्च न्यायालय को 16.8.2001 को दी गई। दूसरे चरण की कार्रवाई 22 और 23 अगस्त, 2001 को की गई। शेष कार्य दिल्ली पुलिस और मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के परामर्श के साथ किया जाएगा।

विस्थापित कश्मीरी

5344. श्री सुबोध मोहिते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अंतर्गत कश्मीरी लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कश्मीरी पंडितों को अपने मूल स्थानों पर वापस भेजने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार का, विस्थापित कश्मीरी लोगों को "आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों" के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि "आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों" की संकल्पना में बहुत उलझने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसमें न केवल राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागे लोग ही शामिल होंगे बल्कि विकास परियोजनाओं जैसे सरदार सरोवर परियोजना इत्यादि के कारण विस्थापित हुए लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसमें उन लोगों के बीच भेद रखना भी आवश्यक है जोकि देश के विभाजन के परिणामस्वरूप 1947 के आसपास विस्थापित हो गए थे और वे जोकि राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने से भारतीय नागरिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, "प्रवासी" शब्द उनकी दु:ख-तकलीफों को कम करने के आड़े नहीं आया है और सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है जिससे यह पता चलता हो कि "प्रवासी" शब्द का गलत अर्थ लगाया गया हो जिससे प्रवासियों का अहित होता हो।

(घ) और (ङ) अक्तूबर, 2000 में, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कश्मीर प्रवासियों की वापिसी और पुनर्वास के लिए 2589.73 करोड़ रुपये की राशि से एक कार्य योजना प्रस्तुत की है ताकि इस समय जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों के 52,689 परिवारों, जिसमें 1.25 लाख के लगभग व्यक्ति हैं, की घाटी में वापिस हो सके। कार्य योजना में 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास सहायता, अक्षत मकानों के लिए एक लाख रुपए की दर से और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3 लाख रुपए की दर से मकान मरम्मत के लिए अनुदान, घरेलू सामान के लिए 0.50 लाख की दर से और फर्नीचर के लिए 0.50 लाख की दर से अनुदान; प्रति व्यक्ति 1-2 लाख रुपए की दर से ब्याज मुक्त ऋण; कृषि आय की हानि के लिए 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा; कृषि कार्यों में निवेश के लिए प्रति परिवार 1.50 लाख रुपए का ब्याजमुक्त ऋण और एक वर्ष के लिए प्रति माह 2000 रुपए के आहार का प्रावधान किया गया है।

जम्मू और कश्मीर की सरकार को श्रीनगर के प्रवासी परिवारों को उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास योजना को स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आदिवासियों की भर्ती

5345. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जिलों में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय आदिवासियों की भर्ती के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इन मार्ग-निर्देशों को किस सीमा तक लागू किया है; और

(घ) अनुसूचित जिलों में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर भरे गए पदों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 7.5 है। समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में सीधी भर्ती के मामले में, जो किसी इलाके या क्षेत्र से सामान्यत: उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, यह प्रतिशतता एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या प्रतिशतता पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। आरक्षण के अलावा, अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में अपने प्रवेश की वृद्धि के लिए अनेक शिथिलताएं और रियायतें भी दी गई हैं।

(ग) लोक उद्यम विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित 1,46,459 कर्मचारी थे। प्रतिशतता के संदर्भ में उनका प्रतिनिधित्व 8.01 आता है।

(घ) समूह 'ग' और 'घ' पदों में, जो स्थानीय क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पर आधारित आरक्षण का प्रावधान है।

[हिन्दी]

तमिलनाडु की स्थिति पर विधान

5346. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:**
श्री के. येरननायडू:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में हाल ही में हुई घटनाओं जिसमें केन्द्रीय मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था और केन्द्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बनी, की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप क्या होगा; और

(ग) विधान कब तक लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों के लिए आई.पी.एस. कोटा

5347. **श्री कोलुर बसवनागौड:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए आई.पी.एस. अधिकारियों का मौजूदा कोटा कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से आई.पी.एस. कोटे में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954, के अंतर्गत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्यों में आई पी एस अधिकारियों की वर्तमान प्राधिकृत संवर्ग संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	संवर्ग संख्या
1.	कर्नाटक	156
2.	उत्तर प्रदेश	375
3.	बिहार	163
4.	राजस्थान	167

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

दहेज कुप्रथा

5348. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कानूनी प्रावधानों, कानूनों और अधिनियम के बावजूद देश में प्रतिवर्ष लगभग 25,000 दुलहनें या तो मारी जा रही हैं या फिर उन्हें अपंग कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दहेज कुप्रथा के जड़ से उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1997-2000 तक के संबंध में गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा देश में दहेज मृत्यु और पति तथा उसके सगे-संबंधियों द्वारा उत्पीड़न के संकलित मामलों की संख्या दर्शायी गयी है।

(ख) सरकार ने दहेज लेने अथवा देने की प्रथा के निषेध के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 बनाया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(ख) और 498(क) भी दहेज मृत्यु तथा पति अथवा उसके सगे-संबंधियों द्वारा विवाहित महिला के साथ किये जाने वाले मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न के अपराध से संबंधित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113(ख) में यह व्यवस्था है कि न्यायालय ऐसे पति अथवा उसके सगे-संबंधी को दोषी मानते हैं, जिसने दहेज को लेकर महिला के साथ निर्दयता बरती हो।

इन कानूनों के कार्यान्वयन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके अधीन तंत्रों की है। तथापि, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि स्वतंत्र प्रभार वाले दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाये और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया जाये।

राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों को अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा कर रहा है।

चूंकि, दहेज की समस्या समाज में महिलाओं के निम्न दर्जे की द्योतक है, इसलिए सरकार ने महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने और लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में परिवर्तन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें जन-प्रचार अभियान, जागरूकता विकास शिविर, कानून के बारे में जानकारी का प्रसार, परामर्श, कानूनी सहायता, स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता और महिलाओं का समाजार्थिक सशक्तिकरण शामिल हैं।

हाल ही में अपनायी गयी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति में भी दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण होने वाली हिंसा सहित, महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं का उन्मूलन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

विवरण

वर्ष 1997 से 2000 (उपलब्ध महीनों) तक महिलाओं के साथ हुए अपराधों की घटनाएं
(राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष			
		1997	1998	1999	2000*
1.	दहेज के कारण मृत्यु	6006	6975	6699	6679
2.	उत्पीड़न	36592	41376	43823	38652

स्रोत: 1997 से 1999—भारत में अपराध
2000—मासिक अपराध आंकड़े
*गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा दादर एवं नगर हवेली से कुछ महीनों के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2000 के लिए पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आदिम जनजातीय समूहों को शामिल करना

5349. श्री चिंतामन वनगा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आदिम जनजातीय समूहों के सभी व्यक्तियों को शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं। सरकार को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मूल जनजातीय समूहों के सभी व्यक्तियों को कवर करने के सुझाव संबंधी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सेलम इस्पात संयंत्र को पुन: चालू किया जाना

5350. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र को पुन: चालू करने संबंधी कोई पैकेज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) सेल हेतु वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज, जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ सेलम इस्पात संयंत्र का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से नीतिपरक सहयोगी भागीदारों (एस ए पी) के साथ सेलम इस्पात संयंत्र हेतु एक संयुक्त उद्यम बनाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, सेल उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन करने के लिए कदम उठा रहा है।

पश्चिम बंगाल में आई.एस.आई. की गतिविधियां

5351. **प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने हाल ही में उनके साथ हुई बैठक में राज्य में आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने और भारत-बंगलादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की बारह अतिरिक्त बटालियनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य द्वारा कठिनाइयों पर काबू पाने में उनकी मदद करने हेतु अब तक कितनी बटालियनों को भेजा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, पश्चिमी बंगाल में अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की आवश्यकता का उल्लेख किया था।

किसी भी राज्य में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन दबावों को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी बंगाल में सम्भव सीमा तक केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल पहले ही तैनात किए गए हैं।

ऋण के वितरण हेतु "हडको" के साथ समझौता ज्ञापन

5352. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऋण के वितरण से संबंधित "हडको' के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान "हडको" द्वारा कितनी धनराशि जुटाई गई और उनमें से कितनी ऋण के रूप में वितरित की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कमजोर वर्ग के लोगों को "हडको" द्वारा राज्यवार कितना ऋण वितरित किया गया;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान "हडको" द्वारा कितनी धनराशि जुटाने का प्रस्ताव है; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष में ऋण के वितरण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के बीच हस्ताक्षरित वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार हुडको को देश भर में विभिन्न आवास और शहरी अवसंरचना योजनाओं के लिए क्रमश: 7150 करोड़ रु. और 4650 करोड़ रु. के ऋण संस्वीकृत करने और ऋण जारी करने का लक्ष्य सौंपा गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान हुडको द्वारा 5267 करोड़ रु. की राशि जुटाई गई। वर्ष 2000-2001 के दौरान, हुडको द्वारा 4829 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आवास के लिए हुडको द्वारा संस्वीकृत ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान हुडको द्वारा 4350 करोड़ रु. की राशि जुटाने का प्रस्ताव है।

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न आवास और शहरी अवसंरचना योजनाओं के लिए 4650 करोड़ रु. की राशि जारी करने का हुडको का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडको द्वारा राज्यवार जारी की गई राशि

(करोड़ रु. में)

राज्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जारी ऋण		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
आंध्र प्रदेश	171.78	128.18	393.81
असम	10.86	3.07	6.31
बिहार	1.36	09	–
गुजरात	10.8	24.50	17.00
हिमाचल प्रदेश	28.51	6.06	–
कर्नाटक	143.93	302.58	130.58
केरल	191.94	297.77	258.65
मध्य प्रदेश	6.39	1.17	10.66
महाराष्ट्र	1.59	2.41	6.06
मणिपुर	07	–	–
मेघालय	10.00	–	–
मिजोरम	–	20	1.13
नागालैंड	.36	1.14	.81
उड़ीसा	29.10	89.58	254.19
राजस्थान	8.18	3.08	.63
तमिलनाडु	71.89	42.17	99.44
त्रिपुरा	.14	–	.93
उत्तर प्रदेश	51.88	.34	.50
पश्चिम बंगाल	100.16	52.62	250.71
	838.42	954.96	1431.41

संस्थानों को मान्यता

5353. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सी बी एस ई और आई सी एस ई पाठ्यक्रमों के लिए मान्यताप्राप्त करने हेतु अनेक निजी शैक्षणिक संस्थानों के अनेकों आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मान्यता प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु अपनाये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मान्यता शीघ्र प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से संवर्द्धन के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भेजे गए आवेदनों पर कोई कार्रवाई अथवा उन्हें अनुमोदित नहीं करती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद के पास संवर्द्धन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से संवर्द्धन चाहने वाले स्कूलों को बोर्ड/परिषद के संवर्द्धन नियमों/दिशा-निर्देशों में दिए मानदंडों/शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों/मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, भवन, प्रबंधन, शिक्षण कर्मचारी, वेतन, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताओं तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र का उल्लेख है। निर्धारित शर्तों/मानदंडों के पूरा न किए जाने तथा बताई गई कमियों को दूर करने में स्कूल द्वारा लगाए गए समय के कारण संवर्द्धन प्रदान करने में विलंब होता है। संवर्द्धन समिति/कार्यकारी समिति की ऐसी सभी मामलों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से बैठकें होती हैं जो संवर्द्धन नियमों/दिशा-निर्देशों के संबंध में पूर्ण हैं।

विवरण

सम्बद्धन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/ भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद के पास प्राइवेट स्कूलों के लम्बित आवेदनों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	के.मा.शि. बोर्ड (शैक्षिक सत्र 2001-2002 सम्बद्धन तथा स्तरोन्नयन के लिए नए आवेदन)	भा.वि.प्र.प. परिषद
1.	आंध्र प्रदेश	02	02
2.	असम	04	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	01
4.	बिहार	08	–
5.	गोवा	–	–
6.	गुजरात	01	01
7.	हरियाणा	24	02
8.	हिमाचल प्रदेश	04	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–
10.	कर्नाटक	–	04
11.	केरल	23	02
12.	मध्य प्रदेश	11	–
13.	महाराष्ट्र	01	01
14.	मणिपुर	01	–
15.	मेघालय	–	01
16.	नागालैंड	01	–
17.	उड़ीसा	05	02
18.	पंजाब	10	–
19.	राजस्थान	09	–
20.	तमिलनाडु	01	02
21.	त्रिपुरा	–	–
22.	उत्तर प्रदेश	39	04
23.	पश्चिम बंगाल	07	–
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	02	–
25.	चंडीगढ़	01	–
26.	दिल्ली	11	–

आई.एन.ए. कालोनी के बरसाती नाले को ढकना

5354. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.एन.ए. कालोनी, नई दिल्ली से सेवा नगर क्रासिंग तक बरसाती नाले को ढकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त कार्य के कब तक शुरू किये जाने और पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) सरकार का इस कार्य के पूरा होने के बाद उपलब्ध भूमि को किस तरह से उपयोग में लाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार से यह मांग की गई है कि ढके नाले की भूमि को जन कल्याण प्रयोजनों के उपयोग हेतु आवंटन किया जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आई.एन.ए. कालोनी से सेवा नगर तक के बरसाती पानी नाले को ढकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की मांग में गिरावट

5355. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान इस्पात की मांग में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात की मांग में कितनी गिरावट दर्ज की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मांग में गिरावट के कारण इस्पात के मूल्य में भी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस्पात के मूल्यों के उतार-चढ़ाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस्पात उत्पादन और इसके मूल्यों में घटती मांग से पड़ने वाले असर को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) इस्पात की मांग में पूरी तरह से गिरावट नहीं आई है लेकिन गत एक वर्ष के दौरान मांग में वृद्धि मंद रही।

(ग) से (ङ) इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात, इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाती हैं जो परिवर्तनशील होती हैं। गत दो वर्षों में इस्पात की कीमतों में यदाकदा बढ़ने के साथ गिरावट की प्रवृत्ति रही है। कतिपय उत्पादों की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक की गिरावट रही है। इस्पात की कीमतों में गिरावट अनेक घटकों के कारण हो सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू मांग में वृद्धि का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, अत्यधिक वैश्विक क्षमता, निर्यात बाजार में गतिरोध, दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट, तत्कालीन यू एस एस आर का विघटन तथा कुछ देशों द्वारा इस्पात का पाटन करना शामिल है। सरकार/इस्पात उद्योग ने इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

* गत दो बजटों में ढांचागत विकास के लिए अधिक आबंटन।
* इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाना। अभियान में अधिक बाजार संभाव्यता के साथ इस्पात निर्मित विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है जैसे कि ग्रामीण तथा कृषि आधारित जैसे नए क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भंडारगृह।
* बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र का अभिमुखीकरण करना तथा बाजार मांग में परिवर्तन के साथ-साथ उत्पादन को समायोजित करना।
* ग्राहकों के साथ आपूर्ति व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन करके दीर्घावधिक ग्राहक संबंध विकसित और पोषित करना।
* रूस तथा यूक्रेन से आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना।
* दोयम तथा दोषपूर्ण इस्पात के आयात को विनियमित करना।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन

5356. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विशेषकर बिहार में आज की तिथि तक कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है; और

(ख) इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत लगभग 7.64 लाख स्कूलों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 48943 स्कूल बिहार में हैं।

(ख) अब तक इस योजना पर किया गया कुल व्यय 7455.84 करोड़ रु. है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना

5357. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना नामक एक योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं; और

(घ) कौन-कौन से विश्वविद्यालयों पर अनुदान प्रदान करने के लिए विचार किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति" संबंधी योजना सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन योजनाओं की उपलब्धियां

5358. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), एक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम, का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के दिशा-निर्देशों तथा लाभार्थी सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। राज्यवार संचयी उपलब्धियों को दर्शाता विवरण संलग्न है।

विवरण

एसजेएसआरवाई के तहत विभिन्न घटकों की वास्तविक प्रगति

(30.6.2001 तक प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य का नाम	यू.एस.ई.पी.				यू.डब्ल्यू.ई.पी.
		यूएसईपी के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	बनाए गए डीडब्ल्यूसीयूए की संख्या	डीडब्ल्यूसीयूए के तहत लाभार्थी महिलाओं की संख्या	सृजित मानव दिवस (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	47266	8926	5750	4605	75.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	सूचित नहीं
3.	असम	394	0	0	0	1.93

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	590	629	7	0	4.65
5.	छत्तीसगढ़	2077	716	73	105	0.85
6.	गोवा	132	468	3	0	0.66
7.	गुजरात	11574	24073	5522	0	8.90
8.	हरियाणा	5723	4459	105	880	1.20
9.	हिमाचल प्रदेश	939	1253	22	63	5.38
10.	जम्मू और कश्मीर	4544	7288	66	105	0.66
11.	झारखण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	15397	87958	680	3516	38.27
13.	केरल	10604	20427	830	6898	1.45
14.	मध्य प्रदेश	64724	44860	1107	2520	20.79
15.	महाराष्ट्र	24102	15400	210	218	15.78
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0.45
17.	मेघालय (सित., 99 तक)	414	136	0	0	0.26
18.	मिजोरम	286	700	75	0	4.22
19.	नागालैंड	255	255	54	312	1.116
20.	उड़ीसा	8111	9079	834	8764	18.28
21.	पंजाब	5451	7305	40	170	3.50
22.	राजस्थान	16622	6765	0	0	2.34
23.	सिक्किम	177	571	11	0	2.15
24.	तमिलनाडु	8958	3059	555	1339	56.39
25.	त्रिपुरा	240	997	22	0	21.19
26.	उत्तरांचल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	83881	30629	1310	1276	43.39

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	–	29075	36	25	26.52
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	0	0.31
30.	चंडीगढ़	57	410	0	0	लागू नहीं
31.	दादरा व नगर हवेली	37	35	0	0	0.21
32.	दमन और दीव	45	0	0	0	0.04
33.	दिल्ली	सूचित नहीं	800	18	0	लागू नहीं
34.	पांडिचेरी	661	725	10	117	22.66
	कुल	313272	306998	17341	30914	379.33

[हिन्दी]

कार्यबल गठित करना

5359. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत निर्माण/कब्जों को रोकने के लिए कार्यबल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यबल द्वारा कितने अनधिकृत निर्माणों/कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने सूचना एकत्र करने, अपेक्षित अभियोजन की कार्रवाई करने तथा अतिक्रमण की गई भूमि के संरक्षण व वसूली के लिए भूस्वामी एजेंसी को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला कार्य दल गठित किया है।

(ग) डिविजनल कमिश्नर, दिल्ली ने सूचित किया है कि कार्यदल ने जून, 1998 से जुलाई, 2001 तक की अवधि के दौरान 7138 रिहायशी और 4512 वाणिज्यिक भवनों में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

संस्कृत सप्ताह मनाना

5360. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में संस्कृत सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस सप्ताह के दौरान कौन से कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1969 से श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है। वर्ष 2001 से श्रावण पूर्णिमा के तीन दिन पहले आने वाले तथा श्रावण पूर्णिमा के 3 दिन बाद आने वाले दिवसों को प्रत्येक वर्ष संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा 4 अगस्त, 2001 को थी, अत: संस्कृत सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त, 2001 तक मनाया गया था। संस्कृत सप्ताह का मनाया जाना प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा की सही तारीख पर निर्भर करता है।

(ख) संस्कृत के प्रचार में कार्यरत विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के कुलपतियों/सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत जन बैठकें आयोजित करके

संस्कृत विद्वानों की बैठकें करके, संस्कृत नाटकों का मंचन करके सही ढंग से संस्कृत सप्ताह मनाएं।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता

5361. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ पिछले वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उत्पादकों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक की राजसहायता वसूलने के संबंध में कुछ मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी अतिरिक्त राशि वसूल की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार कुछ यूरिया निर्माता कंपनियों द्वारा अपने एककों की क्षमता कम बताकर फालतू सब्सिडी लेने के मामले से अवगत है। सरकार ने की जाने वाली वसूलियों सहित क्षमता के पुनरांकलन के समग्र मुद्दे का निवारण करने हेतु डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29.3.2001 को प्रस्तुत कर दी है। डा. अलघ समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने तक उच्च क्षमता वाले यूरिया एककों की क्षमता का अंतिम पुनरांकलन पहले ही दिनांक 1.4.2000 से किया गया है जिससे प्रति वर्ष लगभग 430 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इसके अलावा, खपत मानकों में संशोधन न किये जाने के कारण फालतू सब्सिडी लेने की भी सूचना मिली है। वर्ष 1992 में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 30.6.1997 तक बढ़ा दी गई छठी मूल्य निर्धारण अवधि के मानक संशोधित नहीं किए गए थे। मूल्य निर्धारण नीति मानदंडों में परिवर्तन पर सरकार विचार करती रही है। उर्वरक विभाग भी 1.7.1997 से आगे की अवधि को शामिल करते हुए प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी योजना के लिए प्रासंगिक विभिन्न मानदण्डों के लिए मानकों को अद्यतन बनाने और संशोधित करने के कार्य में व्यस्त हैं। मानकों के प्रस्तावित संशोधन पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहने तक इन एककों को मौजूदा मानदंडों के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है।

कोयले की कीमतें तय करने हेतु नया तंत्र

5362. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की विभिन्न किस्मों की कीमतें तय करने हेतु एक नया तंत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो पुराने तथा नये तंत्र के बीच क्या अंतर है; और

(ग) नए तंत्र से उत्पादकों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2000 से कोयले का मूल्य पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया गया है।

(ख) नियंत्रित व्यवस्था में कोयले का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) कोयले के मूल्य के विनियंत्रण के बाद, कोयला उत्पादक कम्पनियां बाजार की स्थितियों के संबंध में अपनी वाणिज्यिक दूरदर्शिता के अनुसार कोयले का मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, 1993 में क्षेत्रीय असंतुलन

5363. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 73 के कार्यान्वयन में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सभी क्षेत्रीय समितियों के प्रशासनिक कार्यों में असंतुलन की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 में धारा 73 नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 में सुपरिभाषित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाली चार क्षेत्रीय समितियों के गठन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई गम्भीर समस्या पेश नहीं आई है जिससे क्षेत्रीय समितियों के मौजूदा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक हो।

गैस आधारित रासायनिक उर्वरक उत्पादन परियोजनाओं की उत्पादन लागत

5364. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 1992 से पूर्व की गैस आधारित रासायनिक उर्वरक उत्पादन परियोजनाओं तथा 1992 के बाद ही गैस, नाफ्था, ईंधन और अन्य मिश्रित ईंधन आधारित परियोजनाओं की उत्पादन लागत में भिन्नता है; और

(ख) यदि हां, तो 2000-2001 के दौरान योजनाओं की उक्त श्रेणियों में प्रत्येक की औसत उत्पादन लागत कितनी थी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यूरिया की उत्पादन लागत में अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र के पुरानेपन, प्रयुक्त फीडस्टाक, क्षमता उपयोग के स्तरों, इनपुटों की वास्तविक खपत, परिवर्तन लागत अवस्थिति एवं संयंत्र के स्वास्थ्य इत्यादि पर निर्भर करते हुए एकक-दर-एकक भिन्नता होती है। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत के कर पश्चात लाभ एवं विभिन्न लागत तत्वों एवं खर्चों के संबंध में मानकों के एक संयोजन एवं वास्तविकताओं की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् स्वदेशी यूरिया एककों के प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जमा कुल मूल्य पर लाभ) का निर्धारण करती है।

(ख) 1992 पूर्व गैस आधारित यूरिया एककों का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 1.8.2001 को 6258 रु. प्रति मी. टन है जबकि 1992 पश्चात् गैस आधारित नेफ्था एवं ईंधन तेल/निम्न सल्फर हेवी स्टॉक आधारित यूरिया एककों का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य क्रमश: 6523 रु., 12068 रु. एवं 9721 रु. प्रति मी. टन है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. द्वारा दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

5365. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन वर्ष पहले जिन सात फ्लाई ओवरों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया था उनमें से एक भी फ्लाई-ओवर का निर्माण समाप्ति के नजदीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अनावश्यक विलंब के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को अत्यंत व्यस्त यातायात खंडों में भीड़भाड़ कम करने के लिए तैयार की गई अनेक योजनाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य विभाग ने समय पर पूरा कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के खराब रिकार्ड और अकुशलता के बावजूद प्राधिकरण को सात और फ्लाई ओवरों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ज) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने और दिल्लीवासियों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल और उपयुक्त कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे निर्माण के लिए सौंपे गये 7 फ्लाई ओवरों में से दो पूरे हो चुके हैं।

(ख) पूरे होने की करार अवधि से ज्यादा विलंब होने का मुख्य कारण, बिजली और टेलीफोन केबलों, सीवर लाइनों, पानी के नल आदि जैसी उपयोगी सेवाएं विलंब से स्थानान्तरित होना बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-24—नोयडा रोड पर फ्लाईओवर के संबंध में विशेष विलंब, पांडव नगर के पक्के मकानों तथा पैट्रोल पंप की वजह से सामान्य विन्यास नक्शे में संशोधन के लिए हुआ है। रिंग रोड-रोड सं. 41 की फ्लाईओवर परियोजना के संबंध में फ्लाईओवर की योजना और सामान्य विन्यास नक्शे, प्रस्तावित संरेखण पर अनेक कठिनाईयों की वजह से संशोधित करने पड़े। निर्माण की वास्तविक लागत प्राथमिक अवस्था में दर्शाई गई लागत के भीतर रहने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि उसे 9 फ्लाईओवरों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिसमें से 5 पूरे कर लिए गए हैं और चालू हो गए हैं।

(च) पूरे किए गए फ्लाईओवर इस प्रकार हैं:

(1) बाहरी रिंग रोड पर नेहरू प्लेस क्रासिंग

(2) बाहरी रिंग रोड पर सावित्री सिनेमा टी-जंक्शन

(3) रिंग रोड पर मोती बाग क्रासिंग

(4) रिंग रोड पर अफ्रीका एवेन्यू क्रासिंग

(5) पंजाबी बाग फ्लाईओवर।

निम्नलिखित फ्लाईओवर निर्माणाधीन हैं:

(1) एन्ड्रूजगंज क्रासिंग

(2) मायापुरी क्रासिंग

(3) सफदरजंग क्रासिंग

(4) धौलाकुआं फ्लाईओवर।

(छ) इसकी पुष्टि की जाती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को 7 और फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य सौंपा गया है। प्रस्तावित फ्लाईओवरों के साथ लगने वाली पुनर्वास सेवाएं की जा रही हैं।

(ज) और (झ) इस समय मामले में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा गया।

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

5366. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर में वर्ष 2000 के दौरान तथा आज तक राज्य-वार कितने आतंकवादी मारे गए, गिरफ्तार किए गए और कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया;

(ख) क्या एनएससीएन (आई एण्ड एम) के साथ युद्ध विराम के पश्चात् समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षेत्र के अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ भी एक व्यापक युद्ध विराम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2000 और 2001 (15.8.2001 तक) के दौरान मारे गए, गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	मारे गए		गिरफ्तार किए गए		आत्मसमर्पण करने वाले	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
असम	321	177	423	121	1755	260
नागालैंड	84	34	81	44	25	47
मणिपुर	102	97	117	140	33	2
त्रिपुरा	38	20	798	407	95	334
मेघालय	15	5	61	27	22	44
मिजोरम	1	–	13	1	18	–
अरुणाचल प्रदेश	24	5	43	22	14	3

(ख) और (ग) ऊपर दिए गए ब्यौरों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) सरकार ने उन सभी उग्रवादी ग्रुपों, जो भाई-चारे के रास्ते से भटक गए हैं, को हिंसा का रास्ता छोड़कर आगे आने और हमारे संविधान के दायरे में बातचीत करने का निमंत्रण दिया है। सरकार एन एस सी एन (आई एम), एन एस सी एन (के) और बी एल टी के साथ संघर्ष विराम समझौते कर चुकी है। मणिपुर की कुकी नेशनल आर्मी (के एन ए) ने सरकार के साथ बातचीत की पेशकश की है। अन्य कोई आतंकवादी संगठन आगे नहीं आया है।

खेप भण्डारी अधिकार

5367. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित उपक्रम आईपीसीएल द्वारा अपने उत्पाद बेचने के लिए खेप भण्डारी अधिकार निजी कम्पनियों को दिए गए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या ऐसे खेप भण्डारी के आबंटन हेतु कोई मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पंजाब राज्य के लिए खेप भण्डारी आबंटन करते हुए इन मानदंडों का पालन किया गया था; और

(ङ) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) जी, हां। आई पी सी एल, सरकारी एजेंसियों तथा प्राइवेट (गैर-सरकारी) पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप/कन्साइंटमेंट स्टॉकिस्टशिप देता है। आई पी सी एल के पास कन्साइमेंट स्टाकिस्टशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए मानदण्ड हैं जो समय-समय पर कार्पोरेशन द्वारा मंजूर किये जाते हैं। प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, निर्धारित प्रारंभिक जमा राशि सहित आवेदन आमंत्रित करना और कंपनी की तथ्य जांच निष्कर्ष विषयक समिति द्वारा आवेदकों के अनुभव, उनकी ढांचागत सुविधाओं और वित्तीय सुदृढ़ता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना शामिल है। इस तथ्य जांच निष्कर्ष विषयक समिति की पुनरीक्षा वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है और तब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की मंजूरी से पूर्व निदेशक मण्डल की एक समिति इसकी पुनरीक्षा करती है। पंजाब राज्य सहित सभी राज्यों में कनसाइंमेंट स्टॉकिस्टशिप की नियुक्ति हेतु इन मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है।

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड

5368. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम ने उड़ीसा में स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में अपना हिस्सा दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित इस्पात परियोजना में एमएमटीसी का पहले हिस्सा कितना था और अब कितना है;

(ग) लक्की गोल्डस्टार कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कारपोरेशन के इस्पात परियोजना में भाग लेने से पीछे हटने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात संयंत्र की स्थापना में आज तक कितनी प्रगति हुई?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की साम्या में एम एम टी सी लिमिटेड की प्रारंभिक हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपये थी जिसे बाद में बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ग) दक्षिण कोरिया में मुद्रा स्फीति तथा आर्थिक मंदी के कारण लक्की गोल्डस्टार, दक्षिण कोरिया इससे पीछे हट गया। कामनवेल्थ डेवलपमेंट कार्पोरेशन (के डी सी) की पुनर्संरचना और निजी निवेशकों अर्थात् लक्की गोल्डस्टार के पीछे हटने के कारण कामनवेल्थ डेवलपमेंट कारपोरेशन (के डी सी) यू.के. बाहर हो गया।

(घ) कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की अपनी धमनभट्टी को चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान चालू करने की अनुसूची है। इस्पात का उत्पादन करने के लिए विस्तृत इंजीनियरी और निर्माण कार्य, जो परियोजना का दूसरा चरण है, प्रगति पर है।

एन.सी.एल.पी. का मूल्यांकन

5369. डा. वी. सरोजा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.सी.एल.पी. का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की सूचनानुसार अभिनिर्धारित एन.सी.एल.पी. के मूल्यांकन का कार्य अभिनिर्धारित मूल्यांकन अभिकरणों, अंतर्मंत्रालयी दलों और केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर आवधिक रिपोर्टों और समीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। श्रम सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय मॉनीटरिंग समिति का भी गठन किया गया है, जो एन.सी.एल.पी. का समग्र पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करती है। जनवरी, 2001 में आयोजित राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन में बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गयी है। बड़े पैमाने पर किये गये मूल्यांकन से पता चला है कि बाल श्रम की समस्या की व्यापकता को परियोजनाओं द्वारा पुनर्वास उपायों के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है।

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपाय

5370. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए उग्रवादियों के हमले को ध्यान में रखते हुए देश में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इसलिए रेलवे स्टेशनों पर अपराधों का पता लगाने और रोकने एवं उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है। केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी गुटों, जिन्होंने रेलवे की एक महत्वपूर्ण निशाने के रूप में पहचान की है, से खतरे के बारे में राज्य सरकारों को सलाह भेजी है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रेल पटरियों की गश्त करना, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच नियमित बैठकों की आवश्यकता, चलती गाड़ियों में चल पुलिस बल की तैनाती, पुलिस मार्गरक्षियों और रेलवे स्टाफ के बीच समन्वय में सुधार, अनधिकृत फेरीवालों, शरारती और अन्य अवांछित तत्वों को हटाना तथा उस स्थान, जहां पहले रिपोर्ट मिलती है, पर मामलों का तुरंत पंजीकरण करना शामिल है। राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता हेतु रेलवे प्रशासन ने भी कदम उठाए हैं। इनमें, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच सूचना का आदान-प्रदान, अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में तुरंत कार्रवाई ग्रुपों की तैनाती शुरू करना, रात के समय यात्री रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सहायता, समाज-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस को शामिल करके संयुक्त रूप से रणनीति तैयार करना इत्यादि शामिल है।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता

5371. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना, 1992 में सभी को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुख्यत: जिम्मेदार राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं।

(ख) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन तथा अध्ययन-अध्यापन उपकरणों के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। जिला प्राथमिक

शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र कार्यक्रम है। इस समय यह कार्यक्रम 18 राज्यों के 271 जिलों में चल रहा है जिनके नाम इस प्रकार हैं:–आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल। गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है। इन कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अध्ययन-अध्यापन सामग्री की आपूर्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल वातावरण में सुधार आदि शामिल हैं। उन सभी राज्यों जिनमें जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, में नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उप-जिला स्तरों पर शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा कलस्टर संसाधन केन्द्रों की नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं। राजस्थान में लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजनाओं में राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार संबंधी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। व्यावहारिक संस्थागत ढांचे के सृजन, प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन आधार बनाने, ज्ञान के लिए प्रशिक्षण तथा सतत स्तरोन्नयन तथा देश में स्कूल शिक्षकों की दक्षता तथा शैक्षिक कौशलों के सृजन के लिए शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 16 लाख से भी अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को संस्वीकृत किए गए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश—9 राज्यों के 105 चुनिन्दा ब्लाकों में भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र का जनशाला नामक एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ तथा प्रभावी बनाना है। सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना भी शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को लाभप्रद तथा गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। मार्च, 2002 तक देश के सभी जिलों को सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है।

विवरण I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पठन-पाठन उपस्कर के लिए शामिल किए गए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	एकल स्कूल शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूल के लिए संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के पद	100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत तृतीय शिक्षक के पद	आपरेशन ब्लैकबोर्ड के मानदण्डों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्मित अतिरिक्त कमरें	पठन-पाठन उपस्कर के लिए शामिल किए गए अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या	अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के पद	आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत पठन-पाठन उपस्कर प्राप्त करने और नियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए जारी की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	43,706	18,032	20,849	22,135	11,109	5,380	31,149.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	952	526	225	154	301	0	897.78
3.	असम	25,970	8,903	1,723	4,079	6,730	6,730	15,841.18
4.	बिहार	51,335	13,303	0	18,462	3,558	0	21,300.54
5.	गोवा	966	167	2	242	108	0	274.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गुजरात	12,393	2,374	0	3,601	16,289	0	9,682.98
7.	हरियाणा	7,445	382	199	900	1,204	1,204	1,316.64
8.	हिमाचल प्रदेश	6,934	1,951	838	1,834	2,622	347	4,980.73
9.	जम्मू और कश्मीर	7,768	4,380	1,200	3,488	2,668	2,668	6,237.89
10.	कर्नाटक	22,281	14,350	3,855	17,492	19,013	18,916	44551.44
11.	केरल	6,674	0	0	235	2,834	0	1691.89
12.	मध्य प्रदेश	64,722	22,163	22,163	13,208	6,445	6,445	26,992.64
13.	महाराष्ट्र	36,800	15,704	4,200	21,668	16,864	10,969	33,182.01
14.	मणिपुर	2,550	338	0	303	398	0	457.00
15.	मेघालय	3,141	1,969	200	2,503	733	733	2,730.32
16.	मिजोरम	1,015	119	171	152	752	106	755.27
17.	नागालैंड	1,190	42	95	3	427	161	324.11
18.	उड़ीसा	34,178	14,112	5,258	5,430	10,023	10,023	24,890.04
19.	पंजाब	12,925	1,457	0	1,941	2,687	2,687	5,694.24
20.	राजस्थान	27,023	15,352	1,692	9,225	6,865	2,903	23,884.55
21.	सिक्किम	509	45	0	33	120	0	124.66
22.	तमिलनाडु	29,255	2,774	4,613	10,888	3,388	0	7,051.94
23.	त्रिपुरा	1,927	445	210	1,070	435	435	1,092.42
24.	उत्तर प्रदेश	70,438	8,891	11,800	33,283	19,148	5,310	31,910.58
25.	पश्चिम बंगाल	48,450	1,679	3,750	12,913	2,648	2,353	7,748.57
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	182	7	2	10	44	0	30.09
27.	चंडीगढ़	23	0	0	1	–	0	1.17
28.	दादरा और नगर हवेली	120	80	0	54	37	0	36.46
29.	दमन और दीव	32	0	0	2	43	0	21.44
30.	दिल्ली	1,688	0	0	10	437	196	427.83
31.	लक्षद्वीप	19	0	0	0	4	0	2.48
32.	पांडिचेरी	271	51	0	101	75	44	139.95
		522,902	149,146	83,045	185,425	138,009	77,610	305,422.37

विवरण II

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	19
4.	बिहार*	34
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	20
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश*	45
13.	महाराष्ट्र	30
14	मणिपुर	8
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	17
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	30
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	29
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश*	67
25.	पश्चिम बंगाल	16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
27.	दिल्ली	7
28.	पांडिचेरी	1
29.	लक्षद्वीप	1
	कुल	461

*नए राज्य सम्मिलित हैं।

दिल्ली में फार्म हाऊस

5372. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 20.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 23 जुलाई, 1998 की मंत्रालय की अधिसूचना को संलग्न करने के क्या कारण हैं, जबकि इसे मंत्री महोदय ने खारिज कर दिया था; और

(ख) दिल्ली में फार्म हाऊसों के संबंध में जारी किए गए नए मानदण्डों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है जबकि 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए भवन नियंत्रण मानदण्डों से यथा संबंधित, 23.7.98 की अधिसूचना को रद्द नहीं किया गया है। तथापि, इसे दिनांक 7.6.2000 की अधिसूचना द्वारा यथा स्पष्ट शर्तों के अध्यधीन बना दिया गया है।

(ख) नवीनतम मानदण्डों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फार्म हाउस

क्र.सं.	फार्म का आकार	रिहायशी क्षेत्र का अधिकतम फर्शी क्षेत्र	रिहायशी इकाईयों की अधिकतम ऊंचाई
(क)	1.0 हेक्टे. और उससे अधिक लेकिन 2.0 हेक्टे. से कम	100 वर्ग मी. (मेजनीन तल सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मी.
(ख)	2.0 हेक्टे. और इससे अधिक	150 वर्ग मी. (मेजनीन तल सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मी.

अन्य नियंत्रण:

(1) रिहायशी मकान में, सम्पत्ति की किसी भी बाउंड्री लाइन से 15 मी. की अन्तर-दूरी होनी चाहिए।

(2) जहां सम्पत्ति शहरी सड़क से सटी हो वहां रिहायशी मकान भवन, उस सड़क की मध्य रेखा से 60 मीटर की अन्तर-दूरी पर होना चाहिए। जहां सम्पत्ति गांव की सड़क से सटी हो वहां भवन उस सड़क मध्य लाइन से 30 मीटर की अन्तर दूरी पर होना चाहिए।

(3) किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के 400 मीटर मार्गाधिकार के भीतर कोई रिहायशी इकाई नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

5373. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना कार्य किया गया;

(ख) क्या राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में सबसे पिछड़ा राज्य है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजनाएं राज्य में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) राजस्थान में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों (1994-95 से 1998-99) के दौरान राजस्थान राज्य में वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की संख्या 33, 36, 50, 42 और 45 है जिन पर अनुमोदित लागत 396 लाख रु., 292 लाख रु., 329 लाख रु., 504 लाख रु. और 731 लाख रु. है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) जी, हां। राजस्थान राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जैसे विज्ञान और समाज, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार पस्षिद, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास, यंत्रीकरण विकास, फ्लाई ऍश मिशन, बहिर्विश्वविद्यालयी (एक्स्ट्राम्यूरल) अनुसंधान और विकास योजनाएं आदि।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन

5374. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं यथा लघु और मध्यम शहरों का समेकित विकास, गरीबों के लिए बुनियादी शहरी सेवाएं, प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम तथा कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां जारी करने में कोई असमानता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उन राज्यों को जिनमें बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, निधियां जारी करने में प्राथमिकता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की योजना (आईडीएसएमटी) के अंतर्गत धनराशि नियतन के लिए मानदंड समग्रत: सारे देश में छोटे एवं मझोले कस्बों की आबादी की तुलना में राज्य में छोटे एवं मझोले कस्बों में रहने वाली आबादी की प्रतिशतता है। निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं और प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मिला दिए गए हैं और दिनांक 1.12.97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नाम से एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 आधार पर किया जा रहा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धनराशि का नियतन गरीबी के विस्तार के आधार पर किया जाता है।

कम लागत के सफाई प्रबंध योजना के अंतर्गत कस्बों का चयन उनकी शहरी आबादी और किस हद तक मैला ढोने की प्रथा प्रचलित है इस आधार पर किया जाता है। इन कस्बों को प्राथमिकता दी जाती है जहां शुष्क शौचालय अधिक संख्या में हैं अथवा जहां अधिक संख्या में लोग खुले में मलत्याग का सहारा लेते हैं और जहां मैला ढोने वालों की संख्या ज्यादा है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) में साफ और पर्याप्त पानी की सप्लाई के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आईडीएसएमटी के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने में उन राज्यों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। एसजेएसआरवाई योजना के अंतर्गत धनराशि का नियतन गरीबी के विस्तार के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की प्रतिशतता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक नियतन का निर्धारण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जाता है:

(1) इन कस्बों की आबादी को 50% वरीयता दी जाती है;

(2) राज्य/संघ शासित क्षेत्र में गरीबी के विस्तार को 35% वरीयता दी जाती है;

(3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस प्रकार के कस्बों की संख्या को 5% वरीयता दी जाती है;

(4) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में इस प्रकार के कस्बों की आबादी को 10% वरीयता दी जाती है।

कम लागत के सफाई प्रबंध योजना के अंतर्गत आवास एवं नगर विकास निगम से ऋण और केन्द्र सरकार से सब्सिडी एक साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसकी वित्तीय पद्धति इस प्रकार है:

श्रेणी	सब्सिडी	ऋण	अंशदान
ईडब्ल्यूएस	45%	50%	5%
निम्न आय वर्ग	25%	60%	15%
मध्यम आय वर्ग/ उच्च आय वर्ग	शून्य	75%	25%

हडको प्रति वर्ष 10% की ब्याज दर से ऋण प्रदान कर रहा है। यह ऋण 7 वर्ष की अवधि में वसूल किया जाना है।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और प्रतिशतता 1999-2000

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू और कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैंड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादरा व नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	पूरे भारत में	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणियां:

1. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असम का निर्धनता अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।
2. गोवा के निर्धनता अनुपात का अनुमान लगाने के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय विवरण का प्रयोग किया जाता है।
3. जम्मू तथा कश्मीर के निर्धनता अनुपात का अनुमान लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू तथा कश्मीर के व्यय वितरण का प्रयोग किया जाता है।
4. पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु के निर्धनता अनुपात का प्रयोग किया जाता है।
5. चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की निर्धनता के लिए पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग किया जाता है।
6. दादरा और नगर हवेली के निर्धनता अनुपात के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा तथा नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग किया जाता है।
7. दमन तथा दीव के लिए गोवा के निर्धनता अनुपात का प्रयोग किया जाता है।
8. लक्षद्वीप के लिए केरल के निर्धनता अनुपात का प्रयोग किया जाता है।
9. राजस्थान के शहरी गरीबी अनुपात को अंतरिम माना जाए।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कोक-ओवन बैटरियों की मरम्मत पर किया गया खर्च

5375. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री महबूब जहेदी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को कोक-ओवन बैटरियों की मरम्मत पर 102 करोड़ का परिहार्य खर्च उठाना पड़ा था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1989, 1991 और 1992 में लगाई गई बैटरियों की उम्र की गारंटी 15 से 17 वर्ष थी;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त परिहार्य व्यय का भार उठाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरियों की मरम्मत पर 82.78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ख) जी, हां। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरियां 1989, 1991 और 1992 में चालू की गई थीं। इस्पात संयंत्रों में 7 मीटर ऊंची कोक ओवन बैटरियों का सामान्य जीवनकाल 15-17 वर्ष है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की 7 मीटर ऊंची तीन कोक ओवन बैटरियों की 15-17 वर्षों के जीवनकाल के लिए डिजाइनकर्त्ता की विशिष्ट रूप से कोई गारंटी नहीं थी।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में इन कोक ओवन बैटरियों के समय से पूर्व खराब होने का मामला अप्रैल, 2001 में सी बी आई को भेजा गया था। सी बी आई ने प्रारम्भिक जांच का मामला दर्ज किया है। यह जांच आरंभिक चरण में है। जांच पूरी होने के बाद सरकार उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

कर्नाटक में गरीबी उपशमन हेतु विश्व बैंक से ऋण

5376. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 200 मिलियन डालर की विश्व बैंक ने कर्नाटक को गरीबी उपशमन की एक व्यापक परियोजना की संस्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से धन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना क्या है;

(घ) इस परियोजना को कब तक आरंभ करने की संभावना है; और

(ङ) कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान किन जिलों को शामिल करने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्थानों का आवंटन

5377. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को कुछ पुनर्वास कालोनियों में स्थानों तथा सेवाओं/भूखंडों का आबंटन 1970 के वर्षों में और बाद में किराया आधार पर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आबंटन की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या आबंटियों ने आबंटन से पहले निर्धारित लागत की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध परियोजना के अनुसार आबंटियों को सम्पत्ति का अधिकार हस्तांतरित न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि विभिन्न श्रमिक कॉलोनियों में 1970 के दशक में तथा तत्पश्चात विभिन्न पुनर्वास स्कीमों के तहत मकानों (टेनेमेन्ट्स), खाली स्थलों तथा ट्रांजिट स्थलों का आवंटन किया गया है।

(ख) लायसेंसी आधार से पट्टा धारिता (लीज-होल्ड) तथा किराया-खरीद आधार में परिवर्तन के मामलों पर विचार करने हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थी:

(1) कि लायसेंसधारी आवंटित स्थल/करार पर स्वयं निवास कर रहा/रही है।

(2) कि आवंटित स्थल पर लायसेंसधारी द्वारा कोई भवन-उल्लंघन नहीं किया गया है।

(3) कि आवंटिती को किराया-खरीद तथा लीज-होल्ड आधार पर आवंटन-पत्र के जारी होने से पहले स्थल/मकान (टेनेमेन्ट) की कुल लागत के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

(4) किराया-खरीद आधार पर आवंटन की अनुमति लीज-होल्ड नियमों के अनुसार देय भूमि-किराया के अतिरिक्त 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर या समय-समय पर लागू ब्याज दर पर ब्याज सहित 216 मासिक किस्तों में प्रीमियम के भुगतान पर दी गई थी। ब्याज सहित पूरी बकाया राशि के भुगतान के बाद लीज-होल्ड तथा किराया खरीद आधार पर मकानों (टेनेमेट्स) के आवंटियों द्वारा पट्टा-दस्तावेज (लीज-डीड) बनवाना आवश्यक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धन/धनी वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों का प्रावधान

5378. श्री सुरेश कुरुप: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण अब निर्धन और निम्न आय वाले परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने तक अपने को सीमित रखेगी और धनी वर्ग के लिए आवास के निर्माण का निजीकरण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण

5379. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु राज्यवार कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) किसी ग्रामीण स्वच्छता योजना हेतु दी गई राजसहायता की गणना करने के क्या आधार हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता में जन भागीदारी किस तरीके से प्राप्त करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत में प्राप्त अनुभव के आधार पर पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जो 1.4.1999 से लागू हुआ, के लिए एक संशोधित कार्यनीति के रूप में उच्च सब्सिडी से निम्न सब्सिडी की प्रक्रिया अपनाई गई है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार बुनयादी निम्न लागत इकाईयों के लिए 625 रु. की लागत वाला सब्सिडी के वित्त पोषण का तरीका 80 प्रतिशत सब्सिडी के लिए खुला होगा जो भारत सरकार (60 प्रतिशत) और राज्य सरकार (20 प्रतिशत) द्वारा वहन किया जाना है और यह 500 रु. से अधिक नहीं होगा (अर्थात् 625 रु. की लागत वाली बी.एल.सी.यू में 375 रु. भारत सरकार का अंश और 125 रु. राज्य सरकार का अंश)/बी.एल.सी.यू. लागत के 20 प्रतिशत का न्यूनतम योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 625 रु. और 1000 रु. के बीच की बी.एल.सी.यू. लागत से 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी जिसे भारत सरकार (30 प्रतिशत) और राज्य सरकार (30 प्रतिशत) द्वारा समान रूप से वहन किया जाना है। यह अधिकतम 500 रु. के अध्यधीन होगा। बी.एल.सी.यू. की लागत 40 प्रतिशत का न्यूनतम योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत नया दृष्टिकोण व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान के जरिए बेहतर स्वच्छता सेवाओं की मांग के सृजन पर विश्वास करता है। कुल स्वच्छता अभियान लागत का कम से कम 15 प्रतिशत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (23.8.2001)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1148.93	1074.91	1522.41	1267.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	40.48	73.98	0.00
3.	असम	0.00	133.22	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	0.00	729.75	678.69	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	1.16	0.00
7.	गुजरात	200.00	484.10	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	214.23	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	70.77	42.13	32.49	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	122.05	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	270.22	15.00
12.	कर्नाटक	498.67	997.19	164.51	31.10
13.	केरल	731.37	253.03	632.99	30.11
14.	मध्य प्रदेश	525.48	438.11	928.82	0.00
15.	महाराष्ट्र	575.28	1838.02	1339.51	0.00
16.	मणिपुर	45.50	8.96	48.08	0.00
17.	मेघालय	35.00	0.00	9.09	0.00
18.	मिजोरम	21.00	1.89	0.00	1.02
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	118.33	0.00
20.	उड़ीसा	315.82	771.04	971.06	0.00
21.	पंजाब	53.35	0.00	94.25	73.35
22.	राजस्थान	193.76	556.80	1285.23	0.00
23.	सिक्किम	28.00	25.43	2.82	0.00
24.	तमिलनाडु	496.39	1052.49	1016.66	38.25
25.	त्रिपुरा	24.00	0.00	253.66	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1116.49	737.77	1984.47	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	16.21	0.00

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	304.21	0.00	1300.03	927.40
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीप	3.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	3.50	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	3.50	2.50	0.00	0.00
	कुल	6394.52	9187.82	130.80.95	2383.82

[हिन्दी]

झुग्गियों का तोड़ा जाना

5380. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1990 तक निर्मित झुग्गियों को न तोड़े जाने का प्रावधान है यदि उनके पास राशन कार्ड और अन्य कागजाती साक्ष्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यदि वे झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, तो इन्हें वैकल्पिक भूखंड दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1.1.1990 से अब तक केन्द्र सरकार के सामने आने वाले ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें मलिन बस्तियों में रहने वाले कुछ लोगों के पास राशन कार्ड और पहचान के कागजाती सबूत होने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया था;

(घ) क्या ऐसे सभी मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखंडों का आबंटन किया गया है अथवा आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली में बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों और झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सभी झुग्गीवासियों, जिनके पास 31.12.98 से पहले से स्थल पर रहने का लिखित प्रमाण है और जिनके नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज हैं, उन्हें सरकार की नीति के तहत वैकल्पिक प्लाट दिये जाते हैं। उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, जहां पात्र झुग्गीवासी ने वैकल्पिक प्लाट लेने से मना किया हो।

(च) और (छ) सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तथापि, झुग्गीवासियों के पुनर्स्थापन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त समय दिया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5381. श्री रघुनाथ झा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998-99 की अपनी रिपोर्ट में नवीन शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों को 1.29 करोड़ रुपये के शैक्षणिक उपकरणों का वितरण न करने के लिए शिक्षा विभाग की निंदा की है;

(ख) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने उपकरणों की खरीद करने हेतु मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत धनराशि से ज्यादा के उपकरणों की खरीद करने की ओर भी ध्यान दिलाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार की पी.ए.सी. ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत टेलीविजन-सेटों की खरीद में घोटाले के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेवार पाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा अनुदान राशि के अप्रयुक्त रह जाने तथा अत्यधिक व्यय होने जिससे छात्रों का अहित हुआ है, के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा टेलीविजन-सेटों की खरीद में घोटाले के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक की वर्ष 1998-99 के लिए इस मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट का अवलोकन करने से पता चला है कि इस रिपोर्ट में इस विभाग की कोई निन्दा नहीं की गई है। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998-99 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शिक्षण सामग्री के रूप में टेलीविजन प्राप्त करने और उसके उपयोग में कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति ने भी इस मामले में टिप्पणियां की हैं। लोक लेखा समिति की उन टिप्पणियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत नवीन एवं समन्वित योजनाओं हेतु धन का आवंटन

5382. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.जी.एस.वाई. हेतु आबंटित धन का 15% विभिन्न मंत्रालयों की नवीन और समन्वित योजनाओं के लिए अलग से निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के लिए चयनित क्रियाकलापों और सरकार द्वारा नियत इस सहायता का लाभ उठाने हेतु उनकी उपयुक्तता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अभ्यारण्यों के निकट वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने हेतु पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक संयुक्त योजना पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एस.जी.एस.वाई. को सफलताउन्मुखी योजना बनाने हेतु समन्वित प्रयास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन के लिए नई पहलें करने के लिए निधियों का 15% अलग रखा जाता है। अन्य सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस योजना के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। पर्यावरण तथा वाणिकी मंत्रालय भी परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं। परियोजनाओं के लक्ष्य समूहों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार शामिल होने चाहिए। चूंकि इन परियोजनाओं को स्थानीय जरूरतों और स्थितियों और संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना होता है, इसलिए इन परियोजनाओं के लिए कोई पूर्व निर्धारित विशेष गतिविधि नहीं होती हैं।

(ग) और (घ) यदि पर्यावरण तथा वाणिकी मंत्रालय ऐसी परियोजना प्रस्तुत करता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है। परियोजना मंजूर होने के बाद ही समन्वय की जरूरत होती है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कमी लाना

5383. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय से संबंधित सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कमी लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी आवासों में टंकियों की सफाई

5384. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी के सरकारी आवासों में टंकियों के सफाई कार्य को करने के संबंध में सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई अन्य सर्किलों में लॉफ्ट और ओवरहेड टंकियों का सफाई कार्य नियमित रूप से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है जबकि ''जे'' और ''एच'' मंडलों के कुछ सर्किलों के मामले में ऐसा नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो उन सरकारी आवासों की क्षेत्रवार संख्या कितनी है जहां गत तीन वर्षों के दौरान यह कार्य शुरू किया गया है;

(घ) विशेषकर सरोजिनी नगर और डी आई जेड क्षेत्र, सेक्टर 1 से 4 के सरकारी आवासों के संदर्भ में यह कार्य नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकारी अनुदेशों का अनुपालन न करने हेतु अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान के अनुसार सरकारी क्वार्टरों में लगाई गई पानी की टंकियों को छः महीने में एक बार साफ किया जाना होता है।

(ख) से (घ) स्थिति इस प्रकार है:

(1) ''एच'' डिवीजन के मामले में सभी क्षेत्रों में ''ओवरहैड टैंक'' की सफाई नियमित रूप से की जाती है जबकि इस डिवीजन के तहत आने वाले क्षेत्रों में लॉफ्ट टैंक की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती।

(2) ''जे'' डिवीजन में आने वाले क्षेत्रों में ओवरहैड टैंक और लॉफ्ट टैंक की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती।

डीआईजैड क्षेत्र में लॉफ्ट टैंकों और सरोजनी नगर में ओवरहैड टैंकों और लॉफ्ट टैंकों की सफाई नियमित रूप से नहीं की जा रही क्योंकि ये टैंक क्वार्टरों के अंदर लगाए गए हैं और प्रायः आवंटिती इनकी नियमित अंतराल पर सफाई की अनुमति नहीं देते।

सरोजनी नगर में ओवरहैड टैंकों की सफाई नहीं की जाती क्योंकि इस पानी का प्रयोग शौचालय और धोने के लिए किया जाता है जबकि पीने का पानी नई दिल्ली नगर परिषद की मुख्य लाईन से नल द्वारा लिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में साफ किए गए टैंकों की संख्या इस प्रकार है:

डीआईजैड एरिया	लॉफ्ट टैंक	705
सरोजनी नगर	लॉफ्ट टैंक	शून्य
	ओवरहैड टैंक	शून्य

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में खोमचे वालों और रिक्शाचालकों को लाइसेंस

5385. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली में खोमचे वालों और रिक्शाचालकों को लाइसेंस देने की सम्पूर्ण प्रणाली को खत्म करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह भी ध्यान दिलाया गया है कि दिल्ली में खमोचे वाले और रिक्शाचालक रिश्वत के रूप में दिल्ली पुलिस और नागरिक अभिकरणों के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को प्रतिमाह लगभग 50 करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हिरासत में हुई मौत

5386. श्री किरीट सोमैया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिरासत में हुई मौतों के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका के क्या परिणाम निकले;

(ख) इस मामले में विभिन्न सरकारी अभिकरणों की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) हिरासत में मृत्यु के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोई जनहित याचिका दायर नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

असम की जनजातियों को एन एस टी एफ डी सी से ऋण प्रदान करना

5387. डा. जयंत रंगपी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को ऋण के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि असम के दो पर्वतीय जिलों (अधिसूचित क्षेत्र) को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से ऋण प्राप्त नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान असम के पर्वतीय जिलों में संवितरित ऐसे ऋणों की धनराशि कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि पर्वतीय जिलों के जनजातीय लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से ऋण का लाभ उठा सकें?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) को 10 अप्रैल, 2001 को निगमित किया गया है। अत: गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त ऋण के ब्यौरे देने का प्रश्न लागू नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने कोई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक धनराशि निर्मुक्त नहीं की है। एन एफ टी एफ डी सी के निगमित होने से पूर्व वित्तीय सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) द्वारा दी जा रही थी।

(ङ) असम सरकार से असम राज्य के पहाड़ी जिलों के पात्र अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय माध्यम एजेंसियों को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।

बस्तर में पुनर्द्रवण तकनीक पर आधारित संयंत्र की स्थापना

5388. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक अवशिष्ट को ढलवां लोहे में परिवर्तित करने हेतु बस्तर में पुनर्द्रवण पर आधारित विश्व के प्रथम संयंत्र को स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पुनर्द्रवण तकनीक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या अवशिष्ट सामग्री अवशिष्ट बांधों से बाहर निकल कर किरांडुल और शंखिनी नदियों को प्रदूषित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम हेतु इस मामले में कोई कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन एम डी सी) ने लौहयुक्त अपशिष्ट (स्लाइम्स) का प्रक्रमण करके कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए नगरनार (जगदलपुर से लगभग 16 कि.मी.) में रोमेल्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित एक संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया/प्रेस के लिए आचार संहिता

5389. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालय परिसरों जैसे निषिद्ध क्षेत्रों में मीडिया/प्रेस कर्मियों के अवैध रूप से प्रवेश करने के संबंध में कोई आचार संहिता अथवा मानदंड हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) नई दिल्ली में केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय/विभाग/कार्यालय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अधीन हैं। इस प्रकार के कार्यालय परिसरों में केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास फोटो पास या अस्थायी पास (फोटोग्राफ के बगैर), गृह मंत्रालय के पास-एकक/स्वागत संगठन द्वारा जारी की गई वैधकरण पर्ची या आगन्तुक पास होते हैं। कुछ अत्यधिक संवेदनशील भवनों को छोड़कर, गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय परिसरों में प्रवेश के लिए वैध ''खुले'' फोटो पास राजपत्रित अधिकारियों को जारी किये जाते हैं, जबकि अराजपत्रित अधिकारियों को सामान्यत: विशिष्ट भवनों में प्रवेश के लिए वैध या ''प्रतिबंधित'' फोटो पास जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों के अधिकारियों, मीडिया के व्यक्तियों और अन्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक मामले के गुण-अवगुणों के आधार पर, खुले/प्रतिबंधित पास या वैधकरण पर्चियां भी जारी की जाती हैं।

केन्द्र सरकार के उन कार्यालयों ने, जो गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में नहीं आते हैं, सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के लिए अपने प्रबंध किए हुए हैं।

कोई भी व्यक्ति जो ऐसे सरकारी कार्यालय परिसर, जिनमें प्रवेश प्रतिबंधित हैं, वैध खुले या प्रतिबंधित पास या आगन्तुक पास के बिना प्रवेश करता है, तो उसे सुरक्षा कर्मचारी भवन से बाहर निकाल सकते हैं। जहां लागू होता है और उपयुक्त मामलों में, अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक अनधिकार प्रवेश के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

जाबली योजना/परियोजना

5390. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित उस जाबली योजना/परियोजना को स्वीकृति दे दी है जिसमें देह व्यापार में लिप्त मध्य प्रदेश की बांछड़ा, बेड़िया और सांसी जातियों को इस कुप्रथा से मुक्त करने के बाद उनकी चहुंमुखी विकास की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे स्वीकृति दिये जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त योजना/परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1992-93 में जाबली नामक एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम का उद्देश्य व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के कार्य शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है, ताकि व्यावसायिक यौन शोषण का उन्मूलन किया जा सके। इस स्कीम का लक्ष्य-वर्ग मुख्यत: ऐसी जातियों/जनजातियों की महिलाएं और बच्चे हैं, जहां व्यावसायिक यौन शोषण को सामाजिक मान्यता प्राप्त है और यहां तक कि महिलाओं के इस प्रकार के शोषण में पुरुषों की मिली-भगत होती है। इस स्कीम के पांच घटक हैं:

(1) पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूलों का संचालन करना;

(2) युवतियों के लिए सुरक्षा-गृहों की स्थापना करना;

(3) पीड़ित महिलाओं को आय-अर्जन और आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करना;

(4) सूचना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना; और

(5) स्वास्थ्य जांच तथा उपचार।

(ग) उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु

5391. श्री उत्तमराव पाटील:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है;

(ग) इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(घ) वर्ष 2001 की गणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या और राज्य की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में उनका अनुपात कितना है; और

(ङ) जनगणना के अनुसार उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है अथवा वृद्धि हुई है?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार आयुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1991 की जनगणना और योजना आयोग द्वारा 1996 में गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट पर आधारित 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार भारत/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों की औसत आयु संलग्न विवरण में दी गई है। देश में पुरुषों की औसत आयु 1991 में 25.32 वर्ष थी जो 2001 में बढ़कर 26.34 वर्ष (अनुमानित) हो गयी है। स्त्रियों की औसत आयु 1991 में 25.15 वर्ष से 2001 में बढ़कर 26.23 वर्ष (अनुमानित) हो गयी है।

(घ) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1981-1991 की तुलना में 1991-2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्शित की गयी है:

(1) जम्मू और कश्मीर, (2) हिमाचल प्रदेश, (3) पंजाब, (4) चंडीगढ़, (5) उत्तरांचल, (6) दिल्ली, (7) राजस्थान, (8) अरुणाचल प्रदेश, (9) मिजोरम, (10) त्रिपुरा, (11) मेघालय, (12) असम, (13) पश्चिम बंगाल, (14) झारखंड, (15) उड़ीसा, (16) छत्तीसगढ़, (17) मध्य प्रदेश, (18) महाराष्ट्र, (19) आंध्र प्रदेश, (20) कर्नाटक, (21) गोवा, (22) लक्षद्वीप, (23) केरल, (24) तमिलनाडु, (25) पांडिचेरी, और (26) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर में वृद्धि दर्शित की गयी है:

(1) हरियाणा, (2) उत्तर प्रदेश, (3) बिहार, (4) सिक्किम, (5) नागालैंड, (6) मणिपुर, (7) गुजरात, (8) दमन और दीव, तथा (9) दादरा और नागर हवेली।

विवरण

देश में पुरुषों और स्त्रियों की औसत आयु दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पुरुष		स्त्रियां	
		1991*	2001**	1991*	2001**
1	2	3	4	5	6
1.	भारत	25.32	26.34	25.15	26.23
2.	आंध्र प्रदेश	25.72	27.40	25.76	27.51
3.	असम	24.03	25.35	22.69	24.33
4.	बिहार	24.45	24.94	24.02	24.62
5.	गुजरात	25.21	26.11	25.54	26.68
6.	हरियाणा	24.46	25.53	24.60	25.49
7.	हिमाचल प्रदेश	26.23	अनु.	26.03	अनु.
8.	जम्मू और कश्मीर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	25.71	27.08	25.54	27.05
10.	केरल	27.58	29.41	28.33	30.40
11.	मध्य प्रदेश	24.67	25.23	24.63	25.33
12.	महाराष्ट्र	25.81	27.03	26.00	27.36
13.	मणिपुर	25.36	अनु.	24.66	अनु.
14.	मेघालय	22.96	अनु.	21.79	अनु.
15.	नागालैंड	24.89	अनु.	23.10	अनु.
16.	उड़ीसा	26.08	27.08	25.78	27.06
17.	पंजाब	26.24	26.95	26.08	27.11
18.	राजस्थान	23.89	24.80	24.14	24.90
19.	सिक्किम	24.09	अनु.	22.12	अनु.
20.	तमिलनाडु	27.76	29.53	27.45	29.44
21.	त्रिपुरा	25.16	अनु.	24.56	अनु.
22.	उत्तर प्रदेश	24.69	24.81	24.24	24.55
23.	पश्चिम बंगाल	24.53	26.88	24.72	26.28
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.10	अनु.	22.33	अनु.
25.	अरुणाचल प्रदेश	24.22	अनु.	24.43	अनु.
26.	चंडीगढ़	25.91	अनु.	24.77	अनु.
27.	दादरा और नागर हवेली	23.37	अनु.	23.30	अनु.
28.	दिल्ली	24.93	अनु.	24.12	अनु.
29.	दमन और दीव	24.31	अनु.	25.99	अनु.
30.	गोवा	27.14	अनु.	27.97	अनु.
31.	लक्षद्वीप	24.71	अनु.	24.36	अनु.
32.	मिजोरम	23.81	अनु.	22.99	अनु.
33.	पांडिचेरी	26.83	अनु.	26.88	अनु.

*जम्मू और कश्मीर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि अशांत परिस्थितियों के कारण वहां 1991 की जनगणना नहीं कराई गई थी।

**2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या योजना आयोग द्वारा 1996 में गठित जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट पर आधारित है।

अनु. : अनुपलब्ध

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की जानकारी में क्रमश: झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल की जानकारी भी सम्मिलित है।

[अनुवाद]

भारत-पोलैंड संबंध

5392. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच सहयोग और संगठित अपराधों तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंवाद का मुकाबला करने से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन देशों के साथ भी ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनसे संगठित अपराधों तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) संगठित अपराध और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अधिकारिक स्तर पर पोलैंड के साथ सहयोग पर एक समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। तथापि, समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) इस प्रकार के समझौते से, आतंकवाद और नशीले पदार्थों से संबधित अपराधों, आर्थिक अपराधों इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच-पड़ताल करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच सहयोग को सुकर बनाने में मदद मिलती है।

नागरिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

5393. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में नागरिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण के लिए नगर निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान इस उद्देश्य के लिए राशि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) नागरिक केन्द्रों के निर्माण के लिए नगर निगमों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के जरिए विभिन्न अवस्थापना विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए नगर निगमों सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत अब तक जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त हडको भी शहरी अवस्थापना, सामाजिक अवस्थापना, एकीकृत कम लागत सफाई और बुनियादी सफाई स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता मुहैया करता है। हडको द्वारा दी गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	केन्द्र प्रवर्तित स्कीम का नाम	आज तक जारी संचयी अनुदान (करोड़ रु. में)
1.	मेगा शहरों में अवस्थापना विकास	652.89
2.	छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)	444.93
3.	कम लागत सफाई कार्यक्रम (एलसीएस) (मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए जारी सब्सिडी)	245.40
4.	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	281.24
5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	461.00
6.	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम	152.80

विवरण II

हडको द्वारा 30.6.2001 तक मुहैया की गई ऋण सहायता का विवरण

स्कीमों का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी ऋण राशि (करोड़ रु. में)
शहरी अवस्थापना	1843	8569.80
सामाजिक अवस्थापना	97	754.21
एकीकृत कम लागत सफाई	835	277.70
बुनियादी सफाई स्कीम	181	25.27

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोर ग्रुप का गठन

5394. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानवाधिकारों के क्षेत्र में कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करने हेतु निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कोर ग्रुप द्वारा कार्य कब तक आरम्भ करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) द्वारा, देश में मानवाधिकार के क्षेत्र से जुड़े सभी गैर-सरकारी संगठनों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, अपने ''न्यूजलैटर्स'' भिजवाने के उद्देश्य से, इसकी डाक सूची में गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास इस प्रकार के 300 गैर-सरकारी संगठन सूचीबद्ध हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के क्षेत्र में जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के साथ, समय-समय पर, विचार-विमर्श करता है। इन विचार-विमर्शों की प्रगति का पुनरीक्षण करने और एक प्रबोधन तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष रिपोर्टियर श्री चमन लाल की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. श्रीमती अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन।
2. श्री हेनरी तिफाने, पीपुल्स वाच, तमिलनाडु।
3. श्री हर्ष मन्दर, एक्शन ऐड इंडिया।
4. श्री जावेद अबिदो, नेशनल सेन्टर फार प्रोमोशन ऑफ एम्प्लायमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपुल।
5. श्री रवि नायर, साऊथ एशियन, ह्यूमन राईट्स डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर।
6. डा. वाई. पी. छिब्बर, पीपुल्स यूनियन लिबर्टीज।
7. श्रीमती मीरा शिवा, वालन्टरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
8. श्री अशोक रावत, हेल्पऐज इंडिया।
9. सुश्री फेड्रिका दोनाती, यूनीसेफ।

(घ) कोर ग्रुप ने 17 जुलाई, 2001 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

एन.एम.डी.सी. का विस्तार कार्यक्रम

5395. श्री सुबोध मोहिते: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) ने अगले दस वर्षों के लिए एक विस्तार कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एम.डी.सी. ने देश के बाहर खोज कार्य शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्य से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नये क्रेचों का खोला जाना

5396. श्री चिंतामन वनगा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नये क्रेच खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने क्रेच खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच निधि की कायिक निधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए चालू वर्ष के बजट में 0.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त नये आवेदनों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	89
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	11
4.	बिहार	3
5.	हरियाणा	6
6.	गुजरात	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	मध्य प्रदेश	12
9.	महाराष्ट्र	21
10.	मणिपुर	7
11.	नागालैण्ड	2
12.	उड़ीसा	6
13.	तमिलनाडु	40
14.	कर्नाटक	7
15.	पश्चिम बंगाल	16
16.	उत्तर प्रदेश	64
17.	उत्तरांचल	1
18.	दिल्ली	1
	कुल	290

मानवाधिकार में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

5397. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून, उत्तरांचल के शैक्षिक संस्थानों में मानवाधिकार में दूसरा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में निकट भविष्य में उक्त पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने अभी तक देहरादून, उत्तरांचल स्थित किसी भी शैक्षिक संस्थान को मानवाधिकार में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

5398. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेटर मुम्बई में लगभग 168 मलिन बस्तियां केन्द्र सरकार की भूमि पर स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए बार-बार अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्लम विकास राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ऐसी सूचना नहीं रखती है।

(ख) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कोई "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

5399. **डा. बलिराम:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अग्रेषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर की गयी/लंबित योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित योजनाओं को योजना-वार मंजूरी न देने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सहायता से कौन-कौन से क्षेत्रों का विकास किये जाने की संभावना है; और

(च) लंबित विकास प्रारूपों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई स्कीम नहीं भेजी है। तथापि, भारत सरकार सहायता से कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान हडको ने 22.98 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए दिल्ली में तीन स्कीमें स्वीकृत की हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

केन्द्र सरकार की सहायता से कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्कीम	वर्ष 1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	यमुना कार्य योजना (वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन)	1.625	1.25	-
2.	ए.सी.सी.ओ.आर.डी. (यूएनडी फंड)	-	0.50	0.20
3.	राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम	34.70	26.50	19.00
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र प्रवर्तित स्कीम)	1.013	1.033	0.40

विवरण II

1.4.98 से 31.3.2001 तक
शहरी अवस्थापना वित्त
स्वीकृति तथा जारी राशियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम सं.	स्वीकृति तारीख	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	स्कीम टाइप	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी राशि	टिप्पणियां
1.	15236	28.5.98	सेक्टर-6, द्वारका, दिल्ली में फेज-1 के तहत 80 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण	मैसर्स ह्यूमन केयर मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट	सामाजिक अवस्थापना	822.61	266.00	26.00	स्कीम संख्या 14950, 15321 और 16373 (स्कीम सं 16373 में मिलाई गई) द्वारा स्वीकृत।
2.	16373	21.6.99	पटपड़गंज दिल्ली में बालाजी बाल अस्पताल के निर्माण के लिए ऋण	मैसर्स बालाजी मेडिकल एंड डायगनोस्टिक रिसर्च सेंटर	सामाजिक अवस्थापना	1909.93	1232.45	1232.45	
3.	17181	8.1.2001	पटपड़गंज दिल्ली में बालाजी बाल अस्पताल में फेस-2 में कार्डियक सेंटर का निर्माण	मैसर्स बालाजी मेडिकल एंड डायगनोस्टिक रिसर्च सेंटर	सामाजिक अवस्थापना	1423.60	800.00	0.00	
				कुल		4156.14	2298.45	1258.45	

[अनुवाद]

देश में अफगान शरणार्थी

5400. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले ही बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को रहने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने शरणार्थियों की समस्या पर विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उन्हें खाना और रहने की जगह प्रदान करेगी जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में कितने अफगान शरणार्थियों के भारत में आने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 1980 से लेकर अफगानिस्तान से जारी युद्ध और जातीय संघर्ष के कारण, बड़ी संख्या में अफगान राष्ट्रिक भारत में प्रवास कर गए। रिकार्ड के अनुसार, ऐसे 12083 पंजीकृत अफगान राष्ट्रिक भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा, 11696 अफगानी यू.एन.एच.सी.आर. शरणार्थी प्रमाण-पत्रों के साथ भारत में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ऐसे अफगानियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भविष्य में भूकम्प संबंधी रिपोर्ट

5401. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने रिपोर्ट दी है कि उच्च हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी सीमा पर भविष्य में और अधिक तीव्रता के भूकम्प आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम साईट्स द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) ने उच्च हिमालय श्रेणी की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ भविष्य में जबरदस्त भूकम्प आने के बारे में नहीं बताया है। तथापि, हिमालय श्रेणी की दक्षिणी सीमा भारतीय तथा यूरेशियाई प्लेटों के बीच की सीमा होने के कारण इसे पूर्ण मान्यताप्राप्त है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की सीमाएं भूकम्प आने के सम्भावित स्थल होते हैं, विशेषतौर पर हल्के व तेज भूकम्पों के मामलों में।

(घ) और (ङ) ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) के माध्यम से पर्पटीय गतिविधियों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा देश में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। मैथेमेटिकल माडलिंग तथा कम्प्यूटर सिम्युलेशन केन्द्र, बंगलौर में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किए गये प्राथमिक अनुसंधान कार्यों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के संदर्भ में लगभग 40-45 मि.मी. प्रति वर्ष की गति से उत्तरी दिशा में खिसक रही है। भारतीय प्लेट का खिसकाव केवल यही सुझाता है कि हिमालयी सीमा के समीप भू-वैज्ञानिक मूल के बलों का जमाव हो गया है। हिमालय के अन्य क्षेत्रों में इस तरह के प्रेक्षणों की कमी के मद्देनजर किसी विशेष क्षेत्र में तेज भूकम्प आने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

5402. कुंवर अखिलेश सिंह:
डा. बलिराम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के कितने कार्मिकों की ड्यूटी पर मृत्यु हुई;

(ख) क्या प्रशासन प्रत्येक मामले में प्रत्येक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी नौकरियां उपलब्ध कराई गईं और कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) उनके लम्बित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लम्बित आवेदनों का कब तक निपटारा किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संस्कृत विद्यापीठों का महाविद्यालयों में परिवर्तन

5403. श्री के. मुरलीधरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों अथवा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्तावित सम्बद्ध विद्यापीठों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पास इस वर्ष अपनी योजना के तहत आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने के लिए पांच परियोजनाएं हैं तथा इनमें से कोई भी संस्थान की सम्बद्ध संस्थाओं से संबंधित नहीं है।

संस्थान का प्रस्ताव अपनी सम्बद्ध संस्थाओं में से मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मुम्बई और श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कोलकाता को केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों में परिवर्तित करने का है।

[हिन्दी]

भूरिया समिति द्वारा की गई सिफारिशें

5404. श्री राम टहल चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूरिया समिति द्वारा अनुसूचित जातियों के संबंध में क्या सिफारिशें की गईं;

(ख) उक्त सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त सिफारिशें किन-किन राज्यों में लागू कर दी गई हैं;

(घ) क्या उक्त सिफारिशों में कुछ ऐसी विसंगतियां थी जिन्हें अब तक दूर नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों के विस्तार के लिए अनुसूचित जनजातियों के संबंध में भूरिया समिति ने सिफारिश की थी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवास का आवंटन

5405. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों हेतु सरकारी आवास के आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मूल वेतन के मद्देनजर टाइप-1 से टाइप-5 क्वार्टरों के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय आदि जैसे सभी विभाग और स्वायत्तशासी निकाय सरकारी आवासों के आवंटन के लिए अपने स्वयं के नियम बना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के उपबंधों के अनुसार सामान्य पूल वास के लिए पात्र घोषित कार्यालयों में कार्यरत दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल से रिहायशी वास आबंटन के पात्र हैं। सरकारी वास के लिए पात्र कर्मचारियों से आवेदन मांगे जाते हैं। टाइप-1 से टाइप-4 तक के वास के लिए वरीयता, सेवाकाल के आधार पर होती है। हॉस्टल, टाइप 4-विशेष और उच्च टाइपों के लिए वरीयता, निर्धारित परिलब्धियां प्राप्त करने की पूर्वतम तारीख पर आधारित है। रिक्त होने वाले वास को, उस टाइप में वास परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा सूची वाले आवेदक को आबंटित किया जाता है और यदि उस प्रयोजन के लिए मांग नहीं है तो उस टाइप के वास बिना वाले ऐसे आवेदक को आबंटित किया जाता है, जिसकी उस टाइप के वास के लिए पूर्विकता की तारीख सबसे पहले हो।

(ख) विभिन्न प्रकार के वासों की पात्रता का निर्धारण आबंटन वर्ष विशेष के लिए निर्णायक तारीख (कट-ऑफ डेट) को किसी आवेदक द्वारा प्राप्त मूल वेतन के अनुसार किया जाता है। टाइप-I से टाइप-5 तक के लिए पात्रता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वास की टाइप	पात्रता
I	3050 रु. प्रतिमाह से कम
II	5500 रु. प्रतिमाह से कम लेकिन 3050 रु. प्रतिमाह से कम नहीं
III	8500 रु. प्रतिमाह से कम लेकिन 5500 रु. प्रतिमाह से कम नहीं
IV	12000 रु. प्रतिमाह से कम लेकिन 8500 रु. प्रतिमाह से कम नहीं
IV-विशेष	10,000 रु. प्रतिमाह से कम नहीं
Vए	15,100 रु. प्रतिमाह से कम, लेकिन 12,000 रु. प्रतिमाह से कम नहीं
Vबी	18,400 रु. प्रतिमाह से कम, लेकिन 15,100 रु. प्रतिमाह से कम नहीं

(ग) और (घ) सरकार ने, केन्द्र सरकार के कार्यालयों, दिल्ली सरकार के कार्यालयों तथा भारत के निर्वाचन आयोग व उच्चतम न्यायालय सहित कुछेक स्वायत्त निकायों, को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य पूल रिहायशी वास के आबंटन के लिए पात्रता प्रदान की है। जिन विभागों ने अपने स्वयं के विभागीय पूल वास बनाये हैं, वे सम्पदा निदेशालय के परामर्श से आबंटन व्यवस्था के लिए अपने स्वयं के आबंटन नियम बना सकते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी

5406. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993-94 और 1999-2000 की अवधि के मध्य ग्रामीण पुरुष और महिला दोनों ही युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं: और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की दर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि ग्रामीण पुरुषों (15-29 वर्ष आयु की) की बेरोजगारी दर 1993-94 के 3.55% से बढ़कर 1999-2000 में 4.3% और ग्रामीण महिलाओं (15-29 आयु की) की बेरोजगारी दर 1993-94 के 1.85% से बढ़कर 1999-2000 में 2.7% हो गई है। इन दरों में आए बदलाव संबंधी विशिष्ट कारणों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक ऐसे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता रहा है जो गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण युवकों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर सका।

कोल इंडिया के कर्मचारियों की बकाया वेतन राशि

5407. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से अपने पांच लाख कर्मचारियों की बकाया वेतन राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को देय राशि पर ब्याज का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI पर हस्ताक्षर करने/मोहन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से कर्मचारियों के लिए 54 महीनों तथा अधिकारियों के लिए 45 महीनों का बकाया वेतन देय हो गया है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियां, घाटे में चल रही सहायक कम्पनियों अर्थात ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति के कारण, अपनी देयताओं को वहन करने की स्थिति में नहीं है। वेतन की बकाया राशि के निपटान के संबंध में समझौता अभी किया जाना है। जे.बी.सी.सी.आई. के मद्देनजर यह आवश्यक है क्योंकि यह समझौता समूचे सी.आई.एल. के लिए किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भाषा आयोग

5408. श्री रामजीवन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में राष्ट्रीय भाषा आयोग से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन करने पर विचार किया है और अब तक इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंची है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं और प्रस्तावित आयोग का कार्यकरण क्या होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद् का गठन करने का निर्णय लिया है जिसके उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। यह परिषद् भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के विकास, प्रचार-प्रसार तथा संवर्धन के लिए किये जाने वाले उपायों पर सरकार को सलाह देगी।

यह महसूस किया गया है कि एक पूर्ण आयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि विभिन्न भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए कई संस्थान (जैसे-केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद्, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद्, इत्यादि) पहले से ही विद्यमान है। प्रस्तावित परिषद् विद्यमान संस्थाओं का मार्गदर्शन करने और दिशा प्रदान करने हेतु सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालयों को मान्यता देना

5409. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ शासित प्रदेश दिल्ली में और दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता देने के लिए भू-क्षेत्र एवं निर्मित क्षेत्र के संबंध में निर्धारित आवश्यक शर्तें भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त दो कोटियों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार भू-क्षेत्र से संबंधित आवश्यक शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में समानता लाने हेतु उठाए जाने वाला प्रस्तावित कदम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बोर्ड से सम्बद्धन प्राप्त करने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित स्कूलों के पास निम्नलिखित भू-क्षेत्र से कम भूमि नहीं होनी चाहिए:

1.	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 12 तक	सभी चार विधाएं	4000 वर्ग मीटर
2.	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 12 तक	अधिक से अधिक दो विधाएं	3000 वर्ग मीटर
3.	माध्यमिक स्कूल	पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 10 तक		2000 वर्ग मीटर

दिल्ली से बाहर परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित स्कूलों के लिए लगभग 2 एकड़ भू-क्षेत्र की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

बोर्ड द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित स्कूलों के लिए भूमि की आवश्यकता में छूट इस क्षेत्र की जनसंख्या की बहुलता और भूमि के अभाव जैसी इस क्षेत्र की विशिष्ट विवशताओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इसके अतिरिक्त चूंकि दिल्ली में इस तरह का कोई अन्य शिक्षा बोर्ड नहीं है, इसलिए इन विकट परिस्थितियों की वजह से छात्र और स्कूल सम्बद्धन से वंचित रह सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भवन उप-नियम, 1983

5410. श्री किशन सिंह सांगवान:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन उप-नियम, 1983 के तहत अधिमानित संस्वीकृति देने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो संस्वीकृति के साठ दिनों की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भवन-योजना के अधिमानित संस्वीकृति खंड के तहत अर्ह न रह पाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या निर्माण-कार्य शुरू करने के पूर्व, अधिमानित संस्वीकृति खंड के तहत आवेदक को सूचना देना आवश्यक होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भवन योजना की स्थिति पर भवन उप-नियम, 1983 के खंड 6.1 के अधीन अधिमान्यता खंड 6.7.4. के तहत विचार किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी हां, एकीकृत भवन उपनियम के खंड 6.7.4. के अनुसरण में बताया गया है कि यदि उप-नियम 6.1 के तहत नोटिस प्राप्ति के 60 दिन के भीतर प्राधिकारी उस व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित नहीं करता है जिसने अपनी अस्वीकृति अथवा स्वीकृति अथवा किसी भी सूचना का नोटिस दिया है, तो नोटिस को उसमें दी गई योजनाओं और विवरणों सहित स्वीकृत माना जायेगा बशर्ते कि इस तथ्य को नोटिस देने वाला व्यक्ति लिखित रूप में तत्काल प्राधिकारी के नोटिस में लाए और ऐसा लिखित नोटिस देने के 15 दिन के भीतर उसे प्राधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) तथापि, इन उप-नियमों में उल्लिखित शर्तों और सरकार के निर्देशों के अधीन किसी भी व्यक्ति को भूमि पट्टे की शर्तों अथवा स्वामित्व के विपरीत अथवा खिलाफ अथवा कार्यस्थल पर लागू किन्हीं अन्य विनियमनों, उप-नियमों अथवा अध्यादेश के खिलाफ कुछ भी करने के लिए प्राधिकृत किया जाना नहीं माना जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं-

(1) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** एल.टी. संख्या 4065/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी

समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के बारे में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जनवरी, 2001 के दौरान चेन्नई, पांडिचेरी, गोवा और मुम्बई के दौरे के बारे में समिति के अध्ययन दौरा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के छठे और सातवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं बहु राज्य सहकारी सोसायटी विधेयक, 2000 के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 'शून्य काल' के मामलों पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय जी, नियमानुसार आज प्रात: मैंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* उसका इस बात का उल्लेख करने में मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक विशेषाधिकार नोटिस भी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विशेषाधिकार का एक मामला है।

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल जी, मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न का आपका नोटिस मिला है। इस मामले में मैं वित्त मंत्री की टिप्पणी मांग रहा हूं। यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. प्रेमाजम, मुझे आपका नोटिस भी प्राप्त हुआ है। जिसमें आपने एस.एच.ओ., बदरपुर पुलिस स्टेशन दिल्ली द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के सदस्यों पर प्रहार करने का उल्लेख किया है। मैं इस संबंध में गृह मंत्रालय से तथ्यपरक नोट मांग रहा हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रामजीलाल सुमन अपनी बात कहेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पिछले सात दिनों से हड़ताल है। कल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कि 36 घन्टे में हड़ताल समाप्त हो जानी चाहिए, आज भी एम्स में हड़ताल है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। एम्स में पिछले छः महीनों में जूनियर डाक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच आठ घटनायें हुई हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तरफ गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है। एम्स में पूरे हिन्दुस्तान से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और लाखों मरीजों का इलाज होता है। सात-आठ हजार मरीज रोज ओपीडी में देखे जाते हैं। इस हड़ताल के कारण असर यह हो रहा है कि हजारों लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं और हजारों लोग परेशान हैं। कल दिल्ली का एक राजकुमार नाम का लड़का, जो एम्स में भरती होने के लिए गया था, हड़ताल होने की वजह से पटरी पर लेटा रहा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। भारत सरकार की जो व्यवस्था है और एम्स का जो प्रशासनिक ताना-बाना है, वह बिलकुल भी गम्भीर नहीं है। निश्चित रूप से हड़ताल को समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि...

अध्यक्ष महोदय: आप कितनी बार ''अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय'' बोलेंगे। आप सब्जैक्ट पर बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन: आजकल आप कड़ा रुख लिए हुए हैं, इसलिए बार-बार ''अध्यक्ष महोदय'' कहना पड़ता है, ताकि आप उदार हो जायें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस हड़ताल के संबंध में क्या किया है, इस बारे में वे सदन में एक बयान देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रनाथ सिंह, आप अपना मुद्दा रामजीलाल सुमन के मुद्दे के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तीस माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है तथा मुझे उन सभी सदस्यों को मौका देना है।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* 'एम्स' एक प्रतिष्ठित संस्थान है। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार इस मामले में सो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने एक गंभीर मामला उठाया है। मैं सरकार से पूछता हूं क्या उसे इस विषय पर कुछ कहना है परंतु आप सरकार को जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले अपनी सीट ग्रहण करें। एक तरफ आप इस मामले को उठा रहे हैं और दूसरी तरफ न तो आप सरकार को बोलने दे रहे हैं और न ही अध्यक्षपीठ को इस मामले पर कुछ कहने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या इस मामले पर मंत्री महोदय को कोई वक्तव्य देना है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले पर स्वतः वक्तव्य दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय पर सरकार को फटकार लगाइए।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, रघुवंश प्रसाद जी से मेरी प्रार्थना है, जब तक 'एम्स' में हड़ताल है, तब तक हमें फटकारा न जाए, क्योंकि हम फिर किस हास्पिटल में इलाज कराने के लिए जायेंगे।

रामजीलाल सुमन जी ने एम्स में हड़ताल के संबंध में जो विषय उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हड़ताल हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।...*(व्यवधान)* मैं इनकी भावनाओं को स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचा दूंगा और उनसे कहूंगा कि इस समस्या का कोई-न-कोई समाधान ढूंढने का प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यहां नहीं हैं। मंत्री जी कहां हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.10 बजे

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दिए जाने की मांग के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय जी, आंध्र प्रदेश में कम बारिश के मद्देनजर कई जिले भीषण अकाल का सामना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सदस्यों ने केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें केन्द्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता देने का अनुरोध किया गया है। हमने केन्द्र सरकार से 20 दिन पहले 848 करोड़ रुपए की मांग की थी। केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय दल आंध्र प्रदेश भेजा। अभी तक इस संबंध में कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक हमें केन्द्र सरकार से एक भी पैसा अथवा सहायता नहीं मिली है। 1094 मण्डलों में से 981 मण्डल अकाल का सामना कर रहे हैं। जलाशय खाली पड़े हैं, विद्युत केन्द्र बंद हैं। बोये हुए धान की फसल के लिए भी पानी नहीं है।

इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए। कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार जैसे दूसरे राज्य भी अकाल का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष उपलब्ध है। कृषि मंत्री इस कोष के चेयरमैन हैं। केन्द्रीय दल के दौरे के 20 दिन बाद भी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। इसलिए हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर बयान दें। लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दल लाभ उठा रहे हैं कि यह सब हमारी वजह से हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं आपकी मांग का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आपने इसे उठाया है। भारत के सभी नेकनीयत नागरिक और सभी राजनीतिक दल आपकी मांग का समर्थन करते हैं, केवल आपके, सहयोगी दल आपकी मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: आंध्र प्रदेश की यह स्थिति है। इसीलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। परंतु धन का अभाव है। इन परिस्थितियों में हम आपके जरिए मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह इस पर बयान दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह भी आपकी सहायता कर रहे है।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुड़ा): यह कोई दलगत मामला नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आंध्र प्रदेश के प्राय: सभी क्षेत्रों से संबंधित है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जहां तक आंध्र प्रदेश के लोगों को याद है इतना व्यापक और इतना प्रचण्ड सूखा वहां कभी नहीं पड़ा। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना चाहिए इसलिए नहीं कि इस मुद्दे को तेलगु देशम पार्टी उठा रही है बल्कि इसलिए कि वहां लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, हम लोग भी इनके साथ हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एन. जनार्दन रेड्डी, आप अपना मुद्दा येरननायडू के मुद्दे से संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र, क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं? आप भी श्री येरननायडू के साथ संबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): जी, नहीं। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, आंध्र प्रदेश में अकाल पड़ा है। वहां पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सभी लोग बहुत परेशान हैं।...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्मिडिएटली रिलीफ देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उस रिलीफ के लिए तुरंत कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आनी चाहिए, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार कुछ कहना चाहती है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय कर्नाटक पर भी जवाब देने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री एन. जर्नादन रेड्डी, आप भी श्री येरननायडू के साथ संबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 208 करोड़ रु. मिले, जिसमें से राज्य सरकार ने 190 करोड़ रु. व्यय किए हैं। वहां और धनराशि उपलब्ध नहीं है। अत: केन्द्र से अनुरोध है कि वह तत्काल राशि दे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं। दोनों को इससे सम्बद्ध कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): पूरा बिहार सूखा से प्रभावित है और सेंटर की टीम वहां दौरा करके आई है।...*(व्यवधान)* वहां कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)* बिहार को भी इससे सम्बद्ध कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप भूल रहे हैं कि आपने इस सभा में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा की थी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): बाढ़ और सूखे की स्थिति पर 6 घंटे की चर्चा के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई व्यापक नीति नहीं बनाई है...*(व्यवधान)* संसद 31 को स्थगित होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कर्नाटक के संबंध में भी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): नेपाल से आने वाली नदियों के कारण उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है और मेरे संसदीय क्षेत्र का आधा हिस्सा डूबा हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाने के कोई उपाय नहीं किये हैं और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। संसदीय कार्य मंत्री इस पर भी अपना जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महाराष्ट्र भी सूखा और बाढ़ की चपेट में है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं और सभा में शोर मचा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है, आपको उत्तर सुनने में कोई रुचि नहीं है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य श्री येरननायडू जी ने आज इस चर्चा को आंध्र के संबंध में जोड़ा। यह सच है कि आंध्र में काफी मात्रा में अकाल है। आंध्र के मुख्यमंत्री आये थे और उन्होंने

[श्री प्रमोद महाजन]

संबंधित मंत्रियों से भेंट की है। केन्द्र सरकार की एक टीम भी आंध्र प्रदेश जाकर उसकी जांच करके आई है। आंध्र के साथ-साथ...*(व्यवधान)* यह ठीक है कि माननीय बंगरप्पा जी को अवसर नहीं मिला लेकिन कर्नाटक में भी वर्षा के न होने से सूखे का सामना कर्नाटक की जनता कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने सूखे के बारे में बात की है। अभी माननीय रघुनाथ झा जी और माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने बिहार के बारे में कहा और श्री अखिलेश सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): बोडोलैण्ड के बारे में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: अभी बैसीमुथियारी जी ने बोडोलैण्ड के बारे में कहा। शून्यकाल में अचानक मुद्दा उठने पर निश्चित रूप से उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल होता है लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल है और काफी मुख्यमंत्री माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले हैं।...*(व्यवधान)* मैं मध्य प्रदेश का नाम भूल गया। सदन के सभी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है। पूरी गंभीरता के साथ मैं इस विषय को प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, यहां दो मामले हैं। एक केन्द्रीय दल ने पहले ही सभी राज्यों का दौरा किया है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे राष्ट्रीय आपदा राहत निधि की बैठक बुलाएं। यह निर्णय लिया गया था कि इसकी बैठक इस महीने की 23 तारीख को होगी परंतु बैठक को रद्द कर दिया गया। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्रतिशीघ्र केन्द्र सरकार को बैठक बुलाने के लिए निर्देश दें। अन्यथा, विभिन्न राज्यों में आई राष्ट्रीय आपदाओं के लिए किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। यही प्रक्रिया निर्धारित की गयी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, मैंने श्री संगमा का नाम पुकारा है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख और क्षोभ के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का और आपके माध्यम से संपूर्ण सभा का ध्यान इस देश के महत्वपूर्ण नेता द्वारा दिए गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे इस सभा के सदस्य थे और मंत्रीपरिषद् के सदस्य रह चुके हैं और अभी वे राज्य सभा के सदस्य हैं। उनका नाम श्री एडुआर्डो फेलेरियो है।

मैं सभा में दिए गये वक्तव्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं अपितु सभा से बाहर दिए गये वक्तव्य का जिक्र कर रहा हूं। मुझे नियम 353 के अंतर्गत इसे उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा है और मैं उद्धृत कर रहा हूं—

> "संगमा महोदय स्वयं पूर्वोत्तर के हैं और वे तथाकथित मध्यभाग, मुख्यधारा के निवासी नहीं हैं।"

यह कहना कि पूर्वोत्तर भारत की मुख्यधारा का भाग नहीं है बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है...*(व्यवधान)* मुझे बात समाप्त करने दीजिए। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यहां अवश्य यह बात कहूंगा, 'यह कहना कि पूर्वोत्तर भाग भारत की मुख्यधारा से संबंधित नहीं है न केवल गैर-जिम्मेदाराना है अपितु राष्ट्रविरोधी वक्तव्य है?

मैं पुरजोर तरीके से यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। धन्यवाद महोदय...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, जो कुछ श्री संगमा ने कहा उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदल): अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में सी.एन.जी. के मुद्दे को लेकर स्कूटर, टैक्सी और बस वाले हड़ताल पर हैं। मैंने इस बारे में आपको लिख कर भी दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री खुराना का नाम पुकारा है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* महोदय, जिस बात की ओर श्री संगमा ने सभा का ध्यान आकर्षित किया है हमने उनसे कहा है कि जो कुछ भी कहा गया है, नहीं कहा जाना चाहिए था। परंतु वे संपूर्ण देश में लगातार हमारे नेता के खिलाफ उनकी नागरिकता के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, यह इस देश के कानून के खिलाफ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में एक लाख स्कूटर, टैक्सी और बस वाले हड़ताल पर हैं। लगभग 15-16 सौ बसें जो डी.टी.सी. और 50-100 बसें जो एस.टी.सी. के अंतर्गत हैं, वे ही चल रही हैं। बाकी पूरी तरह हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का किसी पालिटिकल पार्टी ने आह्वान नहीं किया है बल्कि ऑटो, स्कूटर, टैक्सी और बस वाले सी.एन.जी. की परेशानी के कारण इतने फ्रस्ट्रेटेड, दुखी और परेशान हैं कि उन्होंने खुद इस स्ट्राइक को कॉल किया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली 17 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने एक जाइंट एफिडेविट दिया कि सी.एन.जी. की जगह और कोई आल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। वे लोग दुखी होकर मेरे पास आये और मुझसे कहा कि कल से वे इंडैफिनिट स्ट्राइक करना चाहते हैं। मैंने उन लोगों को सलाह दी कि वे ऐसा मत करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस मामले में इंटरवीन कर रहे हैं और कोई रास्ता निकाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि दिल्ली के नेताओं ने इस बात को पौलिटिकलाइज किया और पिछले चार दिन से स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि यह स्ट्राइक खुराना जी करवा रहे हैं और मुझे हीरो बना दिया। इस मामले को लेकर कल जिस तरह दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने धमकी दी कि जो ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक में भाग लेंगे, उनके परमिट कैंसिल कर दिये जायेंगे। इस प्रकार वे विलेन बन गये हैं। मुझे दुख है कि दिल्ली सरकार की इस तरह की धमकी देने से ही पूरे ट्रांसपोर्टर्स आज स्ट्राइक पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पार्लियामेंटरी मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी और इस सदन की भावनाओं को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, उनकी असफलता है। वे दिल्ली में सीएनजी के पर्याप्त भराव केन्द्र उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के इश्यू पर क्या हमें नहीं बोलने दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: मि. विजय गोयल, आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया बैठ जाइए। मैंने उनका नाम पुकारा है। उन्होंने चर्चा के लिए सूचना भी दी है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि दिल्ली के सभी माननीय संसद सदस्य मेरा समर्थन करेंगे...*(व्यवधान)* मैं आपका मामला उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष जी, दिल्ली के इश्यू पर हमें दो लाइन बोलने दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली और आसपास के इलाके के 25 लाख आम मजदूरों से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो वास्तव में आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। 1990 में बने मास्टर प्लान जिसके तहत दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों के लिए उचित प्रावधान किया जाना था, के कारण 1.5 लाख औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है और औद्योगिक ईकाइयों के लिए उचित प्रावधान किया जाना था और उसे लागू नहीं किया गया।

महोदय, 1990 में जब मास्टर प्लान बनाया गया था उसमें यह प्रावधान था कि 20 सालों के अंदर शहर में स्थित उन उद्योगों को जो शहर में हैं और विधि द्वारा स्वीकृत क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में हैं। 16 न्यू लाइट इन्डस्ट्रियल एरिया में पुनर्स्थापित किया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जाएगा। और इसके लिए सभी प्रावधान किए जायेंगे। महोदय, मैं इस मामले में सभा का समय नहीं लेना चाहता। मास्टर प्लान में उपयुक्त संशोधन किया जाना था और आवश्यक समझे जाने पर सुधार किया जाना था।

दिल्ली सरकार, डीडीए और उपराज्यपाल द्वारा आवश्यक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने भी मास्टर प्लान की पुनरीक्षण की अनुमति दे दी है। इसके बावजूद, कुछ भी नहीं किया गया। आज, औद्योगिक ईकाइयां बंद पड़ी हैं। महोदय, आपके कक्ष में एक बार एक बैठक हमने की थी परंतु इसके बाद एक और बैठक होनी थी। कर्मकारों को बहुत ही असुविधा हो रही है। वे हमारे पास आए थे। हम महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार को मास्टर प्लान की पुनरीक्षा और औद्योगिक ईकाइयों के स्थानांतरण के लिए प्रावधान बनाने के संबंध में तुरंत उपाय करने चाहिए। उनमें से कइयों ने पैसे का भुगतान किया है।

उन्होंने पैसे का भुगतान किया है परंतु उन्हें अपनी जमीन नहीं मिल रही है। मास्टर प्लान में यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें कम से कम तीन साल का समय अपनी ईकाई के स्थानांतरण के लिए दिया जाएगा। यह समय नहीं दिया जा रहा। जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। सरकार ने पूरी तरह से असंवेदनशील, कर्मकार-विरोधी, गरीब-विरोधी रवैया अपनाया हुआ है। मैं सरकार को गंभीरतापूर्वक सुझाव देता हूं कि वह इस मामले को तुरंत देखे। लोग हमारे पास आ रहे हैं। उनको गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मेरी आपसे पुरजोर विनती है कि जैसा कि आपने पहले एक अवसर पर भी किया है कृपया इन दलों की एक बैठक बुलाएं। यह बहुत गंभीर मानव समस्या है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हस्तक्षेप करें। मैंने पाया है कि यह सरकार हमारे लिए एक अचल संपत्ति बन गई है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय ही इस मामले में प्रयास करें तो कुछ किया जा सकता है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के संसद सदस्य जिसमें डा. विजय कुमार मल्होत्रा शामिल हैं और जो अब श्री मदन लाल खुराना के विरुद्ध लड़ रहे हैं मेरा समर्थन करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह लोगों की समस्या नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो मामला उठाया है, उसमें दिल्ली सरकार को सारा कार्य करना है। सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो बातें कहीं हैं, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मास्टर प्लान में उद्योग के पुनर्स्थापन की बात हटायी गई है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बिहार की फ्लड्स के बारे में नोटिस दिया है। इस बारे में हाउस में डिस्कसन हो चुका है। आप इसे कैसे रेज कर रहे हैं। आप बैठिये।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रही है। वहां आज वैस्टर्न उत्तर प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले गये हैं। वहां के व्यापारी, मजदूर, काश्तकार तथा उद्यमी सब उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि वहां की जनता को उच्च न्यायालय के लिए पांच सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, हम आपको भी बुलायेंगे। आप बार-बार क्या कर रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सईदुज्जमा: किसी वक्त भी वहां कुछ भी घटना घट सकती है, जिसे सरकार नहीं रोक पायेगी। चूंकि वहां के वकील हड़ताल पर गये हुए हैं, इस कारण से वहां की जनता परेशान है, न्यायालयों में काम-काज नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 1986 में मान लिया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सभा के मैम्बर थे। वहां उन्होंने दिनांक 31.7.1986 को एक प्रश्न संख्या 45 पूछा था। उसके उत्तर में तत्कालीन न्याय मंत्री, श्री हंसराज भारद्वाज ने कहा था कि सरकार ने हाई कोर्ट की बैन्च की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। उनके जवाब में यह भी था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके स्थान का चयन भारत सरकार करे। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार को इसके लिए अधिकृत किया था। यह अनुपूरक प्रश्न अटल जी ने किया था। 1986 से लम्बित है। इसमें इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है। माननीय अटल जी अब प्रधान मंत्री बन गये हैं। उनके प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया था, उसे आज सरकार को स्वीकार करना चाहिए और उसका शत-प्रतिशत अनुपालन करना चाहिए और वैस्टर्न यू.पी. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना तुरंत करनी चाहिए। आज वहां अत्यंत गम्भीर स्थिति बनी हुई है, यह कभी भी विस्फोटक हो सकती है। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, माननीय अटल जी को सरकार ने जो आश्वासन दिया

था, उसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ने भी दो बार 1979 तथा 1985 में आयोजित सम्मेलन में निर्णय लिया था कि वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गम्भीर स्थिति को देखते हुए वहां तुरंत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जाए, जिससे कि वहां के वकीलों, मजदूरों और उद्योगों को बचाया जा सके, तथा स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली ने बयान दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने नोटिस दिया है, हम नोटिस देने वालों को बुला रहे हैं, आपका अलग सब्जैक्ट है।

श्री धर्मराज सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने बयान दिया है कि प्रदेशों में जहां छः सौ, सात सौ किलोमीटर की दूरी पर उच्च न्यायालय स्थित हैं, उन्हें विभाजित किया जा सकता है। गुजरात के बारे में उन्होंने बोला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बारे में बोला है। इसकी वजह से माननीय सदस्य ने कहा कि मेरठ में स्ट्राइक है तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के वकील तथा सारे जिले के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैन्च को इलाहाबाद में ही रखा जाए।

उसका बंटवारा न किया जाए। मैं माननीय कानून मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्यों दे रहे हैं या देश के कानून मंत्री क्यों दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, सबको बोलने का समय मिलेगा। बीच में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं?

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को सरकार ने सिद्धान्त रूप में माना हुआ है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने भी दो बार 1979 और 1985 में आयोजित सम्मेलनों में यह निर्णय लिया था कि वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही खंडपीठों की स्थापना की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी।

श्री धर्मराज सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो देश के हाइकोर्ट हैं उनका बंटवारा करना चाहती है या देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका देश की चारों दिशाओं में बंटवारा करना चाहती है? यदि ऐसा होगा, तो पूरे देश के वकील हड़ताल पर चले जाएंगे। इस समय सदन में संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस बारे में स्थिति कुछ स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, हाल ही में कुछ राज्यों में भुखमरी के कारण कुछ आदिवासियों की मृत्यु हुई। अंडमान निकोबार द्वीप पुंज में यही स्थिति निकोबारी भाइयों के साथ होने जा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे।

अध्यक्ष महोदय, निकोबार द्वीप पुंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां करीब-करीब 90 प्रतिशत आदिवासी भाई रहते हैं। उनका एक ही प्रोडक्ट है और वह है नारियल और सुपारी। वहां धान पैदा नहीं होता है और वहां पर कोई फैक्ट्री भी नहीं है। न ही वहां पर नारियल या खोपरा को प्रौसैस करने हेतु कोई इंडस्ट्री है। गैट समझौते पर हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप विश्व बाजार में नारियल और सुपारी के भाव कम हो जाने पर भारत सरकार ने नैफेड के माध्यम से नारियल खरीदने की योजना की घोषणा की थी और निकोबारी भाई खोपरा और नारियल नैफेड के जरिए मुख्य भूमि पर भेजने का काम करते थे और उससे अपना गुजारा करते थे, लेकिन 10 अगस्त, 2001 से नैफेड ने उनका खोपरा खरीदना बन्द कर दिया है जिसके कारण उनका खोपरा और नारियल खराब हो रहा है और उसे खरीदने वाला कोई नहीं है जिसके कारण वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जबकि भारत सरकार ने 28 मार्च, 2001 को इस सदन में घोषणा की थी कि 2001, 2002 के लिए हम खोपरा को अधिक मूल्य पर खरीदेंगे, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण निकोबार के खोपरा उत्पादक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप पुंज के निकोबारी भाइयों का खोपरा खरीदने हेतु तुरन्त आदेश दिए जाएं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, यह अति गंभीर समस्या है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।...*(व्यवधान)* सदस्यों ने बार-बार इस मामले पर सरकार से मदद मांगी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मोहन देलकर को बुलाया है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए, इसमें 35 सदस्यों के नाम हैं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, यह अति गंभीर समस्या है...*(व्यवधान)* गरी के दाम कम हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलने के इच्छुक हैं, तो नोटिस दीजिए।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ मैं भी शामिल होना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप, आप ऐसा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थॉमस (मुवतुपुजा): महोदय, मैं भी उनके साथ शरीक होना चाहता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम): महोदय, मैं भी इस विषय पर माननीय सदस्य के साथ हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली आदिवासी क्षेत्र हैं और साथ-साथ बहुत घने जंगल वाला क्षेत्र है। भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली में पाल्यूटेड फैक्ट्री लगाने पर बैन लगाया है। उसके बावजूद भी जो पाल्यूटेड इंडस्ट्रीज हैं वे वहां लग रही हैं। जो सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने भी वहां ऐसी फैक्ट्रियों के खोलने पर रोक लगा रखी है जिनकी संख्या लगभग 20-25 है जो हाइली पाल्यूटेड हैं। बैन के बावजूद ऐसी फैक्ट्रियों को दादरा नगर हवेली में लगाने का काम किया गया है। जैसे एडवांस डॉट कॉम, सविता केमीकल्स, के.एल.जे. रामको आदि। ये बहुत पाल्यूशन फैलाती हैं और इनकी वजह से वहां सारे क्षेत्र में और विशेष रूप से फारेस्ट्स पर बहुत इफैक्ट हो गया है जिसके कारण लोगों के पीने का पानी खराब हो गया है, जो लोगों की जमीन है उस पर भी असर पड़ गया है और जो हमारी सुन्दर दादरा नगर हवेली है, वह बहुत खराब हो रही है। बार-बार यहां मांग की गई, स्थानीय स्तर पर कंपलेंट की गई कि ऐसी फैक्ट्रियों को तुरन्त बन्द किया जाए और भारत सरकार के भी नोटिस में लाया गया है।

लेकिन अभी तक उन इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया गया। वह आज भी पौलूशन कर रही है और हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त सैंट्रल पैलूशन कंट्रोल बोर्ड से टैक्नीकल टीम भेजी जाए, वहां सर्वे किया जाए, जांच की जाए और जो इंडस्ट्री पौलूशन कर रही हैं, वह चाहे एयर पौलूशन हो, चाहे वाटर पौलूशन हो, ऐसी इंडस्ट्री को भारत सरकार की ओर से तुरन्त बंद करने का काम किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बार-बार हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और माननीय सदस्यों को भी बुलाना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपको बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने नोटिस दिया है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की मांग करता हूं तथा वहां के गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, शिक्षित बेरोजगारों एवं किसानों के चहुंमुखी विकास के लिए क्रान्तिकारी योजना लागू किए जाने की बात उठाता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवम्बर को नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार से हमें कुछ मिलना था। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं दिया। वहां के बंटवारे में कुछ नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य का विकास असम्भव है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हालत दयनीय है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य मंत्री बना, उस समय से ही छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने राहत हेतु 200 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपये के चावल दिए। वहां पिछड़े लोगों की संख्या 23 प्रतिशत है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16 प्रतिशत है, सिंचाई के साधन लगभग 3 प्रतिशत हैं। वहां सिंचाई के साधन तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई विकास योजना लागू नहीं की गई है। नए छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने अनदेखी की है। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां के सभी वर्गों के विकास के लिए, किसानों के चहुंमुखी विकास के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए भारत सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, सीनियर मैम्बर्स को 'जीरो आवर' में बोलने के लिए ऐलाऊ नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपने अच्छा सुझाव दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह सत्र 31 अगस्त को समाप्त होगा। सारा देश अभी भी भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लघु निवेशकों के हितों और भविष्य के प्रति चिंतित है। सरकार आज अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा को समाप्त कर देगी और यू.टी.आई. के लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए वास्तव में सरकार का क्या प्रस्ताव है, उसे समझने को हमें मुश्किल से ही अवसर प्राप्त होगा। दलीय स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अनेक संसद सदस्यों को अध्यापकों, पेंशनभोगियों, कामगारों और विशेष रूप से मासिक-आय आयोजकों और किसानों से सैकड़ों हजारों पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

महोदय, हम दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली चर्चा और संचार के अन्य माध्यमों पर आ रही अनेक प्रकार की टिप्पणियां देख रहे हैं परंतु सभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब तक वास्तव में लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या नीति है? वर्तमान शेयर-बाजार की स्थिति यह है कि प्रत्येक यूनिट का मूल्य 10.10 रुपये से अधिक की गारंटी नहीं है। सरकार ने हमें आज तक आंतरिक जांच की प्रगति के बारे में भी सूचित नहीं किया है कि स्थिति क्या है।

महोदय, एक महीने अथवा एक सप्ताह के भीतर सभी बातें भुला दी जायेंगी परन्तु मेरे विचार से निवेशकों और राष्ट्र को यह स्पष्ट संदेश देना इस सभा का कर्त्तव्य है कि किसी भी स्तर पर इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हुए घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और न ही उस पर पर्दा डाला जायेगा। अत:, सरकार का यह कर्त्तव्य है, और यदि आप निर्देश दें, तो वह इस सभा को 31 अगस्त से पहले यह बताये कि जांच में कितनी प्रगति हुई है और उन लोगों से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को लूटने वाले लोगों से निपटने और निवेशकों को इस संकट से उबारने के लिए वास्तव में सरकार का वित्तीय प्रस्ताव और पैकेज क्या है? सरकार की क्या योजना है? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे सर्वाधिक ऋण में परिवर्तित करने के लिए, उन्हें सरकार के अंतर्गत लाने के लिए क्या कोई ऋण-लिखित अथवा योजना है? या सरकार वास्तव में इसके लिए क्या करने की सोच रही है। हम इस मुद्दे पर केवल इसलिए चुप नहीं रह सकते कि हम चर्चा के उपरांत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते और इस प्रकार, संपूर्ण यू.टी.आई. घोटाले पर पर्दा डाल दिया जायेगा।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह 31 अगस्त से पहले दो बातों के संबंध में अपनी स्पष्ट नीति बताये। पहली यह कि लघु -निवेशकों की सुरक्षा के लिए वास्तव में उनका क्या पैकेज है? जांच की आंतरिक प्रगति क्या है और सरकार किसे लक्षित कर रही है? जब तक 31 अगस्त से पहले सरकार इन दो बातों का खुलासा नहीं कर देती, तब तक लोगों की आशंकाओं को दूर नहीं किया जा सकता।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं केरल का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह सभी को मालूम है कि केरल अन्य देशों विशेष रूप से खाड़ी के देशों में अधिकतम लोग भेजता है। सऊदी अरब में लगभग 1.5 मिलियन भारतीय हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत केरलवासी हैं। अन्य खाड़ी के देशों में भी लगभग चालीस लाख भारतीय हैं, जिनमें से केरल के लोग बहुसंख्या में हैं। अब केरल में खाड़ी के देशों में काम कने वाले एक श्रमिक के लिए केरल से खाड़ी जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस कार्य में सदैव बढ़ता रहने वाला हवाई भाड़ा एक मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त, खाड़ी के देशों में नियोजक उनके वेतन, भत्ते और हवाई यात्रा भत्ते कम कर रहे हैं। अत: ऐसी परिस्थितियों में कोचीन से खाड़ी तक जैसे दुबई, अबूधावी, कुवैत, मस्कट अथवा अन्य ऐसे स्थानों तक के लिए नौवहन सेवा आरंभ करना अति अनिवार्य हो गया है।

महोदय, कोचीन से लक्षद्वीप तक एक नया पोत पहले से ही है। केरल से खाड़ी देशों तक कामगारों को ढोने के लिए उस जहाज का उपयोग किया जा सकता है। अत: भूतल-परिवहन मंत्रालय को इन लोगों, विशेष रूप से खाड़ी देशों में जाने वाले कामगारों की मदद के लिए एक सक्षम योजना तैयार करनी चाहिये। उनके माध्यम से देश विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। मैं सरकार से केरल से खाड़ी देशों तक पोत परिवहन की व्यवस्था करने संबंधी योजना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं वाराणसी काशी से आता हूं। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजधानी है, पर्यटक स्थल है। देश और विदेश से

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

लाखों लोग नित्य वहां आते हैं और आने-जाने का क्रम लगा रहता है। प्रतिदिन एक लाख लोग वाराणसी में आते और जाते हैं। ऐसे स्थान वाराणसी से अनेक दिशाओं में चलने वाली ट्रेनें अपर्याप्त हैं। वाराणसी से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से करना अनुचित है। वर्तमान समय में, पिछले एक वर्ष से लगातार वाराणसी से ट्रेनों को पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वाराणसी के लोगों में इससे बड़ा आक्रोश है।...*(व्यवधान)* आप बैठिये। आपको जो कहना हो, बाद में कहिये। अगर आपका मंत्री ऐसे ही जरूरी समझता है, जैसा कि श्रीमान जी कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस करिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: अगर पटना से ट्रेल चलाना आवश्यक है तो नई ट्रेन पटना से चलायें, नई ट्रेन आवश्यक है तो मुजफ्फरपुर से चलायें, नई ट्रेन आवश्यक है तो दरभंगा से चलायें, लेकिन वाराणसी की ट्रेनों को आगे तक बढ़ाना अनुचित है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और सरकार से मांग करता हूं कि कोचीन एक्सप्रैस जो वाराणसी से चलती थी, उसे अब पटना तक कर दिया है। वाराणसी से सिकन्दराबाद तिरूपति एक्सप्रैस को पटना तक ले गये हैं, वाराणसी से दरभंगा सदभावना एक्सप्रैस को पटना ले गये हैं, पवन एक्सप्रैस जो वाराणसी से चलती थी, उसे तीन दिन दरभंगा और तीन दिन मुजफ्फरपुर के लिए ले गये। अन्त में मैं बताना चाहता हूं कि सारनाथ एक्सप्रैस को आप छपरा ले गये, ज्ञानगंगा एक दिन दरभंगा से चल रही है, इन सारी ट्रेनों को आप फिर से वाराणसी से चलायें, नहीं तो वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। अगर वाराणसी से ट्रेन आगे गई तो वाराणसी के लोग लाइन पर आ जाएंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक महीने के अंदर दोबारा बाढ़ से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। गंगा, कोसी, कमला बालान, गंडक आदि सारी की सारी नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध टूट गए हैं। मधुबनी में कुरसेला और कटिहार में कई बांध टूट चुके हैं। कुरसेला में सैंकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। वहां लाखों किसान सड़क पर हैं। काढ़ा गोला स्टेशन गंगा नदी से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। इसी तरह मनिहारी का स्टेशन भी मात्र एक किलोमीटर दूर बचा है। गोपालगंज, जो कि वहां की मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, दोबारा बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। रक्सौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर की स्थिति भी दयनीय है। दरभंगा की स्थिति तो बुरी तरह से प्रभावित हुई है कि उसकी व्याख्या करना भी मुश्किल है। केन्द्र से जो टीम वहां भेजी गई थी, उसने कहा है कि बिहार सरकार वहां कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। वहां के सिंचाई मंत्री की लापरवाही के कारण और अन्य मंत्रियों की लापरवाही के कारण हर साल बांध टूटते हैं, समस्या का निदान नहीं होता। हम भी सदन में बोल लेते हैं, चले जाते हैं, राजनीति हो जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि समस्या के सही निदान के लिए, बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से बचाने के लिए भारत सरकार के मंत्री के साथ आप बिहार के सांसदों को बुलाकर बैठक कराएं और इस समस्या का निदान कराएं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप भी अपने को इसके साथ एसोसिएट करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, आपने अपनी बात कह दी। शून्य काल में दो-तीन मिनट से ज्यादा मामले को रेज नहीं करना चाहिए। बाकी सदस्यों को भी बोलने का मौका दें।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना होने के कारण बिहार का अच्छा स्कूल, सैनिक स्कूल जो कि झुमरितलैया में था, झारखंड में चला गया। अन्य स्कूल भी वहां चले गए हैं।...*(व्यवधान)* इस कारण बिहार अच्छे स्कूलों से वंचित हो गया है। बिहार में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान बिहार राज्य का भोजपुर मुख्यालय आरा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को 'शन्यू काल' में प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि सरकार उत्तर देना चाहती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह: वहां वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है और औद्योगिक तथा कृषि की दृष्टि से भी आरा शहर बहुत उन्नत किस्म का शहर है। जो गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हो गए हैं उनके लिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आरा मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल को जल्दी स्थापित किया जाए, ताकि गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। पप्पू यादव जी ने जो सवाल उठाया है...*(व्यवधान)* वहां चारों ओर से आवागमन बंद है, कोई रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। सेंटर से टीम गई और वापस आ गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दे दिया है।

श्री रघुनाथ झा: जवाब से क्या खाएंगे और क्या पीएंगे। वहां सारे लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गम्भीर है। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना होगा और हम सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। वहां सरकार की क्या योजना है, कौन से कदम वह उठाने वाली है, इसका पता लगना चाहिए। यह बहुत ही उचित मांग है। संसदीय कार्य मंत्री जी अपने सम्बद्ध मंत्री से कुछ न कुछ स्पष्टीकरण दिलाएं, कुछ आश्वासन दिलाएं। आज नहीं तो कल दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि वह यह मामला माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री के साथ उठायेंगे। शुरू में उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, कल कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अति गंभीर स्थिति है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा गणेश शुगर मिल आनंद नगर, जनपद महाराजगंज का संचालन हो रहा था। कु-प्रबंधन के कारण वह चीनी मिल बंद हो गई। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर और एलगिन मिल, कानपुर सहित कई चीनी मिलों के वाइंडिंग-अप का आदेश दिनांक 29.9.1999 को दिया गया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चीनी मिलों के संबंध में अलग-अलग अपीलों पर दिनांक 29.9.1999 के वाइंडिग-अप के आदेश को स्थगित कर दिया। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर के पक्ष में भी स्थगन आदेश प्रभावी है। भारत सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री श्रीराम चौहान जी के पत्र दिनांक 5.11.1999, जो ऐलगिन मिल, कानपुर तथा कानपुर टैक्सटाइल मिल, कानपुर के मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के संबंध में दिया गया था, दिनांक 29.11.1999 के पत्र के माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री काशीराम राणा जी के द्वारा श्री श्रीराम चौहान जी को यह बताया गया कि उपरोक्त मिलों के कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन धनराशि का भुगतान किया गया। परंतु अभी तक गणेश शुगर मिल आनंद नगर के मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। यह गणेश शुगर मिल के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि गणेश शुगर मिल, आनंद नगर को तत्काल प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। भारत सरकार की श्रम नीति के अंतर्गत 9.9.1997 से लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ गणेश शुगर मिल आनंद नगर के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया जाये। यदि सरकार मिल नहीं चला सकती है तो मिल के विक्रय हेतु वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र उच्च न्यायाल को जारी करे और अपना एक प्रतिनिधि भेजकर उच्च न्यायालय में अपील करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में पढ़ना ठीक नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम तथ्यों को उजागर कर रहे हैं। हमारा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि इस सदन के अंदर गणेश शुगर मिल, आनंद नगर का मुद्दा उठ चुका है परंतु अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो लोगों ने इस मिल को खरीदने के लिए अपने टेंडर भी दिये हैं परंतु भारत सरकार अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दे रही है। कृपया भारत सरकार तत्काल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे ताकि वह मिल चालू हो सके।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, यह 15 दिन पहले कलकत्ता शहर में स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टायर कारपोरेशन की तांगड़ा इकाई के बंद होने के संबंध में पूछे गए प्रश्न, जिस पर श्री दासमुंशी और श्री बसुदेव आचार्य ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछा था, के उत्तर के संदर्भ में है।

कल उस इकाई को बंद घोषित कर दिया गया है। परन्तु माननीय मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि बंद होने संबंधी निर्णय को कैबिनेट को भेजते समय इसके पुनरुद्धार संबंधी पैकेज को भी भेजा जायेगा। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कि माननीय सदस्यों के समक्ष इस सभा में आश्वासन दिए जाने के उपरांत भी, यदि अचानक किसी इकाई को बंद घोषित कर दिया जाता है तो सदस्यों के लिए परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जब हम कामगारों को सरकार की भावनाओं से अवगत कराते हैं, तो वह भी हताश और निराश हो जाते हैं।

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

इसी प्रकार से हमने इस्को के आधुनिकीकरण और एम.ए.एम.सी. के बंद करने की मांग भी उठाई थी, जिस पर उस दिन चर्चा चल रही थी। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह टायर कारपोरेशन आफ इंडिया की तांगड़ा यूनिट और इस्को के आधुनिकीकरण हेतु- चाहे वह संभव है या नहीं, यह हम नहीं जानते- सकारात्मक पुनरुद्धार प्रस्ताव लेकर आये।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): टी.सी.आई.एल. की टांगड़ा यूनिट और एम.ए.एस.सी. के पुनरुद्धार संबंधी मंत्री महोदय के आश्वासन के उपरांत भी, सरकार ने उन्हें बंद करने का आदेश जारी कर दिये...*(व्यवधान)* फिर, किसी आश्वासन का क्या उपयोग है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एक ओर सरकार आश्वासन देती है और दूसरी और इकाइयों को बंद कर देती है। आश्वासन का क्या उपयोग है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार...*(व्यवधान)* सरकार निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए और साक्षरता का प्रचार-प्रसार करने के लिए शिक्षा के अंदर मदद देती है। हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने शिक्षा का कांग्रेसीकरण कर दिया है।...*(व्यवधान)* पिछले दिनों यहां भगवाकरण की आवाज उठी थी लेकिन राजस्थान में शिक्षा का कांग्रेसीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। गत वर्ष राजस्थान की स्वर्ण जयंती थी और उस अवसर पर स्वर्ण जयन्ती पाठशाला और राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी पाठशाला खोल दी।...*(व्यवधान)* उनमें कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्त्ताओं को रखा गया है।...*(व्यवधान)* एन.टी.टी. ट्रेन्ड लोग फालतू घूम रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन कांग्रेस के चहेते सेवादल के लोगों को और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के लोगों को पाठशाला में लगा दिया है। सरकार की जो शिक्षा योजना थी, जिसके लिए विदेशों से अनुदान के रूप में पैसा मिलना था, सरकार ने उसे बन्द करा दिया है और राजीव गांधी पाठशाला के लिए सारा धन दिया जा रहा है और उस पर खर्च हो रहा है। एक प्रकार से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि इस काम को कांग्रेस कर रही है। इसलिए मैं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा की जाए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने तहलका कांड के विरोध में 6 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी के पास भेजे हैं। 1999 में कांग्रेस को राजस्थान में 75 लाख वोट मिले थे और 71 लाख हस्ताक्षर बताए गए हैं। हमने सारे इलाके में घूमकर लोगों से पूछा, तो पता लगा कि ये एक भी जगह हस्ताक्षर कराने के लिए नहीं गए हैं। 75 लाख वोटरों में से 71 लाख वोटर्स के हस्ताक्षर कराकर देश के सर्वोच्च व्यक्ति के पास भेजे गए हैं, वह धोखाधड़ी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, आप अपने ही सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल: महोदय, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी है। वहां अर्जुन सिंह जी पधारे थे और पारदर्शिता की बात कह रहे थे। पारदर्शिता इसमें है कि हस्ताक्षर की जांच करा ली जाए, तो यह कांड बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट): महोदय, कायर बोर्ड ने कायर उत्पादों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी और नरसापुर में क्षेत्रीय कायर बोर्ड प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। परंतु अब वह उन्हें बंद करना चाहता है।

महोदय, यह एक बहुत अच्छा और व्यवसायिक उद्योग है। मैं बोर्ड से इन प्रशिक्षण केन्द्रों को और तीन वर्ष तक के लिए बने रहने देने का अनुरोध करता हूं। ये केन्द्र चलाने में उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और सरकार से उन्हें चलाने को कहा है। महोदय, यदि केन्द्र सरकार इन्हें चलाए तो अच्छा होगा। अत:, मैं केन्द्र सरकार से इन्हें चलाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.40 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.40 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेकरी रेलवे फाटक के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर उपरिपुल का निर्माण करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-6 पर फेकरी के निकट रेलवे क्रासिंग पर ओवर-ब्रिज बनाये जाने की काफी आवश्यकता है। इस राजमार्ग पर कोलकाता से मुम्बई तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। रेल क्रासिंग पर गेट बंद रहने से दिन में कई बार क्रासिंग के दोनों तरफ वाहनों की लम्बी कतार बनी रहती है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इस राजमार्ग पर बी.ओ.टी. प्रणाली के अनुसार ओवर-ब्रिज बनाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय में प्रलम्बित है। अतः मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-6 पर फेकरी के निकट रेलवे क्रासिंग पर ओवर-ब्रिज निर्माण कार्य को तुरंत स्वीकृति दी जाए।

(दो) मनिकरण की बाढ़ से रक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में मनिकरण एक धार्मिक स्थल के अतिरिक्त उबलते हुए पानी के स्रोत और पानी में ही खाना पकाने की क्षमता होने के कारण न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है। देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 17 जून 1989 में इस स्थल पर पधार चुके हैं और वहां की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं। इस वर्ष जब वे मनाली प्रवास पर आए थे तो मनिकरण निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला खड़गवासला, पुणे द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन के आधार पर 1 करोड़, 92 लाख 50 हजार 900 रुपये आर्थिक अनुदान दिये जाने हेतु अनुरोध किया था।

दुर्भाग्य से 13 अगस्त, 2001 की रात्रि से भयंकर बाढ़ आने से भूमि कटाव हो गया जिसके कारण गांव में दरारें पड़ गई और अनेक दुकानें बह गईं। यदि जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो इस स्थल का नामोनिशान मिट जाएगा। हिमाचल सरकार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मेरा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि अविलम्ब आर्थिक अनुदान प्रदान कर इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को बचाने की कृपा करें।

(तीन) मध्य प्रदेश में मंडला जिले में मनेरी ग्रोथ सेंटर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): उपाध्यक्ष जी, जबलपुर के नजदीक मंडला जिले में मनेरी ग्रोथ सेंटर में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ने सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने हेतु तकनीकी जांच करा ली है, कि जबलपुर के पास बने बरगी डेम से इस सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा तथा शहडोल क्षेत्र से कोयला मिलेगा, परन्तु अभी तक इसकी स्थापना नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आम नागरिकों में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

इसलिए भारत शासन इसकी स्थापना हेतु शीघ्र प्रयास करे।

(चार) दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में यमुना नदी बहती है और इसके किनारे अनेकों झुग्गी-झोपड़ी बनी हुई हैं। इसमें प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आए दिन गर्मी व बरसात के दिनों में गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इस नदी के पूर्वी किनारे पर लाखों लोग निवास करते हैं व लोगों का आना-जाना लगा रहता है और यमुना नदी में प्रदूषण होने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब होता है। यदि इसके सोनिया बिहार से मयूर विहार तक पन्द्रह किलोमीटर लम्बे किनारे के साथ वृक्षारोपण कर सुंदर बनाया जाए तो लोग वहां सैर भी कर सकते हैं और इससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने बीस लाख वृक्ष लगाने की योजना बनाई है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के पर्यावरण व पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि इस योजना को शीघ्र शुरू किया जाए जिससे यहां के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और प्रदूषण भी खत्म किया जा सके।

(पांच) मध्य प्रदेश में जबलपुर और तेंदूखेड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 जबलपुर से भोपाल अनेक दशकों से निर्माणाधीन है। इसके निर्माण की गति इतनी धीमी है कि लगता है कि 21वीं सदी बीतने के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा। तेन्दूखेड़ा से भोपाल तक यह सिंगल मार्ग है। काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण बरसात में प्राय: हर दिन कोई न कोई वाहन क्रासिंग करते समय फंस जाता है और संपूर्ण मार्ग कई घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाता है। दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लाइन लग जाती है। कई बार यह जाम 24 घंटे नहीं खुलता है। जबलपुर से तेन्दूखेड़ा जहां मार्ग निर्माणाधीन है, निर्माण की गति इतनी धीमी है कि जितना मार्ग बनाया जाता है, अगला निर्माण होने के पहले ही पुराना मिट जाता है। केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पर्याप्त बजट आंवटित कर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 का निर्माण शीघ्र-अति-शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करें।

(छह) टुरबे में एयर इंडिया की अतिरिक्त और अप्रयोज्य भूमि का शीघ्र निपटान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): मैं एअर इंडिया द्वारा टुरबे में उनकी फालतू और अप्रयोज्य भूमि तथा मुंबई में नेरूल स्थित निर्माणाधीन आवासीय परिसर की बिक्री में हो रहे अत्यधिक विलम्ब की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

यद्यपि इस प्रस्ताव को दस वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। परन्तु एअर इंडिया द्वारा अब तक न तो कोई निर्णय लिया गया है और न कोई कार्यवाही की गई है। सी.आई.डी.सी.ओ. भूमि/आवासीय परिसर का न्यासी रहा है। और एअर इंडिया की ओर से विलम्ब के कारण सी.आई.डी.सी.ओ. का दायित्व बढ़ते जा रहे हैं।

1997-98 में भूमि/आवासीय परिसर के विक्रय के लिए एअर इंडिया की ओर से निविदाएं आमंत्रित की गई थी और बी.ए.आर.सी. सफल बोली लगाने वाले चुने गए। बाद में यह हुआ कि बी.ए.आर.सी. ने सम्पत्तियों की अनुपयुक्तता को महसूस किया। अगर पहली बोली लगाने वाले (बी.ए.आर.सी.) देय राशि का भुगतान न किया हो, तो एअर इंडिया सी.आई.डी.सी.ओ. को कह सकती थी कि वह दूसरे नम्बर की बोली को मंजूर करें। उच्च स्तर पर व्याप्त कमियों के कारण एअर इंडिया आर्थिक और अन्य तरीकों से कठिनाई की स्थिति में है। एअर इंडिया के लिए यह बेहतर होगा कि वह दूसरे नंबर की बोली लगाने वाले जो इस सम्पत्ति का उचित मूल्य दे सकता है को मौका दे। इससे एअर इंडिया को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी और कुछ हद तक वह अपनी स्थिति सुधार सकेगा।

(सात) केरल के कुछ भागों में बार-बार आने वाले भूकम्प के कारणों का पता लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): केरल के कुछ भागों में जैसे ओट्टापलम संसदीय क्षेत्र, पट्टाम्बी शोरानूर नगरपालिका, अरनाटूकारा, देशामंगालाम वारावूर आदि में प्राय: भूकम्प आता रहता है जिससे वहां के लोगों को नुकसान हुआ है और मकान तथा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि देशामंगालाम में भूकम्प आया परन्तु भूकम्प मापने का यंत्र काम नहीं कर रहा था। केरल में भूकम्प के अतिरिक्त लोगों को रेड रेन्स तथा ग्रीन रेन्स का सामना करना पड़ रहा है और हाल ही में भूस्खलन के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। इन सभी स्थितियों के कारण वहां के लोगों में भय व्याप्त हुआ है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आगे आये और एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे जो इन मामलों की गहन जांच कर सके तथा इनके भौगोलिक कारणों का व्यापक अध्ययन कर सके।

(आठ) मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में और अधिक "वाटर शेड" स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर): आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले को इस वर्ष मानसून विफल होने के कारण गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस जिले में साधारणतया 540 मि. मी. सामान्य वर्षा होती है। पूरे देश में जो राजस्थान के जैसलमेर शहर के बाद दूसरा न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। जून महीने में जिले में सामान्य वर्षा के 131 मि.मी. के मुकाबले मात्र 36 मि.मी. वर्षा हुई। वर्षा न होने के कारण इस जिले में कृषि संबंधी सभी गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं जिससे लगभग पांच लाख परिवार बेरोजगार हो गये हैं। जिले को पेयजल तथा चारे की कमी की समस्याओं से झूझना पड़ रहा है। अनन्तपुर जिला मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) में शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने (डीडीपी) के अंतर्गत 200 पनधाराओं की स्वीकृति के संबंध में केन्द्र सरकार से पहले अनुरोध किया था। लेकिन केवल दस पनधाराओं को ही स्वीकृति दी गई। अनन्तपुर जिले में प्राय: सूखे की स्थिति रहती है जिसके कारण लोगों को विशेषकर कृषि मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अनन्तपुर जिले के लिए (डीडीपी) के अंतर्गत 200 अतिरिक्त पनधाराओं की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(नौ) चम्बल एक्सप्रेस को हावड़ा-ग्वालियर के बीच प्रतिदिन चलाए जाने और उसे निजामुद्दीन, दिल्ली तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, हावड़ा-ग्वालियर के बीच आसनसोल-गया-इलाहाबाद-मानिकपुर-चित्रकुट-बांदा-महोबा-झांसी के रास्ते चम्बल एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 1159-1160 सप्ताह में तीन दिन चलती है। यही ट्रेन नम्बर 1181-1182 के नाम से सप्ताह में एक दिन आगरा तक चलाई जाती है। यह ट्रेन विगत कई वर्षों से चल रही है किन्तु सप्ताह में प्रतिदिन न चलने के कारण जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह तथ्य भी सही नहीं है कि हावड़ा-गया-इलाहाबाद-मानिकपुर-चित्रकुट-बांदा-झांसी सैक्टर में रेल लाइन क्षमता की तंगी है। इस सैक्टर पर अनेक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इनमें ट्रेनों का भीषण अभाव है।

यह सही है कि नई दिल्ली में टर्मिनल-प्लेटफार्म व अनुरक्षण सुविधाओं का अभाव है किन्तु निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उक्त सुविधाओं का कोई विशेष अभाव नहीं है। इसलिए चम्बल एक्सप्रेस को ग्वालियर-आगरा से बढ़ाकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक रोजाना आसानी से चलाया जा सकता है और जनता को सुविधाएं दी जा सकती हैं। अत: चम्बल एक्सप्रेस के फेरे बढ़ा कर रोजाना चलाया जाए और इसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए।

(दस) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को उड़ीसा में भुवनेश्वर से पथराजपुर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को भुवनेश्वर से स्थानांतरित किए जाने में हो रही अत्यधिक देरी के कारण पथराजपुर के लोगों में आक्रोश है। पर्यटन मंत्रालय ने 1998 में उड़ीसा के लिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए स्वीकृति प्रदान की थी और इंस्टीट्यूट के लिए जगह पथराजपुर चुनी गई थी। लेकिन वहां भवन के अभाव में यह निर्णय लिया गया कि उक्त इंस्टीट्यूट को भुवनेश्वर में ही एक किराए के भवन में शुरू किया जाये। बाद में वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और पथराजपुर में भवन निर्माण के लिए राशि प्रदान करने की स्वीकृति दे दी। एक वर्ष पूर्व पथराजपुर में इस इंस्टीट्यूट के लिए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन यह इंस्टीट्यूट अब भी भुवनेश्वर में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। भवन के निर्माण में लाखों रुपये खर्च हुए हैं, इसलिए और अधिक समय तक भवन को अप्रयुक्त नहीं रहने देना चाहिए। यही नहीं किराए के भवन पर हो रहे व्यय से राजकोष को अनावश्यक घाटा हो रहा है।

अत:, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए और अविलम्ब पथराजपुर स्थानांतरित किया जाए।

(ग्यारह) एक पृथक बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, भूटान देश से लगे तलहटी तथा अरूणाचल प्रदेश से जुड़ने वाले क्षेत्र से लेकर वर्तमान असम राज्य से उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में एक पृथक राज्य बोडोलैंड बनाए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार की ओर से उचित संवैधानिक उपाय तथा प्रभावी राजनीतिक प्रयास करने की काफी समय से नितान्त आवश्यकता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मूल बोडो लोगों की उचित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना के रूप में तुरन्त पृथक बोडोलैण्ड राज्य के सृजन के लिए उचित संवैधानिक नीतिगत उपाय करें तथा प्रभावी राजनैतिक गतिविधियों को समाप्त करें। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि संविधान की छठे अनुसूची के तहत दक्षिण ब्रह्मपुत्र घाटी में दो स्वशासी जिलों का सृजन किया जाये और अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में 8वीं अंगलांग को उत्तरी कछार पर्वत के बोडो-बोडो कछारियों को शामिल किया जाए। साथ ही बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

(बारह) दिल्ली और मेरठ के बीच दोहरी लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाने और मेरठ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण कार्यालय का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ शहर का व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे अर्से से दो मुख्य मांगे हैं कि दिल्ली-मेरठ रेलवे लाइन को डबल लाइन में परिवर्तन करना और दूसरा मेरठ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलना। दिल्ली-मेरठ रेलवे डबल लाइन का कार्य प्रगति पर है, परन्तु यह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यदि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है। इस क्षेत्र की जनता, मेरठ में कार्यरत केन्द्र

और राज्य के कर्मचारियों, व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों को काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही साथ कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने की भी मांग लम्बे अर्से से की जा रही है। मेरा इस संबंध में आग्रह है कि दिल्ली-मेरठ डबल लाइन का कार्य पूरा होने से पहले यहां पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाये ताकि लोगों को आरक्षण की सुविधा मिल सके। इन दोनों कार्यों के पूरा होने से इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा ही, साथ-साथ रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त दोनों कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाये।

(तेरह) राजस्थान में करौली जिले में टेलीफोन सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर (राजस्थान) के अंतर्गत करौली जिले का अधिकांश भाग डांग क्षेत्र है जहां घने जंगल एवं पहाड़ी भाग हैं। एक तरफ से चम्बल नदी के बीहड़ होने के कारण आवागमन एवं दूरसंचार की व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है। आधुनिक संचार सुविधा के विस्तार की प्रतिदिन योजनाएं लागू की जा रही हैं। यह क्षेत्र दुर्गम तथा अभावग्रस्त तो है ही साथ में दस्यु प्रभावित होने की वजह से आम जनता में भी भय बना रहता है। यहां के नागरिक आज तक रेल के साथ-साथ टेलीफोन सुविधा से भी वंचित हैं। करौली जिला आजादी के 54 वर्ष के बाद भी दूरसंचार की सुविधा की मांग करता रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डांग क्षेत्र में सैटेलाइट टेलीफोन से मण्डायल क्षेत्र को शीघ्र जोड़ने के लिए निर्देश देने का कष्ट करें।

अपराह्न 1.58 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2001-2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब अगला विषय अनुपूरक अनुदानों की मांगे है।

एक घंटा और 54 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। शेष समय केवल एक घंटा और छह मिनट ही हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि वे जब भी बोलें तो केवल अनुपूरक मांगों तथा संगत मदों का ही हवाला दें। वे विषय से न हटें और समय की बचत हो सके। डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल इन पूरक मांगों पर चर्चा करते समय नैफेड के बारे में मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार से समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जा रही है। आज अंडमान निकोबार के हमारे सांसद मित्र ने भी यह बात उठाई कि वहां भी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जा रही है। इसके साथ-साथ मैंने प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये थे और निवेदन किया था कि प्रधान मंत्री सड़क योजना को जिस प्रकार से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, अनेक प्रदेशों के द्वारा उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देश का पालन भी नहीं हुआ है। मैंने उदाहरण देते हुए कहा था कि किस प्रकार से जहां सड़कें बनी हुई हैं, उन्हीं को उसमें शामिल कर लिया गया है और उस पर भारी राशि व्यय की जा रही है। इसलिए कोई एक ठीक ढंग की व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि उसका निरीक्षण और परीक्षण हो सके तथा सांसदों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या 34 है, जिसमें प्रत्यक्ष कर के संबंध में और मुम्बई में एक भवन बनाने के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने मांग की है। वह भवन बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं अपने दो सुझाव भी रखना चाहता हूं। यह सही है कि हम अपनी व्यवस्था सुधारना चाहते हैं और उस व्यवस्था की दृष्टि से कार्य भी करना चाहते हैं। अभी रिजर्व बैंक द्वारा जो कुछ स्थानों पर नोट बनाये जाते हैं फिर जारी किये जाते हैं या प्रैसों में बनाये जाते हैं उनमें रिजर्व बैंक के द्वारा अपने अधिकार में प्रेस में जहां नोट बनाये जाने की प्रैस है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, जैसे मेरे मित्र श्री थावरचन्द जी के क्षेत्र देवास में एक बैंक नोट प्रैस है,

अपराह्न 2.00 बजे

जिसके विस्तार के बारे में स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन पहले पानी का अभाव बताकर उसे रोक दिया गया था। वहां पानी का अभाव नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए स्वीकृति दें ताकि बाजार में जो सड़े-गले नोट आ रहे हैं, उसके स्थान पर नये नोट आ सकें, वहां कार्य का विस्तार हो साथ ही वहां के कर्मचारियों के वेतन में जो असमानता है, उसे ठीक किया जा सके और जो रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित बैंक नोट प्रेस हैं उनका मानदेय अलग है और दूसरे कर्मचारियों का अलग है, हालांकि काम एक ही है, उनके मानदेय में जो अंतर है उसे भी दूर किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्ष पूर्व बैंक नोट प्रैस में हड़ताल हुई थी उन दिनों का वेतन नहीं मिला। लेकिन जहां दूसरे कर्मचारियों, पी एंड टी के कर्मचारियों को तो उसका लाभ मिल गया लेकिन इन

कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि वह लाभ उनको भी दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 5 और 6 के बारे में मैं एक साथ चर्चा करना चाहूंगा। मांग संख्या 5 आई.डी.पी.एल. के बारे में है और मांग संख्या 6 फर्टिलाइजर के बारे में है। आई.डी.पी.एल. किसी समय बहुत अच्छी कंपनी थी, वह लाभप्रद संख्या थी और उसको इस दृष्टि से चलाया गया था कि सस्ती और प्रामाणिक दवाइयां मिलेंगी और जिनकी विश्वसनीयता होगी। धीरे-धीरे उनका घाटा बढ़ता गया। सरकार निरन्तर उसको सहायता दे रही है लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए उसके बारे में एक सुनिश्चित योजना बनाकर उसके रिवाइवल के लिए ठीक से प्लान किया जाए ताकि जो बड़ी-बड़ी निधि आप आबंटित करते हैं, उनकी आवश्यकता न पड़े।

आज हमारे फर्टिलाइजर के कारखाने बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं, क्या कारण हैं? क्या रा-मैटीरियल नहीं मिल रहा है, या कुप्रबंधन है या क्या आवश्यकता है? यह ठीक है कि उनके लिए निधियां यहां स्वीकृत हो जाती हैं लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, वह काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान भारी उद्योग क्षेत्र की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। उनके लिए कई रिवाइवल प्लान बने हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जिनको फिर से आप चलाना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान सी.सी.आई. की तरफ खींचना चाहता हूं। इसकी कई इकाइयां हैं। कुछ ऐसी हैं जो चलाई जा सकती हैं, वह तो ठीक हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको बंद किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र नयागांव में सिमेंट कार्पोरेशन की एक सिमेंट इकाई है। वहां चार वर्षों से कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। प्रति मास लाखों रुपया वेतन दिया जा रहा है। बिजली पर भारी खर्चा हो रहा है, लेकिन बिजली का जो बकाया था, उसके बकाया होने से बिजली कट गई और कारखाना बंद हो गया। आज हम लाखों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं। मैंने भारी उद्योग मंत्रालय से भी चर्चा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है, माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि उस बिजली का बकाया चुकवा दीजिए, उसमें कोर्ट का भी आदेश है कि फिर वह कारखाना चल पड़ेगा और आपको अकारण ही घर बैठे मजदूरों को वेतन नहीं देना पड़ेगा। उत्पादन से देश को लाभ होगा।

महोदय, मंत्री जी सुपर बाजार को भी काफी पैसा देने जा रहे हैं। सुपर बाजार की क्या स्थिति है, कल आधे घंटे की चर्चा हुई, उस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तीन वर्षों में क्यों घाटा हुआ? अकारण ही वहीं पर माजदा गाड़ी खरीद ली गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी, दालें खरीद ली गई, जबकि आवश्यकता नहीं थी, महंगे दाम पर प्याज खरीदा गया। उसका जो घाटा हुआ वह शेयर होल्डर्स की जेब पर जाता है। इसलिए सीधी-सीधी बात यह है कि ऐसी संस्थाओं के बारे में ठीक से विचार होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि कुल मिलाकर जो हजारों सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका विश्वास डगमगा रहा है कि हम कहां पैसा लगाएं, यू.टी.आई. की चर्चा मैं नहीं करना चाहता उस पर काफी बहस हुई है, लेकिन वह संस्था भी इससे संबंधित है। उसके बारे में जो माहौल बना है, उसे ठीक कर सकें तो मैं समझता हूं कि काफी अच्छा होगा और लाभप्रद होगा। लोगों का विश्वास बढ़ेगा। छोटे निवेशक आश्वस्त होंगे।

मैं गुजरात के भूकंप पीड़ितों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ-साथ वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक में जो सूखे की स्थिति है, गत वर्ष मध्य प्रदेश पूरी तरह से सूखे की चपेट में था और आज उसके अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में हैं। जहां अन्यान्य प्रदेशों को सहायता की राशि की बात की जा रही है, मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बारे में भी विचार किया जाए ताकि उसके जो सूखे की चपेट में क्षेत्र आए हैं, उन क्षेत्रों को भी देखा जा सके और उनको भी सहायता दी जा सके।

महोदय, मांग संख्या 58 में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। लक्षद्वीप की चर्चा इसमें नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि लक्षद्वीप को भी इसमें सहायता मिलनी चाहिए। क्योंकि वह भी हमारे देश का एक भाग है, उसके अंदर भी काफी कठिनाइयां हैं। मैंने स्वयं जाकर देखा था कि वहां सौर ऊर्जा से काम होता है, डीजल से बिजली चलती है। उसके लिए अलग पैकेज बनाना चाहिये। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो राशि प्रदान की गई है, वह राशि सामान्यतया ठीक है। इसलिए हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने साथ पूरी तरह उन्नत करना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं, वहां की कठिनाइयां हल करना चाहते हैं क्योंकि वहां कई प्रदेशों में आदिवासी बहुल जनसंख्या है। उसमें यह भावना पैदा न हो कि हम अलग हैं या हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस व्यवहार को ठीक करने की दृष्टि से भी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो पैसा दिया गया है, यदि उसमें और निधि आवंटित की जाती है, तो बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि सप्लीमेंट्री बजट—प्रथम लिखा हुआ है, द्वितीय भी आयेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है कि तृतीय भी आए, मैं चाहूंगा कि उसके अंदर और भी राशि दी जाए ताकि उनको यह अनुभूति हो कि वास्तव में हमारे साथ ढंग से व्यवहार हो रहा है।

पत्रकार कल्याण निधि के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। कल विपक्ष की ओर से तिवारी जी ने बोलते हुए कहा था कि पत्रकारों के लिए कल्याण निधि की निश्चित ही आवश्यकता है। पत्रकार भी समाज के सजग प्रहरी होकर काम करते हैं लेकिन

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

आखिर यह कल्याण निधि किस प्रकार आवंटित होगी, किस प्रकार दी जाएगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। पत्राकारों की किस श्रेणी को इसमें लिया जाएगा, किसी श्रेणी को नहीं लिया जाएगा, कौन लाभान्वित होगा, कौन लाभान्वित नहीं होगा, इस दृष्टि से देखा जाना आवश्यक है।

अंत में, अपने क्षेत्र की समस्या सामने रखते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह भी वित्त विभाग से संबंधित है। वित्त मंत्री जी अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेकर आए हैं। मैंने डोडा चूरा के संबंध में कहा था कि यह अफीम की काश्त से संबंधित है। डोडा चूरा का व्यापार नैफेड करे, यह मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उसमें करोड़ों रुपयों की हेराफेरी होती है, ठीक से नियंत्रण नहीं होता, केसेज बनते हैं, लोग परेशान होते हैं। डोडा चूरा का व्यापार अगर नैफेड करने लगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अफीम की खेती जो नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत है, करते हैं, अफीम के मूल्य बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है क्योंकि उसमें उत्पादन लागत काफी बढ़ी है। वे स्वयं विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मैंने दो दिन पहले नियम 377 के अंतर्गत अपना विषय उठाते हुए कहा था कि नीमच स्थित अल्कलाइड फैक्ट्री का विस्तार किया जाए, इससे कोडीन फास्फेट बनता है, मौर्फीन बनती है और ऐसी दवाइयां बनती हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं, जिन्हें हम विदेशों से आयात करते थे लेकिन आजकल निर्यात भी करते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अर्जन भी होगा। ऐसी चीज के बारे में निश्चित रूप से विचार करके उस फैक्ट्री का विस्तार किया जाना चाहिए। अफीम के काश्तकार लाखों की संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मेरे क्षेत्र में 70 हजार किसान केवल इसी काश्त के ऊपर निर्भर करते हैं। मंत्री महोदय ने मूल्य वृद्धि पर विचार हेतु एक समिति गठित की है लेकिन वह समिति उसका निर्णय जल्दी करे। पौपीहस्क के बारे में भी मैंने चर्चा की है और कहा है कि पौपीहस्क का नियंत्रण भी केन्द्र सरकार ले।

अंत में अपनी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। यद्यपि यह सीधे इस पूरक बजट का विषय नहीं है। मेरे क्षेत्र में नीमच से रतलाम तक रेलवे के अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। उसके लिए हर साल रेल बजट में पैसा रखा जाता है, कभी 5 करोड़ रुपये, कभी 10 करोड़ रुपये और कभी 15 करोड़ रुपये लेकिन जो योजना 113 करोड़ रुपये की है, मैंने मांग की है कि यदि उसके लिए 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि देंगे तभी वह योजना पूरी हो पाएगी और दिल्ली से मुम्बई तक की सीधी पैरलल लाइन तैयार हो जाएगी जिससे आम जनता को सुविधा होगी। मैंने पूरक मांगों के समय इसका लाभ लेते हुए रेल विभाग के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। मैं चाहूंगा कि यह विषय रेल बजट का है तथापि क्षेत्र की जनता की मांग है अतः यहां पर रखी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय निश्चित रूप से उन पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और अपनी बात कहेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। उन्होंने 3,709 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगें रखी हैं, उनके अनुसार उसमें से 1,413 करोड़ रुपये उन्हें नकद चाहिए। हम अनुपूरक, अनुदानों की मांगों का समर्थन क्यों करें? कुछ महीनों पहले माननीय वित्त मंत्री ने काल्पनिक बजट प्रस्तुत किया था। यदि हम उस बजट के सार व उसके कार्यनिष्पादन पर नजर डालें तो यह काल्पनिक बजट एक साधारण बजट लगा लेकिन अंत में एक निरुद्देश्य बजट बन गया।

क्या माननीय मंत्री मुझे यह बताने और मूल्यांकन करने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यकाल की प्रथम तिमाही के दौरान इस आदर्श बजट की क्या उपलब्धियां रही हैं? क्या ये अपनी गतिविधियों का एक भी ऐसा क्षेत्र बता सकते हैं, जिसमें वे इस काल्पनिक बजट को वास्तविक बजट में बदलने में किंचित मात्र भी सफल हो पाए हैं? उपलब्धियों के स्थान पर घोटालों ने इस सरकार को चुनने वाले लोगों और देश को झझकोर कर रख दिया। खेद की बात तो यह है कि वित्त मंत्रालय के लोग ही इन घोटालों में लिप्त हैं। सीमा-शुल्क विभाग के अभिरक्षक, सीमा-शुल्क महानिदेशक जेल में है या जमानत पर हैं। वे इस देश की वित्तीय सीमाओं के अभिरक्षक हैं। वे जेल में हैं। जनता ने सत्ता पक्ष, सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया किंतु यू.टी.आई. घोटाले ने उसे चकनाचूर कर दिया। इस देश के करीब दो-तीन करोड़ लोग अब कहीं के नहीं रहे। 'तहलका' घोटाले का क्या हुआ। चाहे उन्होंने किसी भी निंदनीय तरीके का प्रयोग किया या नहीं किंतु उसने सरकारी भ्रष्टाचार की नग्नता को उजागर कर दिया। यह सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है, यह सरकार घोटालों की है। संक्षेप में कहा जाए तो यह घोटालों की सरकार है।

अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में मंदी है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न उद्देश्यों हेतु कार्यरत हैं। विभिन्न स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। इसका कारण निधियां या संसाधन नहीं हैं बल्कि इसका कारण है-कार्यनिष्पादन की क्षमता का अभाव, राजनैतिक स्तर पर भ्रम की स्थिति और जानबूझकर किये जाने वाले विलंब और निष्ठाहीनता। उदाहरण के लिए, ऊर्जा उत्पादन। हम लक्ष्य का पचास प्रतिशत, भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सड़क-व्यवस्था में सुधार के लिए 5,000 करोड़ से लेकर

7,000 करोड़ रुपए तक निर्धारित किए गए थे। इनका उपयोग ही नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'स्वर्णिम चतुर्भुज या त्रिभुज' अब एक बेडौल गोला बन गया है। इसमें कुछ भी नहीं किया गया...*(व्यवधान)*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: श्री जोस, हस्तक्षेप के लिए में क्षमा चाहता हूं। मेरे विचार से, स्वर्णिम चतुर्भुज या त्रिभुज के बारे में आपकी जानकारी सही नहीं है। मेरे विचार से आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। यह अपने निर्धारित लक्ष्य से एक वर्ष आगे है। आप कृपया मेरे पास आइए। मैं आपको एक कप चाय पिलाऊंगा।

श्री ए.सी. जोस: यदि आप सही हैं तो मैं सुधार के अध्यधीन हूं। फिर मैं उसका जिक्र नहीं करता।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): ऐसा वास्तव में है या अभी मात्र कागजों पर ही है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: जब मैं सड़कों की बात करता हूं तो यह वास्तविकता है। परसों, आपको एक पुस्तिका मिल जाएगी जिसमें इसका पूरा ब्यौरा होगा।

श्री ए.सी. जोस: अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पृष्ठ छ: पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, माननीय वित्त मंत्री ने 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत किए गये सभी उपबंधों को राज्य योजना स्कीमें हेतु अनुदान से केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमें हेतु अनुदान में अंतरित कर दिया है। इसे राज्य सरकार से क्यों लिया जाना चाहिए? मेरी समझ में यह नहीं आया। यदि केन्द्र सरकार अच्छा कार्य कर सकती है तो यह बहुत अच्छा है। हमारा अनुभव यह है कि यह अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। त्वरित आर्थिक वृद्धि से कहीं-कहीं कुछ प्रगति होती किंतु यह बड़े ही दुख की बात है कि इस देश में रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है। यदि इतने चर्चित सुधार से देश में रोजगार सृजन की दर में वृद्धि होती तो मेरी समझ में कुछ आता। वित्त मंत्री के स्वयं के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि की दर सातवें दशक में 2.75 प्रतिशत से घटकर 2.37 की वर्तमान दर पर आ गई है। संगठित क्षेत्र की क्या स्थिति है? उन्हें आर्थिक सुधारों से सीधा लाभ होना चाहिए था। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की वार्षिक विकास दर घटकर 0.8 प्रतिशत पर आ गई है। यह काफी रोचक है। जब श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जब आर्थिक सुधार या निजीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि लेकर आए उस समय माननीय वित्त मंत्री का दल विपक्ष में था। उन्होंने इन परियोजनाओं का हर ओर से विरोध किया। उन्होंने कहा, आप 'स्वदेशी' 'विदेशी' के हाथों बेच रहे हैं। अब स्थिति क्या है? श्री नरसिम्हा राव और कांग्रेस इन निजी उद्यमियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को व्यापार पर चर्चा करने के लिए अपनी बैठक तक ले गए हैं।

उन्होंने इसकी आलोचना की है। लेकिन अब पूरा विश्व यह देख रहा है कि किसी उद्यमी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाजपा के शयनकक्ष में जा रही हैं, वे न केवल उनके बिस्तर ही प्रयोग कर रहे हैं बल्कि वे उनकी परिवारिक चांदी भी उनसे चुरा या खरीद रहे हैं...*(व्यवधान)* वह आलोचना तो समाप्त हो गई। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जितनी भी हुई हो लेकिन हमारे आर्थिक विकास के लाभों का वितरण गरीबों को नहीं मिला है। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है।

देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? यह सरकार ही सबसे बड़ी नियोक्ता है। बेरोजगारी मिटाने के गंभीर प्रयासों से ही देश को लाभ होगा। आप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात करते हैं किंतु गरीबी उन्मूलन में कमी आई है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल तभी गरीबी कम होगी जब रोजगार उपलब्ध होंगे। बिना रोजगार उपलब्ध कराए गरीबी कैसे कम की जा सकती है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी आंकड़े संदेहास्पद हैं और वे वास्तविक नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार, 1981 में, रोजगार उपलब्ध कराने में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी 20.6 प्रतिशत थी जो 1998 में गिरकर 16.8 प्रतिशत रह गई। केन्द्र सरकार की रोजगार वृद्धि दर 0.6 प्रतिशत पर आकर नकारात्मक बन गयी।

उस मामले में, यदि हम राज्य सरकारों की तरफ ध्यान दें तो राज्य सरकारें भी लोगों को नियुक्त करती हैं। वे भी रोजगार अभिकरण हैं। राज्य सरकारों की रोजगार वृद्धि दर 23 प्रतिशत थी जो अब गिरकर 0.6 प्रतिशत रह गई है।

रोजगार के तीसरे बड़े स्रोत हैं - सार्वजनिक क्षेत्र और अर्द्ध सरकारी संस्थान 1981 में इस क्षेत्र में 45.8 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। 1991 में 62.2 लाख और 1998 में 64.6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इससे 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर इंगित होती है। जहां तक स्थानीय निकायों का संबंध हैं उन्हें भी छूट नहीं मिली है। 1991 में इस क्षेत्र में 23.1 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। यह संख्या घटकर 22.5 लाख रह गई। इस क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर 0.3 प्रतिशत है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 10 प्रतिशत रोजगार की कटौती के वक्तव्य ने आग में घी का काम किया है। अब स्थिति यह है कि रोजगार दर में कमी आई है। यहां तक कि आर.एस.एस. ने भी

[श्री ए.सी. जोस]

सरकार की इस बेरोजगारी की स्थिति का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा—सुधार की प्रक्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए जिससे गरीबों की क्षमताओं में सुधार हो ताकि वे अच्छे रोजगार प्राप्त करने के योग्य बन सकें। आर.एस.एस. ने सरकार की रोजगार सृजन के मामले में कटु आलोचना की है। रोजगार का सृजन किए बिना हम सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं? इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का हल नहीं होगा। इस आधार पर कोई सुधार नहीं होगा।

क्या रोजगार सृजन के लिए इस बजट और अनुपूरक बजट में कोई निवेश किया गया है? रोजगार सृजन के लिए जब तक पूंजी निवेश नहीं होगा तब तक इससे कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सभा में, कई लोगों ने 'काम के बदल अनाज' योजना के लिए कहा है। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उसके बिना इस देश में रोजगार का सृजन नहीं किया जा सकता और रोजगार के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

योजनाएं क्रियान्वित करने में भी विलंब किया जाता है। मेरे राज्य, केरल में जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की अवधि बहुत अधिक है। हमने जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। जल-विद्युत के लिए केरल में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं किंतु परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं। 'फैक्ट' केरल के सभी उद्योगों की जननी है। एक वर्ष पूर्व केरल के तात्कालीन मुख्य मंत्री के नेतृत्व में सभी सांसदों ने माननीय प्रधान मंत्री से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उनसे आर्थिक पैकेज का अनुरोध किया था। माननीय प्रधान मंत्री ने हमें यह पैकेज देने का वादा भी किया था। किंतु आज स्थिति क्या है? इस कार्यवाही के बाद भी, कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह अनिर्णयों की सरकार है। इसका परिणाम यह है कि यदि उस समय कोई निर्णय लिया जाता तो आज 'फैक्ट' की स्थिति ठीक होती।

नारियल (कोपरा) उत्पादन की स्थिति क्या है? केरल की मुख्य समस्या है—नारियल उत्पादन में ह्रास। हम चाहते थे कि नैफेड नारियल की खरीद करे। मेरे ख्याल से तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति है। सरकार धन जारी नहीं कर रही है। मैं यही समझ पाया हूं। जब तक आप नैफेड को धन नहीं देंगे और जब तक आप नैफेड को नारियल खरीद के निर्देश नहीं देंगे तब तक नारियल खरीदा नहीं जा सकेगा और ऐसा नहीं होगा।

महोदय, मैं पुन: विषय पर लौट रहा हूं। चौथी योजना में भी, हमारे समक्ष ऐसी ही स्थिति थी और यह स्थिति थी बेरोजगारी। मेरी जानकारी के अनुसार, तात्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने योजना दस्तावेज फेंक दिया था और श्री दण्डवते की अध्यक्षता में रोजगार सृजन के तरीके ढूंढने और इस संबंध में सरकार को सुझाव व सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की थी। तभी रोजगार अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई थी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक सरकार प्रगति नहीं कर सकती...*(व्यवधान)* हमारे देश की वित्तीय रेटिंग में भी गिरावट आई है। इस दशा के लिए मैं सरकार को पूरी तरह दोषी नहीं मान रहा हूं। मेरा स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स एण्ड मूडीज के बारे में संदेह हैं। अमरीका के अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के अनुसार वह मिलाया जाता है। कुछ हेराफेरी हो रही है। हमारा देश इतना बुरा नहीं है किंतु हमें सावधान रहना होगा। विदेशी मुद्रा के मामले में जब हम सबसे ऊपर हैं हमारे पास जब पर्याप्त विदेशी मुद्रा है, तो रेटिंग कम कैसे हो सकती है? हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक लोगों को अभी बोलना है और समय नहीं है ऐसी स्थिति में मैं आपको बोलने का समय कैसे दे सकता हूं?

श्री एस.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, जब तक हम इस देश के वित्तीय पहलू और वित्तीय स्थिति के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे तो देश की हालत खराब होती जाएगी, गरीब और गरीब होते जाएंगे, और धन का असमान वितरण इस सरकार की स्थायी पहचान बन जाएगी।

इसलिए मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, वित्त मंत्री ने अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं और इस सम्माननीय सभा से इसे पारित करने को कहा है। यहां उन्होंने सरकार से व्यय का ब्यौरा मांगा है। मैं वित्त मंत्री के संवैधानिक कार्य पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जिन्होंने व्यय के लिए अनुदान की मांग की है। सभा व्यय संबंधी मांग पर निर्णय नहीं कर सकती है क्योंकि व्यय आपको करना है। महोदय, वित्त मंत्री अकेले ही धन जैसी आवश्यक वस्तु को संभाल रहे हैं। उनके लिए धन एक आवश्यक वस्तु है। इस आवश्यक वस्तु को हाल के वर्षों में शेयर बाजार की कीमतों में गिरावट, अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दर और मूल्यवृद्धि के कारण प्रत्याशित हानि का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मैंने दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री का यह बयान पढ़ा था कि इस धन नामक आवश्यक वस्तु पर समाज के कतिपय वर्गों—उच्च वर्ग ने कब्जा कर रखा है।

अपराह्न 2.23 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

बैंकों से अधिक ऋण लेने वालों पर कोई अभियोग नहीं लगाया गया है और बैंकों के बकायादारों को जेल नहीं भेजा गया

है। मैंने वक्तव्य पढ़ा है। वित्त मंत्री ने यह वक्तव्य जारी किया था। केवल कम ऋण लेने वालों को, छोटे और गरीब बकायादरों को ही जेल भेजा जा रहा है। उनके वक्तव्य के अनुसार ही गरीब बकायादारों को जेल भेजा जा रहा है और बड़े बकायादारों को जेल नहीं भेजा जा रहा है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बैंक या सार्वजनिक संस्थाओं के बड़े बकायादारों को जेल भेजने के लिए कोई सख्त कदम उठायेंगे। मैं किए गए उपायों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): इस प्रकार का कोई कानून नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: ऐसा कोई कानून है। क्या आप उस कानून का क्रियान्वयन करेंगे? इसका कारण है कि बड़े-बड़े बकायादार के लिए जौंक और परजीवी हैं। वे सरकार के लिए परजीवी हैं और वे सरकार में भी हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या ऐसा है?

श्री पी.एच. पांडियन: जी हां, वे सत्तापक्ष में बैठे हैं। किसी भी बकायादार को सत्ता पक्ष में नहीं होना चाहिए। किसी भी बकायादार को मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। यह लोगों का विचार है। इसलिए मैं, वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन बकायादारों से जिनके पास संवैधानिक पद है, बकाया राशि वसूल की जानी चाहिए।

वे लोगों द्वारा चुने गये हैं और वे संसद में भी बैठे हैं। इनमें से सभी नहीं बल्कि दो लोग जो उनके बगल में बैठे हैं, सत्तापक्ष के हैं। मैंने आपको बता दिया है। इसलिए यह अब वित्त मंत्री पर निर्भर है कि वे उन बकाया राशि को वसूल करके बजटीय प्रस्ताव को बढ़ाए। कतिपय बकायादार तो बैंकर्स भी बन गये हैं। बकायादार बैंकर्स कैसे बन सकते हैं? कुछ मामलों में तो बैंकर्स भी बकायादार बन गये हैं जैसाकि शेयर बाजार घोटाले में हुआ है। जब हम शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली समिति के सदस्य के रूप में मुंबई गये थे तो रिजर्व बैंक के गर्वनर हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे और एक अधिकारियों के दल ने हमारे साथ विचार-विमर्श किया था।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): कृपया इस विषय पर मत बोलिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह अनौपचारिक बैठक थी। इसका आयोजन नहीं किया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरे विचार से वित्त मंत्री सही कह रहे हैं कि समिति के समक्ष दिए गये साक्ष्य को सभा में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह साक्ष्य नहीं है यदि यह साक्ष्य होता तो मुझे पता है कि इसे सभा में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

श्री यशवन्त सिन्हा: समिति की किसी भी कार्यवाही को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता।

श्री पी.एच. पांडियन: यह मुंबई के ताज होटल में हुई एक अनौपचारिक बातचीत थी।

श्री यशवन्त सिन्हा: परंतु यह संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के साथ हुई बातचीत थी।

श्री पी.एच. पांडियन: जी नहीं।

श्री यशवन्त सिन्हा: जी हां, यह जेपीसी के सदस्यों के साथ हुई बातचीत थी और जेपीसी इसी के आधार पर निर्णय लेगी...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं इसी बात को दूसरी तरह से कहूंगा...*(व्यवधान)* मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बैंक धोखाधड़ी, शेयर बाजार घोटाले या विभिन्न बैंकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी हैं।

महोदय, वित्तीय संस्थान आवश्यक वस्तु जैसे धनराशि का लेन-देन करते हैं। बैंकिंग संस्थानों के लिए भी धन आवश्यक वस्तु है। वे धन का लेन-देन करते हैं। यदि गलत लेन-देन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, गैर-कानूनी लेन-देन पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। हम उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं।

महोदय, गरीब लोगों को किसी भी व्यवसाय के अंदरूनी लेन-देन की जानकारी नहीं है। बेचारे निवेशकर्त्ता या तो गैर-बैंकिंग संस्थाओं के कारण प्रभावित है...*(व्यवधान)* बेचारे निवेशकर्त्ता कतिपय बेईमान प्रबंधकों के कारण प्रभावित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में गरीब निवेशकों ने विभिन्न गैर-बैंकिंग संस्थाओं में करीब 1,500 करोड़ रु. का निवेश किया था। उन्हें विभिन्न अखबारों और टी.वी. चैनलों पर लुभावने विज्ञापनों के द्वारा यह कह बरगलाया या धोखा दिया गया कि यदि वे 100 रु. निवेश करें तो उन्हें 150 रु. और एक सोने का सिक्का या इसी तरह का सामान मिलेगा। सभी लोग बहकावे में आ गये। उन्हें धोखा दिया गया और वे अपना सब कुछ लुटा कर सड़कों पर आ गये। इन गरीब लोगों ने चिट और निवेश की विभिन्न स्कीमों में 1,500 करोड़ रु. का निवेश किया है।

[श्री पी.एच. पांडियन]

महोदय, वे 3,000 करोड़ से अधिक रुपये की राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस धनराशि का, जैसा कि श्री जोस ने पृष्ठ 25 पर उल्लेख किया है- मैंने इसे आपको पहले ही दिखाया है-वित्त मंत्री ने इसे सुविधा अनुसार अन्त:स्थापित किया है।

सभापति महोदय: श्री पांडियन, आपका समय केवल तीन मिनट का है परंतु आप पहले ही छ: मिनट ले चुके हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हम ग्यारह सदस्य हैं। मैं तीन मिनट बोलने के लिए खड़ा ही नहीं होता। मेरे पास बोलने की बहुत सामग्री है। मैं सीधे ही प्रश्न पूछा रहा हूं।

आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दी गई 2,500 करोड़ रु. की संपूर्ण राशि के प्रावधान को राज्य योजना स्कीमों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को दिए जाने वाले अनुदान देने के लिए अंतरित करने के प्रावधान को अपनी सुविधानुसार अंतर्विष्ट किया है। यह हमारी स्कीम है, राज्य सरकार को योजना आवंटन की राशि सीधे मिलनी चाहिए। आपने यह राशि अलग तरीके से दी है। शायद वित्त मंत्री ने सोचा होगा कि इसका पता किसी को नहीं चलेगा। इसका उल्लेख छोटे से पैरे में किया गया है। श्री जोस ने इसका पहले उल्लेख किया है। हमारे विचार मिलते हैं। खंड (ग) में आपने कहा है:

> "यह पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए और सरकारी पदाधिकारियों के क्षमता-निर्माण के कायान्वयन हेतु राशि जारी करने के लिए है।"

आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने अभी तक उन्हें किसी यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया है? यह कार्यक्रम हमारे राज्य में भी समाप्त होने वाला है। फिर आप कहते हैं, "यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत तीन लाख आवासों के निर्माण पर व्यय करने के लिए करीब 217 करोड़ रु. जारी करने के लिए है।"

श्री ए.सी. जोस: माननीय वित्त मंत्री, आप राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान की संपूर्ण राशि को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अंतरित कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह लोगों के लिए कैसे लाभदायक होगी? यह धनराशि ग्रामीण सड़कों के लिए है।

श्री यशवन्त सिन्हा: चूंकि माननीय सदस्य, श्री जोस ने यह प्रश्न उठाया है और माननीय सदस्य श्री पांडियन भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं, मैं इसका स्पष्टीकरण अपने भाषण में दूंगा। मैं उसी समय इसका उत्तर दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: जहां तक गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास से संबंधित मामलों का प्रश्न है, यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लागों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण जो 2002 में होना है, के दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा करे। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरूआत में करने का प्रबंध किया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के बीपीएल सर्वेक्षण में कई गरीब परिवार छूट गये हैं।

अब भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह वर्ष 2002 के लिए उन लोगों का पुन: सर्वेक्षण कराये जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

अपराध प्रवृत्ति, अपराध, आतंकवाद तथा अन्य सभी का कारण बेरोजगारी है। जब हमने कारगिल का दौरा किया तो हमने पाया कि बहुत से युवक बेरोजगारी के कारण आतंकवादी बन गए हैं। 18,000, 20,000 या 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन का प्रलोभन देकर इन युवकों को आई.एस.आई. अपनी ओर खींच रही है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, क्या आप नहीं चाहते कि मैं बोलूं? हमारा दल ग्यारह सदस्यों का दल है और हम तमिलनाडु में सत्तारूढ़ हैं। महोदय, हमारा दल एक बड़ा दल है।

सभापति महोदय: आप नियम भी जानते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: बेरोजगारी की समस्या से आप कैसे निपटेंगे? जब तक आप बेरोजगारी की समस्या से नहीं निपटेंगे आप आतंकवाद को नहीं समाप्त कर सकते। पैसे के बल पर पाकिस्तान युवकों को आतंकवादी बनने का बढ़ावा दे रहा है। अत: मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इन युवकों को रोजगार उपलब्ध कराएं। आपको इस देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देना होगा। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, तो आप समाज में व्याप्त इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं।

हाल ही में तमिलनाडु की विधान सभा के सभा-पटल पर श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया। केन्द्र सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियां में तमिलनाडु का हिस्सा महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति प्रत्येक वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों से तमिलनाडु को उसका हिस्सा दिए जाने से सदा वंचित किया। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय करों से राज्य सरकार की हिस्सेदारी 1992-93 के 20 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 16 प्रतिशत रह गयी है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु जैसे अच्छा कार्य करने वाले सभी राज्यों को वस्तुत: दण्डित किया है।

महोदय, राज्य के हिस्से की इस कटौती की सिफारिश से राज्य को 2,946 करोड़ रुपये की प्राप्ति कम हुई। सरकार एक राजकीय निकाय होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया हैं। केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इस कटौती की भरपाई करें और राज्य को आर्थिक कठिनाई से बचाएं।

महोदय, अंत में मैं ग्रामीण विकास पर आना चाहूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें, आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हमारे 16 संसद सदस्य हैं- 11 लोक सभा से और 5 राज्य सभा से।

सभापति महोदय: कृपया सहयोग दें।

श्री पी.एच. पांडियन: देश के विकास में ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार को ग्रामीण स्वच्छता के लिए प्रति घर 2000 रुपये की दर से राजसहायता देनी चाहिए। लेकिन अभी केवल 500 रुपए दिए जाते हैं। अब राजसहायता के ढांचे में परिवर्तन आया है। वर्ष 1999-2000 में यह प्रति घर 2000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब वर्ष 2000-2001 में इसे घटा कर 500 रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए राज-सहायता का पुराना 2000 का ढांचा पुन: लागू किया जाना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि सरकार गरीबों की सरकार होनी चाहिए, उसे गरीबों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उसे आम आदमी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आम आदमी द्वारा ही चुनकर इस सदन में पहुंचे हैं।

महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि समर्थन के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

सभापति महोदय: अब मैं दूसरे वक्ता का नाम पुकार रहा हूं, श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): सभापति महोदय, मैं 2001 2002 की जो अनुपूरक मांगें हैं उस पर कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर बोलना चाहता हूं। हम चाहे सांसद हों या सामान्य जनता, कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान—ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसके कारण कहीं न कहीं हम किसानी से जुड़े हुए हैं। इसलिए किसानों की समस्याओं के ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि वह अकाल की चपेट में हर साल आ जाता है। बाढ़ आती है या अकाल पड़ता है तो वह कर्जे की दलदल में फंस जाता है। हम बाढ़ और अकाल से तो उसको ऊपर लाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कर्जे से उसको ऊपर लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी कर्जे से मुक्ति का उपाय हमें खोजना चाहिए। माननीय अर्थ-मंत्री जी ने 1996 में जो जवाब दिया है वह मेरे पास है। जब वे 39 कारखानेदारों का कर्जा माफ कर सकते हैं, सरकारी दायित्व और लम्बित आबकारी सीमा शुल्क का 22 हजार 490 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है और उसी तरह से 27 बैंकों का 39350 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है, तो वह माफ कैसे कर दिया गया? उन्होंने यह तो लिखा है कि देय राशियों के लिए सभी संभव उपाय कर लिये गये हैं, परन्तु ऋण वसूली की कोई और संभावना नहीं है। इसे बट्टेखाते में डालना तथा समझौता करने में बैंक का अधिक हित है। टाटा ग्रुप्स से 23918 करोड़ रुपए, बारोईंग फरौंम इंडियन बैंक एंड इंस्टीट्यूशन, इनकम टैक्स एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट लायबिल्टीज पैंडिंग एक्साइड ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी इन करोड़ इज 820 करोड़। बिड़ला ग्रुप्स एंड आल ग्रुप्स कम्पनीज के 21520 करोड़ रुपए उसने वार दिये हैं। 753 करोड़ रुपए की लायबिल्टीज एक्साइज ड्यूटी में पैंडिंग हैं। इसी तरह 39 कारखानेदारों पर 22490 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह 27 बैंकों का 39349.96 करोड़ रुपये अनुपयोज्य हैं। इसी तरह से स्टेट पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइसेज की कम्पनियां विभिन्न राज्यों में हैं। उन्हें सब्सिडी दी जाती है लेकिन ये पूर्णत: घाटे में हैं। आंध्र प्रदेश में 4444 करोड़ रुपए में से इनवैस्टमेंट से 1894 करोड़ रुपए का घाटा है। असम में 3677 करोड़ रुपए में से इनवैस्टमेंट से 2314 करोड़ रुपए का घाटा है। गोवा में 4819 करोड़ रुपए में से 730 करोड़ रुपए का घाटा है। भारतीय लोगों के 43 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। इसमें से कई लोग मर गए हैं। ये सारा काला धन है। 31 दिसम्बर 1999 के अनुसार हर्षद मेहता की तरफ 2423 करोड़ रुपए, हितेन दलाल की तरफ 1403.75 करोड़ रुपए आयकर में डूब गए। पियरलैस जनरल फाइनेन्स, ओएनजीसी, आश्विन मेहता, रामास्वामी और ज्योति मेहता के 7727 करोड़ रुपए आयकर के अंतर्गत डूब गए हैं। यदि इनका कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप किसानों का भी कर्जा माफ कर सकते हैं क्योंकि आप किसानों से जुड़े हैं। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। किसानों को कर्ज के दलदल से निकाला जाए। इसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा।

[श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे]

राज्य विद्युत बोर्डों पर 30 हजार करोड़ रुपया बकाया है। किसानों को समर्थन मूल्य के भाव बहुत कम मिलते हैं। यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की उपज पैदा की तो उस पर साढ़े छः हजार रुपए का खर्चा होता है। वह उसमें चार भाग खाद डालता है तो उस पर 1300 रुपए खर्च होते हैं, 700 रुपए बीज पर, एक हजार रुपए रोपाई पर, एक हजार रुपए निंदण पर, दवा पर एक हजार रुपए, पानी पर 500 रुपए, कुल मिलाकर लगभग 6500 रुपए का खर्चा होता है और उत्पादन पांच हजार रुपए का होता है यानी 1500 रुपए का एक एकड़ मे घाटा होता है। कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि के कारण और समर्थन मूल्य न मिलने के कारण हर समय घाटा होता है। किसान को ज्यादा नहीं तो कम से एक हजार रुपए प्रति क्विंटल मिले तो वह अपना खर्चा निकाल सकता है।

इसी तरह से पर्यावरण एवं वन संवर्धन कानून है। इसकी बहुत सी योजनाएं लंबित हैं। नागपुर की 75 सिंचाई योजनाएं हैं जिसमें 3 लाख 24 हजार 309 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता है। आवश्यक वन क्षेत्र 11252 हैक्टेयर है। अमरावती में नौ योजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक पैंडिंग हैं। 8.2.2000 को मुख्य वन संरक्षण, केन्द्रीय पर्यावरण व वन, भोपाल को पत्र भेजा गया लेकिन अभी तक इस बारे में मान्यता नहीं मिली है। मेरा सुझाव है कि उसे मान्यता दी जाये जिससे किसान जो पानी के कारण डूबते हैं, वे बच सकें और उन लोगों की फसल अच्छी हो।

सभापति महोदय, पेशवारी व्यवस्था का बदलना आवश्यक है। सरकार का नियम है कि यदि एक एकड़ में 10 क्विंटल धान हुआ तो फसल 100 प्रतिशत अच्छी हुई लेकिन उसे कोई सहूलियत नहीं मिलती। इसलिये मेरी विनती है कि शासन का यह नियम रहे कि एक एकड़ में 30 क्विंटल धान हो तो किसानों को कुछ सहूलियत मिल सकती है। इसलिये पुरानी पेशवारी व्यवस्था बदली जाये।

सभापति महोदय, प्रसारण के माध्मय से पहले जो खबरें आती थीं, उसके मुताबिक सरकार बताती रही है कि कितना पैसा कहां से आया है और किसानों के कर्जे माफ करने चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा अंतिम सुझाव यह है कि सरकार विदेशी खेलों को महत्व देती है, जैसे क्रिकेट को टी.वी. पर स्थान देती है लेकिन देसी खेल रेसिंग तथा - कबड्डी, खो-खो को नहीं दिखाती। सरकार इस ओर ध्यान दे। देसी खेल कम से कम खबरों में दो मिनट तो दिखायें।

आपने मुझे बोलने का सम्मय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री 3709 करोड़ 37 लाख रुपये की सप्लीमैंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स की मंजूरी के लिये बिल लाये हैं और साथ-साथ एप्रोप्रिएशन बिल लाये हैं ताकि खजाने से रुपया निकालने की इजाजत दी जाये लेकिन इसमें पेंच यह है कि देशभर का हर एक वर्ग तबाह है, चाहे नौकरी वाला हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या गांव में रहने वाला हो। हर कोई तबाह है और एक भी वर्ग सुखी नहीं है। केवल बड़े लोगों और एम.एन.सीज. वाले धन संजोये हुये हैं और खुशहाल हैं। यह सब हिसाब जोड़ करने के बाद जांच से पता चलता है।

सभापति महोदय, मांग संख्या 78 में वित्त मंत्री जी पर्यटन संस्कृति की अनुपूरक मांग लेकर आये हैं। बिहार में इंडस्ट्रियल कमीशन बैठा है जिसकी रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री जी को मिल गई होगी। उसमें बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन में उसके मुख्य अंश पढ़कर सुनाता हूं जो टूरिज्म सैक्टर से संबंधित है:

[अनुवाद]

"बिहार तथा झारखंड के लिए औद्योगिक विकास की आवश्यकता-"

"वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म कौंसिल (डब्ल्यूटी.टी.सी.) के अनुसार पर्यटन उद्योग द्वारा आगामी दस वर्षों में भारत में 70 लाख नए रोजगार सृजित किए जायेंगे। जिसमें 3.6 लाख बिहार तथा झारखंड के लिए होंगे।"

[हिन्दी]

देश भर में अगले दस सालों में पर्यटन क्षेत्र में 70 लाख रोजगार पैदा होंगे जिसमें से 3 लाख 60 हजार बिहार और झारखंड में होंगे। इस साल भगवान महावीर की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है और सरकार ने फैसला लिया है, प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनी, जिसमें बहुत से जैन लोग, विद्वान, काबिल लोग, माननीय सांसद एवं विभिन्न मंत्रीगण भी हैं। उसमें प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया था कि सौ करोड़ रुपया हम भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती पर देंगे। लेकिन सप्लीमैन्टरी बजट में पचास करोड़ रुपये का आबंटन आपने मांग संख्या 78 में किया है। इसमें से पचास करोड़ रुपया कहां गायब हो गया। सप्लीमैन्टरी बजट में सौ करोड़ रुपये रहना चाहिए था। चूंकि बजट के बाद बैठक हुई थी। श्री धनंजय कुमार उसमें सदस्य हैं और विभिन्न मंत्रीगण भी हैं। सभी लोगों को उस बैठक के बारे में याद होगा कि जिसमें कहा गया था कि 2600वीं जयन्ती पर हम सौ करोड़ रुपये खर्च करेंगे। जिसमें से कुल पचास करोड़ रुपया आया है, शेष पचास करोड़ रुपया कहा गया। इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि भगवान महावीर का जन्म हमारे यहां वैशाली में हुआ था और निर्वाण भी वहीं पावापुरी में हुआ

था। आज से 2600 वर्ष पहले वहीं से सत्य, अहिंसा और महावृत्त का संदेश चला था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 1956 में वहां जाकर शिलान्यास किया था। वहां प्राकृत जैन इंस्टीट्यूट भी चलता है। प्रधान मंत्री जी ने बैठक में ऐलान किया था कि वैशाली में जो काम अधूरा है, जिसके लिए राजेन्द्र बाबू उस समय शिलान्यास के लिए गये थे, वह पूरा किया जायेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर आई है। लेकिन हमारा रुपया कहां गायब हो गया। पचास करोड़ रुपया बिहार को इस काम के लिए और मिलना चाहिए था, वह कहां गया। वहां भगवान महावीर की धरती, निर्वाण की धरती है। सौ करोड़ रुपये का आधा हिस्सा हमें मिला और आधा गायब हो गया। अब पचास करोड़ रुपये में से कितने रुपये मिलेंगे, उसका झंझट पड़ेगा। श्री धनंजय कुमार रहेंगे तो लगता है कि भिड़न्त करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि बिहार के टूरिज्म के बारे में सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इस पर वर्ल्ड टूरिज्म और बिहार की भी रिपोर्ट है। आप जानते हैं कि हम बंटवारे के लिए मना कर रहे थे कि राज्यों के बंटवारें का काम मत कीजिए। इसके कारण उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग उठी है, आपको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आप उसके दो भाग कीजिए या तीन भाग कीजिए। अब सवाल उठ गया है, नहीं तो वहां लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश में भिंड प्रदेश की पुरानी मांग है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के प्रश्न पर भारी आंदोलन हुआ था, नियम-कायदे कहते हैं कि उसे बांटना पड़ेगा। महाराष्ट्र को भी बांटना पड़ेगा। आपने जिस तरह के काम किये हैं वे भुगतने पड़ेंगे। आपको बोडोलैंड भी देना पड़ेगा, गोरखालैंड का भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। आज देश भर में बंटवारे के सवाल उठ खड़े हुए हैं। हम मना कर रहे थे कि यह काम मत करिये, लेकिन राजनीतिक कारणों ने इन्होंने बंटवारा कर दिया। आदिवासियों के नाम पर झारखंड बनाया, वहां आदिवासियों की आज क्या स्थिति है। अभी हाल ही की रिपोर्ट है कि लोग वहां पश्चाताप कर रहे हैं। वहां की जनता और आदिवासियों की क्या दुर्दशा है। जबकि मध्य प्रदेश के बंटवारे के समय छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में कहा गया था कि आदिवासियों का बड़ा भारी कल्याण होने वाला है। उस क्षेत्र से हमारे सदस्य आते हैं। वहां अभी यह स्थिति है कि आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के आरोप में स्टील कम्पनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर लि. उद्योग, रायगढ़ पर 170ख, सीलिंग एक्ट अवैध भूमि अधिग्रहण नियम के उल्लंघन, भू-मुआवजा नौकरी न देना, सिंचाई डैम हड़पना, आदिवासियों की जमीनों को हथियाने जैसे मामलों में कठोर और त्वरित कार्रवाई की मांग है। छत्तीसगढ़ में चार-पांच जिले आदिवासी जिले थे, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में रहने दिया। आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि मंडला आदि आदिवासी जिले हैं, जिन्हें उधर नहीं आने दिया तथा जो आदिवासी हैं उनकी जमीनें स्टील फैक्टरी वाले हड़प रहे हैं। हमने शुरू में कहा था कि इसमें केवल पूंजीपतियों की पौ-बारह है और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तमाम लोग तबाही और कष्ट की स्थिति में हैं।

सभापति महोदय, हम संक्षेप में कहेंगे कि रसायन, पैट्रो-रसायन और उर्वरक विभाग में संख्या पांच और छः में इन्होंने कहीं दस करोड़, कहीं पांच करोड़ और कहीं 36 करोड़ की मांग की है। लेकिन हम सवाल उठाना चाहते हैं कि सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्टरी बिहार में थी, अब वह झारखंड में चली गई, नामरूप, सिन्दरी इन दोनों की एक साथ रिपोर्ट हुई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि रिहैबिलीटेशन प्रोग्राम नामरूप में लागू हो गया, लेकिन सिंदरी में क्यों नहीं लागू हुआ? एक ही समिति ने रिपोर्ट लागू की। वह कब लागू होगी? वह बंद होने के कगार पर है, उसके रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम का क्या हुआ, माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

इसी तरह से परभनी फर्टिलाइजर बंद है, वह कब चालू होगा? गोरखपुर में कृभको ने कहा कि हम फैक्ट्री वहां खोलना चाहते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने कैबिनेट स्तर पर जाकर उसे रोक दिया। कौन सी ऐसी अमानवीय शक्ति बैठी है? क्या उधर पश्चिम में समुंदर के उस पार की शक्ति चलती है यहां की कैबिनेट पर? कृभको खुशी से कह रहा है कि हम खोलना चाहते हैं लेकिन नहीं खोलने दिया जा रहा है। अमझोर बिहार में है। वहां सल्फर और सल्फेट का कितना अच्छा कारखाना है लेकिन वह बंदी के कगार पर है। आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर में है। इन्होंने 36 करोड़ रुपये की मांग की है। बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड के लिए 6.79 करोड़ की मांग की गई है। स्मिथ एक्सैटैसी फार्मैस्यूटिकल्स लिमिटेड ने भी मांग की है। मुजफ्फरपुर का आई.डी.पी.एल. कब चालू होगा, उसमें क्यों नहीं रुपया दे रहे हैं? इसमें क्यों भेदभाव हो रहा है?

अब मैं मांग संख्या 27 पर आता हूं—राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण। इसमें बिहार पर कर्जा बाकी है। सबने कहा कि बिहार की आर्थिक हालत खराब है, बंटवारे के बाद हम उसकी मदद करेंगे और मदद के लिए हमने मांग भी की। प्रधान मंत्री के पास सभी पार्टियों के बिहार के लोग जिनमें मंत्री भी थे, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य गए और जाकर प्रार्थना की और पत्र दिया। उसमें पहले नंबर यह था कि बिहार का केन्द्र पर जो बकाया कर्जा है उसको माफ कीजिए। उसमें तथ्य, सच्चाई और उसका आधार है क्योंकि अभी आठवीं, नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार सबसे छोटा हुआ। कारण यह है कि रिसोर्सेज का अभाव है, कारण यह है कि खर्चा कम हुआ। इन सब कारणों से योजना का आकार छोटा हुआ। फिर सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स का हिसाब जोड़कर देखा जाए तो 5000 करोड़

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

रुपया नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश भर के सभी राज्यों को दिया गया। उससे बिहार का हिस्सा कम से कम 500 करोड़ रुपये होना चाहिए लेकिन आबंटन केवल 50 करोड़ रुपये हुआ और मिला केवल 25 करोड़ रुपये। मतलब पौने पांच सौ करोड़ रुपया एक विभाग में है, हरेक विभाग का मूल्यांकन मंत्री जी करें। हमने योजना आयोग में भी लिखा-पढ़ी की। प्रधान मंत्री जी से भी लिखा-पढ़ी की है कि बिहार पर जो कर्जा है चूंकि योजना का आकार छोटा होता गया, इसमें वहां की जनता का क्या कुसूर है। वहां की जनता के हित में, गरीबों के हित में और हिन्दुस्तान की मुख्यधारा में बिहार भी रहे, उसके लिए बिहार का कर्जा माफ होना चाहिए। उसे कहा गया कि तमाम इकोनामिकल इंडीकेटर जांच करके देख लीजिए। अभी इन्होंने फेवर किया है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन बिहार का भी इकोनामिकल इंडीकेटर जांच कर लीजिए तो 10-11 राज्यों का पहले है और नये राज्यों को इन्होंने दिया है, आर्थिक सूचकांक के हिसाब से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नंबर तीन बात - आर्थिक पैकेज के लिए वहां सभी पार्टियों के सदस्यों ने कही। विधान मंडल ने सर्वसम्मति से पास करके प्रस्ताव भेजा था और यहां सदस्य मौन बैठे रहते हैं। ये सारे सवाल हमने प्रधानमंत्री जी को दिये थे, पिछले नवंबर में, नौ-दस महीने हो गए। उन्होंने कहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी उसको देखेंगे और माननीय वित्त मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई है यह प्रधान मंत्री जी ने जिज्ञासा की थी।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में, राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान को सेन्ट्रील स्पान्सर्ड स्कीम में इन्होंने भेज दिया है। उसमें माननीय सदस्यों को जानकारी भी नहीं होगी कि राज्य से सड़क बनकर चली आती है और उसी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लिख देते हैं। जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में उनकी क्या हैसियत है, कहीं पता नहीं है, उनको सूचना और जानकारी भी नहीं दी जाती है। इसलिए जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में माननीय सदस्यों की भागीदारी है, उसको सुनिश्चित किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदय: आप डिमांड्ज के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं वही कह रहा हूं। जो राज्य पीछे छूट गया है, जिनके गांव ज्यादातर सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं, उनको विशेष तरजीह दी जानी चाहिए। हमने सवाल पूछा है, उसमें देखा है कि बराबर हिसाब से लोग बात कर रहे हैं कि जिस राज्य के कई गांव सड़क से जुड़ गए, उनको भी उतनी ही राशि और जिनके बहुत ज्यादा गांव बचे हुए हैं, उनको भी उतनी ही राशि। इसलिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में जो ज्यादा आबादी वाले गांव छूटे हुए हैं, उनको ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। ये सारे सवाल सप्लीमेंटरी डिमांड्ज फार ग्रांट्स पर बहस के माध्यम से मैं उठा रहा हूं। माननीय मंत्री जी कृपा कर इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, इनको मानने की कृपा करें और उसका उत्तर भी दें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: डा. नीतीश सेनगुप्ता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय के लिए हमने 3 घंटे दिए है। अब हमारे पास समय शेष नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, कितना समय बचा है? कृपया बताएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप एन.डी.ए. और विपक्ष की सदस्य संख्या देखिए। विपक्ष से कितने सदस्य बोले हैं?...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन समय कहां है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जो भी समय आवंटित किया जाए। उसे एन.डी.ए. और विपक्ष के बीच युक्तिसंगत ढंग से बांटा जाए तथा उसका समुचित उपयोग हो। महोदय, कृपया आप ही हिसाब लगाइए कि कितने लोग एन.डी.ए. से बोले हैं और कितने विपक्ष की ओर से...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): समता पार्टी के एक भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, समय किधर है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारे यहां से अरूण कुमार जी का नाम था।

अध्यक्ष महोदय: उनका नाम बुलाया गया था, वे यहां नहीं थे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अब वे आ गए हैं। थोड़ा तो हमारा ख्याल रखिये।

अध्यक्ष महोदय: समय नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझें, हमें मणिपुर का बजट भी पारित करना है। मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए 2-3 मिनट का समय दूंगा। अन्यथा कार्यवाही को पूरा करने में बड़ी कठिनाई होगी, और इसे पारित होने के लिए दूसरे सदन में भी जाना है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए महसूस करता हूं कि मुझे अपनी चिन्ता भी व्यक्त करनी चाहिए। तीन महीने पहले जब (स्वप्निल बजट) ड्रीम बजट प्रस्तुत किया गया था तो हमने भी इसे सराहा था लेकिन पिछले तीन चार महीनों की आर्थिक स्थिति के चलते हमारी कई आशाएं एवं अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। मुझे छह क्षेत्रों के बारे में विशेष चिन्ता है जिन पर सरकार को तुरन्त सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह मामला अब जागने या उठने का नहीं रह गया है बल्कि अब सवाल समस्या से जूझने का है।

पहला वित्तीय घाटे का मामला आता है इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पश्चात्, पहली तिमाही में ही वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि बजट अनुमान 4.7 प्रतिशत का था। इस दर से अगर यह बढ़ता गया और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मुझे डर है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यह अनुपात बहुत अधिक हो जाएगा।

मेरा दूसरा मुद्दा बढ़ती हुई राजस्व में कमी के संबंध में है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र के प्रकाशन के अनुसार इस तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में निम्नतम स्तर 1.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। चालू वित्तीय वर्ष में इसमें 4.5 प्रतिशत से ज्यादा जाने की अपेक्षा नहीं है। वर्ष 2001-2002 के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर वसूली के आंकड़ों से यह आकलन सही प्रतीत होता है। चालू वित्तीय वर्ष का केन्द्रीय बजट 14 प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित हैं, परन्तु वास्तव में पहली तिमाही में यह 13 प्रतिशत से भी कम रहा है। उद्योगों को लाभग्राह्यता का प्रत्यक्ष सूचक निगमित कर वसूली में 63 प्रतिशत की कमी आई। और जरा निगमित प्रतिफल के तरीके पर नजर डालें। अधिकांश कम्पनियों ने ऋणात्मक लाभ दिखाया है यह बहुत गम्भीर मामला है। इसके बाद हम मांग में मंदी के प्रश्न पर आते हैं जो सर्वव्यापी लक्षण बनता जा रहा है। इस समय हम मांग में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और इस तरह की स्थिति विगत वर्षों में कभी भी नहीं आयी।

उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत सामान के मामले में मांग की मंदी चल रही है। इसका आंशिक कारण यह है कि कम्पनियां उत्पादन नहीं कर रही हैं और दूसरा कारण यह है कि आयातित उत्पाद अत्यधिक मात्रा में आ रहा है विशेषकर चीन से ऐसा सामान आ रहा है। वे पिछले बजट में घोषित आयात शुल्क में कमी का लाभ उठा रहे हैं। हमें इसे मुद्दे पर सावधान हो जाना चाहिए और इसे गंभीरतापूर्वक से लेना चाहिए। सरकार और उद्योग को मांग संबंधी मंदी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहां मैं जाने-माने उद्योगपतियों को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि वे हमेशा सरकार की दखलअंदाजी की शिकायत करते हैं, लेकिन जब वे अपनी वस्तु बेचने में असफल हो जाते हैं तो वे सरकार के पास जाते हैं। वर्षों से एक शिशु की तरह सरकार उनकी देखभाल करती आ रही है। लेकिन अब सरकार अगर उन्हें ऐसे ही बीच मझदार में छोड़ दें तो मैं समझता हूं वे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। या तो वे डूब जाएंगे या बड़ी मछलियों द्वारा खा लिए जाएंगे। एक औसतन उद्योग की यही हालत है। जब मैं मंदी का मुद्दा उठा रहा हूं तो मैं प्रबंधन के शिक्षक के रूप में बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि मंदी की प्रवृत्ति केवल देश के छह या सात महानगरों तक ही वास्तव में सीमित है। इसके आगे विशाल ग्रामीण भारत है जहां पर कोई मंदी नहीं है। यह केवल कंपनियों की असमर्थता है कि वे सही विपणन द्वारा अपना उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ले जा पाते हैं, और यही मंदी का मुख्य कारण है।

सीमेन्ट और इस्पात के संबंध में सरकार को दल गठित करने चाहिए जो यह पता लगायें कि इन उद्योगों में इतने व्यापक स्तर पर मंदी क्यों है, और यह भी देखें की इस मामले में सरकार क्या कर सकती है। प्रधान मंत्री की 'सुपर हाईवे स्कीम' सीमेन्ट और इस्पात उद्योग में व्याप्त मंदी को कम करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। केवल आवश्वासन देना काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं स्कीमें वास्तव में कार्यान्वित होनी चाहिए। कई मामलों में सरकार को ऐसे दल गठित करने चाहिए जो उनके खरीद कार्यक्रम को अग्रिम कर दें उन्हें इसके लिए वर्ष के समाप्ति की इन्तजार करनी पड़े। उन्हें अभी से खरीद शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों न हम इस्पात उद्योग को कहें कि वे आवास निर्माण क्षेत्र में आगे आए? यूनाइटेड किंग्डम में आवास में निर्माण में इस्पात के उत्पादों का हिस्सा 82 प्रतिशत होता है जबकि भारत में यह केवल 10 प्रतिशत है। हम टिंबर और दूसरे वन भंडारों जैसे दुर्लभ संसाधनों का

[डा. नीतीश सेनगुप्ता]

विनाश कर रहे हैं। भारत में भवन-निर्माण क्षेत्र में प्रयोग होने वाला इस्पात कुटीर उद्योग किस्म का है। सेल या टाटा भवन-निर्माण क्षेत्र में प्रयोग होने वाली इस्पात सामग्री का व्यापक पैमाने पर विनिर्माण क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट कंपनियां, सड़क-निर्माण और भवन-निर्माण के क्षेत्र में क्यों नहीं आ सकती, इसे ही अग्रिम समन्वय कहा जाता है।

आज भी हम पूरी तरह मानसून पर निर्भर हं। 1928 में एक शाही कृषि आयोग ने एक पैगम्बरीय टिप्पणी की थी कि भारत के बजट के संदर्भ में मानसून एक जुआ है। मैं प्रतिष्ठित वित्त मंत्री को यह याद दिलाना चाहूंगा कि संभवत: यह बात आज भी लागू होती है। समाचारपत्र कहते हैं कि सरकार को बचाने के लिए शायद एक अच्छा मानसून आएगा।

अब हम बात करते हैं पूंजी बाजारों की, इसकी दशा शोचनीय है। पिछले एक साल में प्राथमिक पूंजी बाजार में एक भी पब्लिक इश्यू नहीं आया है। आप स्थिति को स्वयं समझ सकते हैं। गौण बाजार में बदला विनिमय पर अचानक लगा प्रतिबंध, मुझे लगता है कि उपचार के बजाए एक बीमारी बन रही है। इससे कई दलाल कार्यालय चौपट हो गए हैं। उनमें से कईयों ने अपने कार्यालय भी बंद कर दिए हैं। अत्यधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। उनमें से कुछ दलालों ने आत्महत्या तक कर ली है। यदि पूंजी बाजार ऐसे ही कठिन दौर से गुजरता रहा तो सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का क्या होगा? विदेशी निवेश कार्यक्रम का क्या होगा? दोनों तरह हमने बजट में या उस अवधि के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, हम उनसे बहुत दूर हैं। पूंजी बाजार की स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना होगा। परिवर्तनीयता स्थिति सुधरनी चाहिए। लोग अपने शेयर जब बेचना चाहें तो बेच सकें और जब वे निवेश करना चाहें तो खरीद सकें, जो अभी संभव नहीं है। आम आदमी बाजार से दूर हो गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करें कि शेयरों के मूल्यांकन के लिए पहले प्रचलित कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू मार्गनिर्देश को पुन: लागू किया जाए। कैपिटल इश्यू कंट्रोल और शेयर मूल्य निर्धारित करने वाले कैपिटल इश्यू मार्गनिर्देशों को अचानक समाप्त करने के कारण पूंजी बाजार धराशायी हो गया है। हम यू.एस. 64 की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने कुछ उत्साहजनक कार्यवाही की है।

लेकिन यूनिट ट्रस्ट से 5 वर्षों तक जुड़ा रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि अगर यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट ने घोषणा की कि यू.एस.-64 की अब आगे बिक्री नहीं हागी और इस बारे में सरकार को सूचित नहीं किया तो मुझे आशंका है कि इस संबंध में गंभीर गड़बड़ी है। यदि उन्होंने मंत्रालय को सूचित किया था और यदि मंत्रालय ने माननीय मंत्री महोदय को सूचित करने की जिम्मेदारी नहीं निभायी तो मेरे विचार से अब तक संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। ये दोनों ही अत्यंत गंभीर मामले हैं।

मैं आपको मुक्त मूल्य निर्धारण के बारे में एक उदाहरण दूंगा। इससे वास्तव में विनाश हुआ है। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक नामक एक नई कंपनी है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस कंपनी के शेयर 1,419 करोड़ रुपये के मूल्य पर खरीदे। यह एक नई कंपनी है। यदि सी.सी.आई. मार्गनिर्देश जो कुल परिसंपत्ति मूल्य और कमाए गए लाभ के औसत पर आधारित है का अनुसरण किया जाए तो मात्र अनुमानों के आधार पर इन शेयरों को खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन अनुमानों के पीछे बेईमान, लालची व्यापारियों, बैंकरों और बेईमान कंपनी प्रवर्तकों का हाथ था। इनके आधार पर जनता बेकूफ बन रही है। यूनिट ट्रस्ट ने धोखा खाया। 30 जून को एक नई कंपनी के शेयरों में 1429 करोड़ रुपये निवेश किए गए। 20 अप्रैल, 2001 को इन शेयरों का मूल्य गिरकर 156 करोड़ रुपये पर आ गया। कुछ ही माह बाद जून में इन शेयरों का मूल्य घटकर 70 करोड़ या 80 करोड़ रुपये रह गया...*(व्यवधान)* यह वास्तविक मुद्दा है। मुक्त मूल्य निर्धारण की अनुमति देकर हम बेईमान लोगों को खुली छूट देते हैं इसलिए यही समय है कि इस बारे में कुछ किया जाए।

अंत में, मैं विगत बजट को लेता हूं इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित 6 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उल्लेख था। मेरा कहना है कि बजट में इन बातों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। इन बातों के लिए अलग से कार्यवाही की जा सकती थी। वास्तव में मेरे राज्य के चुनावों में विगत बजट ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह विगत चुनावों में हुआ था। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्य में केन्द्रीय बजट चुनावी मुद्दा बना हो। आप खनन और उससे सम्बद्ध तंत्र का उदाहरण लीजिए। प्रारंभिक निवेश निर्णय बहुत गलत था। इससे कभी लाभ नहीं हुआ। कोयला उद्योग ने उत्पाद को कभी स्वीकार नहीं किया। कोयला उद्योग एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसने कभी भी उत्पादों को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार, प्रारंभ से ही, यह कंपनी रूग्ण है। आज इसके पास बहुत अधिक संपत्ति है। फैक्टरी बंद करने के बजाए, कामगारों को घर बैठाकर वेतन क्यूं नहीं दे दिया जाता? आमतौर पर यह सभी रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू होता है। सरकार भले ही बंद की घोषणा न करे। वह यह कहे कि कम से कम हर व्यक्ति घर बैठकर वेतन ले सकते हैं.

अब मैं आता हूं उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर। आप एम.ए.एम.सी. की परिसंपत्ति और संपत्तियों का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु करने की अनुमति क्यों नहीं देते। कई नए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पश्चिम बंगाल में आने के इच्छुक हैं।

किंतु वे सभी कलकत्ता के आस-पास में ही आने के प्रयास कर रहे हैं। दुर्गापुर में एम.ए.एम.सी. के पास अकूत संपत्ति और भवन है। इसकी कहानी दुखदायी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए।

डा. नीतीश सेनगुप्ता: किंतु, प्रश्न पश्चिम बंगाल का है। हमें वहां के औद्योगिक परिदृश्य पर कुछ कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। शहरी विकास मंत्रालय के लिए यह निर्णय बहुत ही अच्छा है कि सड़क निर्माण का कार्य राज्य से ले लिया गया है। कम से कम, पश्चिम बंगाल के मामले में तो यह बिलकुल सही है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अगले बजट में, यदि वे आपकी मांगों का उत्तर नहीं देते तो आप एन.डी.ए. से...*(व्यवधान)*

डा. नीतीश सेनगुप्ता: मुझे नहीं पता कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) के मेरे मित्रगण वहां हैं या नहीं...*(व्यवधान)* आम-तौर पर यही होता है कि उन्हें केन्द्र से जितनी भी धनराशि प्राप्त होती है वे उसे जिला परिषदों के माध्यम से संवर्गों को हस्तांतरित कर देते हैं और कोई भी परियोजना पूरी नहीं होती। हर साल, केवल कमियां गिनाई जाती हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं इस सभा के समक्ष माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अनुदान उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए नहीं हैं। कुछ हद तक, इसका उल्लेख माननीय सदस्या डा. नीतीश सेनगुप्ता ने किया। उन्होंने कई चीजों का उल्लेख किया। उद्योगों के पुनरुद्धार के निर्णय पर मैं उनके विचारों से सहमत हूं।

सरकार के पास बेरोजगार युवकों को नौकरी प्रदान करने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है। कई वर्षों से कहा जा रहा है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। यह दावा किया गया था कि बेरोजगार युवकों के लिए एक करोड़ नौकरियां उपलब्ध करायी जाएंगी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कालाधन निकालने के लिए कोई योजना नहीं की जा रही, ऋण की अदायगी न करने वालों से ऋण की वसूली करने के लिए भी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मांगें केन्द्र सरकार के लोक विरोधी बजट में और वृद्धि करती हैं इसके अलावा और कुछ नहीं करती। इसलिए मैं अनुपूरक अनुदानों की इन मांगों का विरोध करता हूं।

मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए एक वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं उन्होंने बहुत आशा के साथ यह घोषणा की थी कि वृद्धि दर 9 प्रतिशत रहेगी लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। समयाभाव के कारण मैं केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थानों की रिपोर्ट उद्धृत नहीं करूंगा जो यह दर्शाता है कि हर क्षेत्र में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं है। हर क्षेत्र में स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। इसलिए में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इसके साथ, मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देश की आर्थिक स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई है। तथाकथित उदारीकरण, वैश्वीकरण और नीजिकरण ने हमारी आर्थिक परिसंपत्तियां विदेशी पूंजी के लिए खोल दी हैं और इसने घरेलू और विदेशी व्यापार में भी कई अवसर प्रदान किए हैं। हमारे कई उद्योग खतरे में हैं। हमारा कृषि उद्योग खतरे में हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर प्रकार से यह सरकार सभी क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य को सुदृढ़ करने में विफल रही है। इसलिए मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बजट ऐसे समय आया है जब राष्ट्र बाढ़, सुखाड़ और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है। आज हमारे सामने गंभीर आर्थिक संसाधनों से जूझने का वक्त है। निश्चिततौर से जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा हो, वैसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने अपने प्रयास से जिस वातावरण का निर्माण किया और उससे जो परिस्थिति बनी है उससे मुद्रास्फीति में कमी आई है तथा रुपए का मूल्य भी करीब-करीब स्थिर रखने में हम सफल रहे हैं। महोदय, हम आपके माध्यम से केवल दो-तीन सवालों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय, विदेशी कर्जे से आज हम दबे हुए हैं और उससे मुक्त होने का हमें कोई उपाय निकालना होगा। विरासत में हमें बहुत कुछ मिला है और जो कर्जा हम लेते हैं उसकी अदायगी में 90 प्रतिशत राशि सूद में ही चली जाती है। इसलिए इस चक्र से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए और इससे निकलने के लिए हमें नॉन प्लान पर खर्च में हमें कटौती करनी चाहिए।

[श्री अरुण कुमार]

राज्यों में आज संसाधनों की कमी और डैफिशिट फाइनेंस की स्थिति बनी हुई है और इसे भी हमें दुरूस्त करना चाहिए, नहीं तो इसके प्रतिकूल प्रभाव हम पर पड़ेंगे। लगभग 35 हजार करोड़ रुपया वार्षिक भारत सरकार की ओर से और लगभग 5 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों की ओर से गरीबी उन्मूलन पर खर्च हो जाता है। इसके बावजूद भी हम गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। कुछ इसमें कमी जरूर आई है लेकिन जब हम गांवों की स्थिति, खेत-खलिहानों की स्थिति, किसान और मजदूरों की स्थिति को देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसान और मजदूर की स्थिति गांव में अच्छी बनी है। उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और खास करके मैं बिहार के बारे में कह रहा हूं।

बैंकों में सीडी रेशो 60 प्रतिशत होनी चाहिए लेकिन वह 20 प्रतिशत पर आ गयी है। ऐसी परिस्थिति में जहां हम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और अन्य माध्यों से गांव में विकास की प्रक्रिया और स्वरोजगार की हम प्लानिंग करते हैं तो स्थिति साफ नहीं दिखती है। बेरोजगार नौजवानों की फौज बढ़ती जा रही है। जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है वहां की स्थिति कालोनी जैसी हो गया है और वहां के लोग दिल्ली और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में पलायन करके आ रहे हैं तथा उनके श्रम का जिस तरह से शोषण हो रहा है उसको आप देखेंगे तो लगता है कि लिब्रेलाइजेशन हमारे लिए अभिशाप हो रहा है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

जब हम अपना आर्थिक मूल्यांकन करते हैं तो निश्चित रूप से मल्टी-नेशनल कंपनी में काम करने वाले आदमी की आमदनी और रिक्शा खींचने वाले आदमी की आमदनी का एवरेज सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। निश्चितरूप से हमें इस बात की ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज विकास का आयाम कमजोर हुआ है और इसे मजबूत करने के लिए हमें गांवों पर ध्यान देना होगा जहां देश की बड़ी आबादी रहती है। वहां से जो पलायन हो रहा है उससे देश के सामने एक भयावह स्थिति पैदा होने वाली है चाहे वह नक्सलवाद के कारण हो या बेरोजगारी के कारण हो या कानून और व्यवस्था के कारण हो। इन सारी परिस्थितियों पर समेकित रूप से हमें विचार करना होगा। भारत की आत्मा गांव हैं, किसान और मजदूर हैं और जब तक उनको केन्द्र में रखकर नीतियों का निर्धारण आप नहीं करेंगे तब तक भारत की मूल समस्या और उसके निराकरण की ओर आप नहीं जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्मय से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने इस दिशा में पहल की है। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से मध्य बिहार में...*(व्यवधान)*

मैं यह कह रहा था कि जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है लेकिन इस पर बोलने का अभी वक्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: ये सप्लीमैंटरी डिमांड्स हैं। बिहार के बारे में चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अरूण कुमार: बिहार को निश्चित रूप से इस चक्र से निकालना होगा, जहां के लोग पिस रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं सप्लीमैंटरी डिमांड्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं समझता हूं कि समय का अभाव है, और इसलिए मैं अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग भी करना चाहता हूं। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप श्री किंडिया, भूतपूर्व राज्यपाल को बोलने के लिए अभी तीन मिनट का समय दें और श्री के.पी. सिंह देव को माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद अपने प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, श्री किंडिया जी तीन-चार मिनट बोलेंगे और श्री सिंहदेव जी कुछ प्रश्न रखेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, इन्हें बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उनका समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कल सदस्यों को अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने नहीं दे रहे थे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्हें बोलने का चांस दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इनका नाम रिकमैंड कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप क्लैरिफिकेशन्स के समय पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, किंडिया जी एक भूतपूर्व राज्यपाल हैं और वह पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं। वह केवल पांच मिनट के लिए बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपके सदस्य माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह ज्यादा समय नहीं लेंगे। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: कार्य-मंत्रणा समिति में हमने इस पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय नियत किया है और हमें इस पर चर्चा करते हुए लगभग चार घंटे हो गये हैं। आपको कार्य-मंत्रणा समिति के नियमों में परिवर्तन करना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप किंडिया जी को सिर्फ पांच मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं उन्हें केवल दो मिनट का समय दे सकता हूं।

श्री पी.आर. किंडिया (शिलांग): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। मुझे कुछ ऐसे मुद्दे उठाने का मौका मिला है जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

मेरे विचार से, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने में चिंता का एक विषय है क्षेत्रीय असंतुलन। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह क्षेत्रीय विसंगति है। देश में कई ऐसे क्षेत्र और प्रदेश हैं जो क्षेत्रीय विसंगति के शिकार होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र केवल एक ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहां क्षेत्रीय विसंगति है, अपितु यह एक सीमावर्ती क्षेत्र भी है। यह चीन, म्यांमार और बंग्लादेश जैस कई देशों से घिरा हुआ है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाओं में वृद्धि होने की बजाय इसमें कमी आई है। मैं आपको ब्यौरे दे सकता हूं। 1980 के वर्षों में 19 स्टेशनों पर विमान सेवा उपलब्ध थी। 1995 में इसे घटाकर 13 कर दिया गया। आज केवल नौ स्टेशनों पर विमान सेवा उपलब्ध है और उनमें से अधिकांश विमान क्षेत्र बंद पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री पी.बी. जयकृष्णन ने की थी।

उन्होंने यह बताया था कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने और उसे मुख्य भू-भाग से जोड़ने के लिए 50 सीटों वाले विमान चलाये जाने की आवश्यकता है। हमने नागर विमानन मंत्री जी के सात बातचीत की थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संसद सदस्य भी उस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने इसका भी प्रत्युत्तर दिया लेकिन साथ ही यह कहा कि वित्तीय संकट के कारण ऐसा नहीं कर सकते।

मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि ऐसा क्यों है। अव्यपगमनीय पूल कोष, जिसका गठन केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया था, में अपार धनराशि है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। कार्यबल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 50 सीटों वाले इस बेड़े को खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज भी ऋण घाटा अनुपात के मामले में जोकि एक संस्थागत वित्त है और जो केन्द्रीय वित्त मंत्री के सीधे प्रभार के तहत आता है, क्षेत्र में ऋण घाटा अनुपात 29 प्रतिशत है जबकि अखिल भारत अनुपात औसतन 62 प्रतिशत है। मेघालय के मामले में जोकि मेरा अपना राज्य है, यह केवल 14 प्रतिशत है। नागालैंड के मामले में यह केवल 19 प्रतिशत है। अरूणाचल प्रदेश के मामले में यह केवल 7 प्रतिशत है और यही कारण है कि वहां निवेश नहीं किया जाता। बैंक में इतनी अधिक राशि जमा हो गई है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस मामले की जांच करें। मैं महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह केवल एक मूल मुद्दे पर ध्यान दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें कार्य कौशल की जरूरत है। चीन में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि 'आप किसी इंसान को एक वक्त का खाना खिलाकर उसका एक दिन के लिए पेट तो भर सकते हैं लेकिन यदि आप उसे कोई हुनर सिखा दें तो वह जीवन भर कमा कर अपना पेट भर सकता है।' यही महत्वपूर्ण बात पूरे देश और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर लागू होगी।

महोदय, आज, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि क्षेत्र में, केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खाद्य वस्तुओं की खरीद पर 11,466 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। महोदय, हम दुबारा से यह

[श्री पी.आर. किंडिया]

देखें कि प्रधान मंत्री जी के पैकेज में क्या है। प्रधान मंत्री जी ने दो परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। 1995 में शिवसागर में असम गैस क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इसे आज तक शुरू नहीं किया गया है। उसके बाद फिर प्रधान मंत्री द्वारा 1996 में बोफीगिल डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल की नींव रखी गई। इस परियोजना के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की दृष्टि में प्रधानमंत्री केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता कि वह किस दल से संबंधित हैं। समग्र रूप में केन्द्र की विश्वसनीयता के संबंध में संकट उभर आया है। इसलिए यही समय है जब भारत सरकार इस वास्तविकता को समझे।

हम शिलांग में प्रधान मंत्री जी से मिले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी.आर. किंडिया: मैं कुछ मिनट और लूंगा।

प्रधान मंत्री जी ने 10,507.29 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। मैंने हिसाब लगाया है कि इस राशि में से 6015.32 करोड़ रु. तीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दिए जायेंगे। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों पर बाढ़ लगाने में 12.70 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सिर्फ 30 प्रतिशत राशि शेष रह जायेगी। माननीय सदस्य श्री पांडियन ने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सही है, अब मैं वित्त मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह 30 प्रतिशत राशि रोजगार सृजन पर निवेश की जाये क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत अधिक है। यही कुंठित बेरोजगार युवा विद्रोह का सहारा लेते हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय वित्त मंत्री जी बोलेंगे। *

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय: आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात को समझें कि अभी समय नहीं है। मंत्री जी के उत्तर के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके उत्तर के बाद पूछ सकते हैं। माननीय सदस्यों, कृपया यह बात समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हरीभाऊ शंकर माले जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हरीभाऊ शंकर महाले जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हरीभाऊ शंकर महाले जी, बस बहुत हो चुका। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं, जो माननीय सदस्य, श्री नारायण दत्त तिवारी के भाषण के साथ शुरू हुई थी और जिसे उन्होंने रचनात्मक विरोध का नाम दिया है। मैं उसी रचनात्मक भाव से उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का तात्पर्य संसद के समक्ष लाये गये उस व्यय विवरण से अधिक कुछ नहीं है, जिसका बजट तैयार करते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका हो और उस व्यय को वहन करने के लिए संसद की स्वीकृति लेनी हो। अनुपूरक अनुदानों की मांगों में उल्लिखित सभी मदें केवल उन मदों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका जनवरी महीने में भारत सरकार का व्यय बजट तैयार करते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका। यह सब बाद का घटनाक्रम है। अत: इस सभा की ससंदीय लोकतंत्र की परंपरा के निर्वहन में मुझे यहां आकर इस खर्च को उठाने के लिए इस सभा की स्वीकृति लेनी पड़ी।

जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया है, कुल 3,709.37 करोड़ रुपये चाहिए। उसमें से नकदी आवंटन केवल 1,413.71 करोड़ रुपये है। शेष व्यय इस प्रकार का है, जिसे प्राप्तियों, वसूलियों अथवा बचतों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार, यह बजट से नकद रूप में निकाली गई धनराशि को नहीं दर्शाता। नकद रूप में निकलने वाली 1,414 करोड़ रुपये की एक छोटी सी रकम है।

हालांकि चर्चा के दौरान हमारे माननीय सदस्यों ने स्वभावत: ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया, जिन पर हमें ध्यान देना है और जिनका हमें उत्तर देना है। चूंकि ये सुझाव रचनात्मक हैं, इसलिए भावी प्रयासों से हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा।

अपराह्न 3.40 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

बजट प्रस्तुत किए जाने के पांच माह बाद इस समय यह पता लगाना अत्यधिक स्वाभाविक है कि सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं, वायदों का वास्तव में क्या हश्र हुआ और आज हमारी क्या स्थिति है। अर्थव्यवस्था की बिगड़ती दशा पर काफी चर्चा हुई है। बजट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत, मैंने उसे सुनहला बजट नहीं बताया था। यह मेरे बजट भाषण का अंश नहीं है। इस सभा में खड़े होकर मैंने यह नहीं कहा था- 'मैं आपके सामने सुनहला-बजट पेश करने जा रहा हूं। मेरे मित्रों ने समाचार माध्यमों से बजट को यह नाम दिया था। यदि आज उनमें से कुछ लोग और इस सम्माननीय सभा के सदस्य यह कहें कि यह सुनहरा-स्वप्न नहीं बल्कि दु:स्वप्न की भांति है- तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे ऐसा कहने के हकदार हैं। वस्तुस्थिति का उसी परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास करना भी मेरा कर्त्तव्य है, जिसमें मैंने उसे देखा है।

अर्थव्यवस्था की समस्यायें होती हैं। इससे कोई इंकार नहीं करेगा। उत्तर देते समय यह मेरा भरसक प्रयास होगा कि किसी समस्या पर पर्दा न पड़े मैं इस सभा में जहां तक संभव हुआ उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वर्ष 2000-2001 की विकास दर पर नजर डालिये। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की समाप्ति अनुमानत: 5.2 प्रतिशत की विकास दर के के साथ हुई। इससे देश के लोगों को बहुत निराशा हुई है क्योंकि आज इस देश के लोगों को 5.2 प्रतिशत की विकास दर स्वीकार नहीं है। मेरे विचार से यह एक अत्यधिक शुभ लक्षण है कि यह देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि लोगों को 5.2 प्रतिशत की विकास दर स्वीकार्य नहीं है। वे इसे अपर्याप्त मानते हैं। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि इतिहास में ऐसे समय भी आये हैं जबकि विकास दर 2.5 प्रतिशत अथवा 3.5 प्रतिशत रही है। हमने वह समय भी देखा है। हम उस पर खुश थे। परन्तु अब हम उच्चतम विकास दर के आदी हो चुके

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

हैं, इसलिए सी.एस.ओ. द्वारा जल्दबाजी में दिया गया यह 5.2 प्रतिशत का अनुमान कुछ स्वीकार्य नहीं है। मैं यह याद दिलाने के लिए इस सम्माननीय सभा का थोड़ा-सा वक्त लेना चाहता हूं कि गत वर्ष यह अनुमान लगाने का काम कि विकास दर क्या होगी, सरकार ने नहीं अपितु विभिन्न मूल्यांकनकर्त्ता एजेंसियों का था। उदाहरण के लिए सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामी ने गत वर्ष जुलाई में यह महसूस किया था कि इस देश की विकास दर सात प्रतिशत तक हो सकती है, इस वर्ष जनवरी में उन्होंने इसे संशोधित करके 5.8 प्रतिशत बताया, इस समय यह 5.2% ही निकली। अभी अंतिम आंकड़ा प्राप्त होना शेष है। नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च ने गत वर्ष अप्रैल में 7.1 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था, दिसम्बर में उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया और फिर इस वर्ष फरवरी में 6.1 प्रतिशत निर्धारित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने गत वर्ष अप्रैल में कहा था कि विकास दर 6.5 से 7% तक हो सकती है। अक्तूबर में उसमें संशोधन करके उन्होंने इसे 6 से 6.5 प्रतिशत तक कम कर दिया। सी.आई.आई. ने गत वर्ष अप्रैल में यह महसूस किया था कि जैसाकि श्री रूपचन्द पाल ने इसका जिक्र किया है, इस वर्ष विकास दर 6.5 से 7 प्रतिशत तक हो सकती है। तत्पश्चात उसने इसे संशोधित करके कम बताया। विशेषज्ञों वाले इन संगठनों अथवा एजेंसियों ने उससे अधिक दर का अनुमान क्यों लगाया था जितनी कि वास्तव में हमें प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 2000 के आरंभ में स्थिति बाद की वस्तुस्थिति से बहुत अच्छी प्रतीत हो रही थी। इसमें कौन-कौन से कारकों ने हस्तक्षेप किया? हम इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि इस अवधि के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बहुत तेजी आई। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि गत वर्ष अप्रैल में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रधान अर्थशास्त्री श्री माइकल मूसा ने बैठक में उपस्थित कोष के सभी सदस्यों को उक्त स्थिति से अवगत कराया था।

उस बैठक में वह ऊंची तेल कीमतों के प्रभाव का अनुमान लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि उसका अंतर्राष्ट्रीय विकास दर, विश्वव्यापी विकास दर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तत्पश्चात् उन्होंने सभी महत्वपूर्ण देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का देशवार विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विकास दर में 100 आधार-पाइन्ट्स एक प्रतिशत पाइन्ट तक की गिरावट का अनुमान लगाया था।

इस वर्ष जनवरी में, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का जिसके आंकड़ों का हम सभी प्रयोग करते हैं, चालू वर्ष की विकास दर का अनुमान 6 प्रतिशत लगाया था। आर्थिक सर्वेक्षण और मेरे बजट भाषण में प्रयुक्त 6 प्रतिशत की विकास दर को हमने निर्धारित नहीं किया; यह आंकड़ा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का था और इसी संघटन ने 5.2% का आंकड़ा दिया था।

महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विनाश, जिस नाम से हम इसे बुलाते हैं, प्रौद्योगिकी स्टाक का बेकार हो जाना भी एक विश्वव्यापी कारण था। अनेक अर्थव्यवस्थाओं में और विशेष रूप से अमरीकी अर्थव्यवस्था में यह विकास का मुख्य साधन था और प्रौद्योगिकी स्टाक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र इतनी तेजी से गिरा कि अमरीका के शेयर-बाजार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हम यह जानते हैं कि नस्दॉक की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है।

हम यह भी जानते हैं कि इसके अतिरिक्त जहां तक देश की कृषि का सम्बन्ध है, उसकी विकास दर एक समान रही है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि की अनुमानित विकास दर 0.2% रही है। यह लगभग समान विकास दर है। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन 209 मिलियन टन से लगभग 12 मिलियन टन कम होकर 196 मिलियन टन तक आ गया। यह अनुमान है। हमने यह कमी इसलिए महसूस नहीं की क्योंकि अभी भी हमारे पास खाद्यान्न का विशाल भंडार है। परन्तु किसी साधारण वर्ष के दौरान 12 मिलियन टन कमी का प्रभाव उतना ही होता, जितना कि इस देश ने पहले के वर्षों के दौरान अनुभव किया था।

मैं अर्थशास्त्री होने का दावा नहीं करता। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले तीन बार हमने अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में तीव्र वृद्धि का सामना किया है। इस पेट्रोलियम वृद्धि का विकास दर, चालू खाता-घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रास्फीति और मूल्य-वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा? महोदय, मैंने आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि पहली बार वर्ष 1973-74 में तेल-संकट उत्पन्न हुआ था। उस समय क्या हुआ था? मैं थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा हूं। वर्ष 1973-74 में थोक मूल्य सूचकांक 20.2 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 1974-75 में क्योंकि पिछला प्रभाव जारी रहा, अत: यह 25.2% तक बढ़ गया। इसी प्रकार, वर्ष 1980-81 में भी, जो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की दृष्टि से संकटपूर्ण वर्ष था, मुद्रा-स्फीति की दर, थोक मूल्य सूचकांक 18.2% तक बढ़ गया। वर्ष 1990-91 और 1991-92 जो पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य-वृद्धि की दृष्टि से तीसरे संकटपूर्ण वर्ष थे, मुद्रा-स्फीति की दर, जो वर्ष 1990-91 में 10.3% थी, 1991-92 में बढ़कर 13.7% हो गई। मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इस वर्ष की उपलब्धियों की गणना करनी चाहिए।

डा. नीतीश सेनगुप्ता: वर्ष 1991-92 और इस वर्ष की स्थिति में मूल अन्तर है। वर्ष 1991-92 में हम विदेशी मुद्रा भंडार

में कमी का सामना कर रहे थे, जबकि इस वर्ष हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार विपुलता में है।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, वर्ष 1999-2000 में विशेष रूप से वर्ष 2000 में, जब कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने शुरू हुए तो मुद्रा-स्फीति की दर 3.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-2001 में यह 7.2% थी। मैं वार्षिक औसत की बात कर रहा हूं—और अब 2001-2002 में चालू औसत मुद्रा-स्फीति की दर लगभग 5.5 प्रतिशत है, यह 5 से 5.5 प्रतिशत के बीच रहती है।

मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से ईंधन, विद्युत ऊर्जा और स्नेहकों की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। और हमारे यहां इसके अतिरिक्त कारक भी हैं। अनेक राज्य सरकारें विद्युत क्षेत्र के सुधार के लिए कुछ स्वागतयोग्य कदम उठा रही हैं। वे विद्युत प्रभार बढ़ा रहे हैं क्योंकि विद्युत भी ईंधन, ऊर्जा और स्नेहक की श्रेणी में आता है जो इस वृद्धि के कारकों में से एक है।

इसी प्रकार से, जहां तक वृद्धि दर का सम्बन्ध है, आपको पता चलेगा कि यह वर्ष 1973-74 के 4.6% से घटकर वर्ष 1974-75 में 1.2 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 1980-81 के 7.2% से घट कर 1981-82 में 6% हो गया। वर्ष 1990-91 में 5.6% से घटकर वर्ष 1991-92 में मात्र 1.3 प्रतिशत रह गया। इस वर्ष, हम वर्ष 1999-2000 की 6.4% की विकास दर की तुलना में 5.2% की विकास दर प्राप्त कर रहे हैं।

इसी प्रकार जैसाकि डा. नीतीश सेनगुप्ता ने कहा है, विदेशी मुद्रा के मामले में हमने किसी संकट, किसी समस्या का सामना नहीं किया है। वास्तव में हुआ यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ता जा रहा है, जो आज भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 44.5 अरब अमरीकी डालर के बराबर है।

अतः, यदि हम अपनी उपलब्धियों की बात करें, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी मुश्किल स्थिति में भी हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि आज हमारा विदेशी-मुद्रा भंडार हमेशा से अधिक है। ऐसी स्थिति में हम कभी नहीं पहुंचे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): क्या इसे स्थिर समझा जा सकता है?

श्री यशवन्त सिन्हा: हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। मैं श्री रूपचन्द पाल तथा इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्व एशियाई संकट के गहराने के बावजूद, आज विश्व में अनेक संकट मंडरा रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, तुर्की और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका में संकट हैं, उनके सामने भुगतान संतुलन की समस्या है। तथाकथित परिवर्तनशील जमाराशि को भारत से वापस नहीं लिया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि ये स्थायी हैं।

जहां तक भुगतान-संतुलन का संबंध है, हमें बड़ा कोष, जितना देश में पहले कभी नहीं रहा, होने से कोई दिक्कत नहीं है।

जहां तक मुद्रस्फीति दर का संबंध है, यह नियंत्रण में है। आज देश में कोई भी कम से कम मूल्य वृद्धि को नितांत अनुचित और असहाय नहीं बता रहा है...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): मूल्य वृद्धि हुई है।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं आंकड़ों के अनुसार बोलूंगा। आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि टमाटर का दाम बढ़ गया है कहीं पर और मैं अपना अनुभव बता सकता हूं। मैं पूरे आंकड़ों के अनुसार बोलूंगा जिससे हम इसको आंकेंगे...*(व्यवधान)*

डा. नीतीश सेनगुप्ता: आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) को भारत में कार्यालय बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा: हम आई.एम.एफ. के सदस्य हैं। मैं श्री एन.डी. तिवारी द्वारा आई.एस.एफ.-विश्व बैंक समूह में भारत तथा विकासशील देशों की भूमिका के बारे में उठाए गए मुद्दे पर आऊंगा। मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।

जहां तक खाद्य भण्डारों का संबंध है, जैसाकि माननीय सभा को जानकारी है कि देश में खाद्यान्नों का विपुल भण्डार है। वस्तुतः, यह इतना बड़ा है कि इसे रखने की समस्या हो गई है। लेकिन भारत की आज वह स्थिति नहीं है जो पहले थी। हम खाद्यान्नों के आयातक नहीं हैं।

महोदय, हम खाद्यान्नों के निर्यातक हैं। चालू खाता घाटा बिलकुल नियंत्रण में है, और इसे सकल घरेलू उत्पाद से एक प्रतिशत भी बढ़ने नहीं दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं?

श्री यशवन्त सिन्हा: यदि आप मेरे उत्तर के अंत में पूछें तो मेरे विचारों की श्रृंखला नहीं टूटेगी।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

महोदय, मैं कह रहा था कि वृद्धि दर कम हुई है। विश्वभर में वृद्धि दर कम हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य संकट भरा है। आज विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी वृद्धि दर शून्य है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी वृद्धि दर शून्य दर्ज कर रहा है। जैसाकि मैं उल्लेख कर चुका हूं कि ऐसे भी विकासशील देश हैं जहां भुगतान-संतुलन की बहुत बड़ी समस्या है और वे सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क कर रहे हैं। यहां समस्याएं हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि समस्यायें हैं। लेकिन इस विशेष सभा में, जो इस देश में सर्वोच्च संस्था है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पूरे देश में गलत तरह का संदेश जाए।

महोदय, हमारे देश में औद्योगिक मंदी की समस्या है। यह एक समस्या है। आधारभूत ढांचे का विकास कम हो गया है। औद्योगिक विकास विशेषरूप से पूंजीगत माल क्षेत्र में मंदी आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक सदस्य ने इस सभा में कहा है कि इस देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर निर्भर करती है। यह अभी भी ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करती है और सभी यह बात समझते हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों की यही मांग हमारी अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान करेगी। इसी विचार से हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान कर सके तथा उन कारकों को ध्यान में रखेंगे जो पूरी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाएगी।

महोदय, श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। यह कहकर सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है कि सरकार को पता नहीं है कि उसे क्या करना है। मैं इस सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि जून के तीसर सप्ताह और जुलाई के दूसरे सप्ताह के बीच तीन हफ्तों में मैं मंत्रिमण्डल के अपने उन आठ सहयोगियों से मिला जो इस सरकार में बुनियादी ढांचे में होने वाले व्यय के एक बड़े भाग के लिए जिम्मेदार हैं। मैं माननीय विद्युत मंत्री, रेल मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, कृषि मंत्री, वस्त्र मंत्री, शहरी विकास और गरीबी उपशमन तथा इस्पात मंत्री से मिला। मैंने इन आठ मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों से देश में निवेश व्यय को तेज करने के मामले पर चर्चा की क्योंकि कुल मिलाकर यही वे मंत्री हैं जिनके पास खर्च हेतु बड़ी धनराशि है।

मैंने बैंक के अध्यक्षों के साथ बैठक की जिसमें मैंने आर्थिक मंदी और इस संबंध में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की, मैंने सभी मंत्रालय के वित्तीय सलाहकारों के साथ अलग से बैठक की जहां मैंने उन्हें अनुदेश दिया कि वे अपने-अपने मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करते समय कि बजट में निवेश व्यय के प्रावधान में वृद्धि हो, गैर-योजनागत व्यय, राजस्व व्यय पर भी कड़ा नियंत्रण रखें। मैंने उन्हें यह अनुदेश दिए हैं।

महोदय, मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि मैंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को सूचित किया है कि यदि वे बजट में दिए गए निवेश आबंटन को वे खर्च कर देते हैं और यदि वे मेरे पास आकर यह कहते हैं कि उन्हें और अधिक धनराशि चाहिए तो मैं उन्हें तब तक धनराशि देता रहूंगा जब तक वे उसको उपयोगी कार्यों में खर्च करते रहेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके बाद वित्तीय घाटे का प्रश्न आता है। यह मुद्दा मीडिया में और इस सभा में उठाया गया है। हम वित्तीय घाटे को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं? इस तथ्य के बावजूद कि मुझे वित्तीय आतंकवादी आदि कहा गया है। मैं इस सभा को आश्वस्त कर दूं कि वित्तीय घाटा वास्तव में अपराधी नहीं है। राजस्व घाटा अपराधी है। अतः, हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखा जाए। जहां तक वित्तीय घाटे का संबंध है, यदि हमें उत्पादन व्यय, निवेश व्यय, आधारभूत ढांचे पर अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी तो भी सरकार ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं यह आश्वासन अपने सहयोगियों को दे चुका हूं। मैंने शरद यादव जी से बात की है- इस समय वे यहां उपस्थित नहीं हैं-और उन्हें कहा कि कृपया वे दिल्ली में आधुनिक विमानपत्तन बनाने के लिए योजना तैयार करें। दिल्ली में आधुनिक विमानपत्तन होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव: विमानों के बारे में आपको क्या कहना है? वे उड़ते हुए ताबूत हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: यदि आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

मैंने उन्हें कहा है कि वे मेरे पास एक परियोजना लेकर आएं जिसके अंतर्गत हम दिल्ली में एक आधुनिक विमानपत्तन स्थापित कर सकते हैं। उनका मंत्रालय उस परियोजना को तैयार करने में व्यस्त है और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वह परियोजना वित्त मंत्रालय के पास आए और हम उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करें। जहां तक विमानों के मामले का संबंध है- मैंने उन्हें भी कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स को विमानों की खरीद की मांग करने दीजिए—इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे सहयोगी संतुष्ट होंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में सड़कें नहीं हैं और ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट का क्या फायदा है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर पूरा होने के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए सुंदर एयरपोर्ट बनाएंगे और गांव में पीने का पानी और सड़कें तक नहीं हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: आपके विचार से चले तो न यह बनेगा न वह बनेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, सभा में आपके साथ यही दिक्कत है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं कह रहा हूं कि जहां तक संसाधनों का संबंध है, मैं निश्चित करूंगा कि उपयोगी कार्यों विशेषरूप से बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों को संसाधन उपलब्ध हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी अच्छे कार्यों के संरक्षक समाजवादी दल के मेरे मित्रों को उत्तर देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): जो आदिवासी-बहुल क्षेत्र हैं वहां रेलवे लाइनें दम तोड़ती जा रही हैं। मेरे क्षेत्र की रेलवे लाइनों की हालत बहुत खराब हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर समाप्त होने के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे आपको कह चुके हैं कि वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: जहां तक सड़क क्षेत्र का संबंध है, जब मैंने अधिभार लगाया था जिसे बाद में डीजल पर एक रुपये तथा पेट्रोल पर एक रुपये के उपकर में परिवर्तित कर दिया गया था, मुझे याद है तब इस सभा में मेरा काफी विरोध हुआ था कि मूल्यों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उस धनराशि का हम क्या कर रहे हैं? हमने उपकर कोष बनाया है और यह सारी धनराशि उस उपकर कोष जो एक पृथक और गैर-व्यपगमनीय कोष है, में जमा हो रही है। इस कोष की धनराशि ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च पर हो रही है। कोष में से 2500 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दी जा रही है। राज्यों के राजमार्गों के सुधार हेतु 1000 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में राज्यों को दिए जा रहे हैं तथा शेष राशि को आंशिक रूप से रेलवे को दी जा रही है ताकि वे उपरिपुल और अध:सेतु का निर्माण कर सकें तथा आंशिक धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए हमारे सहयोगी, खण्डूड़ी जी को उपलब्ध कराई जा रही है। यदि मेरा अनुमान सही है तो इस वर्ष हम देश की सड़कों पर ही 14,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपये तक खर्च करेंगे, यह व्यय अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए तथा इस वर्ष के 2,500 करोड़ रुपयों को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

महोदय, 5,000 करोड़ रुपये की राशि इसी वर्ष के अंदर ग्रामीण सड़कों पर ही व्यय की जाएगी।

अब, मैं श्री पांडियन और श्री जोस जो यहां उपस्थित नहीं हैं, द्वारा उठाए गये मुद्दे पर आता हूं कि 2,500 करोड़ रुपये की राशि जिसे राज्य योजना के भाग के रूप में दर्शाया गया था, अब तकनीकी रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित की जा रही है। इसका कारण यह है कि इस सभा में संसद सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक के बाद एक सदस्य ने यही शिकायत की है कि जहां तक ग्रामीण सड़कों का प्रश्न है किसी भी संसद सदस्य से विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में किसी भी संसद सदस्य से परामर्श नहीं कर रही है। हमने इस पर चर्चा की। यह शत प्रतिशत भारत सरकार की योजना है। हम राज्य सरकारों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु यदि संसद सदस्यों से परामर्श नहीं किया जाता, यदि उनकी अवहेलना की जाती है तो यह ठीक बात नहीं है।

इसलिए, महोदय, हमने निर्णय किया है कि इस धनराशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही संबंधित प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। जिसमें संसद सदस्यों को पूर्ण रूप से अवगत कराया जाएगा। वे सिफारिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-सी सड़क बनाई जाए। ग्रामीण सड़क निर्माण के दौरान इस मांग पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा।

इस प्रकार महोदय, ग्रामीण सड़कों के निर्माण की एक वृहत् योजना है जिसमें ग्रामीण सड़कें, सभी राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल है। मेजर जनरल खण्डूड़ी ने सभा में

[श्री यशवन्त सिन्हा]

पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम किस प्रकार स्वर्ण क्वाड्रीलेट्रल योजना को एक वर्ष पहले ही पूरा कर देंगे। इस योजना को 2004 में पूरा होना था परंतु अब यह योजना 31 दिसम्बर 2003 को पूरी हो जाएगी। हम योजना समापन की तारीख को घटा रहे हैं। ठेके दिए जा चुके हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार संबंधी प्रधान मंत्री की परियोजना का प्रश्न है इसमें कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

पहली बार यह देश अपनी सड़कों पर गर्व कर सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं।

अब महोदय, जहां तक अन्य मामलों का संबंध है यहां तक कि आर्थिक ढांचे का संबंध है हमने इस संबंध में क्या किया है। बजट में मैंने प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों दोनों पर कर छूट का प्रावधान किया है। हमने सरकारी अनुबंधात्मक बचत पर हमने ब्याज की दर कम की है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में ब्याज दर आज कम हो गई है और यह आज तक की सर्वाधिक न्यूनतम दर है। हम सरकार के व्यय को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पास इसके तरीके हैं। यह वह पद्धतियां हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इन पद्धतियों की सलाह अर्थशास्त्रियों ने दी है। हम अर्थव्यवस्था के धीमे होने का जो अनुभव झेल रहे हैं, हम उन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं कुछ माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को लेता हूं। श्री नारायण दत्त तिवारी ने अनेक मुद्दे उठाये हैं। पहला मुद्दा राष्ट्रीय लघु बचत से संबंधित है। उन्होंने कहा कि 'इसे संचित निधि में क्यों दर्शाया जा रहा है? इसे सार्वजनिक खाते में होना चाहिए।' जैसा कि सभा को याद होगा, कि मेरे 1999-बजट में मैंने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय बचत जिसमें हमें धनराशि जमाकर्त्ताओं से प्राप्त होती हैं और फिर हम उसके बड़े भाग को राज्यों को हस्तांतरित करते हैं, यह कार्य बजट के माध्यम से हो रहा था और इससे केन्द्र सरकार का वित्तीय घाटा अनावश्यक और अस्वाभाविक रूप से बढ़ रहा था। इसलिए 1999 में मैंने निर्णय लिया कि मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। हम लघु बचत की राशि को भारत सरकार के सार्वजनिक खाते की विशेष निधि में हस्तांतरित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों को देय राशि इस निधि से सीधे राज्यों तक पहुंच जाए और जहां तक बजट का प्रश्न है, हम उसी 20 प्रतिशत राशि को दर्शाएंगे जो हमने भारत सरकार के व्यय हेतु रख रहे थे।

इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। स्वाभाविक रूप से हमें इसके लिए सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि नामक अलग निधि का सृजन करना पड़ा। भारत सरकार की बकाया 1,76,222 करोड़ की राशि को राष्ट्रीय लघु बचत निधि में आंतरित कर दिया गया है। श्री तिवारी, कृपया इस आंकड़े पर गौर करें। सच तो यह है कि यह लेखा-विधि की प्रक्रिया है। जो विगत से अब अधिक पारदर्शी हो गई है और इससे सरकार का अनावश्यक रूप से घाटा नहीं बढ़ता है। इसका कारण यह था कि इसकी गणना दो बार हो जाती थी। इसे भारत सरकार के वित्तीय घाटे में भी गिना जाता था और साथ ही राज्य सरकार के वित्तीय घाटे में भी। अब इसका 80 प्रतिशत जिसे राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाता है, राज्यों के वित्तीय घाटे का भाग बनेगी और 20 प्रतिशत जिसका हम इस्तेमाल करेंगे भारत सरकार के वित्तीय घाटे का भाग बनेगा।

अब अन्य मुद्दा जो उठाया गया था वह था भारित बनाम स्वीकृत व्यय। महोदय, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि स्वीकृति व्यय घटता जा रहा है। ऐसा होना तय है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्याज एक भारित व्यय है और राज्य को हस्तांतरित राशि भी भारित व्यय है। जब ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि भारित व्यय का प्रतिशत बढ़ जाएगा और स्वीकृत व्यय का प्रतिशत कम हो जाएगा।

महोदय, यह केवल प्रथम अनुपूरक भोग है और यह बजट नहीं है। महोदय, श्री महाले कह रहे थे कि दस लाख रुपया दे दिया, क्या यह मिठाई खाने के लिए है? यह केवल अनुपूरक मांग है जो मूल बजट मांग की अनुपूर्ति करती है। आपको इसे बजट आवंटन के साथ यह पता लगाने के लिए कि यह पर्याप्त है या नहीं पढ़ना चाहिए। हम इसका पता कैसे लगाएं? हम मंत्रालय से परामर्श करने के बाद इसका पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए राज्य सरकारों को अर्थोपाय की अग्रिम राशि के रूप में दी गई 500 करोड़ रुपये का भी उसमें उल्लेख है। किसी ने पूछा था कि क्या 500 करोड़ रु. की राशि पर्याप्त है। मूल बजट में हमने 2000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। यह 500 करोड़ रु. की राशि सिर्फ इसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए है।

अब मैं सरकारी क्षेत्र की ईकाइयों के संबंध में बोलूंगा। यहां मैं सभा का थोड़ा सा अधिक समय लूंगा। हालांकि हमने विनिवेश और निजीकरण पर सभा के प्रत्येक सत्र में चर्चा की है, फिर भी कई लोग विशेषकर श्री रूपचंद पाल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों के संबंध में सरकार की नीति संबंधी प्रश्न किया था। महोदय, जितना स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से हो सके हमने इस सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों का खुलासा अपने 1999 के बजट भाषण में किया था और हम आज भी उसका अनुकरण

कर रहे हैं। महोदय, यदि आप योजना और गैर-योजना आवंटन को लें तो 11,785 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों को दिया गया है। हमारी नीति सार्वजनिक क्षेत्र को जितना भी हमारी ओर से हो सके, मजबूत करने की है।

मैं कुछ आंकड़ों से संबंधित जानकारी इस माननीय सभा के साथ बांटना चाहता हूं। पिछले तीन सालों में हमने 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने और उनका पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी कोई कहता है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों के विरोधी हैं तो मैं पुरजोर तरीके से इस आरोप का खंडन करता हूं। कुल मिलाकर 2197 करोड़ रु. की निधि के निवेश करके सार्वजनिक क्षेत्र की 26 ईकाइयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 8,335 करोड़ रु. की राशि, जो ब्याज और ऋण के रूप में किश्तों में अदा करनी थी, बट्टे खाते में डाल दी गई। 4170 करोड़ रुपए की ब्याज और ऋण की राशि इक्विटी में परिवर्तित कर दी गयी। ऋण और ब्याज की राशि को बट्टे खाते डालकर ऋण और ब्याज की कुछ राशि को इक्विटी में बदल कर, और धनराशि का प्रत्यक्ष निवेश करके हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 232 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यशील थे।

उनमें से घाटे में चलने वाले उपक्रम 106 थे और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जिसकी प्रगति नाकारात्मक थी बीआईएफआर के साथ पंजीकृत किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 35,780 करोड़ रुपये के कुल निवेश की तुलना में इनका संचयी घाटा 38,648 करोड़ रु. था। निवेश 35,780 करोड़ रु. है और वास्तविक संचयी घाटा 38,648 करोड़ रु. है। यह स्थिति है, यही तथ्य है। परंतु फिर भी हम यह कह रहे हैं कि जितनी भी ईकाइयों का पुनरुद्धार कर सकें, करेंगे।

आईडीपीएल और उर्वरक कारखानों का भी उल्लेख किया गया था। इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में हमने कुछ राशि का प्रावधान किया है ताकि कर्मकारों को वेतन का भुगतान किया जा सके। परंतु उसी समय हम इन सभी उपक्रमों पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि हमने अपने लीक से हटकर उनकी मदद की है। हमारी नजर उपक्रम पर ही नहीं है वरन् उपक्रमों की सभी ईकाइयों की निगरानी पर है।

हमारे यहां राष्ट्रीय कपड़ा निगम है। इस पर मंत्रियों का एक दल कार्य कर रहा है और हमने निर्णय लिया है कि हम एनटीसी को पूरा नहीं वरन् उसकी एक-एक ईकाई को लेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसे कहां से पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। हम इन ईकाइयों के विभिन्न कार्यों को देखेंगे और यह पता लगाएंगे कि किस कार्य में सुधार किया जा सकता है। आईडीपीएल की पुनर्संरचना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है परंतु हम यह भी देख रहे हैं कि किस ईकाई का पुनरुद्धार किया जा सकता है। परंतु उसी समय जहां तक उर्वरकों का प्रश्न है, प्रधान मंत्री ने मंत्रियों के एक दल को नियुक्त किया है जहां हम सब बैठेंगे और यह विचार-विमर्श करेंगे कि कौन सी इकाई पुनरुज्जीवित की जा सकती है। परंतु सभा को यह बात समझनी चाहिए कि मैं यह सब उत्तरदायित्व की भावना से कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को यह केवल इसी सरकार का प्रश्न नहीं है—उन उपक्रमों पर जिनको पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता, जनता के धन को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। यदि अध्ययन-दर-अध्ययन यह बताते है कि किसी इकाई को किसी परिस्थितिवश पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता तब भी हम निश्चित संख्या के कर्मकारों के लिए जो वहां कार्यरत हैं या मान लें जिन्हें वेतन दिया जा रहा है, उस इकाई को चालू रखेंगे। इस बात की संपूर्ण अनुभूति के साथ वर्ष-दर-वर्ष बजटीय प्रावधान होने के बाद भी उस इकाई को पुनरुज्जीवित नहीं किया जाएगा? मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रीय आम सहमति बनाएं कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और कौन से पीएसयू हैं जिनको पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता। इस सरकार में यह कहने की हिम्मत है कि हम उन पीएसयूज को बंद कर देंगे जिनको पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता। उसी समय, हम प्रत्येक पीएसयू की प्रत्येक इकाई को इसके साथ-साथ हम प्रत्येक पीएसयू, उसकी प्रत्येक इकाई पर तथा उसके कार्यकरण पर नजर रखेंगे और यदि किन्हीं में थोड़ा गुंजाइश दिखी तो हम सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न करेंगे।

इस रणनीति का तीसरा भाग यह है कि सरकार को प्रत्येक व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है और मैं महसूस करता हूं कि सभा में और राष्ट्र में इस बात पर आम सहमति है कि हमें सभी प्रकार के कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है और उस समय हम अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे जब यह तर्कसंगत होगा। अब हमें उन सब बातों का यहां जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यह काम कोई दूसरा बेहतर ढंग से कर सकता है।

मैं श्री रूपचंद पाल को याद दिलाना चाहता हूं कि यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। किसी भी इकाई का संचालन चाहे वह निजी क्षेत्र की हो या सार्वजनिक क्षेत्र की, सुचारू रूप से हो सकता है, यदि उसमें प्रबन्धन प्रतिभा है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

इसलिए हम इस तथ्य को जानते हैं कि इस देश में बहुत अच्छा कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं क्योंकि उनके पास अच्छा प्रबंधन तंत्र है और साथ ही अच्छा कार्य न करने वाले निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनके पास अच्छा प्रबंधन नहीं है। और साथ ही निजी क्षेत्र में भी कई उपक्रम रुग्णता की स्थिति में हैं। तथापि, जब हम निजीकरण की बात करते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि हम देश का खजाना लुटा रहे हैं। या हम निजी क्षेत्र में विश्वास करते हैं और इसलिए यह हो रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार को कतिपय क्षेत्रों में अपनी क्रियाशीलता बंद कर देनी चाहिए और इसी संदर्भ में निजीकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस संबंध में सरकार की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री रूपचन्द पाल ने एक मुद्दा उठाया है और कुछ माननीय सदस्य हैं जो समझते हैं कि मैं हमेशा सी.आई.आई. और फिक्की ही जाता हूं। इन्होंने सी.आई.आई. और फिक्की का उल्लेख किया है।

यदि श्री रूपचन्द पाल मेरी गलती में सुधार करना चाहें तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। लेकिन मैं यहां पश्चिम बंगाल के अनुभव का आपकी सहमति से उल्लेख करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 5 सालों से सी.आई.आई. और प. बंगाल सरकार के बीच एक समिति कार्य कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: किसी पर आक्षेप किए बगैर मैंने किसी उद्देश्य से यह कहा था...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, आर्थिक मुद्दों पर जब भी चर्चा हुई है, मुझ पर सभा में सी.आई.आई. और फिक्की के साथ शामिल होने और उनकी बैठकों में सम्मिलित होने का आरोप लगाया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसे सी.आई.आई. के साथ न मिला देना...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मेरी जानकारी के अनुसार, मैं सभा को यह जानकारी देना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार सी.आई.आई. के साथ मिलकर कार्य कर रही है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 7 अगस्त को सी.आई.आई. और पश्चिम बंगाल की पुनर्गठित टास्क फोर्स को संबोधित किया। मुख्यमंत्री सी.आई.आई. पश्चिम बंगाल टास्क फोर्स के चेयरमैन सह-सभापति हैं। अन्य चेयरमैन हैं सी.आई.आई. के महा-निदेशक...*(व्यवधान)*

डा. नीतीश सेनगुप्ता: पश्चिम बंगाल सरकार ने 60 सार्वजनिक उद्यमों को बंद कराने का आदेश दे दिया है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मुझे याद है कि श्री रूपचन्द पाल कह रहे थे कि सी.आई.आई. ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बंद करने का निर्णय लिया है। इस देश में क्या सी.आई.आई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बंद करने का निर्णय ले सकता है? इस देश में कोई भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बंद नहीं करवा सकता सिवाय भारत सरकार के जो इसकी मालिक है। मैं पश्चिम बंगाल राज्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। जहां तक उनका सी.आई.आई. के साथ संबंध का प्रश्न है, मेरी उनके प्रति शुभ कामनाएं हैं। मुझे यह जानकारी है कि वे सी.आई.आई. के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वे सी.आई.आई. के साथ विदेश जा रहे हैं। वे सी.आई.आई. के साथ बैठकें कर रहे हैं। वे सी.आई.आई. के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत कर रहे हैं। मैं उनकी उन्नति के लिए मंगल कामनाएं करता हूं।

महोदय, मेरे मित्रों ने मुझे अवगत कराया है कि मेरा निर्धारित समय समाप्त हो गया है। अनेक मुद्दे उठाए गए थे। जहां तक राजसहायता का प्रश्न है और यद्यपि राजसहायता के बिल में वृद्धि हुई है फिर भी इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट है। जब तक और जहां तक राजसहायता गरीबों तक पहुंच रही है तब तक इस संबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए राजसहायता के लक्ष्य को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि जो राजसहायता योग्य नहीं है, वे इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। राजसहायता के संबंध में यही एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: कृषि क्षेत्र में लगातार आप सब्सिडी घटाये जा रहे हैं जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले आपको कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, यह कह कर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि आर्थिक क्षेत्र में समस्या है। हम मंदीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा इनमें से कुछ कारक अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ विशुद्ध रूप से भारतीय। हम कदम उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या करना है। हम उस कार्य को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन समस्याओं के बारे में मैं सभा को बताना चाहूंगा जिन पर हमने विजय पा ली है। कोई भी वित्त मंत्री मुझसे बेहतर इस समस्या को नहीं जानता क्योंकि 1998 में वित्त मंत्री के रूप में जब मैंने बागडोर संभाली थी तो उस समय की स्थिति आज से कुछ ज्यादा ही खराब थी।

हर कोई यह कह रहा था कि देश बिखरने वाला है। वास्तव में जब मैंने 1 जून 1998 में बजट प्रस्तुत किया तब मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि यह केवल अधूरा बजट है और वित्त मंत्री को दूसरे बजट के साथ फिर आना पड़ेगा।

इस वर्ष के बजट ने जैसा कि मैंने पहले कहा उम्मीदें जगाई हैं, इसमें अनेक बाते आई हैं और मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यह तो केवल समय ही बतायेगा, क्या कारण हैं और इन कारणों के पीछे कौन लोग हैं। जांच-पड़ताल चल रही है। लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि 2001-2002 का बजट मृतप्राय नहीं है वह जीवन्त है और चल रहा है...*(व्यवधान)* बजट लागू किया जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बजट में जो वायदे किए गए हैं वे पूरे किए जाएं।

मैंने सदन में दस्तावेज के साथ आने की नई प्रथा शुरू की है। प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने से पहले मैं उस दस्तावेज को प्रस्तुत करता हूं जो दर्शाता है कि अमुक बजटीय वायदे पूरे हो चुके हैं। पुन: अगले वर्ष हम इसी प्रथा को दुहरायेंगे। 1998 में हमने पूर्व-एशिया के संकट को निपटाया। अनेक ताकतवर देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हमने सफलतापूर्वक झेला है। कारगिल युद्ध, पेट्रोलियम संकट पर हमने विजय प्राप्त की। उड़ीसा के आए भयंकर तूफान का हमने सामना किया। गुजरात में आए भयंकर भूकंप को भी सफलतापूर्वक झेला है। यह एक चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करेंगे और इसका समाधान निकाल लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के प्रति माननीय वित्त मंत्री जी की चिन्ता से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वित्तीय संस्थानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण के कारण एक के बाद एक कई घोटाले हो रहे हैं। इसके कारण सार्वजनिक राजकोष को काफी हानि हुई है। विशेषरूप से यू.टी.आई. के मामले में 2 करोड़ छोटे निवेशक प्रभावित हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में 100 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि छोटे निवेशकों, जो वित्तीय आपदाओं के शिकार हुए हैं तथा जिन्होंने अपने जीवनभर की कमाई गंवा दी है, के हितों की रक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। जहां तक यू.टी.आई. के यूस-64 इश्यू के छोटे निवेशकों का सवाल है, छोटे निवेशकों को इस वित्तीय संकट से बचाने के लिए वे क्या उपाय करने पर विचार कर रहे है? मंत्री जी, हम आपके बहुत आभारी होंगे यदि आप इस संदर्भ में हमें कुछ बताएं...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि वे उत्तर देना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं इसको ना नहीं कह रहा। क्या यह अंतिम प्रश्न है?

श्री माधवराव सिंधिया: संसदीय कार्य मंत्री महोदय इसका निर्णय आप नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद महाजन: मैं इसका निर्णय नहीं कर रहा हूं। आप हर बार मेरा नाम लेते हैं और मुझे आपको जवाब देना पड़ता है। मैं अध्यक्षपीठ का आभारी हूं।

श्री माधवराव सिंधिया: संसदीय कार्य मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्रुद्ध न होवें। कृपया अपने पर नियंत्रण रखें। जब आप अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो सभा पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? मैं गुस्से में नहीं हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यह मुख्य विपक्षी दल के उप-नेता का ही बोलने का एकाधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मैं नेकनीयती से पूछ रहा हूं। वे मेरी चिन्ता से अवगत हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप शांत हो जाएं।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, क्या आप और प्रश्नों की अनुमति दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: हां, कुछ और प्रश्न हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मेरा निवेदन है कि आप सभी प्रश्नों को पूछने की अनुमति दें, उसके बाद में जवाब दें...*(व्यवधान)* यह अन्तहीन वाद-विवाद बन जाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, मुझे याद है जब मैं रेल मंत्री था, वाद-विवाद का उत्तर देते समय सदस्य स्पष्टीकरण मांग करते थे। प्रश्नों के उत्तर देने में कोई हानि नहीं है। इस बारे में वे इतने बेचैन क्यों हैं? हमने नेकनीयती से पूछा है। यह सबकी चिंता का विषय है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मैं श्री के.पी. सिंह देव को अवसर देता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मंत्री जी ने प्रभावशाली बेबाक स्पष्ट और सकारात्मक उत्तर से उत्साहित होकर मैं उनसे अनुरोध करते हुए यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उड़ीसा को कौन सा विशेष पैकेज देने का विचार किया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1999 के अत्यन्त विनाशकारी बाढ़ और भीषण सूखे तथा भयंकर चक्रवात के बाद प्रधानमंत्री जी ने वहां का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा को कौन सा विशेष पैकेज देने का विचार किया है?

उन्होंने उड़ीसा के लिए कौन सा विशेष पैकेज देने का विचार किया है? यह बहुत जल्दी हो सकता है। तथापि, मुझे इस तथ्य से काफी बल मिला है कि उन्होंने कहा कि यह मात्र पहला अनुपूरक बजट हो और बजट तो अभी आना बाकी है।

ब्रिटिश साम्राज्य में उड़ीसा बंगाल प्रेसीडेन्सी का अत्यधिक निर्धन प्रान्त था। महात्मा गांधी ने इसे ''भूख और गरीबी का प्रतिरूप'' कहा था। मेरे दोस्त श्री बिक्रम केशरी देव ने भी उल्लेख किया है कि कालाहाण्डी, जिसे अब भारत का इथोपिया कहा जाता है, में अभी भी भूख से मौतें हो रही हैं।

उड़ीसा सरकार ऋण के शिकंजे में है। मैं जानना चाहूंगा कि उड़ीसा सरकार के इस ऋण शिकंजे का स्थायी समाधान क्या है। 21,305 करोड़ रुपये में से अकेले ब्याज ही 2,030 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है, जो 2005 तक 3,945 करोड़ रुपये होगा। उड़ीसा के राजस्व का 80 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने में चला जाता है। ग्यारह वित्त आयोग, विभिन्न सूत्र और योजना आयोग के संशोधित सूत्र निर्धनता और भूख को नहीं मिटा पाये हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने हाल ही में बताया कि निर्धन लोगों की अधिकतम संख्या उड़ीसा में है। डा. गिरधर गमांग, तत्कालीन राज्य मंत्री, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन ने यहां बताया कि उड़ीसा में 55.17 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि पैकेज विशेष में ऋण शिकंजे का स्थायी समाधान क्या है।

उन्होंने 'स्वप्न बजट' अथवा माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न के बारे में उल्लेख किया है। उड़ीसा के लोगों का स्वप्न सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। उड़ीसा भारतीय संघ में शामिल किया जाने वाला पहला राज्य था, किन्तु वह अभी भी केन्द्र सरकार से कुछ आशा रखता है।

वह सड़क हेतु कर इत्यादि के बारे में उल्लेख कर रहे थे। उड़ीसा उच्चतम न्यायालय द्वारा पाबन्दी लगाये जाने तक खनिजों पर कई हजार करोड़ कर प्राप्त कर रहा था। 1994 से खनन रायल्टी की कोई समीक्षा नहीं की गई है, विशेषरूप से कोयले की, जिसमें से 33 प्रतिशत उड़ीसा में पड़ता है। इसके कारण उड़ीसा को भारी धनराशि का नुकसान हो रहा है। आप कोयले की रायल्टी को कब संशोधित कर रहे हैं?

अगली बात वायु सुरक्षा के बारे में है। माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने साथी श्री शरद यादव से कहा था कि यदि वे इंडियन एयरलाइन्स को एक पैकेज देते, तो वह नवीनतम वायु सुविधायें ले आयेंगे। इण्डियन एयरलाइन्स की तीन सहायक संस्थायें हैं। एक एलायन्स है, दूसरा पवनहंस और तीसरा बंद कर दिया गया है। इन लोगों की कोई यूनियन नहीं है। वे ठेका आधार पर कार्य कर रहे हैं। कोई भी उनके बारे में विचार नहीं करता। वे उड़न-ताबूतों में घूम रहे हैं। हाल ही में जो दुर्घटना घटी, वह उन्हीं के राज्य पटना में घटी, जहां 390 लोग मारे गये। आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? यदि वे स्पष्ट कर सकें और हमें विश्वास में लें तो मैं उनका अत्यन्त आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: 31 तारीख को सभा स्थगित हो जायेगी। यदि वित्त मंत्री को प्रतिवेदन मिल जाता है तो क्या वे सभा को विश्वास में ले सकते हैं और वे यू.टी.आई. की जांच की अन्तरिम प्रगति के बारे में बता सकते हैं। क्या वे सभा को आश्वस्त करेंगे कि उस तिथि तक जी.आई.सी. और एल.आई.सी. द्वारा निगमित संस्थाओं में जांच-पड़ताल उन वित्तीय संस्थानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये पूरी तरह स्थिर है और कि वे अगले सत्र में वह ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि विभिन्न कारणों से जी.आई.सी. और एल.आई.सी. ठप्प हो गई है?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैं राज्य इत्यादि के बारे में पूछने नहीं जा रहा हूं, मैं घटती हुई वृद्धि दर के बारे में पूछने जा रहा हूं। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि भारत में वास्तविक ब्याज दरें अत्यधिक ऊंची हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण, भारतीय उद्योग गैर- प्रतिस्पर्द्धी बन रहे हैं। वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इसे प्रतिस्पर्द्धी बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि वास्तविक औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी और देश में 5.2 से 6.2 अथवा अधिक विकास दर की वृद्धि होगी। इस संबंध में मंत्रालय क्या अपेक्षा कर रहा है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, गैर-योजना व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकार फिजूलखर्ची को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है? 1996-97 में जी.डी.पी.

का 13.9 प्रतिशत खर्चा था जो 1999-2000 में 15.2 प्रतिशत हो गया। जब कभी फिजूलखर्ची रोकने की बात होती है तो सरकारी कर्मचारियों को निकालने की बात आती है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से और दूसरे देशों से हमने जो कर्जा लिया है, उस पर वचनबद्धता करार होता है।

इसके लिए हमें कमिटमेंट चार्ज देना पड़ता है कि एक निश्चित अवधि के अंदर यह ऋण खर्च होना चाहिए, वरना इतने पैसे देने के लिए आप बाध्य हैं। भारत सरकार ने अभी पांच वर्षों के 254 करोड़ रुपए वचनबद्धता करार के तौर पर दिए हैं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के समय हमारे देश में जो परियोजनाएं शुरू हुई थीं, उनमें से दस परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी पूरा नहीं की जा सकी हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी आपने क्रूड ऑयल की बात की थी, जब हमारे देश में डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़े तो यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, और यह 37 डालर पर बैरल हो गया था, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम डीजल और पैट्रोल का दाम बढ़ाएं।

महोदय, मेरी जानकारी में क्रूड ऑयल का दाम अब कम हो गया है और हमारे तेल पूल का घाटा भी कम हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार डीजल का दाम घटाने का काम करेगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सुमन जी, यह डिबेट नहीं है, केवल सवाल पूछना है।

[अनुवाद]

अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जब मैं वाद-विवाद शुरू कर रहा था, तो माननीय वित्त मंत्री जी को उस समय मेरे द्वारा उठाये गये अधिकतर प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं मिला। सबसे पहले मैं उल्लेख करूं कि मैंने लोक लेखा समिति के कुछ प्रतिवेदनों से अध्याय और पंक्ति उद्धृत की है। माननीय प्रधानमंत्री भी कुछ वर्ष पहले लोक लेखा समिति के सभापति थे। लोक लेखा समिति ने एक बार नहीं अपितु दस बार एकमत से अपने प्रतिवेदनों में निष्कर्ष दिया है कि समय-समय पर सरकार द्वारा अनुपूरक के माध्यम से जो मांग की गयी है उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है और न ही वह पैसा खर्च किया गया है। पुनर्विनियोग का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। मैंने गत वर्ष के पूरक बजट का उदाहरण दिया था। अनुपूरक मांगों के माध्यम से मांगे गये 230 करोड़ रुपये में से एक रुपये का भी वास्तव में उपयोग नहीं किया गया क्योंकि वे बिना व्यय किये पड़े रहे। मेरा विचार है कि अनुपूरक बजट संबंधी इस प्रमुख मुद्दे का माननीय वित्त मंत्री द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है।

जब वे सार्वजनिक व्ययों पर संसदीय नियंत्रण रखने के प्रश्न पर आते हैं, जो कि इस सभा का मुख्य कार्य है, मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ने इस बारे में चुप रहने का निर्णय लिया है।

दूसरे, उन्होंने बखूबी लघु बचतों के अन्तरण द्वारा राज्यों के वित्तीय घाटे के अन्तरण के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे का 80 प्रतिशत राज्यों को अन्तरित कर दिया गया था और केवल 20 प्रतिशत केन्द्र सरकार के पास रहा है। क्या यह सच नहीं है कि जब आप कुल वित्तीय घाटा आंकते हैं तो यह राज्यों और केन्द्र दोनों के लिये होता है। यहां तक कि यदि आप 80 प्रतिशत राज्यों को अन्तरित कर देते हैं तो भी इसका अन्ततः राष्ट्र को भुगतान करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को भुगतान करना पड़ता है। मुझे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय वित्त मंत्री ने एक जगह उल्लेख किया है, ''हमने 80 प्रतिशत का राज्यों को अन्तरण कर दिया है। अतः हमने वित्तीय घाटे के बोझ को हल्का कर दिया है।'' मैं चाहूंगा कि वे इस मामले पर स्वयं को सही कर लें।

अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं। उत्तर देते हुए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण न दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैंने वाद-विवाद प्रारम्भ किया था। अतः मैं मुख्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने का पात्र हूं। उन्होंने सही कहा है कि तीसरे विश्व में कम व्यय करने, मन्दी, मुद्रा अवमूल्य और संवेदी सूचकांक के गिरने संबंधी इस नये आर्थिक परिदृश्य में विकासशील देशों का मार्गदर्शन करने के लिये भारत क्या कर रहा था। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ''मैं सभा को इस बारे में विस्तार से बताऊंगा कि भारत इस संकट का सामना करने के लिए तीसरे विश्व के देशों का मार्गदर्शन करने के लिये आई.एम.एफ. में क्या कर रहा है। उन्होंने जापान और ऐसी ही हर एक प्रत्येक चीज का उल्लेख किया।'' किन्तु उन्होंने अपने उत्तर में कुल मिलाकर इस मुद्दे को छोड़ दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वह इस सभा को विश्वास में लेंगे। मूडी स्टैण्डर्ड तथा पुअर संगठन हमारे रुपये का अवमूल्यन क्यों करते है?

इसने सम्पूर्ण लाइन में सब कुछ को प्रभावित किया है। भविष्य प्रभावित है। विश्व के स्टैण्डर्ड, पुअर और मूडी संगठनों

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की अवनति क्यों हुई और इससे हमारे धन का प्रतिभूतियों का अवमूल्यन क्यों हुआ है?

बहुत से प्रश्न हैं, जो पूछे जा सकते हैं। मेरे अधिकतर प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं। अत: मैं उनका उत्तर चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, यदि आप मुझे दो घण्टे और दे दें, तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। मैंने प्रत्येक मुद्दे पर ध्यान दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: कल जो हमने कहा था उस पर मैं एक मिनट का समय आपसे चाहूंगा। आज 54 वर्ष की आजादी के बाद भी देश की जनता गरीबी के कगार पर खड़ी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सिंह साहब, आप हमेशा ऐसे खड़ो हो जाते हैं। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: आज 54 वर्ष के बाद भी लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दो वक्त का खाना वे नहीं खा पा रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है। आप हर बार खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आपने मुझे अवसर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही चर्चा में भाग ले लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैसीमुथियारी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने आई.आई.एस.सी.ओ. के बारे में पूछा है। आई.आई.एस.सी.ओ. में 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में बहुत अच्छी कम्पनी है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्पर्क किया और उन्हें बताया कि एम.ई.सी.ओ.एन. से केवल 500 करोड़ रुपये की कम लागत परियोजना आई है और पहली किश्त केवल 150 करोड़ रुपये की है।

जब वे कह रहे हैं कि यदि किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कोई ठीक-ठाक है, तो वे उसके पुनर्गठन के लिए प्रत्येक प्रयास करेंगे। महोदय, आई.आई.एस.सी.ओ. एक सही मामला है और एम.ई.सी.ओ.एन. ने इसकी सिफारिश की है। जहां तक मैं जानता हूं यह सरकार के भी विचाराधीन है। किन्तु माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता: महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी यूनियनें सहयोग करेंगी।

श्री रूपचन्द पाल: उन्हें कुछ नहीं पता*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सेनगुप्ता, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रूपचंद पाल: मैंने डनलप इण्डिया लिमिटेड के बारे में एक और प्रश्न किया है। यह एक अच्छी कम्पनी है, एक अच्छा ब्राण्ड नाम है। इसकी बाजार में अच्छी बिक्री है और यह रक्षा बलों के लिये सबसे अच्छी किस्म के ऐरो-टायरों का उत्पादन करती है। ये सरकार का एल.आई.सी., जी.आई.सी. और यू.टी.आई. के साथ 34 प्रतिशत नियंत्रण है। सरकार ने परिभाषित किया है कि सरकारी नियंत्रण के रूप में 26 प्रतिशत नियंत्रण पर्याप्त है, किन्तु यहां उनका 34 प्रतिशत*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमान पाल, कृपया प्रश्न पूछें। यहां भाषण न दें। आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत-पत्र निकालने के लिये तैयार है ताकि जो चल रहा है, उस पर गहराई से जाने का बेहतर अवसर मिल सके। इस तरह सरकार इस सभा के साथ बातचीत कर सकती है और हम बेहतर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि पहली बार इस वर्ष का बजट बिना, बहस के पास हो गया। उस पर न कांग्रेस और न ही सत्ता पक्ष बहस कराना चाहती थी। तहलका मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ। यदि बजट पर कोई बहस चाह रहा था तो समाजवादी पार्टी चाह रही थी। सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों डर रहे थे कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: देश के दो परसैंट लोग अमीर होते जा रहे हैं। 90 परसैंट जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। गांव में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं और पीने के लिए पानी नहीं है। मेरा कहना यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे जिससे गरीब जनता तक पैसा पहुंच सके।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती मनाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय समिति ने घोषणा की थी कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लेकिन सप्लीमैंटरी बजट में केवल 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह प्रधान मंत्री के वचन का पालन करने के लिए फिर से सप्लीमैंटरी डिमांड्स लाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में 'केबीके' के लिए दीर्घकालिन कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसे कब स्वीकार किया जाएगा। इसमें पहले ही विलंब हो गया है। अत: माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि यह तुरंत स्वीकृत हो। महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखना चाहता हूं। मैं इस दस्तावेज को अधिप्रमाणित किए देता हूं। यह उड़ीसा सरकार का दस्तावेज है। मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं।*

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो पहले ही रखा हुआ है। अब माननीय वित्त मंत्री बोलें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या मुझे इसको सभा पटल पर रखने की अनुमति मिल सकती है?...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सभा में चल रही दूसरे दौर की चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, मैं आपको फिर भी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)***

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर कोई भी मंत्री नहीं दे सकता है क्योंकि सदस्यगण चार या पांच घंटे बोलते हैं जबकि मंत्री आधा घंटा या 40 मिनट ही बोलते हैं। इसलिए ऐसा संभव नहीं है। जब तक मंत्री को और समय नहीं दिया जाता, सभी मुद्दों का उत्तर देना संभव नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय की कमी होती है। आप कृपया कम समय में ही उत्तर दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, मैं प्रयास करूंगा और पुन: महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनकर उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि अपने भाषण के दौरान मैंने अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में कहा था। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भारत विशेषत:

---

* जिस पत्र को सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी गई, उसे सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में क्या भूमिका निभाता आ रहा है। महोदय, जैसा कि सभा को ज्ञात है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का देनदार नहीं है। हमने उनसे ऋण लिया है।

हमने उनके ऋण का एक-एक डॉलर चुका दिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का देनदार नहीं है बल्कि इसका संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। हमें विश्व की 20 सर्वांगी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया है। इसीलिए भारत को नए समूह जी-20 में सम्मिलित किया गया है। जी-20 वित्त मंत्रियों से मिलकर बना समूह है। वे इस अवसर पर विश्व से संबंधित मुद्दों पर वर्ष में एक बार चर्चा करते हैं। जी-20 की पहली बैठक 1999 में बर्लिन में हुई थी। दूसरी बैठक 2000 में मांट्रियल में हुई थी। सभा को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जी-20 की तीसरी बैठक नवम्बर में दिल्ली में होगी और भारत जी-20 का मेहमान होगा।

महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की विकास समिति का वर्तमान अध्यक्ष हूं। यह भारत को दिया गया एक बड़ा सम्मान है। किसी भी भारतीय वित्त मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की विकास समिति का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक हो या जी-20 जैसा कोई अन्य समूह हो, भारत आज विकासशील देशों की ओर से साधिकार बोलने की स्थिति में है। हम यही करते हैं। हमने जी-20 की बैठक का मेहमान बनने का निर्णय इसलिए लिया कि विकासशील देशों की समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यह भूमिका निभाने के लिए आगे आया है। हमारी इस भूमिका को अच्छा सम्मान मिला है और इसे अच्छी तरह स्वीकार किया गया है।

उन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया था वह राष्ट्रीय अल्प बचत के बारे में है। मेरा कहना यह नहीं था कि हम इसे राज्यों को हस्तांतरित कर रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि इसे दो बार गिना जा रहा है—हम इसे अपने बजट में शामिल करते हैं और वे अपने बजट में। इसलिए इसकी दो बार गिनती हो रही थी। निश्चित ही, मुझे मालूम है कि यह राष्ट्रीय वित्तीय घाटे का भाग है और राष्ट्रीय वित्तीय घाटे में राज्यों का वित्तीय घाटा भी दिखाई देगा। इसमें देश का वित्तीय घाटा दिखाई देगा। हमने जो नई व्यवस्था की है उससे इसकी दोहरी गिनती बच गई है।

मैं इस बात को जानता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों का हमेशा उपयोग नहीं होता हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी स्वयं इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं। उन्हें इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालयों के साथ बैठते हैं, जब हम बजट के संशोधित अनुमानों पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो बड़ा दबाव होता है। मंत्रालय अब भी महसूस करता है क्योंकि व्यय के संशोधित अनुमान के लिए चर्चा अक्तूबर या नवम्बर में शुरू होती है। इस समय पर हम बजट के व्यय पर नजर डालना शुरू करते हैं तथा यह निर्णय करना चाहते हैं कि वे कितना खर्च करेंगे। ऐसे मंत्रालय हैं जो समझते हैं कि हम खर्च के अंत तक मार्च कर सकते हैं और वे इसकी मांग करते हैं। कभी-कभी जब मांग जायज लगती है, हम मांग मान लेते हैं। जब हम संसद में आते हैं तब हम अनुपूरक मांगों के बैच में इसकी व्यवस्था करते हैं। ऐसा होने की सम्भावना होती है और ऐसा होता भी है कि कभी-कभी अनुदानों की अनुपूरक मांगें खर्च नहीं होती हैं। इस सभा, संसद की लोक लेखा समिति ने यह बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। हमें इसके बारे में पता है। हम और नियंत्रण कड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बजट यथासंभव यथार्थ हो और हम अनुपूरक मांगों में संशोधित अनुमानों में इस प्रकार की गलती न करें।

जहां तक व्यय में किफायत का संबंध है, श्री सुमन द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, सरकार में पहले ही मितव्ययिता और किफायत के अनुदेश हैं। इनको कड़ाई से लागू किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि हमने जो कड़ा नियंत्रण अपनाया है इसी के कारण हम गत वर्ष भारत सरकार के गैर-योजना राजस्व खर्च पर बहुत नियंत्रण पा सके। इस वर्ष भी हम ऐसा ही नियंत्रण कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि हम भारत सरकार के बजट के गैर-योजना राजस्व व्यय पर कड़ी से कड़ी नजर रखें।

अब मैं ब्याज दरों, नागर विमानन आदि के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। सभा के दोनों पक्षों ने उड़ीसा का प्रश्न उठाया है। मैं आपको बताता हूं कि अनुपूरक मांगों में, माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा कि उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यह प्रावधान इसलिए किया जा रहा है ताकि गरीबों के लिए घर बनाए जा सकें। हम इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए घर बना सकते हैं। यह मांग उड़ीसा सरकार ने की थी। मंत्रिमंडल और उड़ीसा के हमारे मंत्रालय के सहयोगियों ने इसका समर्थन किया था और यही कारण है कि हम यह प्रावधान कर रहे हैं ताकि उड़ीसा या देश के किसी भी भाग में—चाहे उड़ीसा हो या बिहार, चक्रवात प्रभावित जनता के लिए घरों का निर्माण कराया जा सके।

माननीय सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को मुझसे शिकायत होगी और अन्य माननीय सदस्यों को शिकायत हो सकती है कि मुझे बिहार के बारे में उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। बिहार की हालत से सब परिचित हैं। राज्य का बंटवारा झारखंड और

बिहार में करने वाले अधिनियम में यह कहा गया है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। भारत सरकार इस वचनबद्धता पर कायम है। मैं सभा में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी वचनबद्धता पर कायम है। हम सुनिश्चित करेंगे कि यह वचनबद्धता पूरी हो। मेरे सहयोगी योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस मामले को देख रहे हैं। जब भी योजना के संबंध में चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि योजना आयोग बिहार की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य ने बढ़ती हुई क्षेत्रीय विषमताओं की बात कही थी। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ''डिजिटल डिवाइड'' की बात करते रहते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार का ''डिवाइड'' न हो और जब हम 1 सितम्बर को राष्ट्रीय विकास परिषद् में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा करें तो क्षेत्रीय विषमताओं का ध्यान रखा जाये। यह हमारे एजेंडा का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या से हम कैसे निपटें।

यहां मैं दलगत भावना से ऊपर उठते हुए सभा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। एक के बाद एक सदस्य ने यही बात कही है कि भारत सरकार से राज्यों को जाने वाले धन की निगरानी हम किस प्रकार कर रहे हैं। मुझे याद है कि माननीय सदस्य श्री सी.एन. सिंह ने एक बात कही थी और उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी और कहा था कि भारत सरकार की अनेक योजनाएं धरातल पर नहीं हैं। महोदय, यह संघीय नीति है। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: माननीय मंत्री जी, क्षमा कीजिए। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के राज्यों में कुछ बुरी तरह से उपेक्षित क्षेत्रों को आप किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करेंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी अनेक समस्याएं हैं। उन क्षेत्रों को आप किस प्रकार की गारंटी देंगे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: वित्त मंत्री जी आप हमारी बात मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो जहां कांग्रेस बैठी है, आप भी वहीं बैठेंगे। आपकी जगह लोक मोर्चा आयेगा।

श्री यशवन्त सिन्हा: कौन सा मोर्चा इधर आयेगा यह तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं कह रहा था कि राज्य सरकारों को हम विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं और यहां जब भी मैंने चर्चा में भाग लिया तो देखा कि माननीय संसद सदस्यों से जो ध्वनि निकली है वह यही निकली है कि जमीन पर जिस तरह से उनकी सच्चाई में परिणति होनी चाहिए, वह परिणति नहीं हो रही है और उसमें मैम्बरों की जो भागीदारी होनी चाहिए, वह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारें पार्लियामैन्ट के सदस्यों से भी छिपाकर बहुत सी जगहों पर काम कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): आर्थिक सुधारों पर तो काम हुआ है लेकिन प्रशासनिक कार्यों पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। उस पर आपने कुछ नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि छोटे निवेशकों के मुद्दे पर उत्तर दें।

श्री यशवन्त सिन्हा: जी हां, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा।

किन्तु यह बड़ा ही मुश्किल और जटिल प्रश्न है। आप भारत सरकार से राज्यों पर किस प्रकार का पर्यवेक्षण करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर फिर किसी दिन अलग से चर्चा करे। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जहां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य सरकारों के विधानमंडलों को राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों को रिपोर्ट करता है, केन्द्र सरकार संघीय सरकार किस प्रकार की भूमिका निभा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए हम केन्द्र सरकार से किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

यह ऐसा मुद्दा है जिसका मैं इस समय उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह मुद्दा केवल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस मामले पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से जरूरतमंद लोगों को पैकेज का लाभ न मिलने से हम चिंतित हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जरूरतमंद लोगों को इस पैकेज का लाभ मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस पर हम मिलकर क्या कर सकते हैं? इसलिए हमें इस मुद्दे को ध्यान में रखना होना।

श्री रूपचन्द पाल द्वारा 'इस्को' डनलप आदि के संबंध में उठाए गए प्रश्न के बारे में उन्होंने स्वयं कहा है कि वे इस्को को पुनः चालू करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस्को को पुनः चालू करने के संबंध में मेरे द्वारा किए गए निजी प्रयासों के बारे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानकारी है और जैसा कि मैंने कहा है कि हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे ताकि यदि सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम में उसको पुनः चालू करने की

[श्री यशवन्त सिन्हा]

कोई गुंजाइश होने पर उसे पुन: चालू कर किया जा सके। तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भगवान महावीर के जन्म शताब्दी समारोह का मुद्दा उठाया उसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे 50 करोड़ रुपये लेकर हम भाग रहे हैं। हम नहीं भाग रहे हैं। वह 50 करोड़ रुपया भी अभी माननीय मंत्री जी के विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। वह खर्च करेंगे इन सप्लीमेंट्री डिमांड्ज के बाद। फिर और रुपया भी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की है, उसको पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा।

महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में कहता रहा हूं। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वस्तुत:, हाल ही में हमने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों तथा सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक की उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुझे निदेश दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दे पर अलग से विचार किया जाए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में सहकारी निधि, बैंक निधि, संस्थागत निधि और विकासात्मक निधि मिल सके। मैंने पूर्वोत्तर राज्यों में व्यक्तिगत रूप से दौरा करने की योजना बनाई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, कृपया उनका उत्तर सुनिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करूंगा। मैं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करूंगा तथा स्थिति की पुनरीक्षा करूंगा सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में सभी तरह की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वोत्तर राज्य भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास करें।

अब मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूं, जिसे मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, श्री माधवराव सिंधिया ने उठाया है। उन्होंने यू.टी.आई., छोटे निवेशकों तथा आमतौर पर वित्तीय क्षेत्र का मुद्दा उठाया है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया। जहां तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है मैंने देखा है कि हम लोगों में डर की मनोवृत्ति पैदा कर रहे हैं। मैं आमतौर पर वित्तीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यदि सभी बैंक जमाकर्त्ता एक ही समय पर बैंक पहुंच जाएं और अपनी जमाराशि वापस चाहें तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक अर्थक्षम बैंक भी कायम नहीं रख पाएगा। यह तो बैंकों को बंद करना है। मेरे विचार से यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि हम समस्या को अनावश्यक रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से न बताएं ताकि यह समस्या विकट लगे जबकि सामान्यत: ऐसा नहीं है। मैं इस माननीय सभा तथा प्रेस दीर्घा में बैठे पत्रकारों से अनुरोध करता हूं।

आई.एफ.सी.आई. आदि को संकट से उबारने के बारे में काफी चर्चा रही है। मैं इस सभा का थोड़ा सा समय लूंगा। आई.एफ.सी.आई. के मामले में मुझे दिसम्बर, 2000 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दिसम्बर, 2000 तक यू.टी.आई. का कोई जिक्र नहीं था। दिसम्बर, 2000 में एक विशेषज्ञ समिति ने आई.एफ.सी.आई. के निदेशक मंडल को इस संस्थान के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बाद जब आई.एफ.सी.आई. ने मंत्रालय से सम्पर्क किया तो हमने उस रिपोर्ट पर विचार किया तथा अंतत: हमने बासु समिति की रिपोर्ट के अनुसार विचार किया कि हमें समस्या से निपटने के लिए आई.एफ.सी.आई. को विभिन्न स्रोतों से 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने चाहिए।

आई.एफ.सी.आई. की मुख्य समस्या क्या है? मैं किसी पर दोषारोपण करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह समस्या मैंने पिछले साढ़े तीन वर्ष में वित्त मंत्री के रूप में पैदा नहीं की है, यह समस्या मुख्यत: पांच वर्ष के लिए जारी बांड तथा अन्य प्रलेखों के माध्यम से जुटायी गई धनराशि तथा दस वर्षों के लिए उसे उधार पर देने के कारण पैदा हुई है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मेरा प्रश्न छोटे निवेशकों के बारे में है।

श्री यशवन्त सिन्हा: इनके कारण यह समस्या पैदा हुई है। इसके लिए हमने उन्हें 400 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है। वस्तुत: यह अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक हिस्सा है और 600 करोड़ रुपये आई.एफ.सी.आई. के शेयरधारकों से आएंगे। सरकार आई.एफ.सी.आई. की शेयरधारक नहीं है। भारत सरकार ने आई.एफ.सी.आई. के अतिरिक्त किसी भी अन्य एजेंसी, वित्तीय संस्थान को संकट से नहीं उबारा है।

महोदय, माधवपुरा बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गुजरात सहायता दे रहा है। अर्बन कोऑरेटिव बैंकों ने एक साथ मिलकर माधवपुरा बैंक को 800 करोड़ रुपये दिए हैं, इस मामले में गुजरात सरकार आगे आई है और उसने इस धनराशि का 30 प्रतिशत देने की गारंटी दी है। शेष 70 प्रतिशत भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर निवेश की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी उस प्रतिभूति से धनराशि नहीं निकाल पाएगा। भारत सरकार माधवपुरा बैंक को संकट से नहीं उबार रही है।

जहां तक तीन कमजोर बैंकों का संबंध है उन्हें संकट से उबारने के लिए सरकार का पैकेज देने का अभी कोई विचार नहीं है और न ही उन्हें ऐसा कोई पैकेज दिया गया है। जहां तक यू.टी.आई. का संबंध है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय वित्त मंत्री, मैंने ये सब बातें नहीं पूछी हैं। मैं तो केवल छोटे निवेशकों के प्रति पूरी सभा की चिंता व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो इस संबंध में यदि कोई किए गए हों तो उनके बारे में पूछ रहा हूं। मैंने और कुछ नहीं पूछा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं मैं थोड़ा समय लूंगा।

जहां तक यू.टी.आई. का संबंध है। सरकार ने यू.टी.आई. को इस मौजूदा संकट से उबारने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। मुझे यू.टी.आई. के बारे में वाद-विवाद का उत्तर देने का मौका नहीं मिला। मैं इस मामले में विस्तार से चर्चा करके सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां तक छोटे निवेशकों का संबंध है, मेरे विचार से यू.टी.आई. ने अगस्त से पुनर्खरीद योजना शुरू की...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहनदेव: यह 2 जुलाई से प्रभावी हुई थी।

श्री यशवन्त सिन्हा: जी नहीं, 2 जुलाई को उन्होंने इसे बंद कर दिया था। अगस्त को यह योजना लागू की गई। लगभग 28 दिन हो चुके हैं। मैं समाचार-पत्र में प्रकाशित आंकड़ों को देख रहा था कि अब तक 102 करोड़ रुपये की पुनर्खरीद की गई है। इस तरह का दबाव आने की आशा की गई थी कि लोग यूएस-64 स्कीम से अपनी धनराशि वापस लेने के लिए यू.टी.आई. की तरफ भागेंगे। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। यह छोटे निवेशकों का यू.टी.आई. की योजनाओं में विश्वास होने का सबूत है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बिलकुल नहीं। सच्चाई कुछ और है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, आंकड़े उद्धृत किए गए हैं। श्री माधवराव सिंधिया ने भी दो करोड़, उनके परिवारों सहित दस करोड़ लोगों के आंकड़े उद्धृत किए हैं। महोदय इसलिए मेरा यह आरोप है कि इस मामले को राजनैतिक रंग दिया गया है। इसमें किसी की रुचि नहीं है। वे केवल इसमें राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बिल्कुल नहीं। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि वह जानबूझकर ब्यौरे नहीं दे रहे हैं। वस्तुत: वह ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। सरकार छोटे निवेशकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है और वे सब बातों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* वे इसका जवाब तक देने को तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने इसे काफी हल्के ढंग से लिया है। माधवराव सिंधिया जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह कोई कम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। मंत्री जी को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सरकार उस राशि की वसूली किस प्रकार करेगी जिसका अन्यत्र उपयोग किया गया है। वह यह नहीं बता रहे हैं, वह तो केवल यही बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है।

उपाध्यक्ष महोदय: उनके उत्तर ने सभी को संतुष्ट कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: आचार्य जी, जब मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे थे तो उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी, संभवत: उनके उत्तर से आप संतुष्ट न हुए हों।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने उनका भाषण सुना था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 3 से 6, 9, 11, 20 से 22, 25, 34, 36, 45, 48, 50 से 52, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 81, 83 और 84 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	10001,00,000	
2.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	388,00,000	...
3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	1,00,000	...
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	...	4489,00,000
6.	उर्वरक विभाग		2676,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
9.	वाणिज्य विभाग	2087,00,000	...
संचार मंत्रालय			
11.	डाक विभाग	1,00,000	
विनिवेश विभाग			
20.	विनिवेश विभाग	450,00,000	23,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	10001,00,000	1,00,000
विदेश मंत्रालय			
22.	विदेश मंत्रालय	2,00,000	...
वित्त मंत्रालय			
25.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान		40000,00,000
34.	प्रत्यक्ष कर		2,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
36.	उपभोक्ता मामले विभाग		327,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
गृह मंत्रालय			
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	346,00,000	...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
48.	महिला और बाल विकास विभाग	1,00,000	...
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50.	भारी उद्योग विभाग		8019,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
51.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	100,00,000	
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
52.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1,00,000	
खान मंत्रालय			
58.	खान विभाग		2601,00,000
पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय			
59.	पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	...	10,00,000
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
61.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	200,00,000	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		16930,00,000
विद्युत मंत्रालय			
64.	विद्युत मंत्रालय	32641,00,000	
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
65.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	27152,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
69.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		15,00,000
70.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	
इस्पात मंत्रालय			
73.	इस्पात मंत्रालय	3678,00,000	1,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कपड़ा मंत्रालय			
76.	कपड़ा मंत्रालय	1,00,000	155,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
78.	संस्कृति विभाग	7425,00,000	...
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
80.	शहरी विकास विभाग	...	78235,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	...	1,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	...	300,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
84.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	...
	कुल जोड़	94478,00,000	225959,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.10 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 28.8.2001 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.13 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 27 अगम्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

महोदय, मैं 27 अगस्त, 2001 को राज्य सभा द्वारा यथापारित भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 को सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 5.14 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उत्पन्न स्थिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं संस्थान की रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन द्वारा एक घटना घटित होने के बाद, जिसमें यूनियन के कुछ कर्मचारी और रेजीडेंट डाक्टर शामिल थे, आंदोलन किए जाने के कारण प्रभावित हुई थी। 22 से 27 अगस्त, 2001 के बीच की अवधि के दौरान बहिरंग रोगी विभाग सेवाएं और कैजुअल्टी सेवाएं प्रभावित हुई थी। तथापि, संकाय द्वारा अंतरंग रोगियों की देखभाल की गई। संस्थान ने रोगी परिचर्या के लिए आवश्यक सेवाओं और सहायक पद्धति के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए एक आकस्मिकता योजना भी तैयार की थी और सभी अनिवार्य व्यवस्थाओं (इंस्टालेशन) पर चौकसी रखी गई थी।

डा. एच. के. तिवारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 22 अगस्त, 2001 को हुई घटना की जांच की। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 5 कर्मचारियों के मामले में निलंबन आदेश जारी किए। साथ ही, आंदोलन की अवधि के दौरान गलत आचरण के कारण 8 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं समाप्त कर दी गई।

22 से 27 अगस्त, 2001 के बीच की अवधि के दौरान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के साथ अनेक बैठकें कीं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों और कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल और ऐसी हड़ताल से पैदा हुई। स्थिति पर स्वत: ध्यान दिया। दिनांक 27.8.2001 को जारी आदेश में माननीय न्यायालय ने सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि 36 घंटों की अवधि के भीतर सेवाओं को सामान्य बनाया जाए। उसके बाद रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल बिना शर्त वापिस ले ली है। अब संस्थान की सभी यूनिटें कार्य कर रही हैं और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सामान्य हो गई हैं।

अपराह्न 5.17 बजे

मणिपुर बजट, 2001-2002—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर) 2001-2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 12 और 13 पर एक साथ विचार किया जायेगा। कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं. 1 से 47 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधानमंडल	22260333	...
2.	मंत्रिपरिषद्	6631000	...
3.	सचिवालय	59750667	...
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	86582333	...
5.	वित्त विभाग	322783667	1100000
6.	परिवहन	5783667	...
7.	पुलिस	498895000	6666667
8.	लोक निर्माण विभाग	236049333	122086667
9.	सूचना और प्रचार	6908000	
10.	शिक्षा	835945000	1333333
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	235336000	333333
12.	नगर निगम प्रशासन, आवास और शहरी विकास	12445000	51401333
13.	श्रम और नियोजन	11174667	
14.	जनजातीय और अनुसूचित जातियों का विकास	191647667	...
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	17176000	10000000
16.	सहकारिता	25572000	333
17.	कृषि	63334667	4433334
18.	पशुपालन और डेरी कार्य सहित पशु चिकित्सा	75262333	...
19.	पर्यावरण और वन	58662667	...

1	2		3
20.	सामुदायिक विकास और एएनपी, आईआरडीपी तथा एनआरईपी	70138333	66666667
21.	वाणिज्य और उद्योग तथा तौल और माप विभाग	47844333	1266667
22.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	70807667	142780333
23.	विद्युत	382000000	7001334
24.	सतर्कता विभाग	2317667	...
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	26646333	3466667
26.	न्याय प्रशासन	20666333	...
27.	चुनाव	4911000	
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	20435333	
29.	वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री कर, अन्य कर/शुल्क	5016667	
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं और आयोजना	46140333	
31.	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण	11058000	
32.	जेल	16461667	
33.	गृह रक्षा वाहिनी	14078333	...
34.	पुनर्वास	2543333	
35.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8468333	
36.	लघु सिंचाई	29961333	35066667
37.	मत्स्य पालन	25935333	41333
38.	पंचायत	15833000	
39.	रेशम उद्योग	23192000	155133333
40.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	87006667	188350000
41.	कला और संस्कृति	9337000	14933334
42.	राज्य प्रशिक्षण अकादमी	1731333	...
43.	उद्यान कृषि और मृदा संरक्षण	48594333	833333
44.	सामाजिक कल्याण विभाग	71853667	
45.	पर्यटन	2781667	4035333
46.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	8253000	...
47.	अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5766667	...
	जोड़	3851979666	879930001

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): महोदय, प्रभारी मंत्री कौन हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वित्त मंत्री थोड़ी दर के लिए बाहर गये हैं। जानकारी लेने के लिए मैं यहां बैठा हुआ हूं।

श्री संतोष मोहन देव: मैं आपके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मुझे किसे संबोधित करना चाहिये।

श्री प्रमोद महाजन: आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वे किसी भी स्थिति में आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे।

श्री संतोष मोहन देव: उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में हमने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया है।

महोदय, वित्त मंत्री वापस आ गए हैं। मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समिति के सभापति नियुक्त किए जाने पर बधाई देता हूं। मैं उनकी उपस्थिति इसलिए चाहता था क्योंकि मैं उन्हें एक परंपरा की याद दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1947 से, जब भी किसी मंत्री को कोई विशेष अभिज्ञान अथवा विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है तो वह सभा के सभी सदस्यों को रात्रि-भोजन के लिए आमंत्रित करता है। यह मंत्री महोदय को प्राप्त-पुरस्कार के समान ही है। अत:, उन्हें परंपरा का पालन करना चाहिए। मैं इसीलिए उनके बारे में पूछ रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति-शासन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था हालांकि वहां छह-सात महीने पुरानी सरकार होने के कारण कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थी। वहां की स्थिति बहुत खराब है। एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ किए गए शांति समझौते की क्षेत्रीय सीमायें अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की सहमति प्राप्त किए बिना बढ़ा दी गई थीं। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र ने इसके विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस मामले में अंतत: समझौते में संशोधन करने पर सहमत होने के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र हैं।

अपराह्न 5.18 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

30 जुलाई को इस चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री जी ने कहा था कि बोम्मई मामले के अनुसार, वह विधान-सभा को भंग नहीं कर सकते थे। उसके पश्चात् उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में विधान सभा भंग कर दी जायेगी, नये चुनाव होंगे और लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जायेगी। हम कांग्रेस पार्टी के लोग यह विश्वास करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार का स्थानापन्न नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो। लोग हमसे यह पूछते हैं कि हमने विधान सभा भंग करने की मांग क्यों की थी। हमने ऐसा इस वजह से किया था कि 60 विधायकों में से गत तीन महीनों के दौरान 48 विधायकों ने पार्टी बदल ली थी। कुछ विधायकों ने तो शपथ ग्रहण से पहले ही दल-बदल कर लिया था।

केवल एक व्यक्ति अपनी पार्टी से संबद्ध रहा और वह व्यक्ति मणिपुर के मुख्य मंत्री श्री रिशांग कीशिंग हैं।

सभापति महोदय, मणिपुर में सारा आंदोलन दो संगठनों अर्थात् ए.एम.एस.यू. और ए.एम.सी.यू. द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने विधान सभा को फूंक डाला और रिहायशी स्थानों पर आक्रमण किया, जिसका मेरा दल समर्थन नहीं करता। परंतु कोई बड़ी गड़बड़ी न फैलाने के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। मणिपुरियों और नागाओं के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। यह किसी एक गुट की दूसरे गुट से कोई आंतरिक लड़ाई नहीं थी। यह आंदोलन केन्द्र सरकार के विरुद्ध था। चूंकि केन्द्र में यही सरकार थी अत: मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि उसे राज्य सरकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना चाहिये।

आज, अभी माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2001-2002 का मणिपुर का बजट लेकर आये हैं क्योंकि पहले विधान सभा ने केवल चार महीने के लिए लेखानुदान पारित किए थे, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। संभवत: वह जानते हैं कि पिछले दो महीने से मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को अपना वेतन नहीं मिला है। अत:, यह मणिपुर बजट तत्काल पारित किया जाना चाहिए।

परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनके बजट में 490.67 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। आवंटनों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि का 10% भाग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यय किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ वहां योजना आयोग है। परंतु बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा,

परिवार कल्याण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आवंटित धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अपितु कुछ आवंटनों में बहुत अधिक कटौती कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है।

क्या वह यह चाहते हैं कि जब नई सरकार का गठन हो तो वह भीख का कटोरा लेकर केन्द्र सरकार के पास भागे? हम मणिपुर की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। अत:, माननीय मंत्री को मणिपुर की जनता को यह संदेश देना चाहिये कि केन्द्र सरकार उनकी मदद करेगी, उन्हें धनराशि प्रदान करेगी और राज्य के विकास में सक्रिय भाग लेगी।

सभापति महोदय, मणिपुर देश के बेहतरीन राज्यों में से एक है, सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। संभवत: हरेक व्यक्ति जानता है कि मणिपुर, कुटीर उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनके शाल, साड़ियां और अन्य अनेक उत्पादों की केवल भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्री के बजट-भाषण में उनके लिए कोई प्रोत्साहन की बात नहीं है।

मणिपुर की एक समस्या कर्मचारियों की अधिकता है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या युक्तिसंगत बनानी होगी। हम सरकारी कर्मचारियों की सही संख्या और सरकारी व्यय से कटौती चाहते हैं। जिन कुछेक क्षेत्रों में अधिक व्यय किया जाता है, उसे कम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय ऋण को अनुदानों में बदल दिया जाये। यदि वह इन राज्यों के ऋण भार को जारी रखते हैं तो वे राज्य चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी राजस्व आय बहुत कम है। नयी नियुक्तियों पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। यदि इस समझौते को लागू किया जायेगा तो इससे राज्य की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

महोदय, राज्य में संसाधन जुटाने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार को वहां बागवानी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। मणिपुर म्यांमार के साथ लगते क्षेत्रों में से एक है। चोरी-छिपे बहुत से भारतीय उत्पादों की वहां तस्करी होती है। कुछ वर्ष पहले, जब श्री पी. चिदम्बरम वित्त मंत्री थे उन्होंने तामू में एक सीमा व्यापार केन्द्र खोला है, जिससे स्थिति में काफी सुधार आया।

म्यांमार के अस्सी प्रतिशत लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। वे मोटर कार और अन्य वाहन प्रयोग करने के अधिक इच्छुक नहीं हैं। अत:, म्यांमार के साथ पुन: खरीद-सुविधा के अंतर्गत मणिपुर में एक साइकिल-कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति-शासन काल के दौरान इस मामले पर विचार किया जाये।

मैं एक विशेष मुद्दे की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संभवत: उन्हें इसके बारे में बताया गया होगा। संयुक्त सचिव स्तर से लेकर चपरासी तक के पद पर, विशेष रूप से नागा-समुदाय के राज्य सरकार के लगभग 12000 कर्मचारी पिछले पांच महीनों से नौकरी पर नहीं जा रहे हैं। राज्यपाल और उनके सलाहकार उनको विश्वास पैदा करने हेतु कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के लोग उनके विरुद्ध नहीं हैं। ऐसा नये समझौते की वजह से हुआ है। नागा समुदाय के कुछ विद्यार्थी गुटों ने उनसे यह अपील की है कि उन्हें सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना होगा। अब स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। हम ऐसी सरकार कैसे चला सकते हैं जिसमें 12000 कर्मचारी अपने काम पर न जाएं। कर्मचारी संगठनों को राज्यपाल उनके सलाहकारों और विधायकों के साथ चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्हें काम पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कुछ विधायकों ने मुझे फोन पर बताया गया है कि सभी दलों के विधायकों का समूह अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए सेनापति जाना चाहता था। परंतु उन्हें वाहन, सैन्य सुरक्षा अथवा एस्कोर्ट नहीं दी गई। ऐसा क्यों है? मणिपुर में रेल संपर्क नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर एक छोटी लाइन गुजरती है और जिरीबम तक जाती है। रेल सम्पर्क उपलब्ध न होने का एक बहाना है कि जो उपलब्ध है उसी का बहुत कम इस्तेमाल होता है। वहां सड़क परिवहन सबसे अधिक लोकप्रिय है। पिछले एक माह से वहां पेट्रोल, डीजल और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कमी हो गई है। ऐसा क्यों है?

मणिपुर और नागालैंड के बीच 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिस पर उग्रवादियों ने नियंत्रण कर रखा है। उन्होंने एक गेट बनाया हुआ है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के सामने ही प्रति ट्रक 5,000 अथवा 10,000 रुपये वसूलते हैं। मणिपुर की जनता की यह मांग है कि इस रुकावट को दूर किया जाये। यह कोई अच्छी बात नहीं है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके यहां ऐसी कोई रुकावट नहीं है। परंतु जब वे मणिपुर में प्रवेश करते हैं, तो नागा लड़कों अथवा नागा विद्यार्थियों का एक गुट है जो मुइवाह के योजनानुसार काम करता है। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका एकमात्र उत्तर सेना है। लोग सेना से डरते हैं क्योंकि सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. स्थानीय लोगों के साथ किसी प्रकार विवाद नहीं चाहते। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मुझे उम्मीद थी कि गृह राज्य मंत्रियों में से एक राज्य मंत्री यहां उपस्थित रहेंगे। दुर्भाग्य से कोई भी नहीं है। मैं वित्त मंत्री

[श्री संतोष मोहन देव]

और श्री टी.एच. चाओबा सिंह जो नागालैंड मणिपुर क्षेत्र से निर्वाचित हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे इस विशेष समस्या पर विचार करेंगे। यदि सड़क परिवहन पर रोक लगा दी जाये, तो मणिपुर में गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा।

वित्तीय मामलों में भी मणिपुर संकटग्रस्त है। वर्तमान में मणिपुर में कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है। यह विश्व के शीर्षस्थ पर्यटन केन्द्रों में से एक था। मणिपुर का पर्यटन विकास राज्य के लिए राजस्व आय का अच्छा स्रोत साबित हो सकता है, परन्तु दुर्भाग्य से, इसमें बहुत कमी आ गई है। इस पर ध्यान देना होगा और स्थिति में सुधार करना होगा...*(व्यवधान)*

महोदय, जब आप इस ओर से बोलते हैं तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। उस पक्ष में जाने के उपरांत आप कुछ और बन जाते हैं। मैं पांच-छह मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरी पार्टी में अन्य वक्ता भी हैं।

अब आतंकवादी धन जमा कर रहे हैं। यह बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुटीर उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मणिपुर के कुटीर उद्योग से निर्मित वस्तुएं संपूर्ण विश्व में पसंद की जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने ताइपेइ मुकडोम विद्युत परियोजना की तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र 1600 मे.वा. की ऊर्जा का उत्पादन करेगा। हमारी प्रार्थना पर माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही आधारभूत संरचना के विकास के लिए 25 करोड़ रु. प्रदान किए हैं। परंतु दुर्भाग्य से समझौता ज्ञापन जिस पर मणिपुर सरकार, मिजोरम सरकार और असम सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाने थे, अभी तक नहीं किए गये हैं। इसका क्या कारण है? मणिपुर सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने परियोजना रिपोर्ट में कुछ समायोजना की मांग की थी। वे चाहते थे कि बांध की ऊंचाई कम की जाए और बांध के परिसर में आने वाले गांवों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम जोरशोर से और प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है मणिपुर सरकार और केन्द्र सरकार में कुछ मतभेद था। परियोजना पर तीन सैन्य बलों की तैनाती ने ही बिजली के प्रति यूनिट दर को अव्यवहार्य बना दिया है। अब भारत सरकार इस बात को मान गई है कि वह केन्द्र से सुरक्षा बल मुहैया कराएगी। परंतु वह उस अवस्था में है जहां उसे हमारे परामर्शदाताओं की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दल इसके लिए सहमत हो गये हैं। श्री टी.एच चाओबा सिंह को भी इसकी जानकारी है। उस क्षेत्र से संसद के एक और सदस्य इस विषय पर बोलेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि जनता भी यह परियोजना चाहती है। मैं विशेषरूप से वित्त मंत्री महोदय से निवदेन करूंगा कि इस सत्र के बाद वह ताइपेई-मुकडोम परियोजना पर एक बैठक बुलाएं। उसमें वे विद्युत मंत्रालय को और साथ ही इसमें शामिल तीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। आपने कहा कि आप असम जा रहे हैं। यदि आपके प्रयास से ताइपेइ-मुकडोम परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह आपके लिए एक उपलब्धि होगी। योजना आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है और आपने अगले पांच वर्षों के लिए वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दे दी है। अब आधारभूत संरचना के विकास का आरंभ होना चाहिए। इससे न केवल असम, मणिपुर और मेरे क्षेत्र की बैरक घटी में आवारा घूमने वाले इंजीनियर्स के पास एमबीए पास युवकों को लाभ होगा अपितु बाढ़ की दृष्टि से मेरे इलाके को भी लाभ होगा। इससे बहुत बड़ी धनराशि की बचत होगी। पंजाब की तरह हम खाद्यान्नों को उगाते हैं। परंतु हमारे यहां प्रत्येक वर्ष दो या तीन बार बाढ़ आती है जिससे फसलें बर्बाद हो जाती है। यह वह परियोजना है जिसे इंदिरा गांधी ने हमें दी थी, राजीव गांधी ने इसे आगे बढ़ाया और वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसकी मंजूरी दी। इस परियोजना को हमारे निवेदन पर प्रधान मंत्री ने मंजूरी दी थी। आपने भी इसके लिए निधि देकर हमें अनुगृहीत किया। योजना आयोग ने हमें बताया कि वित्त मंत्री इस बात पर समहत हैं और कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। यह केन्द्र सरकार की नीति है। सौभाग्य से आज आप यहां बजट पारित करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि आप इसे शीघ्र पारित करेंगे।

जैसा कि मैंने कहा है समझौता ज्ञापन पर 1999 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने हस्ताक्षर किए थे जो राज्यों के वित्तीय सुधारों के लिए एक सड़क मार्ग का नक्शा बनाएंगे। मैंने इसे पढ़ा था। यह बहुत ही सकारात्मक और उत्साहजनक है। यह राज्यों को संकेत देता है कि इतना करना है इससे अधिक नहीं। हालांकि मैं पूर्वोत्तर राज्य से हूं मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। आप और अन्य दूसरे लोगों ने भी यह कहा है। धनराशि तो मिल रही है परंतु धनराशि के दुरूपयोग के कारण यह वित्तीय परिसम्पत्ति में नहीं बदल पा रही है। यदि आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि धनराशि तो खर्च हो रही है परंतु दुर्भाग्य से धनराशि परिसम्पत्ति में नहीं बदल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हम राजनीतिज्ञों जो शासन चलाते हैं को पता नहीं होता कि इन निधियों का उपयोग कैसे करें। कभी-कभी हमें आतंकवादी बाध्य करते हैं कि धनराशि का एक भाग इन लोगों को दें।

इसलिए, मैं अन्य बातों जैसे समझौता, झगड़े इत्यादि के विस्तार में नहीं जाना चाहता। जब मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर बोलेंगे तो वह इस विषय को उठाएंगे। मैं केवल बजट और साथ ही वर्तमान स्थिति पर ही बोलना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर

महसूस करता हूं कि जैसा कि पिछले सत्र में वचन दिया था। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा चुनाव करवाने की निश्चित घोषणा की जानी चाहिए। चुनाव की घोषणा की जानी चाहिए अन्यथा इसका संकेत गलत पहुंचेगा क्योंकि हमें असामान्य कदम उठाने पड़ेंगे। विधान सभा जो सिर्फ छः महीने पुरानी थी, उसे कई कारणों से बर्खास्त करना पड़ा जिसका खुलासा में अभी नहीं करना चाहता। विधान सभा के सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं था। उन पर कई कार्य करने के लिए जिन्हें नहीं किया जाना था आतंकवादियों का दबाव था। इसलिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि राज्यों के हितों की रक्षा के लिए चयनित प्रतिनिधि होने चाहिए। जैसा कि मैंने शुरूआत में कहा था राष्ट्रपति शासन निर्वाचित सरकार का कोई स्थानापन्न नहीं है। छात्र और लोग कहते हैं कि उन्हें अपने प्रतिनिधि सही ढंग से चुनने का मौका मिलना चाहिए। जो अच्छे, प्रभावशाली ईमानदार और सत्यनिष्ठ हैं उन्हें वे चुनकर लाने का प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जब आप पूर्वोत्तर और मणिपुर का दौरा करेंगे आप उस क्षेत्र के लोगों को अच्छा संदेश देंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैं धारा 2 के नियम 376 और नियम 389 जो अध्यक्ष को अवशिष्ट शक्तियां देता है, के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है और इसलिए वस्तुतः यह गृह मंत्रालय है जो मणिपुर का शासन चला रहा है। यह बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में गृह मंत्रालय के कुछ प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए यहां उपस्थिति रहें। कुछ मिनट पहले श्री ईश्वर दयाल स्वामी यहां उपस्थित थे, परंतु जैसे ही चर्चा आरंभ हुई वे कक्ष के बाहर चले गये। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सत्तारूढ़ पक्ष के लोग गृह मंत्रालय से किसी मंत्री से यदि गृह मंत्री नहीं तो कम से कम इसके प्रभारी राज्य मंत्री से सभा के कक्ष में आने के लिए कहें।

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर): महोदय, मैं मणिपुर की तीन या चार दिनों की स्थिति का वर्णन करना चाहता हूं। मैं इससे नाखुश हूं। परंतु मैं आज रात इसके लिए यहां बैठने वाले संसद सदस्यों को दोष नहीं दे सकता। इसके लिए मणिपुर की जनता या हम स्वयं दोषी हैं। यह सत्तारूढ़ रही अनेक सरकारों के सर्वोच्च स्तर विशेषकर गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति के कुप्रबन्धन का नतीजा है।

मणिपुर की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आज मैं, चूंकि मणिपुर के बजट पर चर्चा चल रही है दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री इस दिशा में कार्रवाई करेंगे।

चूंकि मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन है मणिपुर राज्य के विधानमंडल के अधिकार केन्द्र के पास हैं। इसलिए मणिपुर के वर्ष 2001-2002 के बजट को केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्व खाता, पूंजी खाता और सरकारी खाते में लेन-देन पर विचार करते हुए, वर्ष 2001-2002 का मणिपुर बजट केवल 498.67 करोड़ रुपये के घाटे पर बंद हुआ। यह एक छोटे राज्य के लिए बड़ा घाटा है। परंतु मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि सामाजिक क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट निधि को बहुत घटा दिया गया है।

इससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री संतोष मोहन देव ने भी यह बात उठाई थी कि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय बहुत कम हो गया है चाहे वह शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण या जनजातीय और अनुसूचित जातियों के विकास क्षेत्र से था। इन सेवाओं में निधि के आवंटन में बहुत कमी आई है। मुझे इस कमी के पीछे का औचित्य समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस संबंध में हमें कुछ बताएं।

राज्य सरकार कर्मचारी एक तरह से राष्ट्रपति शासन से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें अब नियमित वेतन मिलेगा। यह जाना-माना तथ्य है कि मणिपुर सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत होती थी। कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता था अब वे आशा करते हैं कि केन्द्र उन्हें नियमित वेतन देगा।

स्पष्ट रूप से कहूं तो राज्य की वित्तीय स्थिति सचमुच बहुत खराब है। मणिपुर की वित्तीय स्थिति पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से और बिगड़ गयी है। सभा को यह जानकर अचंभा होगा कि 31 मार्च, 2000 तक की मणिपुर की कुल देनदारी 1,800 करोड़ रुपये थी। जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। प्रेस रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और नागालैण्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वह वित्तीय सुधार कार्यक्रम की शुरूआत कर सकें। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार को नयी नियुक्तियों को रोकना होगा सरकारी व्यय पर अंकुश लगाना और वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन करना होगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वित्त मंत्री ने अर्थोपाय की अग्रिम राशि और खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण उन पूर्वोत्तर राज्यों को जिन्होंने केन्द्रीय वेतनमान अपनाया है, मदद करने के लिए दी है। मणिपुर के मामले में भी इस प्रकार के तरीके से निश्चित ही सकारात्मक बदलाव होंगे। जब यह राष्ट्रपति शासन के अधीन है तो यही समय है जब मणिपुर में विश्लेषात्मत और मान्य वित्तीय सुधार कार्यक्रम को अपनाये और लागू किये जायें।

[श्री होल्खोमांग हौकिप]

हम शून्य आधारित बजट की आजमाइश कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इसे वित्त मंत्री और केन्द्र सरकार गंभीरता से लेंगे या नहीं। एक बार श्री यशवंत सिंहा ने शून्य आधारित बजट के तरीके के इस्तेमाल की बात कही थी मैं नहीं जानता वे गंभीर थे या नहीं। सच तो यह है कि शून्य आधारित बजट की आवश्यकता पीटर पायर्हर ने 70 के दशक में प्रतिपादित की थी। जिम्मी कार्टर जो अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ने इसे 1979 के फेडरल बजट की तैयारी करते समय लागू किया था। इसके बाद विभिन्न सरकारों ने शून्य आधारित बजट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग भाग में स्वीकार किया है। शून्य आधारित बजट का अर्थ है विगत को भुला दिया जाए वर्तमान को बिल्कुल साफ माना जाता है और सभी विभागों की शून्य से शुरूआत करनी होती है।

इसके तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं:- (1) क्या हमें खर्च करना चाहिए? (2) हमें कितना खर्च करना चाहिए? (3) हमें कहां खर्च करना चाहिए?

हम शून्य आधारित बजट का प्रयोग मणिपुर जैसे छोटे राज्य में कर सकते हैं। हम यह पता कर सकते हैं कि ऐसी प्रणाली अपनाने से अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति को किस प्रकार सफलतापूर्वक सुधारा जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शून्य आधारित बजट राज्य की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति में निश्चित रूप से सुधार लाएगा।

अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वर्ष के बजट भाषण में श्री यशवन्त सिन्हा ने 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निगरानी योग्य वित्तीय सुधारों को लागू करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 10,607 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इस धनराशि का उपयोग शून्य आधारित बजट के प्रयोग हेतु किया जा सकता है विशेषकर जब केन्द्र मणिपुर राज्य का शासन चला रहा है।

अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य को वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ उपाय तत्काल किए जाने चाहिए। मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं जो इस प्रकार से हैं: पहला ये कि सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम की जानी चाहिए। हाल ही में 14,000 अतिरिक्त कर्मचारियों का राज्य प्राधिकरण द्वारा हटाया जाना इस दिशा में सही कदम है। जो माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं उन्होंने इसे 12,000 बताया है। लेकिन यह 12,000 नहीं बल्कि 14,000 या इससे अधिक है। दूसरा मेरा यह सुझाव है कि सरकारी खर्चों में कटौती करके इसे न्यूनतम स्तर तक किया जाना चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार के ऋणों को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए और चौथा सुझाव यह है कि अगले 10 वर्षों तक तदर्थ, अंशकालिक और अस्थायी सहित कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए मैं कतिपय दीर्घकालीन उपाय सुझाना चाहता हूं। संसाधन जुटाने और रोजगार सृजन के लिए हमें तीन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिन पर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। ये क्षेत्र हैं—पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य और बागवानी। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मणिपुर संभावित राज्य है। लेकिन दुख की बात है कि इसके लिए केवल 2 करोड़ रुपए ही प्रदान किए गए हैं। हम मणिपुर से होकर भारत-म्यांमार व्यापार को तामू तक नहीं बल्कि मोरे तक बढ़ा सकते हैं और इसका संवर्धन कर सकते हैं। पहले बोलने वाले माननीय सदस्य तामू, जो म्यांमार में है, के बारे में बोले हैं। मोरे पूर्वोत्तर के मध्य में है। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका मणिपुर की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर विकास किया जा सकता है। वहां की पहाड़ियों को संतरे, नीबू, अन्नानास और अन्य नकद फसलों के बागानों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

अन्त में, मैं वर्ष 2001-2002 के लिए मणिपुर के बजट को पारित कराने हेतु माननीय वित्त मंत्री का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मणिपुर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखें। यह एक अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जहां साक्षरता दर अत्यधिक है। केवल दिखावटी रूप से एक के बाद एक आर्थिक पैकेजों की घोषणा से लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हमें एक दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ देना चाहिए। राज्य केन्द्र को दोषी ठहरा रहा है और केन्द्र राज्य को दोषी ठहरा रहा है। बजाय इसके, देरी होने से पहले केन्द्र और राज्य को मिलकर इस मामले में गंभीरतापूर्वक कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

पिछले ढाई महीने से वहां पर बंद चल रहा है। केवल परसों ही कुछ ट्रक इम्फाल पहुंचे हैं। ज्यादातर ट्रक और बसें असम में ही फंसे पड़े हैं। नागालैंड ने सहयोग दिया है। असम ने भी सहयोग दिया है। केवल नागा ही मणिपुर में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। माओ गेट से जो नागालैंड और मणिपुर के बीच बाउन्ड्री है वहां कैंग वौकपी तक कुछ समस्या है। अत: हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हमें चावल तथा अन्य आवश्यक सामान और खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। वहां ऐसी स्थिति चल रही है। परसों ही ट्रकों और बसों की आवाजाही शुरू हुई है। वहां जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। हम कहते हैं कि आयाराम-गयाराम की सरकार ठीक नहीं है। हमने विधान सभा को निलम्बित अवस्था में रखा है। हम चाहते हैं कि केन्द्र द्वारा शासित राज्य भी प्रगति करे। लेकिन शान्ति कायम रखने में राज्यपाल विफल रहे हैं। माओ गेट से कैंगपोकपी तक के सिवाय सब जगह शान्ति है। वहां कोई

समस्या नहीं है। परसों दिखाया गया कि सड़क पर बम विस्फोट कर दिया गया था। कुछ लोग जख्मी हुए, और कुछ वाहन नष्ट हुए थे। वहां यह स्थिति है। वहां प्रभावी केन्द्र शासन रहना चाहिए। और मणिपुर में शांति स्थापित होनी चाहिए हमें बेहतर राज्यपाल और राज्यपाल के बेहतर सलाहकार की आवश्यकता है। वर्तमान ढांचा सफल सिद्ध नहीं हो सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मणिपुर बजट का समर्थन करता हूं। इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मणिपुर राज्य के बजट का समर्थन करता हूं। 2 जून, 2001 को मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की गई थी। धारा 356 के अंतर्गत सदन को यह शक्ति प्राप्त हुई है। मणिपुर में वित्तीय संकट उपस्थित हो गया क्योंकि वहां पहले लेखानुदान मांगें और बजट पारित नहीं हो पाया।

राजनैतिक अस्थिरता के कारण हरियाणा में ''आया राम गया राम'' की जो संस्कृति प्रारम्भ हुई थी, उसका सबसे अधिक वीभत्स रूप अगर कहीं देखने को मिला तो वह मणिपुर में देखने को मिला। हमने देखा कि किस प्रकार से 60 विधायकों में से 48 विधायक कभी इधर, कभी उधर, रात में किधर, सुबह किधर और दिन में किधर आये और गये। इस बीच कई सरकारें आईं और गईं। एन.डी.ए. के सहयोगी श्री कोइजम का साथ भी बाद में वे विधायक छोड़ गये और बी.जे.पी. के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए तैयार हो गये। लेकिन मैं बी.जे.पी. के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां इस प्रकार की अस्थिरता को बढ़ावा न देकर अपनी राजनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने सारी स्थिति का अध्ययन करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि स्वयं के राजनैतिक महत्व की परवाह न करके राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है, इसे महत्व दिया। इसलिये मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी और गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने नागालैंड के मुइवा ग्रुप से युद्ध विराम का समझौता किया।

अपराह्न 5.51 बजे

[**श्री बेनी प्रसाद वर्मा** *पीठासीन हुए*]

मणिपुर में राजनैतिक अस्थिरता पहले से थी लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आन्दोलन की स्थिति पैदा हुई, वहां की जनता सड़कों पर निकल आई। लोगों ने सोचा कि मणिपुर राज्य का हिस्सा शायद वृहद् नागालैंड का अंग न बन जाये, इसलिये वहां की हजारों महिलायें सड़क पर उतर आई और आन्दोलन किया। वे लोग अत्यंत ही भावुक हैं। राजनैतिक अस्थिरता के बाद वहां की स्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है इसलिये विधायक लोगों को छिपना पड़ा। उन लोगों की सुरक्षा के लिये सैन्य बलों को नियुक्त करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में एन.डी.ए. की सरकार ने बहुत ही चतुराई से बातचीत करके वहां शान्ति स्थापित की। राष्ट्रपति शासन के बाद वहां की जनता धीरे-धीरे नार्मेल्सी की ओर बढ़ रही है। वहां के नागालैंड और मणिपुर के लोगों में फिर से विश्वास जमने लगा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों के बीच गलतफहमी दूर होनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब मणिपुर में शान्ति स्थापित हो गई तो नागालैंड के कुछ उग्रवादी तत्वों ने मणिपुर आने वाले राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया है। मणिपुर को मुख्य भूमि से जो सामान सप्लाई किया जाता था, वह सारा बंद हो गया है। वहां की जनता को रोजमर्रा की चीजें महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां सैन्य बलों या अर्द्ध-सैन्य बलों को लगाकर ऐसी व्यवस्था करें ताकि भविष्य में अनुचित रूप से वसूली न हो और आवाजाही अबाध रूप से जारी रहनी चाहिये ताकि मणिपुर के अंदर सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधा न पड़े। वहां के लोगों को रोजमर्रा की चीजें वैसी ही उपलब्ध हों जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध होती हैं

सभापति महोदय, मणिपुर का विशेष दर्जा है क्योंकि आजादी का झंडा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में सबसे पहले वहां लहराया गया था जब उन्होंने ''कदम-कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा, यह जिन्दगी है कौम की, तू कौम पर लुटाये जा'' का नारा दिया और भारतीयों को एकत्रित करके देशभक्ति का भाव पैदा किया था। उन्होंने बर्मा की तरफ से सबसे पहले प्रवेश करके मोइरंग नामक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसलिये मणिपुरी लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का भाव है जो देश की मूल सांस्कृतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी कला, नृत्य, भाषा, संस्कृति और वहां के लोगों में भक्ति-भावना बृज और कृष्णमय, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का वातावरण है जो देखने को मिलता है। ऐसी मणिपुरी संस्कृति के अंदर जहां बहुविध नागा हैं, कुकीज हैं, मणिपुरी हैं, पहाड़ी हैं और बार्डर स्टेट है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये मणिपुर की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह सच है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों को और विशेषकर छोटे-छोटे राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है, चूंकि उनका स्वयं का अपना इतना रेवेन्यू नहीं है, वे इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं, परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को अधिकाधिक अनुदान राशि देनी पड़ती है। इस बजट में जैसा बताया गया है कि वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य आयोजना परिव्यय के लिए 375.21 करोड़ रुपये निर्धारित किये

[प्रो. रासा सिंह रावत]

गये हैं और 2001-2002 के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 375.21 करोड़ रुपये में से 292.83 करोड़ रुपये केन्द्र की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य अपनी आयोजना के वित्त पोषण के लिए खुले बाजार से उधार लेने का, प्रकाण्य ऋण का और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और वित्त सहायता प्राप्त योजनाओं के द्वारा भी धनराशि जुटायेगा। इन सारी बातों से पता चलता है कि वह राज्य आर्थिक दृष्टि से इतना आत्मनिर्भर नहीं है। केन्द्र से अधिक अनुदान दिया जाता है इसलिए उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन अब तक वहां गरीबी का वातावरण है, वह पैसा वास्तव में जनता के हित में खर्च होना चाहिए। वहां चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, जो पैसा वहां की जनता के लिए और राज्य के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था वह उसमें खर्च नहीं हुआ। परिणामस्वरूप वहां राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया और वहां उग्रवादी तत्व भी पनपने लग गये और वहां की अखंडता को खतरा पैदा हो गया। मणिपुर की जनता को इस सदन के माध्यम से विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि मणिपुर राज्य की सीमाएं सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगी और उनके राज्य का कोई बंटवारा नहीं किया जायेगा और न ही उनके राज्य को वृहद् नागालैंट में मिलाया जायेगा। उस राज्य की जो सीमाएं प्रारम्भ से थीं, देश में पुनर्गठन होते समय जो सीमाएं मिली थीं, वे सीमाएं सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। यह वहां की जनता को विश्वास दिलाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हम बजट भी पेश कर रहे हैं, सारे पेमेन्ट्स भी होने लगेंगे। योजनाओं में काम भी होगा। लेकिन वहां की जनता का जो विश्वास एकदम से टूट गया था, उस विश्वास को वापिस लौटाने की आवश्यकता है। वहां जल्दी से चुनाव कराकर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कराई जानी चाहिए। ताकि वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास का अवसर मिले और केन्द्र जो धनराशि प्रदान करता है वह उसका पूरा ध्यान रखें, ताकि उसका पूरा-पूरा सदुपयोग हो सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण जारी रखिये और चेयर को एड्रैस कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि इन दिनों गलतफहमी के कारण जो नागा लोग मणिपुर के निवासी हैं, मणिपुर के कुछ इलाकों के रहने वाले लोग हैं, वे एकदम घर-बार छोड़कर डर के मारे शरणस्थलों पर चले गये हैं या अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने शरण ली हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अब वहां शांति स्थापित हो गई है, वहां का वातावरण सुधर गया है, उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया जाए। ताकि वे समझ सकें कि हम मणिपुर में सुरक्षित हैं और नागालैंड में जो अलगाववादी तत्व हैं, उनका उद्देश्य पूरा न हो सके और वहां की जनता समन्वय के साथ रह सके। इस प्रकार का प्रयास इस राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जैसा बजट में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 1220.16 करोड़ रुपये लगाया गया है, वह संशोधित अनुमान की तुलना में थोड़ा कम है। लेकिन इसमें बताया है कि इसमें केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार का अनुदान आदि मिलकर 1116.91 करोड़ हो जायेगा। वहां की आवश्यकताएं पूरी होंगी। मैं समझता हूं कि शिक्षा, सिंचाई, हार्टीकल्चर और पर्यटन इन चार चीजों पर विशेष रूप से अगर मणिपुर में ध्यान दिया जाए और वहां की वन सम्पदा को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाए, उग्रवाद पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए, सैन्य और सुरक्षा बल वहां की संस्कृति और वहां के लोगों की भावनाओं को समझकर वहां शांति स्थापित करने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि मणिपुर बहुत जल्दी वापिस राष्ट्र की प्रगति के पथ में योगदान प्रदान करता हुआ आगे बढ़ सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही शांतिप्रिय राज्यों में आता रहा है। वहां कोई समस्या नहीं थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ और खरीद-फरोख्त में बहुत माहिर है।

सायं 6.00 बजे

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बरबाद कर दिया। बड़ी मुश्किल से 33 विधायक जीते थे, बीएसपी के गठबंधन के बावजूद। उसमें से भी 20 को खरीद लिया गया। अब रह गए 13 जिनमें से एक और को,...*.....*..... उत्तर प्रदेश में जो तोड़-फोड़ की है और सौ मंत्रियों की सरकार बनाई है, वही तोड़-फोड़ इस सरकार ने मणिपुर में शुरू की है। कांग्रेस की सरकार थी, उसको वहां बरबाद कर दिया, तोड़-फोड़ कर दी। समता पार्टी और बीजेपी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का यह गठबंधन बहुत टैम्पोरेरी गठबंधन है, बहुत जल्दी टूटने वाला है। कब टूट जाए पता नहीं। आज ही इस सदन में भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य जायसवाल जी बोल रहे थे और रेल का मुद्दा उठा रहे थे और उसके बाद रेल मंत्री जी की आलोचना

..... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कर रहे थे। झा साहब ने खड़े होकर कहा कि मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। हमने कुछ कहा तो कहने लगे हमारे मंत्री हैं, आपके नहीं हैं। वही बात मणिपुर में हुई और आज जो घटना वहां घट रही है, उसके लिए वर्तमान केन्द्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहां की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मणिपुर की सरकार एक षड्यंत्र के तहत गिराई है। अगर वह सरकार सुचारू रूप से चलती तो शायद यह नौबत न आती। मणिपुर विवाद को भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से हल नहीं कर पा रही है जिस तरह से कश्मीर समस्या को हल नहीं कर पा रही है। कश्मीर में आग गई हुई है, खून बह रहा है। वही हालत मणिपुर में भी हो गई। वहां अरबों रुपयों की क्षति हुई है। केन्द्र सरकारी की हठधर्मी के कारण, विवेकशून्यता के कारण, कमजोर सोच के कारण मंत्री जी को भी घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मंत्रियों की गाड़ियां वहां जला दी गईं, दफ्तर जला दिये गये। वहां इतना नुकसान हुआ कि उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। जो नुकसान हुआ है, केन्द्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। आज केन्द्र सरकार को जो वहां का बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं, शायद यह न करना पड़ता। वहां के लोगों के दिलों में जो दरार पड़ गई है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। उनकी सोच और समझदारी में कमी होने के कारण यह सब हुआ है। निर्णय न लेने के कारण यह सब हुआ है।

महोदय, नेपाल से जहाज हाइजैक होता है और काबुल में उतारा जाता है। पायलट सूचना देता है, मंत्री लोग सोए रहते हैं। किसी को पता नहीं है और कहते हैं कि फ्यूल नहीं है और उसके बाद चाकू के बल पर अफगानिस्तान लेकर चले जाते हैं। अगर सोच और विवेक होता तो मणिपुर में घटना न घटती। बड़ा दुर्भाग्य है मणिपुर के लिए। वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। आपके छोटे से बजट से उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमें दुख है कि एक शांतिपूर्ण राज्य को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने मुश्किल में डाल दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में जो शांति और व्यवस्था बनी थी, उसको यह सरकार कायम नहीं कर पा रही है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। यह सरकार अगर इस्तीफा दे दे तो नागालैण्ड और मणिपुर की समस्या को जल्दी हल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि एनडीए की सरकार वहां की समस्या को बढ़ाती जाएगी, हल नहीं कर पाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में शीघ्र से शीघ्र शांति और व्यवस्था कायम की जाए और सरकार अपनी गलती को माने कि उनकी सोच में कमी रही है, उनकी नीतियां सही नहीं रही हैं। ये हंगामा तो हर जगह करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आग लगा देते हैं, कभी राम के नाम पर कभी किसी और के नाम पर। मणिपुर में इस स्थिति की जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। वहां की भोली-भाली जनता को आपस में लड़ाने की जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाने की जिम्मेदारी भी इस सरकार की है।

सभापति महोदय, यह सरकार कभी नागालैंड और मणिपुर की जनता के बीच में दंगा कराती कभी कुछ और कभी कुछ कराती है। इसलिए मैं इस सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करते हुए मणिपुर को और ज्यादा धन दिए जाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: श्री अय्यर, आपकी पार्टी को कुल 12 मिनट आबंटित किए गए थे, लेकिन आपकी पार्टी के माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव ही 18 मिनट बोल चुके हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप कम से कम समय में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मणिशंकर अय्यर: सभापति महोदय, मैं आपके निर्देश का पालन करते हुए प्रयास करूंगा कि अपना भाषण 12 मिनट में समाप्त कर सकूं।

सभापति महोदय: 12 मिनट में नहीं और जल्दी।

श्री मणिशंकर अय्यर: तो क्या मैं बैठ जाऊं?

सभापति महोदय: नहीं, आप अपना भाषण प्रारंभ करें। मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में बोलें। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैं संक्षेप में बोलने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया जाना जरूरी है।

सभापति महोदय, 27 जुलाई, 2001 को माननीय प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने उनको यह सूचित किया कि वह 14 जून, 2001 को बैंकांक में हुए समझौते से तीन शब्दों क्षेत्रीय सीमा के बिना शब्दों को हटाकर पूर्ववत स्थिति बहाल कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बताया कि मेरे पास 28 जुलाई का "दि हिन्दू" है- कि सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले में एन.एस.सी.एन.-आई.एम. के साथ विचार-विमर्श कर लिया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं "वे इस प्रस्ताव पर सहमत हैं।" महोदय, इसके अलावा हमारे पास उसी तारीख का 'दि इंडियन एक्सप्रेस' तथा 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' है जिसमें इस बात को दोहराया गया है कि माननीय गृह मंत्री ने यह बताया है कि एन.एस.सी.एन.-आई.एम. इस पर सहमत हो गए हैं कि इन

[श्री मणिशंकर अय्यर]

तीन शब्दों को हटा लिया जाये। नि:संदेह हममें से जिन लोगों ने उन्हें दूरदर्शन पर देखा होगा उन्होंने यह अपने कानों से सुना होगा। मैं 29 जुलाई के 'दि टेलीग्राफ' से पढ़ना चाहता हूं अर्थात् 24 घंटे के भीतर ही यह कहा गया जिसे मैं उद्धृत करता हूं; ''एन.एस.सी.एन.-आई.एम. नेतृत्व ने आज रात (अर्थात् 28 जुलाई को) एम्सट्रडम से यह कहते हुए एक वक्तव्य जारी किया कि क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत युद्ध विराम उन्हें स्वीकार्य नहीं है एन.एस.सी.एन.-आई.एम. के सामूहिक नेतृत्व द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि ''केन्द्रीय सरकार के वार्ताकार श्री के. पदमनाभैया के साथ एम्सट्रडम में हुई दो दिनों की वार्ता के दौरान 14 जून के बैंकाक समझौते की समीक्षा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।''

लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही श्री पुलिंग शिमरा, एन.एस.सी.एन. युद्ध विराम निगरानी प्रकोष्ट के संयोजक में कहा कि तथाकथित नागालैंड राज्य के भीतर युद्ध विराम तथा युद्ध विराम विस्तार को रद्द करने से पहले नागा नेताओं के साथ बातचीत करने संबंधी केन्द्र का दावा झूठा है और इसका कोई अर्थ नहीं है। महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के वक्तव्य के बारे में पी.टी.आई. ने अपनी तत्काल प्रक्रिया में कहा मणिपुर में युद्धविराम वापस लिए जाने पर खुशी व्यक्त करने के लिए इम्फाल में आज रात कर्फ्यू को तोड़ते हुए तीन लाख से अधिक लोग सड़कों पर आ गए। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न जिलों में भी हजारों लोगों ने युद्ध विराम संशोधन का स्वागत किया।''

आज कोई नहीं जानता कि एन.एस.सी.एन.-आई.एम. इन तीन शब्दों के हटाने पर सहमत हुए हैं या नहीं।

महोदय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के पिछले 88 दिन मणिपुर के इतिहास के सबसे बुरे दिन रहे हैं। केन्द्र सरकार ने अपने राज्यपाल को जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं, सलाह के बिना ही 14 जून, को जो कुछ किया उसके विरोध में हजारों और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। 27 जुलाई से अर्थात पिछले एक महीने से इस संदेहपूर्ण स्थिति के कारण कि क्या एन.एस.सी.एन.-आई.एम. इन तीन शब्दों के हटाने पर सहमत हुआ है या नहीं, मणिपुर का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, राजनीतिक जीवन वहां नजर नहीं आता है। मणिपुर में ज्यादातर वाहन फंसे पड़े हैं।

राज्य के बहुत से भाग राज्य के अन्य भागों तथा दूसरे राज्यों से अलग-थलग पड़ गये हैं। वहां आर्थिक विकास का कोई प्रश्न नहीं उठता और खुशहाली वापस आने का भी कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति में कृषि, उद्योग, लघु उद्योग और हस्तशिल्प आदि का सामान्य तरह से कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार यहां बजट प्रस्तुत कर रही है और उसका यह दावा है कि अगले 12 महीनों के अंदर बजट लागू कर दिया जाएगा। मणिपुर में किसी भी बजट का लागू करना तब तक असंभव है जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्पन्न राजनीतिक समस्या और प्रधान मंत्री के द्वारा तीनों पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उसके बाद गृह मंत्री के वक्तव्य से मीडिया से उत्पन्न भ्रम का निदान नहीं हो जाता है।

माननीय गृह मंत्री की इन सब समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए और सदन के सामने तथा सदन के माध्यम से इस देश को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए जब मैं 30 जुलाई, 2001 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर हुए वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए मैंने कहा था, ''हमें अभी भी नहीं पता है कि इन तीन शब्दों को हटाने पर हुई तथाकथित सहमति मान्य है या नहीं।'' मैंने यह आज भी कहा, है। ''दि हिन्दू'' में एक समाचार छपा है जिसमें मणिपुर के एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के स्थानीय वरिष्ठ प्रतिनिधि ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने कभी भी 'क्षेत्रीय सीमा के बीना' इन तीन शब्दों को हटाने पर सहमति नहीं दी थी। इसका वाद-विवाद में माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस प्रकार उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है-

मणिशंकर अय्यर जी ने पूछा कि क्या एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) से बात हुई। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनसे बात हुई और उनकी सहमति से ही ये तीन शब्द हटा कर पूर्व स्थिति लाने का निर्णय हुआ है। मैं उसे दोहराता हूं और उनकी सहमति से ही ये तीन शब्द हटा कर पूर्व स्थिति लाने का निर्णय हुआ है। इस पर मैंने उठकर एक और सवाल किया। मैंने कहा, क्या यह दुरूस्त नहीं है कि उनके नुमाइन्दों ने इंकार किया है कि मोइवा साहब ने इसे स्वीकार किया था? यह सवाल मैंने माननीय गृह मंत्री जी से पूछा और जवाब में माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा कि पत्र-पत्रिकाओं में बहुत सारी चीजें छपती रहती हैं लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं, वह सदन में कह रहा हूं। यह हमें बताया गया। क्या होता है? दो-तीन दिन के अंदर श्री पदमनाभैया यह बताते हैं-

इस संबंध में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए मैं कल एम्सट्रडम जाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या आपने कभी सुना है कि एकतरफ श्री पदमानभैया और दूसरी ओर श्री मुईवा का लिखित समझौता हुआ है लेकिन इसमें उनके हस्ताक्षर के बिना ही संशोधन किया जा रहा है।

27 जुलाई से अर्थात् एक माह और एक दिन की अवधि से हम सरकार से उन दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अनुरोध

कर रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो कि जब गृह मंत्री ने इस सभा में कहा कि वे इसके लिए तैयार हैं तब वे सच बोल रहे थे। क्योंकि यहां कहा गया था इसलिए वे तैयार हो गए। हमने कोई दस्तावेज नहीं देखा। हम जानते हैं कि श्री के. पदमनाभैया पुन: एम्सट्रडम गए थे। किंतु हम एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के विचारों के बारे में इतना ही जानते हैं कि वे इन तीन शब्दों के लोप से कभी सहमत नहीं हुए। वे अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को यह कहकर गुमराह किया कि एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) इसके लिए तैयार हो गया है। तत्पश्चात् गृह मंत्री ने ऐसे ही वक्तव्य जारी कर मीडिया और देश को गुमराह किया। तब वे सभा में आए। मैंने 'द हिन्दू' का समाचार पढ़ गृह मंत्री को चेताने का प्रयास भी किया था। वे अब भी कहते हैं कि कोई बात नहीं। जब मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा तो वे खड़े होकर मुझसे कहते हैं कि समाचार-पत्र में जो छपा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इस सभा में जो कहा, वही महत्वपूर्ण है। मैंने यह सोचा कि कम से कम एक माह बाद तो सरकार इस बारे में साफ और स्पष्ट हो जाएगी।

आज, मेरे पास दिनांक 31 जुलाई, 2001 को अध्यक्ष महोदय को दिए गए विशेषाधिकार के प्रश्न पर तत्यात्मक सूचना है। यह मुद्दा बाद में उठाया जाएगा। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

किंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि आज मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा सौंपे गए एक हस्ताक्षरित पत्र में,- ये रहे उनके हस्ताक्षर- उन्होंने जो कहा- हमें यदि आप उसे नजरअंदाज भी कर दें तो भी यह हमारे लिए और मेरे लिए दुखदायी रहेगा। बाद में यह सभा के समक्ष आएगा। मैं उद्धृत करता हूं: विस्तृत बातचीत के बाद एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) युद्ध-विराम समझौते से तीन शब्दों 'क्षेत्रीय सीमाओं के बिना' के लोप के लिए मान गए हैं। वे इसका दावा कैसे कर सकते हैं? दस्तावेज कहां है? आखिरकार, 14 जून का बैंकाक समझौता हस्ताक्षरित दस्तावेज था। वह मौखिक नहीं था। उस पर भारतीय संभाषी और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के नेताओं के हस्ताक्षर थे। यदि इस दस्तावेज में इन तीन शब्दों 'क्षेत्रीय सीमाओं के बिना' सहित कोई भी बड़ा परिवर्तन किया जाता है तो, मैं यह मान सकता हूं कि उन्होंने एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर, प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह कहने से पहले ही ले लिए होंगे कि ये तीन शब्द एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के समझौते से हटा दिए जाएंगे। इस बात को देखते हुए कि यह हुआ ही नहीं, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सरकार इस गलतफहमी की जिम्मेदार है और जब तक वहां राजनैतिक स्थिति की समाधान नहीं हो जाता, तब तक माननीय वित्त मंत्री उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बजट हमारे समक्ष रखा था।

महोदय, एक ऐसे ही भ्रम की स्थिति है श्री पी.ए. संगमा की नियुक्ति या गैर-नियुक्ति या गैर-सरकारी नियुक्ति या अधिकारिक रूप से पुष्टि न की गई नियुक्ति। मेरे पास यहां 2 अगस्त का 'द टेलीग्राफ' है, जिसके अनुसार ''श्री संगमा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मैं समहत हूं।'' इस पर कोई अनुवर्ती समाचार नहीं है। जिसका परिणाम यह है कि यह कोई नहीं जानता कि सरकार की ओर से संभाषी कौन है।

इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हम केन्द्र सरकार पर इस बात का भरोसा नहीं कर पाएंगे कि वह मणिपुर में अपने राज्यपाल के माध्यम से एक अच्छा ईमानदार और स्पष्ट प्रशासन चला सकेंगे जो वहां राजनैतिक स्थिरता प्रदान कर सके और आर्थिक विकास की संभावनाएं विकसित कर पाए।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न फिर श्री लाल कृष्ण आडवाणी से है जो उन्होंने इन सभा में, विधान सभा भंग करने के बारे में कहा था:

[हिन्दी]

> ''हमारी तरफ से हम वहां कोई दूसरी सरकार बनाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन डिजोल्यूशन किस समय करेंगे, कितने दिन में करेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो जाये।''

[अनुवाद]

महोदय, मेरे पास यह अंतिम पृष्ठ है- 22 अगस्त, का 'द टेलीग्राफ'। समाचार की तिथि पंक्ति है- 'इम्फाल, 21 अगस्त' जिसमें मणिपुर के राज्यपाल महामहिम श्री वेद मारवाह ने 'द टेलीग्राफ को दिए एक निजी साक्षात्कार के बारे में कहा गया है कि, ''मणिपुर के राज्यपाल श्री वेद मारवाह ने राज्य में समय से पहले चुनाव होने की संभावना व्यक्त की है। वहां की जनता के भले के लिए वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जानी चाहिए। यह एक विशेष साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यह कहा।

श्री मारवाह ने कहा कि विधान सभा को भंग करना केवल एक औपचालिकता मात्र है। अब तो इसे केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी संसद में स्वीकार कर चुके हैं। श्री मारवाह के अनुसार, चुनाव विघटनकारी नहीं होगा बल्कि इससे एकता को बल मिलेगा।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस वाद-विवाद के समाप्त होने से पहले, यहां उपस्थित गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस वाद-विवाद में भाग लें और सभा को यह आश्वासन दें कि स्थगित विधान सभा तुरंत भंग कर दी जाएगी और राष्ट्रपति शासन की छः माह की इस अवधि, यानि 2 दिसम्बर, 2001 से पहले, के भीतर चुनाव करवाने के गृह मंत्री जी के आश्वासन को पूरा किया जाएगा। जब तक हमें यह आश्वासन नहीं दिया जाता मुझे नहीं लगता कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के पक्ष या विपक्ष में मत डालने का कोई मतलब है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मणिपुर में अभी प्रेसीडेंट रूल है और मणिपुर राज्य के कामचलाऊ व्यवस्था के लिए 811 करोड़ रुपये का वोट ऑन एकाउण्ट की स्वीकृति के लिए माननीय वित्त मंत्री जी यह प्रस्ताव लाये हैं।

मणिपुर छोटा राज्य है, लेकिन हिन्दुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका होने के साथ-साथ यह पूर्वोत्तर का संवेदनशील इलाका भी है। इतिहास और पुराण के हिसाब से पांडवों का रिश्ता-नाता भी इस इलाके से रहा है। महाभारत में और हिन्दुस्तान के अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब पांडव वनवास भोग रहे थे तो यहां भी कुछ दिन रुके थे। हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी नृत्य की बात हो तो मणिपुरी नृत्य की चर्चा भी काफी होती है। इसलिए कला और संस्कृति के हिसाब से भी मणिपुर का काफी महत्व है।

मणिपुर की स्थिति खराब करने में भारत सरकार सीधे रूप से जवाबदेह है और कसूरवार है। मणिशंकर जी अभी ठीक कह रहे थे। उन्होंने अपने कागज-पत्रों और अखबारों के उद्धरणों से तथा गृह मंत्री जी के बयानों से यह साबित करने की कोशिश की कि वहां आग लगी हुई है। एक तो वहां आयाराम, गयाराम यानी दल-बदल काफी हद तक बढ़ गया है। उसके कारण भी उस इलाके की आज यह हालत हो गई है। इस सरकार की विफलता कहें या लापरवाही कि उसने इतने संवेदनशील मामले पर गम्भीरता से नहीं सोचा। विदेश में जाकर नागालैंड के सीजफायर को वहां तक बढ़ाने का काम किया। इसको लेकर मणिपुर में बड़ा भारी आंदोलन हुआ। वहां की विधान सभा में आग लगा दी गई, स्पीकर साहब को चोट लगी और मंत्रीगण भाग गए। भारत सरकार के मंत्रियों को वहां जाकर वहां की हालत देखनी चाहिए कि कैसे वहां इतना भारी आंदोलन हुआ और अशांति पैदा हुई। उसके बाद फिर सुधार हुआ, एग्रीमेंट में संशोधन हुआ। मणिशंकर जी सही कह रहे थे कि इनके सलाहकार पदमनाभैया भी एमस्टर्डम गए और वहां जाकर नेताओं से बात की। अब उनकी जगह मुन रहे हैं कि संगमा जी को बहाल किया जा रहा है। हमारे इस संवेदनशील इलाके के मसले पर कैसे भारत सरकार और उसके गृह विभाग से गलती हुई, उन्होंने कैसे मिसहैंडलिंग किया सारे मामले को कि वहां इतनी अशांति हो गई, यह ध्यान देने की बात है। मुईबा ग्रुप है, एन.एस.सी.एन. (आई.एन.) के समर्थन लोग हैं। उन लोगों के बराबर बयान आ रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं और उधर से अलग आंदोलन की चर्चा हो रही है। नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि इस तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। यह सब कैसे अचानक हो गया इस पर हमें आश्चर्य हो रहा है। इसकी छानबीन करने की जरूरत है कि इस तरह के संवेदनशील मामले को कैसे इस तरह से हैंडल किया गया। सीमा विस्तार की आशंका से मणिपुर के लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई कि नगा लोग जो नागालैंड की वृहद सीमा की बात करते हैं, कहीं यह सही न हो जाए। मणिपुर के लोगों का मानना है कि उनके राज्य की जो सीमा है, आर्टिकल तीन जो है, उसमें संशोधन करना चाहिए कि भारत सरकार को यह इजाजत न हो कि वह किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव कर सके। वहां युद्धविराम सीमा का विस्तार हुआ, कहीं नागालैंड का ही विस्तार न हो जाए, ऐसी भी आशंका वहां के लोगों को है। इस कारण वहां हिंसक आंदोलन हुआ। यह बड़ा संवेदनशील मामला है। मणिपुर की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आप वहां के लिए बजट लाए हैं, वोट आन एकाउंट है, यह तो पास हो ही जाएगा। मणिपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है।

पूर्वांचल में सूर्योदय पहले होता है लेकिन विकास की किरणें वहां देर से पहुंचती हैं। यह एक उपेक्षित इलाका है। वहां कला संस्कृति पर एक करोड़ और कुछ लाख का खर्च होता है और पन बिजली का, सम्पूर्ण पूर्वांचल का बता रहा हूं, वहां कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों में डेढ़ लाख मेगावाट पन बिजली की क्षमता है, इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हिन्दुस्तान के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बिजली को दी जाए लेकिन पूर्वांचल में पन बिजली की जो पोटेंशियलिटी है, उसके लिए जितना खर्च हो सके, देना चाहिए और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वहां पर पन बिजली की पोटेंशियलिटी तो है लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। अगर उसका पर्याप्त इस्तेमाल हो तो उसी से पूर्वांचल राज्य समृद्ध हो जाएगा। कहा जाता है कि वहां शांति हो गई लेकिन वहां एक्सटार्शन हो रहा है। आंतकवादी लोग वहां के भले आदमियों को तबाह करते हैं और उनका शोषण करते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त खर्च करके वहां का विकास करना चाहिए। सप्लीमेंट्री बजट में जो 2 करोड़ 55 लाख रुपये का बायो-टैक्नोलाजी के लिए खर्च होता है, उसको और बढ़ाना चाहिए। मणिपुर का विधेयक पास हो लेकिन सरकार इसे गंभीरता से ले और वास्तविक स्थिति सदस्यों को बताए कि सरकार कितनी मुस्तैद है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें मणिपुर राज्य की विधानसभा का दायित्व लेना होगा। यह बहुत ही कष्टदायक है कि विधान सभा होने के बावजूद हमें लगता है कि वहां विधायकों की खरीद-फरोख्त होगी। इसलिए हम सरकार से बार-बार यही कहते रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार इस प्रकार संकीर्ण पक्षपातपूर्ण विचार कर रही है, यह देश की एकता और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ठीक नहीं है। यह एक गलत संदेश देता है। मैं इन मुद्दे के विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि हम इस सभा में इन मुद्दों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

दूसरा, आज माननीय मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही, पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे और वे स्वयं वहां जाकर वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। तथापि, मणिपुर में सरकार के अभाव में वहां की जनता को अपने मामले रखने का शायद ही मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर से संबंधित कई समस्याएं है। उनमें से कुछ तो पूर्वोत्तर राज्यों की सामान्य समस्याएं हैं और कुछ समस्याओं का सामना केवल मणिपुर ही कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में एक समस्या है—हवाई सेवा।

अब सरकार इंडियन एयरलाइंस आदि के विनिवेश पर विचार कर रही है। गैर-आर्थिक क्षेत्र जैसे हवाई अड्डे इत्यादि कठिनाई का सामना कर रहे हैं भले ही वह बागडोगरा का हो, इम्फाल का हो, अगरतला का हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र की कोई भी एयरलाइंस हो। मेरा तर्क यह है कि माननीय वित्त मंत्री जब भी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करें उन्हें वहां की जनता को इसका विश्वास दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्षेत्र की जनता के एक वर्ग की पहले ही यह भावनाएं हैं कि उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती और उनकी उपेक्षा की जाती है।

महोदय, आज सुबह हम सुन रहे थे कि- मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में कहा जा रहा था और इससे हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, वह यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की मुख्य भूमि का भाग नहीं है। हो सकता है कि यह बात किसी और संदर्भ में कही गई हो किंतु अभी भी उनमें वंचित रहने की भावना है। उनकी भावना यह है कि मुख्य भूमि में जो भी सुविधाएं हैं, विशेषकर महानगरों में वे सुविधाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को उलब्ध नहीं हैं।

महोदय, मैंने हवाई सेवाओं का उल्लेख किया था किंतु कुछ मिनट पहले पूर्वोत्तर के माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस क्षेत्र की उड़ानों में कितनी कमी कर दी गई है। इस क्षेत्र को रेल सेवाओं में भी कमी की गई है। यहां सीमा क्षेत्रों में विद्रोह और उग्रवादी गतिविधियों की समस्याएं भी हैं। इसके साथ, यहां तस्करी जैसी समस्यायें भी हैं। सरकार इन समस्याओं से भली-भांति अवगत है।

महोदय, सबसे अधिक चिंता का मुद्दा है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं और इसके बजाए वे चालबाजियों और खतरनाक खेलों में व्यस्त हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार को यथाशीघ्र विधानसभा की बहाली का प्रयत्न करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, पहले विधान सभा भंग होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: जी हां, पहले मणिपुर विधान सभा भंग होनी चाहिए फिर इसके लिए नए चुनाव होने चाहिए ताकि वहां की जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हो सके।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, श्री स्वामी प्रभारी मंत्री हैं। वे मणिपुर गए थे और हम जानते हैं कि वहां उन्हें कुछ समस्याएं हुई। उन्हें भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, डिसइन्वैस्टमेंट पर चर्चा के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को लाए और इस वक्त राज्य गृह मंत्री मौजूद हैं, वे बोल नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: सदन में गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं।

सभापति महोदय: यह बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं मानता हूं, यह बजट है। जब विनिवेश पर ग्रामीण विकास मंत्री को लाया जा सकता है, तो कम से कम जब मणिपुर पर बहस हो रही है और अहम मुद्दा भी यही है, स्वामी जी वहां क्या कर रहे हैं, स्वामी जी यहां मौजूद हैं और उनको यहां आने का निमन्त्रण मैंने ही दिया है और आपने कृपा कर स्वीकार किया है, तो जब वे सदन में मौजूद हैं, तो क्यों नहीं वे बतायें कि उन्होंने वहां क्या किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब कृपया अपने स्थान पर बैठिए। माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, यह चर्चा बजट पर तथा मणिपुर जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, के लेखानुदान पर की जा रही है।

महोदय, सभा को मालूम है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अत: मणिपुर विधानमंडल का दायित्व भारतीय संसद पर है, राज्य विधान सभा ने पहले केवल चार महीने के लिए अर्थात् अप्रैल से जुलाई तक का लेखानुदान प्राप्त किया था, इसलिए हमारे लिए इस सभा में आना अनिवार्य हो गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के काम सुचारू रूप से चले और यह संसद इस लेखानुदान को पारित कर सके।

महोदय, अनेक मुद्दे उठाये गये हैं। मेरा मानना यह है कि इस सत्र के दौरान 30 जुलाई, 2001 को जब राष्ट्रपति शासन पर चर्चा हुई थी, तो इस सभा ने उन मुद्दों पर तथा राष्ट्रपति शासन के सभी राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा की थी।

कुछ मुद्दे उठाये गए हैं, माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर की भावनाओं का सम्मान करते हुए, गृह मंत्रालय के मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी ने सभा में ही मौजूद रहने का निर्णय किया ताकि यदि कोई गैर-बजटीय मुद्दा उठाया जाये तो वह उसे गृह मंत्री के पास ले जाएं और उस पर उनके साथ चर्चा कर सकें।

महोदय, लेखानुदान पर चर्चा करने से पहले, मैं अन्य मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। यहां पर मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है, श्री संतोष मोहन जी यहां यह मुद्दा उठा रहे हैं- कि 30 जुलाई को जब लोक सभा में चर्चा हुई तो सरकार की ओर से यह बताया गया था और उसे विपक्ष ने भी मान लिया था कि मणिपुर विधान सभा को भंग करके वहां शीघ्र ही चुनाव करवाये जायेंगे। मैं इस सभा में लेखानुदान पारित कराने के लिए आया हूं। यह लेखानुदान केवल चार माह अर्थात् अगस्त से नवंबर तक के लिए है। हम मणिपुर का पूर्ण बजट पारित नहीं कर रहे हैं। यह संसदीय परंपरा है कि लेखानुदान पारित कराने के लिए अवधि चाहे जितनी भी हो, पूरे वर्ष की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए जो दस्तावेज हमने इस सभा में प्रस्तुत किया है, वह वर्ष भर की प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा है। परंतु मैं इस सभा से मणिपुर के लिए केवल चार महीने अर्थात् अगस्त से नवंबर तक के लेखानुदान की मांग कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा है।

भारत सरकार मणिपुर का संपूर्ण बजट क्यों नहीं पेश कर रही है? इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि हम मणिपुर में लोकप्रिय सरकार चाहते हैं, चाहे वह किसी भी दल की हो- जो लोगों की समस्याओं को सुलझाये, विधान सभा का कार्य संचालन करे तथा वर्ष की शेष अवधि के लिए बजट पारित करे। चूंकि हम केवल चार महीने के लेखानुदान की मांग कर रहे हैं, अत: इस बात का आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है हम आशा करते हैं कि नवंबर के अंत तक मणिपुर में लोकप्रिय सरकार होगी ताकि वे मणिपुर का बजट राज्य विधान सभा में ला सकें।

अब यह माना जा रहा है कि मणिपुर में जब तक वर्तमान विधान सभा को भंग नहीं किया जाता। तब तक ताजा चुनाव नहीं करवाये जा सकते। मेरे विचार से, चर्चा का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि ऐसा शीघ्र किया जायेगा। मैंने स्थिति की जांच की हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह कुछ दिनों की नहीं तो कुछ ही सप्ताह की बात है। जबकि सरकार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी और मणिपुर विधान सभा को भंग करने का निर्णय लेगी ताकि वहां शीघ्रतापूर्वक चुनाव करवाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यथाशीघ्र लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जा सके। अत:, किसी को भी सरकार की मंशा पर शक नहीं करना चाहिए।

जहां तक समझौता और उन तीन शब्दों जिनका उल्लेख श्री मणिशंकर अय्यर कर रहे थे के बारे में दूसरे मुद्दे का संबंध है, यदि मैंने उनकी बात सही-सही सुनी है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके लिए विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया है, क्या यह सच है?

श्री मणिशंकर अय्यर: जी हां, महोदय।

श्री यशवंत सिन्हा: यदि ऐसा है, तो सभापति महोदय, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर अध्यक्ष महोदय को विचार करना पड़ेगा और वह यह निर्णय करेंगे कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये या नहीं। चूंकि यह मामला विशेषाधिकार का है इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस समय मुझे इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए। इस मामले पर अलग से विचार किया जायेगा।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों द्वारा योजना आवंटन में की गई कमी पर चिंता व्यक्त करना ठीक ही है। जैसाकि मैंने कहा है कि यह केवल आय-व्यय का ब्यौरा है। हम, किसी भी लोकप्रिय सरकार की तरह योजना तैयार नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो केवल मणिपुर राज्य द्वारा दिए गए व्यय-विवरण के आधार पर ही प्रावधान कर रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब लोकप्रिय सरकार की स्थापना होगी तो वह सरकार योजना आयोग से योजना-आवंटन पर चर्चा करेगी और उसके बाद ही योजना आवंटनों में संशोधन किया जा सकता है।

परंतु महोदय, मैं यह बताने के लिए आपका एक मिनट लूंगा कि माननीय सदस्यों ने यहां मणिपुर की वित्तीय स्थिति संबंधी जो मुद्दा उठाया है, उस पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। कुछ समय से राज्य की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है। एक बार पुन: यदि आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि उन्हें यह पेरशानी देश के अन्य राज्यों की भांति हुई है, उन पर भी पांचवें वेतन आयोग का प्रभाव पड़ा है। मणिपुर को भी इसी के फलस्वरूप पेरशानी हुई है। इन सभी मुद्दों पर ग्यारहवें वित्त आयोग ने चर्चा की है।

मुझे इस सभा को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग की तुलना में मणिपुर को 1,079 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी है। इससे मणिपुर की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिली है।

जैसाकि श्री संतोष मोहन देव ने बताया है भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने राज्य में वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस ज्ञापन में विभिन्न दायित्वों का उल्लेख है। मैं आशा करता हूं कि मणिपुर राज्य निर्धारित राशि का अनुसरण करके वित्तीय सुदृढ़ता की स्थिति प्राप्त करेगा। मैं मणिपुर सरकार के मासिक वेतन पर होने वाले खर्च की गबन करने का प्रयास कर रहा हूं, यह 60 करोड़ रुपये आता है। इसके बाद पेंशन का खर्च 7.55 करोड़ रुपये आता है। यदि आप इनका इकट्ठा हिसाब लगाये तो वेतन और पेंशन पर ही प्रति माह 67.55 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। मैं यह पता करने का प्रयास कर रहा था कि राज्य के अपने संसाधन क्या हैं और मुझे पता चला कि राज्य को कर और गैर-कर केवल 8.61 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार खर्च 67.55 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्व प्राप्तियां 8.61 करोड़ रुपये है। यह एक समस्या है। यह अस्थायी समस्या नहीं है। यह ढांचागत समस्या है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए कुछ समय से प्रयास किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन से मणिपुर सरकार को अपने निर्धारित विभिन्न कदमों का दृढ़ता से पालन करने में मदद मिलेगी।

महोदय, कुछ अन्य अनुदान भी हैं। संविधान के अंतर्गत ये अनुदान 32.44 करोड़ रुपये के हैं। केन्द्रीय कर और शुल्क का अंश 19.25 करोड़ रुपये है और सामान्य केन्द्रीय सहायता 24.40 करोड़ रुपये है। संपूर्ण राशि 75.09 करोड़ रुपये हैं।

अत: जहां तक भारत सरकार की वचनबद्धता का सम्बन्ध है, भारत सरकार जरूरत से अधिक मदद कर रही है। यहां तक कि जब मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की, तब भी कोई समस्या होने पर हमने उनकी आवश्यकता से अधिक मदद की। विशेष श्रेणी का राज्य होने के नाते, वहां समस्यायें भी हैं और जब कभी भी ओवरड्राफ्ट की समस्या पैदा हुई, हमने अर्थोपाय और अग्रिम ऋण इत्यादि, जो हम भारत सरकार के कोष से प्रदान करते हैं, देकर उनकी मदद की।

मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ही नहीं अपितु भविष्य में भी जब मणिपुर में लोकप्रिय सरकार होगी, यह वचनबद्धता जारी रहेगी हम मणिपुर सरकार मणिपुर राज्य और मणिपुर के लोगों की मदद को तैयार रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय समस्या न हो, जैसाकि विगत में होता रहा है।

महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, विकास व्यय का ध्यान रखा जायेगा। हम विकास व्यय वहन करते रहेंगे। जब लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो जायेगी तो वह मणिपुर के लोगों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी।

महोदय, मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति जो चिंता व्यक्त की गई है, वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की गई है। मेरे विचार से, इस देश की संप्रभु संस्था होने के नाते, इस सभा को मणिपुर के तथा पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगो को यह सुदृढ़ संकेत भेजना चाहिए कि पूर्वोत्तर भी देश के अन्य भागों की तरह भारत का ही एक हिस्सा है और हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ हैं।

श्री संतोष मोहन देव ने देश के उस भाग में पन विद्युत के विकास के लिए मेरी कुछ सराहना की है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह हमें बता रहे थे कि इसकी वहां संभावना है, भारत सरकार को इसकी जानकारी है, इसे कुछ समय से उस क्षमता की जानकारी है। यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा कि विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में विद्यमान पन विद्युत क्षमता का पूर्ण उपयोग करके तथा अन्य तरीकों से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो।

पूर्व चर्चा के उत्तर में मैंने बताया है कि मेरी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने की योजना है। श्री संतोष मोहन देव ने कहा है कि मुझे मणिपुर जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसका ध्यान रखूंगा। परंतु यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष घोषित प्रधानमंत्री पैकेज पूर्ण और व्यापक रूप से लागू हो ताकि वे राज्यों और उन राज्यों के लोग समृद्ध और सुखी जीवन जी सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सभा से इस बजट मणिपुर के लेखानुदान का बिना किसी विरोध के अनुमोदन करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है-

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 47 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियों मणिपुर राज्य की संचित निध से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 06.47 बजे

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक* 2001

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है-

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है-

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है-

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 06.51 बजे

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 28.8.2001 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। यह मुद्दा काफी समय से लंबित था।

महोदय, विक्रय कर निर्धारण के संबंध में शिकायतों के निवारण से संबंधित अन्तर-राज्यीय विवादों पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया गया है। विधेयक में एक निकाय का गठन करने का नया प्रस्ताव, जिसके अध्यक्ष या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, नि:संदेह एक स्वागत योग्य कदम है। महोदय, मैं निम्नलिखित बिन्दुओं पर मैं माननीय मंत्री का उत्तर चाहूंगा।

सायं 6.53 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

सर्वप्रथम, आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र और राज्यों के बीच विक्रय कर, उत्पाद शुल्क तथा अन्य राजस्व का बंटवारा सरकारिया आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ योजना आबंटन के अनुरूप किया जा रहा है। आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिरोपित करने के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में राज्यों को उनके उचित हिस्से से वंचित नहीं रखा जाता है?

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री से अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री सभा को विश्वास में लेकर यह बतायेंगे कि बकाया राशि कितनी हो जो सरकार केन्द्रीय विक्रय कर के मद में अभी तक वसूल नहीं कर पायी है? यह अभी भी उस प्राधिकरण के पास लंबित है जो आज तक भी गठित नहीं हो पाया जबकि यह विधेयक पारित होने के लिए प्रस्तुत हो गया है। सरकार इस राशि की वसूली के लिए क्या कर रही है। पूरे देश के लिए इसकी कुल राशि कितनी है?

महोदय, तीसरा मुद्दा यह है कि मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो चालबाजी कर रही हैं। मैं किसी एक कंपनी या व्यापार-गृह का नाम नहीं ले रहा हूं। वे किसी विशेष सभा में कार्य करते हैं और अपनी कंपनी को वहां पंजीकृत करवा लेती हैं। फिर वे अन्य राज्य में दूसरी इकाई खोल लेते हैं। वे जब अपने सामानों की डिलीवरी दूसरे राज्यों में भेजते हैं, वे कहते हैं कि यह विक्रय नहीं है और वे अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य को भेज रहे हैं कि इस विधि द्वारा और अन्य तरह की चालबाजियों से बहुत सी कंपनियां और कंपनियों के समूह वास्तविक केन्द्रीय विक्रय कर का भुगतान नहीं कर देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं जो कि किसी विशेष राज्य द्वारा प्रोद्भूत किया जाना चाहिए। सरकार किस प्रकार इन चीजों का ध्यान रखेगी?

महोदय, अंत में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस एक विशेष मुद्दे पर सभा को विश्वास में लें। महोदय, मैं इसके बारे में निश्चिंत नहीं हूं। मंत्री इसे क्रास चेक कर सकते हैं। महोदय पेप्सी और कोका कोला कंपनियों की देश भर में कई बोटलिंग इकाइयां हैं और वे अपने नेटवर्क द्वारा कई राज्यों को अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। क्या आपको कोई ऐसी शिकायत मिली है कि वे अपने कारोबार को इस प्रकार कर रही हैं वे सरकार को धोखा देकर केन्द्रीय विक्रय कर का भुगतान नहीं कर रही हैं। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि वे सरकार को धोखा दे रही हैं।

क्या किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह की शिकायत सरकार के ध्यान में लायी गयी है और यदि हां, तो आपके विभाग ने इस बारे में क्या किया है? यह कुछ बातें हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूं।

अंत में, मैं सरकार से एक मुद्दे पर अपील करना चाहता हूं। हमारी यह परम्परा रही है कि किसी प्राधिकरण में आप एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसका कार्य सौंपते हैं। क्यों नहीं एक विशेष सेवा बनायी जाए जिसमें नियमित रूप से कार्य कर रहे पेशेवर लोगों को लिया जाए फिर उसके बाद कुछ सेवानिवृत्त लोगों को इन पदों पर लाया जाए? क्या सरकार इस मुद्दे पर भविष्य की कार्रवाई योजना के लिए विचार करेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक लाते हुए मंत्री जी ने दावा किया है कि अशोक लेलैण्ड वर्सेज भारत सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि अंतर्राज्यीय सेल्स टैक्स विवाद को सुलझाने के लिए एक प्राधिकरण बनना चाहिए और उसे कार्य सौंपा जाना चाहिए। उसे अधिकार मिले और कानून बने, इसीलिए मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं।

महोदय, विक्रय कर से राज्यों को आमदनी होती है और सभी राज्य सरकारें पहले अलग-अलग विक्रय कर की दरें रखती थीं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जब वित्त मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि विक्रय कर की दरें देश भर में समान होनी चाहिए। उससे बहुत से राज्यों को घाटा भी हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि समान विक्रय कर लागू करने से जो राज्यों को घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी?

दासमुंशी जी ने 11वें वित्त आयोग की और सरकारिया कमीशन की चर्चा की और कहा कि सरकारिया कमीशन ने जो निदेश दिये, जो अनुशंसाएं की, उनके कार्यान्वयन में सरकार कौन सी कार्रवाई करने वाली है? फिर जो विक्रय कर की चोरी है, वह अहम मामला है। विक्रय कर की चोरी हर जगह होती है जिससे राज्य के खजाने में जो पैसा टैक्स के जरिये जमा होना चाहिए, वह नहीं होता है। इसके संबंध में कानून ला रहे हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्राधिकरण काम करेगा और उसको ये प्राधिकृत करना चाहते हैं कि अनेक राज्यों के बीच में विवाद होगा, उसका निर्णय प्राधिकरण करे, लेकिन जो चोरी हो रही है, उसको रोकने का क्या उपाय किया जा रहा है? बहुत सारी कंपनियां जिस राज्य में उनका उत्पादन होता है, वहां से उठाकर दूसरे राज्य में सामान ले जाती हैं और बताती हैं कि हैड आफिस है, जिससे जहां उत्पादन होता है, वह राज्य सेल्स टैक्स से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए भी उचित प्रावधान होना चाहिए क्योंकि राज्यों की आमदनी के तीन-चार स्रोतों में से एक सेल्स टैक्स भी है। इसके चलते कभी-कभी हम देखते थे कि जैसे मारूति गाड़ी है, उसका उत्पादन जहां होता है, वहां सेल्स टैक्स ज्यादा था, कुछ राज्यों में कम था। जहां कम था, लोग वहां जाते थे कि हमें सेल्स टैक्स कम देना पड़े। इस तरह की जो असमानता थी, उसे दूर करने का प्रयत्न हुआ है लेकिन ज्यादातर लोग नाराज हैं।

एक बड़ा भारी सम्मेलन व्यापारी लोगों का दिल्ली में हुआ था जो उत्पादन करते हैं और सामान की बिक्री करते हैं। उनका कहना था कि अंतर्देशीय व्यापार की देखरेख के लिए अलग मंत्रालय बनना चाहिए। क्या उस पर सरकार विचार कर रही है यह मैं जानना चाहता हूं। नयी बिक्री कर व्यवस्था में केन्द्रीय बिक्री कर कैसा होगा यह सवाल लोगों के बीच में उठ रहा है।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय, बिक्री कर की नई दर लागू होने से व्यापारी लोग नाराज हैं और यह सरकार तो व्यापारियों के समर्थन वाली सरकार है। इस सरकार के सपोर्टर नाराज हो रहे हैं। मंत्री जी का इस संबंध में क्या कहना है?

सभापति महोदय, बिक्री कर व्यवस्था के लिए सरलीकरण का प्रयास होना चाहिए। सरलीकरण नहीं होने से ज्यादा चोरी और गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है। बिक्री कर की एकरूपता लाने के लिए बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री और कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु साहब ने कहा था कि बिक्री कर के एकीकरण का प्रयास होना चाहिए। इसके संबंध में सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है?

सभापति महोदय, हम समान बिक्री कर के पक्ष में हैं, लेकिन समान बिक्री कर लागू होने से राज्यों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किया है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारे इन सब सवालों का उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक इतना सरल है कि इसके विरोध करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सरकार इस विधेयक को विवादों पर निर्णय लेने के लिए कुछ प्राधिकारी बनाने के लिए लाई है, जो वास्तव में व्यापार और वाणिज्य संबंधी अन्तर-राज्य विवादों की प्रकृति के हैं। हमें इस प्राधिकारी की स्थापना करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस प्राधिकारी में राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसाधनों के आवंटन के संबंध में केन्द्र और राज्यों में हमेशा ही विवाद है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें लम्बे समय से माल पर कर शुरू करने की मांग करती रही हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि दिन-प्रतिदिन सभी राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के विभिन्न पहलुओं पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। अतः इस प्राधिकारी जिसकी स्थापना की जाएगी का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसे स्वायतत्ता दी जानी चाहिए ताकि राज्य अपने हिस्से से वंचित न हों। मेरा आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है। मैं माननीय मंत्री जी से अपने अनुरोधों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, हमको ज्यादा इस बिल पर नहीं बोलना है। सदन में जो केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक, 2001 लाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसे लाने से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा और उनके अधिकारों में केन्द्र का हस्तक्षेप माना जाएगा। इसके पारित होने के बाद आप एक चेयरमैन बनाएंगे, उसका आफिस होगा, आफिस में कर्मचारी होंगे, उनके टी.ए. डी.ए. का खर्चा होगा और इससे व्यापारियों की लूट भी ज्यादा होगी। व्यापारी प्रताड़ित होने लगेंगे। इससे सरकार का खर्च बढ़ेगा।

इस समय देश बहुत आर्थिक विपत्तियों से घिरा हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित न कराएं। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा और व्यापारियों की लूट होगी। इसलिए इन तीन कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सभापित महोदय, हम मंत्री जी का परिचय जानना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मंत्री जी भी आपका परिचय जानना चाहेंगे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा दिए सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं।

हमने यह विधेयक केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए पुर:स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय ने मुद्दे जो लम्बित हैं, के निपटारे के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। केन्द्रीय बिक्री कर बिक्री के अन्तर-राज्य अन्तरण पर लगाया जाता है। इसीलिए सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह धारा 6(क) के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय बिक्री कर अंतराल के प्रयोजन के लिए नहीं लगाया जाता है। इसलिए हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। इस विधेयक में मुद्दे के निपटारे के लिए स्वतंत्र प्राधिकारी का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णय दिया है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में अंतर-राज्य विवाद पर निर्णय लेने के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र होना चाहिए। उनके निदेशों के अनुसार, सरकार यह विधेयक अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र प्राधिकारी और मामलों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए लाई है।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत, एन.आर.आई. मुद्दों के निपटारे और विभिन्न मुद्दों के निपटारे हेतु मुकदमेबाजी से बचने के लिए हमारे पास पहले ही अग्रिम निर्णय लेने का प्राधिकार है। अग्रिम निर्णय के लिए इस प्राधिकारी के समान ही यह विधेयक अंतर-राज्य विवादों के निपटारे के लिए इस प्राधिकरण का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के अंतर्गत, हम एक केन्द्रीय बिक्री कर अपील प्राधिकरण प्रदान कर रहे हैं। यह मुद्दों पर निर्णय लेगा, जिससे निपटारा होगा। मान लें कोई फैक्टरी किसी राज्य में स्थित है, और एजेंट अथवा प्रधान निर्माता अपने सामान को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करना चाहता है, उस स्थानांतरण में बिक्री कर शामिल नहीं होता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां बताया कि कुछ निर्माता राज्यों को धोखा दे रहे हैं। वे कर से बचना चाहते हैं। वे कुछ लाभ कमाना चाहते हैं। उसके लिए वे अपने समान का अन्य राज्य में स्थानांतरण करते हैं, जहां बिक्री कर कम है। वे इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त हैं। उच्चतम न्यायालय में मुकदमे किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय लिया और कहा कि इस मामले से बचने के लिए, सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर के संदर्भ में अंतर-राज्य विवादों पर निर्णय लेने के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र बनाना चाहिए। इसलिए केन्द्रीय बिक्री कर अपील प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत सभी अंतर-राज्य विवाद इस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। यह इस प्रावधान के अंतर्गत निर्णय लेगा। इस मामले के निपटारे की तत्काल आवश्यकता नहीं है। इसे केन्द्रीय बिक्री कर अपील प्राधिकरण को देने के बजाए अब हमने ये सभी मामले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 19-ख के अंतर्गत स्थापित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया है।

अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस उपाय के समर्थन में बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं, से अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

एक समान कर के बारे में हम यह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। केन्द्र सरकार की इसमें हस्तक्षेप करने की कोई भूमिका नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने एक नयी प्रणाली शुरू की है, जिसे मूल्य संवर्धित कर कहते हैं। 2002 में मूल्य संवर्धित कर सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। इसके पश्चात् केन्द्रीय बिक्री कर कुछ अन्य रूप में लिया जाएगा।

सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अपील प्राधिकरण का प्रावधान करने के लिए इस विधेयक का प्रस्ताव किया है। इसमें एडवांस रूलिंग देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से इस उपाय का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.11 बजे

द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या-17 पर विचार करेगी, श्री आई.डी. स्वामी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम, 1961 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं एक बड़ा सिम्पल इनोकुअस-सा बिल लेकर आया हूं। *[अनुवाद]* द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक, 2001। *[हिन्दी]* ये सात ऐसे एक्ट हैं, जो रिडण्डैण्ट हैं, नॉन-फंक्शनल हैं, इनइफैक्टिव हैं, जिनका परपज पूरा हो चुका है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने जैन कमीशन एपाइंट किया था और उसने तकरीबन 1300 ऐसे एक्ट इन्यूमरेट किये हैं, जिनका अब कोई परपज नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, वे सिर्फ स्टेच्यूट बुक पर भार हैं। उसी श्रृंखला में ये सात एक्ट जो पिछले हैं, इनको रिपील करने के लिए यह बिल मैं इस आगस्ट हाउस के सामने लाया हूं। उसमें एक बिल तो ऐसा है, जो लोक सभा में और असेम्बलीज में पहले डबल मैम्बर कांस्टीट्वेंसी होती थी, टू मैम्बर कांस्टीट्वेंसी होती थी, उसके लिए 1961 में एक एक्ट बनाया था- *[अनुवाद]* द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) विधेयक, 1961 *[हिन्दी]* उस वक्त टू मैम्बर कांस्टीट्वेंसी को खत्म करके एक मैम्बर कांस्टीट्वेंसी बनी थी। उस एक्ट का परपज अब पूरा हो गया है।

तीन एक्ट ऐसे हैं, जो आन्ध्र प्रदेश, वैस्ट बंगाल और तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में, तीनों प्रान्तों में बाई-कैमरल लेजिस्लेचर होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, लेजिस्लेटिव असेम्बली भी थी। यह एक्ट उस वक्त आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1965, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1986, वैस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1969, यह उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इन तीनों स्टेट्स में एबोलिश करने के लिए बनाये गये थे। ये एक्ट भी अपना परपज उस वक्त पूरा कर चुके। अब ये स्टेच्यूट बुक पर ख्वामख्वाह का भार हैं, बोझ हैं। इन तीनों एक्ट्स को भी रिपील करना है।

इसी तरह से तीन एक्ट और हैं, जो मद्रास स्टेट, मैसूर स्टेट और यूनियन टैरीटरी आफ लक्षद्वीप, मिनीकाय और मिनीदीव आईलैंड का नाम बदला था। मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया, मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया और उन तीन यूनियन टैरीटरीज का लक्षद्वीप रखा गया था, उसके लिए भी इन तीन एक्ट्स में से एक एक्ट 1968 में और दो एक्ट 1973 में आये थे, उनका भी परपज खत्म हो चुका है। तीन एक्ट ऐसे नाम बदलवाने वाले हैं। तीन

यूनी-कैमरल बनाने वाले एक्ट थे और एक जो डबल मैम्बर कांस्टीट्वेंसी खत्म की थीं, सिंगल मैम्बर बनाई थी, वह था, ये सात के सात एक्ट रिपील करने के लिए आपके सामने मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप इस रिपील बिल को पास करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम, 1961 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.15 बजे

रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 18 पर विचार करेंगे। श्री अरूण जेटली।

...(व्यवधान)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 संपति अंतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों, दोनों के ध्यान में यह लाया गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में पूरे देश में कोई एक समानता नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने कानून में संशोधन किए हैं। अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित रजिस्ट्रीकरण के प्रावधानों में से एक यह रहा है कि संपत्तियां बिना उचित दस्तावेजों के मात्र समझौते के तहत बेची जाती हैं और उन समझौतों के कार्य-निष्पादन के भाग के रूप में कब्जे दे दिए जाते हैं और वे अंतिम शीर्ष दस्तावेज के रूप में प्रभावी बन जाते हैं। इन दस्तावेजों को पूरे देश में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इससे राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भारी राशि का नुकसान उठाना पड़ता है।

इस विधेयक का प्रयोजन इस प्रकार है कि जिन किन्हीं मामलों में विक्रय के सभी समझौतों के साथ कब्जा दिया जाता है, वहां पंजीकरण अनिवार्य होगा।

दूसरा मामला जो उठा था वह यह था कि पूरे देश में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त भारत में चार महानगरों में पंजीकृत करवाई जा सकेगी। अत: पूरे देश में केवल चार महानगरों में सम्पत्तियों के पंजीकरण के कारण अधिकतर मामले पकड़ में नहीं आते थे। अब इन्हें उन स्थानों तक सीमित करने का इरादा है जहां इनका पंजीकरण होना है।

तीसरा प्रभाव यह है कि प्रेसीडेंसी शहरों को छोड़कर वे केवल उन शहरों की सम्पत्तियों का पंजीकरण करेंगे, पूरे देश के लेन-देन से उनका कोई मतलब नहीं है।

चौथा प्रभाव यह है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन की सुविधा के लिए समर्थकारी उपबंध किया जाए विक्रेता और क्रेता दोनों के फिंगरप्रिन्ट और फोटोग्राफ की भी आवश्यकता है।

यह मामला विभाग से संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया। वस्तुत: स्थायी समिति ने पूर्ववर्ती विधेयक में यह सुझाव देकर और सुधार किया कि केवल विक्रेता का ही नहीं बल्कि क्रेता का भी फोटोग्राफ वहां होना चाहिए ताकि लेन-देन में कोई धोखाधड़ी न हो। इसलिए इस विधेयक का यह प्रभाव होगा कि पूरे देश में एकरूपता होगी। सम्पत्तियों का ऐसे स्थान पर जहां लोगों को धोखा

[श्री अरुण जेटली]

दिया जा सकता है, लेन-देन के बजाए उनके राज्य में पंजीकरण होना चाहिए क्योंकि देश के किसी भाग में सम्पत्ति खरीदने वाला कोई व्यक्ति मुम्बई अथवा दिल्ली यह जांच करने नहीं जाएगा कि यह वहां पंजीकृत है अथवा नहीं। पंजीकरण में स्टांप शुल्क का भुगतान भी समाविष्ट है क्योंकि इसमें राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग ले लिया जाता है। वस्तुत: बिहार के एक मंत्री, जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, आज मेरे पास यह सुझाव देने के लिए आए कि उनके राज्य को राजस्व के एक बहुत बड़े भाग का नुकसान हो रहा है, इसलिए जहां तक पूरे देश का प्रश्न है, ऐसा ही किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा स्टांप अधिनियम में दो संगत परिवर्तन करना अपेक्षित होगा।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि स्टांप अधिनियम राज्य विषय है। इसलिए स्टांप अधिनियम में हम यह संशोधन करना चाहते हैं कि बिक्री समझौते की अवस्था में 90% स्टांप शुल्क देय है क्योंकि इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण अपेक्षित है, तथा शेष 10 प्रतिशत बैनामा के समय देय होगा। इसका अभिप्राय जहां तक राज्यों का संबंध है स्टांप शुल्क की चोरी को रोकना है। परंतु चूंकि यह एक राज्य विषय है इसलिए संसदीय क्षेत्राधिकार संघ शासित क्षेत्रों तक ही होगा। इसलिए स्टांप अधिनियम में संशोधन ऐसा संशोधन है जो केवल संघशासित क्षेत्रों पर लागू होगा। तत्पश्चात् यदि सभी राज्य चाहें तो वे राज्य स्टांप अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1982 और भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, वर्षों से अचल संपत्ति का पंजीकरण कराये बिना किसी न किसी प्रकार से अंतरण होता रहा है। इसके कई कारण थे।

इसके दो कारण प्रमुख हैं, विकास प्राधिकरण अथवा कुछ ऐसे प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को आबंटित संपत्तियों के अंतरण पर कई वर्षों तक विभिन्न राज्य सरकारों अथवा प्रशासन द्वारा प्रतिबंध। एक व्यक्ति जिसे विकास प्राधिकरण से कोई संपत्ति आबंटित हुई है, वह परिवार के वित्तीय संकट सहित किसी भी कारण से कई वर्षों तक उसके अंतरण का हकदार नहीं था। इन कारणों से कोई भी संपत्ति के अंतरण के लिए विवश हो सकता है परंतु, चूंकि कानून इस प्रकार के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए लोगों ने जीपीए की इस परंपरा का आश्रय लिया।

अब जब हमारे सम्मुख इस तरह का विधेयक है, तो इस समस्या के मूल में जाना हमारे लिए आवश्यक था। यह किसी भी तरह से माननीय मंत्री जी का विषय नहीं है परंतु उन समस्याओं अथवा मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है।

यहां मेरी पहली बात यह है कि जब सरकार यह संशोधन लाना चाहती थी, जो नि:संदेह एक स्वागतयोग्य कदम है तो पहला उपाय सरकार को यह करना चाहिए था कि वह मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाती, यदि ऐसी बैठक बुलायी जाती तो उन पुराने कानूनों को हटाने पर विस्तार से चर्चा होती। एक समय था जब सरकार सोचती थी कि कई वर्षों तक संपत्ति के अंतरण पर उसका अधिकार है। परंतु अब उदारीकरण के साथ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे विचार से ऐसे पश्चगामी उपबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आज किसी प्राधिकरण से मकान आबंटित होता है और यदि कल वह इसे बेचना चाहता है तो वास्तव में उसे बेचने से क्यों रोकना चाहिए। यह पहली बात है जिसे मैं बताना चाहता हूं।

दूसरे हमारा यह आम अनुभव रहा है कि स्टांप शुल्क बहुत अधिक देना पड़ता है। हमने देखा है कि एक संपत्ति एक बार नहीं बल्कि कई बार साधारण मुख्तारनामा (जनरल पावर आफ आटर्नी) के जरिए अंतरित की गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर लेन-देन में अन्यथा भारी स्टांप शुल्क देना होता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह संशोधन जिसे वह अब शामिल कर रहे हैं, मुख्यत: संघशासित क्षेत्रों में ऐसे लेन-देन के विरुद्ध है। मैं आपको अपने संघ शासित क्षेत्र का उदाहरण दूंगा।

संघशासित क्षेत्र सीधे भारत सरकार के प्रशासन के अधीन हैं। चंडीगढ़ में निर्धारित स्टांप शुल्क अत्यधिक है। वे पंजाब का अनुसरण करते हैं। एक बार पंजाब ने इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। हमने उनका अनुसरण किया। पंजाब ने इसे कम कर दिया है, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने अपने अनुभव से देखा है कि स्टांप शुल्क निश्चित रूप से अत्यधिक है जो लोगों को अपनी संपत्ति के पंजीकरण से रोकती है तथा वे मुख्तारनामा पर अंतरण जैसे उपायों का सहारा लेते हैं।

ये दो तथ्य हैं जिन पर मैं सोचता हूं कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग ऐसे तरीके न अपनाएं। माननीय मंत्री जी को लोगों के लिए

सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि वे कुछ सीमा तक वास्तविक अथवा उचित स्टांप शुल्क के भुगतान के द्वारा सम्पत्ति अंतरण करें। हमें यह पता लगाना चाहिए कि लोग इससे क्यों बच रहे हैं।

चूंकि यह संशोधन किया गया है इसलिए मैं निश्चित रूप से सरकार से अनुरोध करूंगा क्या कानून मंत्री अथवा शहरी विकास मंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्या की जड़ पर प्रहार किया जाए। सामान्यत: कानून में केवल संशोधन से कोई सहायता नहीं मिलेगी बल्कि लोग दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे, परंतु यह एक अच्छा संशोधन है जो लोगों को इन उपायों का आश्रय लेने से निश्चित रूप से रोकेगा जिनकी वजह से मुख्तारनामा अथवा समझौते का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा किसी न किसी प्रकार से संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है। अब वे इस समझौते के मामले में सामान्य स्टांप शुल्क का 90 प्रतिशत कर लगा रहे हैं। यह निश्चित रूप से कुछ सीमा तक सहायक होगा।

एक बात यह और है मैं इस उपाय का नि:संदेह स्वागत करता हूं कि मेट्रोपोलिटन शहरों तथा दिल्ली में भी अंतरण पंजीकृत कराने की प्रचलित प्रथा पर रोक लगा दी गई है। कई वर्षों से हमने देखा है कि भू-माफिया, जो देश के विभिन्न भागों में सक्रिय है, असली मालिक की जानकारी के बिना ही संपत्ति खरीदते हैं और बेचते हैं। कोई और ही किसी सम्पत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद, उसका उत्तराधिकारी हो जाता है यदि मालिक बिना वसीयत के मर जाता है और कुछ संपत्ति छोड़ जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति असामाजिक तत्वों के साथ सांठ-गांठ कर अथवा समझौता करके उसकी सम्पत्ति पर दावा कर लेता है तथा दिल्ली में भूमि का पंजीकरण करा लेता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नि:संदेह इस समस्या को समाप्त कर दिया गया है।

महोदय, मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान संशोधन विधेयक संघशासित क्षेत्रों तक ही सीमित है।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली: केवल स्टांप वाला भाग...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे आश्चर्य है कि जब यह विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था तो यह छूट कैसे गया। मैंने श्री अरूण जेटली के मामले में ऐसा होते कभी नहीं देखा। मेरा अनुभव यह है कि जब विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तथा हम कोई गलती बताने का प्रयास करते हैं, तो इस विधेयक को तैयार करने वाले जिद्दी और अभिमानी अफसर इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको पारित करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो गया। हालांकि मैं इसके बारे में तकनीकी दृष्टि से नहीं जानता फिर भी मंत्री द्वारा विधेयक के संशोधन के रूप में प्रस्तुत संशोधन विधेयक के कार्य क्षेत्र के बाहर है। दरअसल मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। परंतु नि:संदेह इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि ऐसा न हो तथा हम त्रुटिहीन विधेयक प्रस्तुत करें, जैसा कि हमने माननीय मंत्री जी से सुना है तथा उन्हें अपनी ख्याति के अनुसार काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसके मूल उपबन्धों से सहमत होते हुए, मैं तो बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, सरकार का रैवेन्यू बढ़ाने का भी लक्ष्य है और यहां पर बहुत सी प्रापर्टीज खाली एग्रीमेंट पर ही ट्रांसफर हो रही थी और उससे लीगल काम्पलिकेशन्स पैदा हो रही थीं। इस व्यवस्था को साफ-सुथरी रूपरेखा देने के लिए और रैवेन्यु को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था रखी गई है। मैं एक खास बात इंगित करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश में जो आबादी वाले स्थान हैं, उनमें प्रापर्टीज का प्रापर डाक्युमेंटेशन नहीं है। इससे भी समस्यायें खड़ी होती हैं। रैजीडैंशियल प्रापर्टीज जहां आमतौर पर परम्परागत सिस्टम चला आ रहा है, किसके कब्जे में कितना क्षेत्र है, उसी को आधार मान लिया जाता है। इससे जो झगड़े पैदा होते हैं, वे बरसों तक अदालतों में चलते हैं और उससे ग्रामीण जनों का शोषण होता है और न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, उसमें परिणाम मिलने में बहुत देरी लगती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी प्रापर्टीज हैं, उनके प्रौपर डाक्युमेंटेशन की व्यवस्था कराई जाए।

जहां तक स्टैम्प ड्यूटी का सवाल है, हालांकि यह मामला स्टेट्स का है, लेकिन आपने प्रावधान किया है कि यह यूनियन टैरेटरीज पर ही लागू होगा। मेरा अनुभव रहा है कि स्टेट्स में भी जमीनों के रेट्स तय किए जाते हैं, उनमें कहीं-न-कहीं तय करने वाली मशीनरी पर प्रापर्टी डीलर का प्रभाव रहता है। हमने देखा है कि एक ही लोकैलिटी के अन्दर दो किस्म के रेट लिए जाते हैं। एक जगह एक रेट लगा और उसी जगह दूसरे का रेट कुछ और लगा हुआ होता है। डिस्प्युट होता है, तो पूरी की पूरी

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

मशीनरी को गुनाहगार ठहरा दिया जाता है और लोगों को परेशानी होती है। सिस्टम बनाया गया है कि दस प्रतिशत बेनामी एग्रीमेंट चैक किए जायेंगे। यह अपने आपमें एक मैकेनिज्म बन गया है, उनमें छांट-छांट कर केसेज को लिया जाता है और इस काम में भी दलाल लगे हुए हैं। उसके बाद जो दस प्रतिशत टैस्ट होते हैं, उनमें 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पैनल्टी का प्रावधान है, इसमें भी जनता का शोषण होता है।

सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन विशेष उपबन्धों पर विचार करते हुए, अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मंत्री जी अद्भुत विधेयक लाए हैं। इसलिए अद्भुत कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक कानून सौ वर्ष पुराना है, एक 109 वर्ष और एक 92 वर्ष पुराना है। इस विधेयक का नाम रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां रखा है। एक ही विधेयक में तीन विधेयक हैं- एक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, दूसरा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और तीसरा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899। इसमें मंत्री जी ने दावा किया है कि सन् 1998 में वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसी में एतद् संबंधी निर्णय हुआ, जिसके कार्यान्वयन के लिए यह विधेयक लाए हैं। इसमें एक क्लाज स्वागत योग्य है कि अब तक कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई आदि चारों जगहों में देश भर की जमीनों की रजिस्ट्री हो जाती है। हम लोगों की बिहार की ज्यादातर रजिस्ट्री वहीं चली जाती थी। बिहार राज्य का टैक्स मारा जाता था। उस प्रावधान को इन्होंने समाप्त कर दिया, जो स्वागतयोग्य है।

इन्होंने दावा किया है कि जितने दस्तावेज पुराने जमाने में लिखे रहते थे, उन सब की लोग नकल लेते थे, अब ये कहते हैं कि हम सब कम्प्यूटर में डाल देंगे। अब जब कम्प्यूटर में गड़बड़ी होगी तो उसका इलाज कौन करेगा - यह बताइए। कम्प्यूटर में भी गड़बड़ी होती है - कभी वाई.टू.के. की गड़बड़ी, कभी कुछ अन्य गड़बड़ी हो जाती है। अब दस्तावेज रखा रहेगा। उसमें खसरा नम्बर, खाता बदल जाएगा, हेरा-फेरी हो जाएगी। उसका आपके पास क्या इलाज है। पहले हाथ से लिख कर जमा होता था। अब ये कहते हैं कि सब कुछ कम्प्यूटर में डाल देंगे, उसमें डालने से जो खतरा होगा उसका क्या इलाज है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी जवाब दीजिए। ये कहते हैं कि धारा 32 के अधीन कार्यालय में समुचित रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज प्रस्थापित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस दस्तावेज पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो और उंगली छाप लगाए। महोदय, जो दस्तावेज बनता है, उसे खरीदने वाले और रजिस्ट्री करने वाले पहले साक्षर थे। वे दस्तखत करते थे और अंगूठे के भी निशान लगाते थे - बाएं अंगूठे का निशान। इन्होंने कानून में लिखा है कि उंगली छाप लगाएगा। ...*(व्यवधान)* कानून साफ होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि उंगली छाप लगाएगा, पहले उंगली का निशान था।...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब ये कहते हैं कि फोटो भी रहेगा। गांवों में कहां से फोटो खींचने वाला आएगा? वे लोग पहले फोटो खीचाएंगे, फिर जाएंगे। क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* इसमें क्या खराबी है? अभी सौ वर्ष पहले जो कानून बना, सौ वर्षों में यह विवाद कहां आया? क्या कारण है, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, यह बताएं, जिससे मंत्री जी को बाध्य होना पड़ा कि फोटो भी लगानी पड़ेगी और फिर उंगली छाप का निशान। कानून मंत्री बताएं कि यह झंझट वहां उठेगा या नहीं, यह बात साफ होनी चाहिए। उंगली मतलब कौन सी उंगली? पहले था लैफ्ट हैंड, मतलब अंगूठे वाला। अब कौन सा होगा - तर्जनी वाला, मध्यम वाला, अनामिका वाला, कनिष्ठिका वाला, बाएं वाला या दाएं वाला।

यह बात साफ होनी चाहिए। गड़बड़ कानून बनेगा तो वकील लोगों की बन आयेगी।...*(व्यवधान)* इसलिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि इस क्लाज में फोटो वाला प्रावधान क्यों जोड़ रहे हैं, उंगली की छाप की बात क्यों जोड़ रहे हैं और इसको अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? कम्प्यूटर वाली बात जो मैंने कही है वह भी मंत्री जी स्पष्ट करें। रजिस्ट्री जो होती है तो उसमें एक खरीदने वाला होता था वह लिखने वाले को दही-चूरा खिलाता था। दाम खेत का ज्यादा है और लिखवा दिया कम। फिर रजिस्ट्री में लेट फाइन लगता है तो वह क्या है? लेट फाइन जो लगता है वह घूस है। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि देर से आया है तो फाइन लाओ तो यह कानून में ही प्रावधान क्यों नहीं कर देते हैं। पहले तो करोड़ों रुपये की खरीद केवल दस्तखत से ही हो जाया करती थी आज आप उंगली और फोटो की बात करते हैं। एक तरफ कम्प्यूटर की बात और एक तरफ अंगुली के निशान की बात, यह क्या है। या तो नयी बात, कम्प्यूटर की बात रहे या पुरानी परम्परागत बात रहे। एक तरफ कहते हैं कि कम्प्यूटर लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंगुली वाली बात, तो माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): माननीय, सभापति महोदय, माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री जो एक विख्यात विधि विशेषज्ञ हैं, ने सदन के समक्ष विचार एवं पारित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य तीन विद्यमान अधिनियमों यथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को मिलाकर एक व्यापक अधिनियम बनाने का है। इस उद्देश्य के लिए इस विधेयक में संशोधन लाने तथा आगे-पीछे कुछ धारा अन्त:स्थापित करने की

जरूरत है। इस प्रकार इस विधेयक के साथ समांतर रूप से एक संशोधन भी लगा हुआ है।

वस्तुत: अभी तक प्रचलन यह रहा है कि बेईमान विक्रेता बिना उचित पंजीकरण के ही संपत्ति का हस्तांतरण कर देते हैं और इस तरह से कर देने से भी बच जाते हैं। यह विधेयक दुरुपयोग की इस प्रथा पर भी रोक लगाता है। जिसके अनुसार अंचल संपत्ति का पंजोकरण देशभर में चारों महानगरों में से किसी भी महानगर में कराया जा सकता है। तथापि, मैं माननीय विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री का ध्यान कुछ अनुच्छेदों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं धारा 23क को लूंगा। जिसे अंत:स्थापित किया जा रहा है। वह इस प्रकार है:

> ''संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53क के अधीन किसी संघ क्षेत्र में आंशिक पालन की प्रकृति के स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए और संविदाएं''

यह भी अन्त:स्थापित किया गया है कि शुल्क का 90 प्रतिशत हस्तांतरण के रूप में प्रभारित किया जायेगा। यहां मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति एक करार (संविदा) करता है तो इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति करार (संविदा) करता है तो हस्तांतरण के रूप में स्टाम्प ड्यटूी का 90 प्रतिशत भुगतान करना होगा। जब वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वह उस स्थान पर आता है जहां वह सम्पत्ति स्थित है, तो वह पाता है कि वह सम्पत्ति कानूनी अड़चनों मे अछूती नहीं है अब इस समय अगर संबंधित व्यक्ति समझौते को मानने से इंकार कर देता है तो स्टाम्प ड्यूटी का 90 प्रतिशत जो पहले ही भुगतान कर दिया गया है वह उसे कैसे वापस मिले। इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

दूसरा, विधेयक में एक प्रावधान अन्त:स्थापित किया गया है जिसके अनुसार जब कभी भी कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसकी उंगलियों के निशान तथा उसके फोटो की आवश्यकता होती है। माननीय मंत्री को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि दोनों निष्पादकों की फोटो आवश्यक रूप से चिपकायी जानी चाहिए क्योंकि आप एक ऐसा तंत्र बनाने जा रहे हैं ताकि बेईमान व्यक्तियों की पहचान की जा सके, क्योंकि वर्तमान में अचल परिसम्पत्ति उद्योग काले धन को आसानी से निवेश करने का जरिया बना हुआ है इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था कायम हो चुकी है और इस समानान्तर अर्थव्यवस्था में कालाधन हमारे देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था के 50 प्रतिशत के बराबर है।

इस संदर्भ में, मैं एक और स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा, मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में एक प्रथा है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह क्या है? यह गलत बात है, यदि इसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है तो वे जा सकते हैं, वे क्यों व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हमारे राज्य में जब भी आप अचल सम्पत्ति का पंजीकरण करवाने जाते हैं तो बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है। अत: मैं समझता हूं कि इससे राज्य सरकार लाभ से वंचित रह जाती है। इसके अलावा मेरे राज्य में कहीं भी मूल्यांकन तालिका उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि माननीय मंत्री जी इस बात का प्रावधान कर देते हैं कि इस संदर्भ में राजपत्र अधिसूचना अवश्य जारी हो, तो यह कथित क्षेत्र में भुगतान किए जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण करने में आम लोगों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी। यह प्रथा बंगाल में जारी है और जहां तक हमारे राज्य का सवाल है यह काफी उलझा हुआ मामला है।

महोदय, मैं हमारे विधि मंत्री द्वारा किए-कराए को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि विधेयक में गैर-कानूनी संपत्ति के अंतर को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी है।

महोदय, यदि आप पूरे संदर्भ को देखेंगे तो आप पायेंगे कि चूंकि देश का सुरक्षा वातावरण अच्छा नहीं है। अत: लोग नशीली दवाओं तथा हथियारों की तस्करी से कमाए गए काले धन को निर्माण उद्योग और अचल संपत्ति उद्योग में विनिवेश कर काफी कमा रहे हैं और इससे राज्य सरकारों को राजकोष का घाटा हो रहा है। जिसकी चिंता पूरे देश को होनी चाहिए अत: मैं कानून मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं कि यह विधेयक राज्य सरकारों के कोषों में वृद्धि करने में सहायक होगा।

कुछ आपत्तियों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिनका समाधान हमारे कानून मंत्री को करना होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए तथा इस संदर्भ में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। चर्चा के दौरान उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं अपना उत्तर दूंगा।

[श्री अरुण जेटली]

इस कानून का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्तकर्त्ता है। दो तरीकों से राज्य को दिए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी से बचा जा सकता है। पहला आप प्रेसिडेन्सी टाउन (महानगरों) में चले जाएं - वे स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करते हैं और राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी की हानि हो जाती है। दूसरा आपका दस्तावेज इस तरह से तैयार किया जाता है कि समझौता हो जाने तथा स्वामित्व सौंप देने के बाद भी वे महज कागजी समझौते रहते हैं। हालांकि विशेषरूप से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53ख के प्रावधानों के कारण अपरिवर्तनीय संबंध स्थापित हो जाते हैं। अंतिम विक्रय दस्तावेज को कभी भी लागू नहीं किया जाता है। अत: राज्यों को कभी भी स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त होने वाला राजस्व प्राप्त नहीं होता है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि इन दस्तावेजों के साथ जब भी संपत्ति का स्वामित्व दिया जाता है तो उस स्थितियों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक राज्य देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में अपनी तालिका तैयार करेंगे। संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में हमने इसे 90 प्रतिशत रखा है। शेष 10 प्रतिशत का भुगतान बाद में किया जायेगा।

एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था यदि पंजीकृत दस्तावेजों को आप पूर्व स्थिति में लाना चाहते हों तो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है यह विक्रय के समझौते की स्थिति पर ही लागू नहीं होता है। पंजीकृत दस्तावेजों को वापिस बदलना या विक्रय विलेख को रद्द करना एक प्रक्रिया है। जिनकी अलग व्यवस्था है। इस चरण में स्टाम्प ड्यूटी का कितना हिस्सा वापस किया जायेगा उसका प्रावधान अलग से इस कानून में किया गया है। यह कोई नई स्थिति नहीं है जो पैदा की हुई है। इस संदर्भ में पहले से ही कानून है जो इस स्थिति से निपटती है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: मैंने एक प्रश्न पूछा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति करार (संविदा) करता है इस समय उसे 90 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भुगतान करना पड़ता है। बाद में यह पाया गया कि वह संपत्ति जिसे उसने खरीदा था वह दोषपूर्ण स्थिति में है, मेरा मतलब है, यह कानूनी अड़चनों से मुक्त नहीं है। उस स्थिति में वह व्यक्ति उस धनराशि को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप कम से कम एक अवधि निर्धारित करें, जिस अवधि के अंदर हस्तांतरण का पंजीकरण पूरा किया जा सके, ताकि इस स्थिति से बचा जा सके...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): क्यों समय बेकार कर रहे हो?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री अरूण जेटली: यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है जिसे माननीय सदस्य ने हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विचार करूंगा। तथापि, मैं इस बात को भी बताना चाहूंगा कि जहां तक निर्धारित अवधि जिसके भीतर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, का प्रश्न है उसे भी इस अधिनियम में अलग से दिया गया है। अत: यह सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो मौजूदा नियमों के अंदर आती हैं। यदि वर्तमान कानून में व्याप्त कोई कमी हमारे समक्ष लायी जाती है तो मैं उस पर विचार करूंगा। मैं निश्चित रूप से इन सुझावों पर उतनी ही गंभीरता से विचार करूंगा जितनी गंभीरता से उन्हें हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): यह काफी सराहनीय कदम है। स्टाम्प ड्यूटी जिसका भुगतान किया जाना है में 10 प्रतिशत की कमी देने के अलावा सभी दृष्टिकोणों से यह एक विक्रय विलेख बन जाता है।

धारा 53ए को ही हटा दिया गया है।

श्री अरूण जेटली: नहीं यह नहीं हटाया गया है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: उस 10 प्रतिशत के अलावा इसे हटा दिया गया है।

श्री अरूण जेटली: नहीं, यह हटाया नहीं गया है। मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। वर्तमान विधि के अनुसार, विक्रय करने के करार सिम्पलिकेटर के लिए पंजीकरण तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक राज्य के संशोधन इसे अनिवार्य न बना दें। किंतु यदि विक्रय कराने के करार के भागिक पालन में विक्रय-करार हो व कब्जा भी दिया गया हो, तो धारा 53क के कारण वह दिया गया कब्जा अपरिवर्तनीय हो जाएगा और संपत्ति अंतरण अधिनियम के परंतुक 53क की कारण कब्जा सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में, आपके पास विक्रय-करार और उसके भाग के रूप में कब्जा होगा। धारा 53क कारण, जैसा कि आपने ठीक कहा कि, यह अंतिम विक्रय दस्तावेज के ही समान हो जाता है। इसलिए, जब आपके पास अन्तिमता की विशेषता वाला दस्तावेज है वो राज्य सरकार का 2 रुपये मात्र की स्टाम्प ड्यूटी लेना सही है या नहीं, यह एक कोरे कागज पर भी हो सकता है। इस प्रकार, जब आपके पास ऐसा दस्तावेज होगा तो राज्यों को 90 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा और इसलिए, अन्तिम दस्तावेज की ही मांग होगी जिसके लिए आप बाकी का दस प्रतिशत अदा करते हैं। यह केवल दिल्ली और दूसरे संघशासित

क्षेत्रों के मामले में ही लागू है। यदि कुछ राज्य सरकारों को यह लगता है कि उन्हें स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत ही नहीं है, तो वे ऐसा ना करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इस विधान से मुझे पूरा यकीन है कि राज्य किसी को भी बिना स्टाम्प ड्यूटी अदा किए जाने की अनुमति नहीं देंगे। संपत्ति का हक प्राप्त करने में उन्हें रियाअत मिले, उसका ब्याज मिले किंतु वे राज्य के राजस्व में कोई स्टाम्प ड्यूटी की भागीदारी न करें, इसी कारण से यह विधान बनाया गया है।

महोदय, श्री बंसल द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत ही वैध प्रश्न है। आज, इस संसद में हम इसका समाधान नहीं कर सकते क्योंकि यह राज्य का विषय है किंतु जिन स्थानों पर स्टाम्प ड्यूटी अधिक हो गई है, दरअसल यह गृह उपलब्ध कराने के संपूर्ण उद्देश्य पर रोक लगाता है। इसे कीमत में जोड़ा जाता है और यदि उसे संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाता है तो इसे किराए में भी जोड़ा जाता है और अचल संपत्ति में जोड़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है और आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने में यह रुकावट बन जाता है। यह एक पृथक प्रश्न है कि राज्यों को विचार करना होगा क्योंकि राज्य ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां एक ओर हम उनसे राजस्व कम करने को कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर राज्यों में राजस्व की कमी है। इसलिए, राज्य कठिन स्थिति में हैं। इस प्रश्न पर पृथक रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य: मुख्तारनामे के मामले का क्या होगा?

श्री अरूण जेटली: उस पर यही सिद्धांत लागू होगा। यदि इसे कब्जे के अंतरण के साथ जोड़ा जाता है और यह धारा 53(क) के अंतर्गत आता है तो इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा। दस्तावेज के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दस्तावेज की प्रकृति ही वास्तविक मुद्दा है। यदि दस्तावेज की प्रकृति ऐसी है कि आप कब्जा ले रहे हैं और आपके पास करार या मुख्तारनामा है, तो आप विक्रय-विलेख निष्पन्न न करें आप राज्यों को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लगा सकते हैं। यही हो रहा है। इसीलिए सभी राज्यों ने यह आग्रह किया है कि इस आचारहीनता को सही किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू ने कुछ प्रश्न किये थे। मुझे लगता है कि कई बार आप बहुत ही गंभीर विषय उठा देते हैं जिनमें परेशानी होती है। अगर आप इसकी धारा - 16क को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत रजिस्ट्रार के आफिस में आज भी ट्रेडीशनल डाक्यूमेन्टेशन जो कागज पर होगा वह चलेगा। उसकी जो पुस्तकें हैं, वह उसी प्रकार से रहेंगी जो पहले से हैं, लेकिन कभी आपने वहां जाने का अनुभव किया है तो सेल डीड उसी कागज पर होगी, स्टैम्प ने अभी कम्प्यूटर की शेप नहीं ली है तो जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वह भी कागज पर लगेगी, लेकिन कभी वहां जाकर इंस्पैक्शन करने का आपको अवसर मिला है तो 10000 किताबें आपके सामने रखी जाएंगी और इनमें से एक-एक पन्ना पलटिये और उसकी इंस्पैक्शन करने का प्रयास करिये। इसलिए सैक्शन 16क में लिखा है एक शब्द जो शायद आपसे छूट गया सैक्शन 16 में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी और सैक्शन 16 कहता है कि किताबों को यथावत बनाये रखा जाएगा जो कागज पर होंगे। उक्त सैक्शन के सब-सैक्शन 1 में उल्लिखित पुस्तकों को भी कम्प्यूटर में रखा जाएगा। तो जो ट्रेडीशनल डाक्यूमेन्टेशन होगा, उसके अतिरिक्त कंप्यूटर भी होगा।

सभापति जी, इसलिए जो ट्रैडीशनल डाक्यूमेंट होगा, उसके अतिरिक्त कंप्यूटर भी होगा। जो आपका ट्रैडीशनल ओरिजनल कागज होगा, वह ट्रैडीशनल डाक्यूमेंटेशन के ऊपर होगा, स्टाम्प पेपर पर होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी क्योंकि कम्प्यूटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वही दस्तावेज कम्प्यूटर के ऊपर भी होगा। कभी आप किसी प्रेसीडेंसी टाउन में या किसी और शहर में जाकर इसकी जानकारी करना चाहें कि इस खसरा नंबर का रजिस्ट्रेशन किसी ने पहले तो नहीं करा लिया, तो आपको 10 हजार कागज नहीं पलटने पड़ेंगे। आप कम्प्यूटर पर तहकीकात कर सकते हैं कि इस जमीन का सेल ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो किस व्यक्ति के नाम हुआ है। इसलिए जिस प्रकार के फ्रॉड संपत्ति के संबंध में होते रहे हैं, दोनों प्रकार के कागज बनाने से, उसकी गति काफी कम हो जाएगी।

सभापति महोदय, रघुवंश बाबू ने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि कम्प्यूटर पर अंगूठा कैसे लगेगा। मैं आपको बताऊं कि जब यह बिल विशेष स्टेंडिंग कमेटी में गया, तो श्री चौधरी ने जो प्रश्न अभी उठाया था, वही प्रश्न कमेटी में भी उठा था। इसमें यह प्रस्ताव था कि जो व्यक्ति वहां दस्तावेज लेकर जाता है उसकी फोटो भी है, उसकी अंगुली का निशान भी हो। अंगुली के निशान का अर्थ यह नहीं होता है कि वह किस अंगूठे का निशान होगा या वह किस अंगुली का होगा। मान लीजिए किसी का लैफ्ट थम्ब कटा हुआ है, तो कौन सा अंगूठा लगेगा? यह पार्लियामेंट के एक्ट में लाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो कानून के तहत जो नियम बनते हैं, उनके अंतर्गत लिखा जाता है। इसलिए इस बात को इस कानून के अंतर्गत जो नियम बनेंगे उनमें स्पेसिफिकेशन के रूप में अवश्य लिखा जाएगा। यह इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जाता है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, तो कोई जिस स्थान की रजिस्ट्री करा रहा है, उस स्थान पर तो जाकर देखता नहीं है कि वह किसकी है या वहां कौन काबिज है, कौन मालिक है।

[श्री अरुण जेटली]

मान लीजिए मैं किसी की संपत्ति जाली दस्तखत करके अपने नाम करा लूं, तो इस प्रकार की अनेक फोरजरी चलती थी और कई प्रकार की एक्टिविटीज होती थी। इसलिए सुझाव था कि उस व्यक्ति का फोटो भी लगेगा कि कौन व्यक्ति है, किसने रजिस्ट्री कराई है और उसकी अंगुली का निशान भी देखा जाएगा। स्टेंडिंग कमेटी ने इसमें कहा कि केवल बेचने वाले का नहीं बल्कि खरीदने वाले का भी फोटो लगे और उसकी अंगुली का निशान भी लगे ताकि कल को जिस प्रकार से संपत्ति के झगड़े होते हैं, उस प्रकार के झगड़े न हों। इस सुझाव को हम लोगों ने स्वीकार किया है और इसकी आफीशियल एमेंडमेंट हमने इसके साथ ही रखी है कि खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों के फोटो लगेंगे और उनकी अंगुलियों के निशान भी होंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान पहले से ही है।

श्री अरुण जेटली: कई प्रान्तों में इस प्रकार का सिस्टम पहले से ही है, लेकिन इससे पूरे देश के अंदर यूनिफार्मिटी आएगी। जो उद्देश्य था वह यह था कि जिस प्रकार से संपत्ति के झगड़े होते हैं, चीटिंग होती है, बेईमानी होती है वह रुक जाए। इसलिए स्टेंडिंग कमेटी का सर्वसम्मत सुझाव हमने स्वीकार किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 से 4

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

'कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5–नई धारा 32(क) का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"परंतु जहां ऐसा दस्तावेज स्थावार संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित है वहां दस्तावेज में वर्णित ऐसी संपत्ति के प्रत्येक क्रेता और विक्रेता के पासपोर्ट आकार के फोटोचित्र और अंगुली-छाप भी दस्तावेज पर लगाए जाएं।" (3)

(श्री अरूण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7–धारा 52 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 30–

'फोटोचित्र' के स्थान पर

"फोटोचित्रों" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

रात्रि 8.00 बजे

खंड 11–1899 के अधिनियम संख्या 2 की अनुसूची-1 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 15–

''संव्यवहार'' के स्थान पर

''किसी संघ राज्य क्षेत्र में संव्यवहार'' प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22–

''भागिक पालन'' के स्थान पर

''किसी संघ राज्य क्षेत्र में भागिक पालन'' प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्य यह है:

''कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12-विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1–संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6–

''2000'' के स्थान पर

''2001'' प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1,–

''इक्यावनवें'' के स्थान पर

''बावनवें'' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 19 पर विचार करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, बाकी मदें हम कल ले सकते हैं।

सभापति महोदय: ठीक है। अब सभा कल, 29 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 अगस्त, 2001/7 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.19.26/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 28 अगस्त,2001/ 6 भाद्रपद ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
92	27	(क) से (ग)	(क) से (ड.)
95	25	(घ) और (च)	(घ) से (च)
104	25,29 तथा 32	द्विविभाजन	द्विभाजन
105	1	द्विविभाजन	द्विभाजन
124	29	इच्छुकों	इच्छुक व्यक्तियों
125	15	अनाधिकृत	अनधिकृत
397	12	डा.नीतीश सेनगुप्ता	डा.नीतिश सेनगुप्ता
417	पाद-टिप्पण	*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।	**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।